पंचम माला, खंड 39, अंक 46, सोमवार, 29 अप्रैल, 1974/9 वैशाख, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XXXIX, No. 46, Monday, April 29, 1974/Vaisakha 9, 1896 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XXXIX contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

2[illegible] LSS/74—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 46, सोमवार, 29 अप्रैल, 1974/9 वैशाख, 1896 (शक)

No. 46, Monday, April 29, 1974/Vaisakha 9, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
निधन सम्बन्धी उल्लेख	**OBITUARY REFERENCE**	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
873 भारतीय जहाजरानी निगम के मुख्य कार्यकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) का पद रिक्त पड़े रहना	Post of Chief Executive of the SCI lying vacant	2
874 आस्ट्रेलिया से गेहूं की खरीद	Purchase of Wheat from Australia .	4
879 मशीनी कम्पोस्ट खाद संयंत्र लगाने के लिये राज सहायता देने का प्रस्ताव	Proposal to Subsidise Installation of Mechanical Compost Plants . .	7
880 भारतीय खाद्य निगम में छंटनी किये गये कर्मचारियों को बहाल करने के स्थान पर नई नियुक्तियां करना	Fresh Appointments instead of Re-instatement of Retrenched Staff in FCI	10
882 तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नरेला, दिल्ली, पर व्यय	Expenditure on technical Higher Secondary School at Narela, Delhi.	15
883 जहाजरानी कम्पनियों के स्वामित्व में समुद्र तटीय जहाज	Coastal Ships owned by Shipping Companies	16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
872 भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों पर मुकद्दमा चलाया जाना तथा उनकी बहाली	FCI employees prosecuted and re-instated	19
875 भारत और मारिशस के बीच नियमित नौवहन सेवा	Regular Shipping service between India and Mauritius . . .	19
876 तेल और तिलहन निगम की स्थापना	Setting up of Oil and Oil Seeds Corporation	20
877 छोटे तथा सीमांत कृषक और खेतिहर मजदूरों के संबंध में कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन	Report of National Commission on Agriculture on Small Farmers and marginal Farmers and Agricultural Labour	20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
878	विक्रम विश्वविद्यालय क्षेत्र में जियो-मैग्नेटिक प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Geo-Magnetic Laboratory in Vikram University Campus .	20
881	सेन्टर फार स्टैडी ग्राफ डैवैल्पिंग सोसायटीज़	Centre for Study of Developing Societies	21
884	मूंगफली के तेल पर गुजरात द्वारा अनिवार्य लेवी का लगाया जाना	Imposition of Compulsory Levy by Gujarat on Groundnut Oil . .	21
885	सूरजमुखी से वाणिज्यिक आधार पर तेल का उत्पादन	Commercial Production of Oil from Sunflower	22
886	शुष्क माल की तटीय जहाजरानी क्षमता का लक्ष्य	Target of Coastal Dry Cargo Shipping Tonnage	22
887	सरकारी संग्रहालयों का पुनर्गठन	Reorganisation of Government Museums	23
888	दिल्ली विश्वविद्यालय में हड़ताल	Strike in Delhi University . . .	23
889	गेहूं की नई वसूली नीति का मूल्यों पर प्रभाव	Effect of New Wheat Procurement Policy on Prices . . .	24
890	खाद्य अनुसंधान केन्द्र जमशेदपुर में विकसित नये प्रकार के उर्वरक	New Type of Fertilisers evolved at Food Research Centre, Jamshedpur.	24
891	डा० नारमन ई० बारलाग की कृषि मंत्री से भेंट	Meeting of Dr. Norman E. Borlaug with Minister of Agriculture .	24
892	जहाज निर्माण उद्योग के लिये पूंजी परिव्यय	Capital outlay for Ship Building Industry	25
893	मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा छोटे दाने वाले अनाज की नई किस्मों की खेती	Cultivation of new Strains of Minor Millets by Adivasis of M.P. . .	26
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
8446	डिप्लोमा होल्डरों की सहायक इंजीनियरों के रूप में पदोन्नति	Promotion of Diploma Holders as Assistant Engineers	27
8447	आंध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र पर विद्युत् की कमी का प्रभाव	Effect of Power Shortage in Agricultural Sector of Andhra Pradesh . .	28
8448	दिल्ली स्कूलों के ड्राइंग के अध्यापकों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Third Pay Commission in respect of Drawing Teachers of Delhi Schools . .	28
8449	अमरीका से सोयाबीन तेल का आयात	Import of Soyabean Oil from USA	29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8451	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों की सहायक इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति	Promotion of the Junior Engineers to Assistant Engineers in CPWD .	29
8452	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केवल प्रथम श्रेणी के स्नातक इंजीनियरों की भर्ती]]	Recruitment of only First Class Graduate Engineers in CPWD .	30
8453	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में कलाकारों के वेतनमान	Pay Scales of Artists in CHD	31
8454	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का रख-रखाव तथा सुरक्षा	Maintenance and Safe Custody of Answer Books by Board of Secondary Education, Delhi	31
8455	दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में उत्तर की नकल किया जाना	Copying Answers in Higher Secondary Examinations in Delhi . . .	32
8456	बूढ़े, दुर्बल, बीमार और अपंग स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये 'होम'	Home to accommodate Aged, Infirm, Ailing and Physically handicapped Freedom Fighters	33
8457	कुछ चुनी हुई रूसी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन	Translation and Publication of Selected Russian Books in Indian Languages	33
8458	मध्य प्रदेश में भूमि खरीदने तथा मकान बनाने के लिये गरीबों की केन्द्रीय निधि	Central Funds for Land and Construction of House for the Poor in Madhya Pradesh	33
8459	राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण कार्य	National Highways Works	35
8460	दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाना	Boycott of Examinations by Government aided School Teachers in Delhi	36
8461	नये तथा पुराने जहाजों की खरीद के बारे में परामर्श देने के लिये सलाहकार समिति	Consultative Body to advise on Purchase of New and Old Ships . .	37
8462	दिल्ली में मार्च, 1974 में टोकनधारियों को सप्लाई किये गये दूध की मात्रा	Quantity of Milk supplied to token holders during March, 1974 in Delhi	37
8463	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली पर एक्सप्रेस बस सेवा का बस स्टाप बनाया जाना	Provision of Bus Stops for Express bus service at Mandir Marg, New Delhi	38
8464	विश्वविद्यालय और कालेज के प्राध्यापक के वेतनमानों में विषमता	Disparities in Pay Scales of University and College Lecturers . . .	38
8465	इन्दौर में माडर्न बेकरीज़ का यूनिट स्थापित किया जाना	Setting up of Unit of Modern Bakeries at Indore	39

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8466	वर्ष 1972-73 में आयातित उर्वरक में मध्य प्रदेश का हिस्सा	Share of M.P. in Imported Fertilisers during 1972-73	39
8467	पट्टा नामों का निष्पादन के बाद प्लाटों के मूल्यों में वृद्धि	Enhancement of prices of plots after Execution of Lease Deeds	39
8468	दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों की निर्धारित मूल्य पर बिक्री	Sale of DDA Plots at Fixed Price	40
8469	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा-नामा में शामिल प्लाटों की अधिग्रहण लागत के लिये न्यायालय के पंचाट को क्रियान्वित करने के लिये प्रीमियम में वृद्धि	Enhancement of Premium to meet the Award of Court for Acquisition Cost of Plots included in the Lease Deeds by DDA	40
8470	मध्य प्रदेश में पूर्वी प्रदेश को उर्वरक की सप्लाई करने के लिये व्यवस्था	Arrangement for supply of Fertiliser to Eastern Region of M.P. . .	41
8471	उत्तर प्रदेश द्वारा चीनी की मांग	Sugar Demanded by U.P. . . .	41
8472	तमिलनाडु की चावल की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Rice to Tamil-Nadu	42
8473	उत्तर प्रदेश को परिवहन सुविधाएं तथा राजपथों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance to UP for Transport facilities and construction of Highways	42
8474	गृह निर्माण अग्रिम धन पर लगी रोक को हटाना	Lifting of Ban on House Building Advance	44
8475	तीसरी और चौथी श्रेणी के लिये निर्मित और आवंटित क्वार्टरों की संख्या	Number of Quarters completed and allotted for Class III and IV Employees	44
8476	गुजरात में छापों के दौरान मूंगफली के तेल के भंडारों का पकड़ा जाना	Discovery of Stocks of Groundnut Oil during Raids in Gujarat . .	45
8477	तिलहन के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना	Takeover of Wholesale Trade in Oil Seeds	45
8478	दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय प्राप्त होने वाले पत्र	Communication received in DDA Office	46
8479	फरीदाबाद की प्रैस कालोनी से लकड़ी के खोखों का हटाया जाना	Removal of Wooden Structures in the Press Colony of Faridabad .	46
8480	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिकों की पदोन्नति में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की सिफारिश	CBI inquiry recommended into promotion of Scientists in ICAR .	47
8481	आयातित उर्वरकों के लिये राजसहायता	Subsidy for Imported Fertilisers	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8482	दिल्ली प्रशासन द्वारा क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Quarters by Delhi Administration	48
8483	वृद्धावस्था पेंशन के देने के बारे में सरकार की नीति	Policy of Government in regard to sanction of Old Age Pension . .	48
8484	समुद्री जल दूषण	Marine Pollution	49
8485	राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु किसान विकास एजेंसी और सीमांत किसान कृषि श्रमिक कार्यक्रम को दिये गये ऋणों की राशि	Amount advanced for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers Agricultural Labourers Programme by Nationalised Banks and Financial Institutions . . .	49
8486	'पगड़ी' प्रथा के कारण काले धन में वृद्धि	Growth of Black Money due to Pagri System	50
8487	भेड़ों का आयात	Import of Sheep . .	50
8488	मांझी नदी पर पुल के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for bridge over Majhi	50
8489	विक्रम विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताएं	Alleged irregularities in Vikram University	51
8490	कृषि और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to West Bengal Schemes on Agriculture and minor Irrigation	51
8491	सड़कों के लिये पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to West Bengal for Roads	51
8492	नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, संख्या तीन, मोती बाग, नई दिल्ली के हैड-मास्टर का व्यवहार	Behaviour of Head Master, Nagar Palika Primary School No. III, Moti Bagh, New Delhi. . . .	52
8493	राज्य सरकारों द्वारा उर्वरक के वितरण को अपने हाथ में लेना	Fertilizer distribution taken over by State Government	53
8494	शराब संबंधी विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना	Ban on Liquor Advertisements.	53
8495	आयातित उर्वरकों के मूल्यों तथा आंतरिक नियंत्रित मूल्य में अन्तर	Difference between prices of Imported Fertilisers and Domestic Controlled Price	54
8496	उर्वरकों के मूल्य सूत्र का निर्णय करने हेतु समिति	Committee to decide price formula for Fertilizers	55
8497	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के व्यक्तियों को विदेशों में कार्य पर लगाने हेतु उनके चयन का तरीका	Mode of selections of Staff to depute on foreign assignment from CPWD	56

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8498	त्रिपुरा में कंडस्वारी शूगर मिल का कार्यकरण	Functioning of Kandswari Sugar Mill in Tripura	56
8499	विश्वविद्यालयों में प्रवेश को सीमित करने संबंधी योजना	Scheme to restrict admission in Universities	56
8500	दिल्ली में इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की स्थापना	Establishment of Institute of Pharmacy in Delhi	58
8501	राज्यों में नशाबन्दी	Prohibition in States. . .	58
8502	गंदी बस्ती हटाने संबंधी बोर्ड का गठन	Formation of Slum Clearance Board .	59
8503	पत्तन श्रमिकों की हड़तालें और प्रमुख पत्तनों पर उनके संघ	Port Workers' Strikes and Unions in Major Ports	59
8504	ब्लाइंड रिलीफ एसोसियेशन को प्लास्टिक केन में रियायत देना	Concession to Blind Relief Association in Plastic Cane	61
8505	अमरीका और ब्रिटेन को दिये जाने वाले चीनी के कोटे को समाप्त करना	Scrapping of Sugar Quota in America and Britain	61
8506	अदरक (जिंजर) का मूल्य	Ginger Price	62
8507	किराये की कारों के प्रयोग को रोकने के लिये सरकारी उपक्रमों को निदेश	Directives to Public sector undertaking to avoid using hired cars	62
8508	दुग्ध चूर्ण का आयात	Import of Milk Powder .	63
8509	भारतीय माल को कराची के बजाय दुबाई उतारना	Discharge of Indian Cargo at Dubai Instead of at Karachi . . .	63
8510	सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में 'टाइगर प्रोजेक्ट्स'	Tiger Project in Sundarbans, West Bengal	63
8511	ताड के तेल के आयात के लिये करार	Agreement for Import for Palm Oil	64
8512	भूमि बस्तीकरण परियोजना कार्यक्रम	Land Colonisation Project Programme	64
8513	विभिन्न नगरों में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Improvement of transport system in various cities	65
8514	दिल्ली में खाद्यान्न के उत्पादन में कमी	Shortfall in Food output in Delhi	65
8515	कृषि मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग के लिये सलाहकार समिति की बैठक	Meeting of Advisory Committee on use of Hindi in the Ministry of Agriculture	65

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8516	वर्ष 1972-73 और 1973-74 में मध्य प्रदेश के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज का मानव उपयोग के लिये उपयुक्त न रहना	Foodgrains rendered unfit for human consumption in FCI godowns at Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74	66
8517	गत तीन वर्षों में वर्षवार अनाज की मांग	Annual requirement of foodgrains during last three years	66
8518	वर्ष 1974-75 के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी के उत्पादन में कमी	Fall in Sugar production in U.P. during 1974-75	66
8519	दालों का सघन उत्पादन और वर्ष 1974-75 के दौरान इसके लिये धनराशि का नियतन	Intensive production of pulses and allocation therefor during 1974-75 .	67
8520	चीनी की वचत पर प्रतिबन्ध	Restriction on Consumption of Sugar	67
8521	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के लिये प्राप्त किये गये गेहूं के बीजों को आटे में बदलना	Transformation into Atta or Wheat Seeds Procured by National Seeds Corporation for West Bengal	68
8522	संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों के वेतन	Salary of M.Ps. and MLAs . .	68
8523	माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में परिवर्तन	Change in Syllabus of Secondary classes	68
8524	खाद्यान्न की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को ज्ञापन	Memorandum to M.P. re: deteriorating food situation	69
8525	राष्ट्रीय बीज निगम में भ्रष्टाचार	Corruption in National Seeds Corporation	69
8526	महाराष्ट्र में शारीरिक शिक्षा संस्थान	Physical Education Institutions in Maharashtra	70
8527	'नारायण प्रसाद' नामक जहाज के डूबने के बारे में जांच का परिणाम	Result of Enquiry on Sinking of Ship Narayan Prasad	70
8528	खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना	Setting up of Food and Essential Commodities Corporation . .	70
8529	नौवहन कम्पनियों द्वारा जहाजों की खरीद	Purchase of Ships by Shipping Companies	71
8530	देश में समुद्री जहाज बनाने वाली फर्में	Ship building firms in the country	71
8531	गुजरात के लिये जहाजों से भेजा गया कोयला	Ship Transported Coal for Gujarat	74

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8533	वन विकास परियोजनाओं के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों की यात्रा	Visit of Experts of FAO on Forest Development Project.	74
8534	पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति कालोन, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दोषपूर्ण डिजाइन और घटिया माल का प्रयोग	Defective Designing and Sub-standard and Materials used by DDA in EPDP Colony, Delhi . . .	76
8535	राष्ट्रीय बीज निगम का निदेशक बोर्ड के बिना कार्य करना	National Seeds Corporation without Board of Directors . . .	76
8536	मिदनापुर नोरघाट में हल्दी नदी के ऊपर पुल का निर्माण	Construction of Bridge Over River Haldi at Norghat in Midnapur .	77
8538	घाटे पर चल रही नौवहन कम्पनियां	Shipping Companies Running at Loss	77
8539	समुद्रपारीय व्यापार में संलग्न जहाज	Ships on Overseas Trade .	78
8540	कर्नाटक के लिये अतिरिक्त मात्रा में गेहूं की मांग	Demand for Additional Wheat for Karnataka	78
8541	तीन से कम मंजिलों की इमारत बनाने के बारें में निदेश	Direction for Construction of Building less than Three Storey . . .	78
8542	स्कूलों और विश्वविद्यालयों में नैतिकता और अनुशासन की शिक्षा देना	Imparting Instructions in Morality and Discipline in Schools and Universities	79
8543	सूरजमुखी की खेती	Cultivation of Sunflowers . . .	79
8544	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में सहकारी समितियों को मकानों का आबंटन	Allotment of Houses by DDA to Co-operative Societies in Delhi . .	80
8545	औद्योगिक क्षेत्रों और नगरों के लिये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था	Public Distribution System for Industrial Areas and Towns . . .	80
8546	नौवहन उद्योग द्वारा संकट का सामना	Shipping Industry facing crisis .	80
8547	रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता पर गेहूं की खेती का निर्भर होना	Wheat Cultivation dependent upon availability of Chemical Fertiliser	81
8548	वाई० डब्लू० सी० ए० दिल्ली को पट्टे पर दी गई भूमि	Land given under Lease to YWCA Delhi	81
8549	सिधी (मध्य प्रदेश) के रास्ते से मुख्य राजपथ मार्ग	Major Highway Route through Sidhi (M.P.)	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8550	असम के लिये खाद्यान्न	Foodgrains for Assam . . .	82
8551	कर्नाटक में हरीहर पोलीफायवर प्लांट से निकलने वाले पदार्थ का कृषि और वनस्पति पर विषैला प्रभाव	Toxic effect of affluent from Harihar Polyfibre Plant in Karnataka on Agriculture and Vegetation .	83
8552	बीजापुर की गोल गुम्बज में दरार	Cracks in Gol Gumbaj, Bijapur .	83
8553	कारवाड (बिनागा) के विकास के लिये परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for Development of Karwar (Binaga)	84
8554	लाभप्रद मूल्यों के लिये दबाब डालने के लिये पंजाब के किसानों द्वारा रबी गेहूं की फसल की कटाई में देर करना	Delay in Rabi Wheat Harvest by Punjab Farmers to Press for Remunerative Prices	84
8555	केरल में नारियल के अल्पावधि एवं बौना किस्मों के पौधे	Short duration and Dwarf varieties of Coconut Plantations in Kerala	84
8556	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा सभी नौवहन कम्पनियों को अपने अधिकार में लेना	Taking over of all Shipping Companies by SCI	85
8557	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा खराब बीजों की बिक्री	Sale of condemned seeds of National Seeds Corporation . . .	85
8558	राज्य कृषि फार्म निगम की गतिविधियों में विविधीकरण	Diversification of Activities of State Farms Corporation . . .	86
8559	सरकार द्वारा खाद्यानो की वसूली	Procurement of Foodgrains by Government	86
8560	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के संशोधित ग्रेडों की क्रियान्विति	Implementation of modified Grades for University and College Teachers	87
8561	गेंहू की बिक्री के लिये पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा सहकारी समितियां बनाना	Formation of Co-operative by Farmers of Punjab and Haryana for Sale of Wheat	87
8562	निर्यात हेतु चीनी की वसूली के लिये चीनी उद्योग को परस्पर तयशुदा मूल्य देना	Negotiated Price to Sugar Industry for Procurement of Sugar for Export	87
8563	गन्ना विकास योजना	Sugarcane Development Plan . .	88
8564	सफदरजंग उपरिपुल (फ्लाई ओवर) का ढह जाना	Collapse of Safdarjung Fly Over .	88

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8565	आदिमजाति क्षेत्र विकास एजेंसियां तथा उसके लिये नियतन	Tribal Development Agencies and Allocation therefor	88
8566	उड़ीसा के शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा का विकास	Development of Higher Education in Educationally backward districts of Orissa	89
8567	सड़कों के विकास के लिये आदिवासी विकास एजेंसी को आवंटन	Allocation to Tribal Development Agency for road Development .	90
8568	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में सड़क विकास	Road Development in Tribal areas of Orissa during Fifth Five Year Plan	91
8569	कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में पशु तथा भेड़ नस्ल सुधार फार्म	Cattle breeding farm in Karnataka	91
8570	पशुपालन विभाग के संबंध में अभ्यावेदन	Representation regarding Animal Husbandry Department . . .	92
8571	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भ्रष्टाचार	Corruption in University Grants Commission	92
8572	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार के कर्मचारी	Staff in National Archives of India	92
8573	देश में नये शिपयार्ड	New Shipyards in the Country . . .	93
8574	दुग्ध चूर्ण की मांग, उसका उत्पादन और आयात	Demand, production and Import of Milk Powder	94
8575	मूंगफली के उत्पादन में सुधार करने के लिये अनुसंधान केन्द्र	Research Centre for Improving production of Groundnut . . .	94
8576	फार्मर्स फेड्रेशन आफ इंडिया द्वारा गेंहू वसूली का विरोध किये जाने की मांग	Farmers urged by Farmers Federation of India to resist wheat procurement	95
8577	दादरा और नागर हवेली की उर्वरक संबंधी मांग	Demand of fertiliser from Dadra and Nagar Haveli . . .	95
8578	दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर जबरन कब्जा	Forcible occupations of DDA Land by Political Workers . . .	96
8579	राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण	Construction of roads and bridges in border areas of Rajasthan . .	96
8580	दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने अधिकांश मार्गों पर बस स्टापों पर शैडों की व्यवस्था	Provision of sheds on DTC Bus Stops on most of its routes . . .	96

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8581	मक्का की नई किस्म	New strain of Maize . . .	97
8582	दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध	Ban on manufacture and sale of Milk products	97
8583	भारतीय बागबानी विकास परिषद द्वारा फलों तथा सब्जियों को लोगों की न्यूनतम मूल आवश्यकता घोषित करना	Fruits and Vegetables declared as Minimum need of the people of IHDC	98
8584	सार्वजनिक वितरण पद्धति का विस्तार न किया जाना	Non-expansion of Public Distribution System	98
8585	खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये गेंहूं की नई किस्मों तथा खेती के नये तरीकों को अपानाने के लिये किसानों को दिया गया परामर्श	New Varieties of Wheat and Farming practices to step up food production	99
8586	खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में चर्चित पोषाहार नीति	Nutrition policy as discussed in Seminar Organised by FAO . . .	100
8587	बम्बई आयल सीड्स एंड आयल एक्सचेंज लिमिटेड से खाद्य तेलों और वनस्पति की कमी के संबंध में पत्र	Letter from Bombay Oil Seeds and Oil Exchange Ltd., over shortage of Edible Oils and Vanaspati . .	100
8588	चावल की भूसि से खाने योग्य तेल निकालना	Extraction of edible grade oil from rice bran	101
8589	नई दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निर्धारित इतिहास और भूगोल की पाठ्यपुस्तकें	Text books on History and Geography prescribed in private schools in New Delhi	102
8590	स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिये इतिहासकार की सेवाओं को प्राप्त करना	Acquisition of Services of historian for writing history of Freedom Movement	102
8591	गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सुधार संबंधी केन्द्रीय योजना	Central scheme for environmental improvement of slum areas . .	103
8592	केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा भाण्डागारों के निर्माण की कसौटी	Criteria for construction of warehouses by Central Warehousing Corporation	105
8593	मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिबुनल नामक विशेष न्यायाधिकरण	Motor Accidents claims tribunal Delhi	105

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8594	उपयोग के पश्चात् टेट्रा पाक के जलने से वायु दूषण	Air Pollution due to burning of Tetra Pak after use	106
8595	टेट्रा पाक के उत्पादन के लिये अपेक्षित मशीनें	Machinery required for manufacture of Tetra Pak	106
8596	मिल्क वेंडिंग मशीनों के इष्टतम उपयोग के लिये दुग्ध चूर्ण का आयात	Import of milk powder for optimum use of Milk vending machine	107
8597	बल्क मिल्क वेंडिंग मशीन और टेट्रा पाक का निर्माण	Bulk milk vending machine and Manufacture of Tetra Pak . . .	107
8598	ग्रामीण उच्चतर शिक्षा संस्थानों को आरम्भ करने के लिये कसौटी	Criteria for starting Rural Higher Educational Institutes	108
8599	वर्ष 1974-75 के दौरान राज्यों के खाद्यान्न वसूली लक्ष्य	Target of procurement of Foodgrains by States during 1974-75 . . .	108
8600	दिल्ली पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to start LLB couise in Delhi school of correspondence courses .	109
8601	उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों के मूल्यों पर नियंत्रण के संबंध में पंजाब सरकार द्वारा की गई मांग	Demand by Punjab Government for check on price of Fertiliser and Pesticides	109
8602	दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन	Setting up of an expert Committee for reviewing the functioning of DDA	110
8603	केन्द्र द्वारा घोषित मूल्य पर गेहूं वसूल करने की राज्य एजेंसी को अनुमति	Permission to State Agency to procure wheat at the price announced by Centre	110
8604	आदिवासियों को गृह निर्माण के लिये प्लाटों का आबंटन	Allotment of plots to Adivasis for Building Houses	110
8605	दादरा और नागर हवेली में वनस्पति घी की मांग तथा वहां वनस्पति घी की सप्लाई	Demand and supply of Vegetable ghee to Dadra and Nagar Haveli . .	111
8606	थोक व्यापारियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा राज्यवार वसूल किया गया गेहूं	Wheat procured by wholesalers and official agencies, Statewise . .	111

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8607	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा नशीली वस्तुओं तथा शराब के प्रयोग में वृद्धि	Increase in use of Narcotics and Liquor by students of Central Universities	112
8608	पांचवीं योजना में होशियारपुर-नादौन-हमीरपुर होते हुए जांलधर से मंडी तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना	Road from Jullundur to Mandi via Hoshiarpur Nadaun Hamirpur as National Highway . . .	112
8609	दिल्ली में सैनिक कर्मचारियों के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के दूध टोकन	DMS Milk token for Military personnel in Delhi	113
8610	दिल्ली में वनस्पति घी की कमी	Shortage of Vanaspati in Delhi	113
8611	गो-रक्षा समिति का प्रतिवेदन	Report of Cow Protection Committee	114
8612	सौराष्ट्र क्षेत्र में पेय जल	Drinking water in Saurashtra Region	114
8613	गुजरात में चीनी के कारखानों के विस्तार की योजना	Plan for expansion of sugar Plants in Gujarat	115
8614	झुनझुन राजस्थान में सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिये कार्यक्रम हेतु नियतन	Allocation for Drought prone area programme in Jhunhjunu, Rajasthan	115
8615	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों के निर्माण के लिये राजस्थान को मंजूर की गई धनराशि	Amount sanctioned for Rajasthan for construction of roads during Fourth Five Year Plan	116
8616	अकादमी परिषद् कार्यकारी परिषद् और विश्वविद्यालय कोटे में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों के व्यापक प्रतिनिधित्व की मांग	Demand for wider representation of students, teachers and employees of Delhi University in Academic Council, Executive Council and University Court . . .	116
8617	मांड के निर्माताओं को मक्का की सप्लाई	Supply of Maize to starch Manufacturers	117
8618	निम्न मध्य वर्ग के लिये आवास और नगरीय विकास निगम की आवास योजना	Housing Schemes by HUDCO for Lower Middle Class . . .	118
8620	खेलकूद निकायों का गठन	Constitution of Sports Bodies	119
8621	लघु सिंचाई योजना के विकास के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना	Scheme submitted by Orissa Government on Development of Minor Irrigation Scheme . .	121

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8622	हुगली, पश्चिम बंगाल में भुखमरी के कारण मौतें	Starvation deaths in Hooghly West Bengal	121
8623	सड़क परिवहन की प्रमुख समस्या	Major Road Transport Problem .	121
8624	कृषि फार्म तथा उनका कार्य	Agricultural Farm and their work	123
8625	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की संख्या उसका प्रशासनिक खर्च तथा उसे हुई हानि	Staff strength Administrative expenditure and loss incurred by FCI	124
8626	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के क्रियाकलाप	Activities of NCERT	124
8627	अशोक विहार में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए फ्लैटों का निर्माण	Construction of low income Group Flats in Ashok Vihar . . .	125
8628	कृषि जोतों की चंकबंदी के लिए कानून	Law for consolidation of Agricultural Holdings	126
8629	ग्रामीण क्षेत्र में आवास समस्या	Housing problem of Rural Areas	126
8630	छात्रसंधों के नेताओं से मिलकर छात्रों की समस्याओं को दूर करना	Thrashing Students problems with Students' Union Leaders . .	127
8631	कृषि उत्पादन बढ़ाना और अनाज के उत्पादन पर बल देना	Speeding up Agricultural production and Stress on Cereal Production .	127
8632	रायगढ़ में भवन निर्माण तथा शिवाजी की मूर्ति की स्थापना	Construction of Building and Erection of Statue of Shivaji at Raigad .	128
8633	मुगल लाइंस को वार्षिक घाटा	Annual losses to the Mogul Lines	129
8634	महाराष्ट्र में सड़कों के निर्माण अथवा रख-रखाव के लिये राज सहायता तथा ऋण	Subsidy and Loan for Construction or maintenance of Roads in Maharashtra	129
8635	महाराष्ट्र में ग्रामीण पेय जल सप्लाई योजना	Rural Drinking Water Supply Scheme in Maharashtra	130
8636	चीनी की कम वसूली के बावजूद फसल आरम्भ में ही गन्ने की पिराई के लिये प्रोत्साहन	Incentive for crushing Sugarcane early in spite of low recovery . . .	131
8637	कस्बों में पेय जल सुविधायें	Drinking water facilities to Towns	131
8638	पिछड़े हुए राज्य, जिनका खाद्यानों की ढुलाई तथा रखरखाव का व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करती है।	Backward States whose expenditure on Transportation and Storage of Foodgrains borne by Central Government	132
8639	काश्तकारी कानूनों में समानता	Uniformity in Agrarian Reforms	132

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8640	इंडिया ग्राफिस लाइब्रेरी को अधिकार में लेना	Taking over of India Office Library	134
8641	चावल और धान की वर्तमान स्टाक स्थिति	Present Stock of Rice and Paddy	134
8642	विभिन्न मोटे अनाजों के मूल्य	Price of different coarse Grains	134
8643	15 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना	Introduction of 15 Year Degree Course	135
8644	काल पात्र में उल्लिखित विवरण	Contents of Time Capsule .	135
8645	राष्ट्रीय बीज निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption charges against officials fo National Seeds Corporation . .	136
	अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 तथा 4411 दिनांक 25-3-1974 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य	Statements correcting Answers to U.S.Q. No. 4332 and U.S.Q. No. 4411 dated 25-3-1974 . . .	136
	स्थगित प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion .	138
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	139
	विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	140
	प्राक्कलन समिति—	Erliments Committee—	
	प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	Reports and Minutes—*Presented*	141
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee	
	प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Reports—*presented*	141
	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings—	
	प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	Reports and Minutes—*presented*	142
	प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक—	Direct Taxes (Amendment) Bill—	
	(1) प्रवर समिति का प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Report of Select Committee—*Presented*	142
	(2) साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया	Evidence—Laid	
	कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
	42वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	Forty-second Report—adopted .	143
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377— . .	
	मेघालय में गुप्त चल रेडियो स्टेशन का पता लगने का समाचार	Reported Detection of Secret Mobile Radio Station in Meghalaya	143

25LSS/74—2

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
अनुदानों की मांगें, 1974-75—	Demands for Grants, 1974-75—	
गृह मंत्रालय—	Ministry of Home Affairs	145
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	150
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat .	151
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	153
श्री राम सहाए पांडे	Shri R.S. Pandey .	154
श्री इसहाक संभली	Shri Ishaque Sambhali	154
श्री भगवत्त झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	155
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K.S. Chavda .	156
श्री शाशि भूषण	Shri Shashi Bhushan .	157
श्री फ्रेंक एन्थनी	Shri Frank Anthony .	158
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	158
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . . .	159
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	160
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	162
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon .	164
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R.P. Ulaganambi	166
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari .	166
श्री अनादिचरण दास	Shri Anadi Charan Das	168
श्री के० मारक	Shri K. Marak .	168
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman .	169
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao .	169
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushak Bakula .	170
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri. M. Satyanarayan Rao	170
श्री उमा शंकर दीक्षित	Shri Uma Shanker Dikshit	170
राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Presidential Election	176
श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale . .	177
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974— पुर. स्थापित	Appropriation (No. 2) Bill, 1974— Introduced . . .	178
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	178
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan	178
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	178
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee .	180
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . .	183
पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass . . .	183
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan	183
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	Re. Half-an-Hour Discussion .	184

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 29 अप्रैल, 1974/9 बैशाख, 1896 (शक)
Monday, April 29, 1974/Vaisakha 9, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

निधन सम्बन्धी उल्लेख
Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री जी०एल० मेहता के दुखद निधन की सूचना देनी है। उनकी मृत्यु बंबई में 28 अप्रैल, 1974 को 74 वर्ष की आयु में हुई।

श्री मेहता सन् 1947 में संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की और वह कई महत्वपूर्ण पदों पर बड़ी योग्यता के साथ कार्य करते रहे। वह एक संसदज्ञ पत्रकार और कूटनीतिज्ञ थे और उन्होंने अपना जीवन भूतपूर्व बांम्बे क्रांनिकल में एक सहायक सम्पादक के रूप में आरंभ किया। वह संयुक्त राज्य अमरीका में हमारे भूतपूर्व राजदूत थे और उस पद पर रह कर उन्होंने अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। वह हाल ही में भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय निवेश निगम, के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वह वर्ष 1966 से विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद् की बंबई शाखा के अध्यक्ष भी थे। वह योजना आयोग, हिन्दुस्तान शिपयार्ड और राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य के रूप में भी इन संगठनों से संबद्ध रहे। उन्हें 1969 में देश के लिए उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के कारण "पद्म विभूषण" से अलंकृत किया गया था।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि उनके दु:खी परिवार को अपनी सम्वेदनायें भेजने में सभा मेरे साथ है।

अपना शोक व्यक्त करने के लिये सभा कुछ क्षणों के लिये मौन खड़ी होगी।

(इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षणों के लिये मौन खड़े रहे)
(The Members then stood in Silence for a short while)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय जहाजरानी निगम के मुख्य कार्यकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) का पद रिक्त पड़े रहना

*873 **श्री शशि भूषण** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम के मुख्य कार्यकारी (चीफ एक्जीक्यूटिव) का पद कब से रिक्त पड़ा हुआ है।

(ख) क्या भारतीय जहाजरानी निगम के क्षेत्रीय कार्यालय अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों की मांग कर रहे हैं ; और

(ग) भारतीय जहाजरानी निगम की कार्यकुशलता में गिरावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) श्री सी० पी० श्रीवास्तव ने 31 दिसम्बर, 1973 के अपराह्न से शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का कार्यभार त्याग दिया। जब तक कि भारत सरकार नए अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक की नियुक्ति न कर दे तब तक कारपोरेशन के एक कार्यकारी निदेशक कैप्टेन आर०डी० कोहली को उसी तारीख से कारपोरेशन का पूर्ण भार सौंप दिया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Shashi Bhushan : There is Topless management in most of the Public Sector Undertakings and before sending the Chairman of the Shipping Corporation abroad, you should have seen that a chairman in there place. May I know why that was not done. Also the Government's policy has been to fill such vacant posts in the public undertakings from among the staff of that undertaking. What is your opinion in this case ?

Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi) : Since the very exite of Shri Srivastava, we have been searching for a suitable person to hold that very high post bearing heavy load of work in the Shipping Corporation where crores of rupees have been invested by us. But to keep the work running in the mean time, Shri Kohli, a Senior Technical Executive Director of the Corporation has been working as chairman.

As regards policy as far as possible it is felt desirable to appoint an officer of the same organisations. But that is not a set policy. Appointment is made keeping in view the nature of work involved.

Shri Shashi Bhushan : There should have been a definite policy in regard to management in the public sector. May I know whether it is a fact that certain high posts in the public undertakings are kept vacant so as to fill them by certain I.C.S., I.A.S. officer who might retire and who might be waiting for an appointment as chairman in public sector ? Is it not a fact in this case also ?

Shri Kamlapati Tripathi : This is not the case as far as shipping Corporation is concerned and we are not waiting any I.C.S. officers to fill in that post.

Shri Hari Kishore Singh : When do the Government receive the information about the impending retirement of officers ? And why do the Government not ensure the filling up that post as soon as it falls vacant so that there is no disruption in working ? As has been stated by Shri Shashi Bhushan.

Mr. Speaker ; Please put your question. Don't give a long speech.

Shri Hari Kishore Singh : The question is clear . Why don't they make appointment before the post falls vacant ?

Shri Kamlapati Tripathi : Sir, I have stated that the post is not vacant; it is under officiating charge. But we are in search of a suitable person. This post bears a very heavy work-load, a large capital has been invested; the post requires a lot of administrative capability as well as ample knowledge in commereial business. After all it takes some time in finding such capable person.

Shri Hari Kishore Singh : Are Government not aware that such and such posts are going to fall vacant as a result of retirements ? They know it at least Six months or a year before that.

Shri Kamlapati Tripathi : We do know. Still we do not find such a person always.

श्री वयालार रवि : हालांकि सरकार ने यह नीति बनाई है कि प्रबंध संवर्ग के लिये उसी संगठन में से ही पद भरे जाने चाहियें ; जैसा कि भारतीय जहाजरानी निगम में है, क्या हमारे पास अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक जैसे उच्च पदों को भरने के लिये योग्य व्यक्ति हैं ? यदि नहीं, तो हम ऐसे व्यक्तियों की वाहर से खोज करने की बजाये उसी संगठन में ऐसे संवर्ग बनाने की नीति क्यों नहीं अपनाते ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक किसी संस्था विशेष का संबंध है, उसी में ऐसा संसर्ग बनाना संभव नहीं है। जहां तक सरकारी उपक्रमों का प्रश्न है शायद माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकारी उद्यम ब्यूरो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची रखता है जिन्हें सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्त किया जा सके। जब किसी सरकारी उपक्रम में कोई पद खाली होता है तब सामान्य प्रक्रिया यह है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो में उस विशिष्ट श्रेणी में प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की सूची में से नाम लिये जाते हैं। जहां तक इस जहाजरानी निगम का प्रश्न है, मेरे वरिष्ट सहयोगी बता चुके हैं कि उक्त सर्वोच्च पद एक दिन के लिये भी रिक्त नहीं रहा है, उस पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है।

Shri Jagannath Mishra : What is the procedure for appointing a chairman and by what time do they propose to make the appointment of a chairman accordingly.

Mr. Speaker : The some thing is being repeated in one manner or the other.

Shri Jagannath Mishra: I am asking about the procedure and they say that they are searching for a chairman. There is a difference between the two.

Shri Kamlapati Tripathi : To search and then appoint—that is the only procedure Sir.

Shri A.P. Sharma : May I know whether the progress made by the Corporation during the tenure of the chairman who has been promoted or sent abroad does not speak of the good job done by the present staff who also have been responsible for this progress? What is the objection then in selecting a person from amongst them itself ?

Mr. Speaker : This question has already been asked .

श्री ए० पी० शर्मा : वर्तमान कर्मचारीवृन्द में से ही कोई योग्य व्यक्ति छांट लेने में क्या कठिनाई है ?।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असंगत है। यह प्रश्न तो श्री शशि भूषण भी पूछ चुके हैं।

आस्ट्रेलिया से गेहूं की खरीद

874 ***श्री एम० सुदर्शनम :**

श्री राम भगत पासवान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश ने आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदने के लिये बातचीत की थी, और

(ख) यदि हां, तो आस्ट्रेलिया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। आस्ट्रेलिया के गेहूं बोर्ड से थोड़ी मात्रा में गेहूं खरीदा गया है।

Shri Ram Bhagat Paswan : He has stated that some quantity has been purchased. May I know whether Government have estimated as to how much wheat is likely to be produced within the country during the current year, or whether it would be sufficient for our country or not? If the country from which they propose to import and how much?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रीय हित को देखते हुए मूल्यों तथा मात्रा के बारे में प्रश्न न पूछें क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है। . . . (**व्यवधान**) जहां तक अनुमान का संबंध है, हम समय-समय पर प्राक्कलन बनाते रहते हैं और गेहूं के उत्पादन संबंधी अन्तिम अनुमान हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अपनी आवश्यकता तथा आयात के बीच का अन्तर बताना कठिन होगा परन्तु हम कुछ आयात करने का विचार रखते हैं यह निर्णय भारत सरकार ने ले लिया है—परन्तु सही मात्रा का निर्णय समय-समय पर किये गये अवलोकन पर निर्भर करेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it true that we are not having adequate number of shipe to carry the purchases of wheat from abroad ? Is it also true that our purchases of wheat are lying on the Canadian ports and that we are paying demurrage because ships are not available to bring them here ? Is this the position in Australia too ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस समय जिस गेहूं का आयात किया जा रहा है वह सोवियत संघ द्वारा दिया गया है और उसको भारत लाने के पूरे प्रबंध किये गये हैं तथा वह कार्य निर्धारित क्रम से चल रहा है। जहां तक कनाडा से प्राप्त गेहूं का संबंध है उसकी खरीद के बारे में अभी पूरी प्रक्रिया निश्चित हमें करनी है जबकि एक बात सही है कि विदेशों में जहाज मिलने सुलभ नहीं हैं परन्तु ज्योंही हम उस देश से आयात करने का निश्चय कर लेंगे तब हम अवश्यक जहाजों का भी प्रबंध करने का प्रयास करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या यह सच है कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन अनुमानित लक्ष्य से बहुत कम हुआ है ? क्या उन्हें मालूम हुआ है कि कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने यह कहा है कि हम देश में इस वर्ष कुल लगभग 230 लाख टन गेहूं ही पैदा होगा ? दूसरे, यह आवश्यक है कि देश के लोगों को यह पता लगे कि विदेशों से आयातित गेहूं के लिए क्या मूल्य दिये जा रहे हैं। यह भी जरुरी है कि किसानों को भी यह पता लगे कि सरकार देश के बाहर क्या दाम दे रही है। इससे सरकारी अधिकारियों को जोकि गेहूं खरीदने जाते हैं, कोई गोल माल करने से रोका भी जा सकेगा। इसलिए मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि आस्ट्रेलिया से खरीदे गए गेहूं का भारत में पहुंचने पर हमें लगभग क्या मूल्य देना होगा।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जहां तक गेहूं के उत्पादन के अनुमान का संबध है, मैं इस बारे में माननीय सदस्य की भांति हतोत्साहपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहता हूं। विभिन्न स्रोतों से विभिन्न अनुमान प्राप्त हो रहे हैं। मेरा अनुमान यह है कि गेहूं का इस वर्ष उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन से किसी भी प्रकार कम नहीं होगा। वैसे थोड़ी बहुत कमी-वेशी तो हो सकती है। कारण यह है कि हांलाकि भारत में अभी वर्षा नहीं हुई है फिर भी गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों में उत्पादन उत्तर भारत में वर्षा की कमी की क्षतिपूर्ति कर देगा। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का प्रबंध है वे 251 डालर तक बढ़ गये थे परन्तु अब मूल्य कम हो रहे हैं और 151 डालर तक आ गये हैं। गत सप्ताह कुछ थोड़ी सी तेजी आई थी परन्तु अब उत्साहपूर्वक उतरात्र आ रहा है क्या विश्व-भर में काफी उत्पादन हुआ है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमन् उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं आप मूल प्रश्न की सीमा से बहुत आगे जाना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैंने तो विशेष रूप से आस्ट्रेलिया से खरीदे गए गेहूं के मूल्य के बारे में पूछा है जिसका उत्तर वह आसानी से दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब वह कहते हैं कि शायद यह उत्तर देना राष्ट्रीय हित में न हो ......

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : वह तो इस वर्ष के उत्पादन के अनुमान तक नहीं बता रहे हैं। यह तो प्रश्न की सीमा के बाहर नहीं है ?

श्री समर गुह : यह बड़ी विचित्र बात है कि वह मूल्य भी नहीं बताना चाहते। यह तो मालूम है या मालूम हो जाएगा जबकि आस्ट्रेलिया अन्य देशों को गेहूं देगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बताना शायद देश के हित में नहीं है।

श्री समर गुह : आखिर यह प्रक्रिया तो हमारे नियमों में भी हैं कि जब वह यह कहते हैं कि यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं है तो अध्यक्ष महोदय यह पूछ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार राष्ट्रीय हित की हानि हो सकती है।

श्री पी० वैंक्टा सुब्बैया : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या उन्होंने विदेशों से गेहूं खरीदने के लिये कोई लम्बी अवधि के प्रबंध कर रखे हैं ? अर्थात् क्या उन्होंने प्रत्येक वर्ष के उत्पादन लक्ष्यों के लिये कोई योजना बना रखी है और क्या कोई लम्बी अवधि का करार कर लिया गया है ताकि देश में गेहूं के उत्पादन में कमी के कारण हमें हर वर्ष परेशान न होना पड़े ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि किसी प्रकार की लम्बी अवधि का करार देश के हित में हो सकता है।

इस प्रश्न पर विशेष रूप से आस्ट्रेलिया सरकार से बातचीत की गई थी परन्तु दुर्भाग्यवश स्वयं आस्ट्रेलिया सरकार की ही अपनी कुछ कठिनाईयां हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि उनका उत्पादन गत वर्ष बहुत कम था और उनके पास स्टॉक नहीं है, और इसीलिये वे एक लम्बी अवधि का करार करने में संकोच कर रहे हैं क्योंकि वह पहले ही चीन तथा मिश्र के साथ लम्बी अवधि का करार कर चुके हैं जिनको कि वे पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लम्बी अवधि के करार करने में संकोच किया जा रहा है।

श्री पी वैंक्टा सुब्बैया : अन्य देशों के बारे में क्या स्थिति है?

श्री के० एस० चावड़ा : सरकार ने गेहूं की खरीद के लिये कितने देशों से अनुरोध किया है और उन देशों की सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न तो बहुत ही विशिष्ट है.....

श्री के० एस० चावड़ा : मंत्री महोदय पहले ही कनाडा के बारे में बता चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो एक अलग प्रश्न था। वह तो मूल्यों के बारे में था।

श्री के० एस० चावड़ा : श्री वाजपेयी भी इसके बारे में पूछ चुके थे। मेरे विचार से मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह जानकारी दे सकते हैं तो मैं उस पर आपत्ति नहीं करता माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में है कि गेहूं की सप्लाई के लिए अन्य किन-किन देशों से अनुरोध किया गया था।

श्री अण्णासाहेब पी० शिण्दे : यह प्रश्न वस्तुतः मुख्य प्रश्न की सीमा से बाहर है। परन्तु यदि आप मुझे कहने को कहते हैं तो मैं कुछ कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो बीच में नहीं आता। यह तो आपके और माननीय सदस्य के बीच की बात है। यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : यह तो देश के हित में है। वह उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि उत्तर देना देश के हित में है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिण्दे : मोटे तौर पर विश्व में चार देश महत्वपूर्ण हैं जो गेहूं का निर्यात करते हैं और वे हैं अमरीका, कनाडा, अर्जन्टाईना और आस्ट्रेलिया।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्लि : क्या रूस से आयातित गेहूं को पत्तन से उगाया नही जा रहा है ?

श्री अण्णासहेब पी० शिन्दे : यह बात मुख्य प्रश्न के बाहर की है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि क्या रूस से प्राप्त गेहूं को पत्तन से उठाने में कोई कठिनाई है।

रामचन्द्रन कडनापल्लि : यह सब कुछ आयात के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न माल को उतारने से नहीं बल्कि उसके लदान से संबंधित है।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय का यह अनुरोध स्वीकार करते हुए कि राष्ट्रीय हित को देखते हुए मूल्यों के बारे में कुछ न कहें, मैं मूल्यों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा परन्तु देश की खाद्यान्न की आवश्यकता तथा वास्तविक उत्पादन के बीच अन्तर को देखते हुए, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि कम से कम कुछ समय के लिये तो आयात करना जरूरी हो गया है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या पहले प्रश्न का उत्तर यही है कि आस्ट्रेलिया से केवल थोड़ी सी मात्रा में ही गेहूं खरीदा गया है ; यदि अन्य देशों से आयात करना है तो क्या उसको किस्त में वापस अदा करने की बजाय, जो कि बाद में मंहगाई बढ़ जाने पर अधिक खर्चीला भाग होगा, आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से गेहूं खरीदा जाये ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव-मात्र है।

प्रो० मधुदंडवते : कार्यवाही के लिये या कार्यवाही न करने के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है।

मशीनी कम्पोस्ट खाद संयंत्र लगाने के लिए राज सहायता देने का प्रस्ताव

*879 **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मशीनी कम्पोस्ट खाद संयंत्र लगाने के लिए राज सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान कृषि मंत्रालय 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में कम्पोस्ट खाद के 45 संयंत्र लगाने के लिए नगर निगमों/समितियों या कृषि उद्योग निगमों की पूंजी लागत पर 33 प्रतिशत तक का अनुदान देने का विचार रखता है। इन यंत्रीकृत कम्पोस्ट खाद संयंत्रों की

स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए 6.7 करोड़ रुपये की रकम व्यय करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने यंत्रीकृत कम्पोस्ट खाद संयंत्रों की स्थापना के लिए निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में नगर निगमों की सहायता के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 10 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया है।

1. समेकित योजना में तकनीकी व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था।

2. ट्रक, व्हील बैरो आदि की खरीद के लिए अनावर्ती अनुदान।

3. कर्मशाला, सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अनावर्ती अनुदान।

4. एकत्रण स्थलों के निर्माण के लिए अनावर्ती अनुदान :

5. श्रेणी 1 के शेष 95 कस्बों को यंत्रीकृत छलनियां तथा अन्य उपस्करण प्रदान करने के लिए अनावर्ती अनुदान ।

6. परियोजना तैयार करने वाले फारमुलेशन दल/परियोजना प्रबंध दल, सर्वेक्षण / समन्वेषण तथा क्षेत्र अध्ययनों की स्थापना ।

उपर्युक्त मदों पर होने वाले घाटे के लिए स्थानीय निकायों को 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देने का विचार है। इससे कम्पोस्ट खाद संयंत्रों की स्थापना के लिए कुल राज सहायता 50 प्रतिशत तक बढ़ जाने की संभावना है। शेष पूंजी लागत या तो निगमों को स्वयं पूरी करनी पड़ेगी या राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर पूरी की जायगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आजकल अकार्बनिक उर्वरकों का अभाव है और इस विचार से कि कम्पोस्ट खाद के कारखानों के लिए केवल 6.7 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं, क्या सरकार इस राशि को बढाने या इसे दुगना करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे : शायद इस पर विचार उक्त राशि के वास्तव में खर्च हो जाने पर ही किया जा सकता है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह कहा गया है कि तीन लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरों को यह राज सहायता दी जायेगी। ऐसे कितने ही नगर हैं जिसकी आबादी 20 से 70 लाख तक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे नगरों में दो या तीन एकक स्थापित किये जायेंगे।

श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे : यह तो उदाहरणार्थ कलकत्ता, बम्बई आदि जैसे नगरों पर निर्भर करता हैं, शायद वहां एक से अधिक कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित करने की जरूरत न पड़े। परन्तु पहले कारखाने में काम आरंभ हो जाने के बाद जब हमें कुछ तजुरबा हो जाएगा तभी शायद बाद में विचार किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के साथ एक अन्य सदस्य का नाम भी है—श्री राम सहाय पांडे।

श्री राम सहाय पान्डे : बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: वह अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम सहाय पान्डे : मैंने कहा न "बहुत बहुत धन्यवाद"

अध्यक्ष महोदय: यह तो आज आपने बड़ी असाधारण बात की है, डा० रानेन सेन।

डा० रानेन सेन : पश्चिम बंगाल सरकार के कलकत्ता में एक मेकैनिकल कम्पोस्ट प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया था ताकि एक तो नगर में प्रतिदिन एकत्रित भारी कूड़े-कचरे को उठाया जा सके और दूसरे, देश को अधिक खाद मिल सके। क्या वह प्रस्ताव सरकार के पास आ गया है और यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम ऐसे प्रस्तावों के लिये 33 प्रतिशत तक राज सहायता देकर सहायता करने का विचार रखते हैं। वस्तुतः कुछ राज-सहायता निर्माण और आवास मंत्रालय से भी मिलेगी। अतः पश्चिम बंगाल सहित किसी भी राज्य को ऐसे कार्यों के लिये 50 प्रतिशत तक राज-सहायता मिल सकेगी।

श्री रण बहादुर सिंह : उर्वरकों की कमी तथा इन कम्पोस्ट कारखानों की स्थापना की दृष्टि से, क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे कोई कानूनी उपाय करेगी जिनसे इस समय नगरों में कूड़े-कचरे को रिक्लेमेशन' करने की अनुमति न दी जाये और उसे कम्पोस्ट खाद बनाने के काम में लाया जाये।

श्री अणासाहिब पी० शिन्दे : यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से कहें कि कोई कानूनी सहयोग चाहिये तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार अवश्यक समर्थन देने में संकोच नहीं करेगी।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या यह अनुमान लगाया गया है कि कलकत्ता में प्रति दिन कुल कितना कूड़ाकचरा एकत्रित होता है और उसे किस प्रकार निपटाया जाता है और क्या यह सच है कि इस कूड़े-कचरे के कारण मत्स्यपालन स्थान रेत-मिट्टी से भर जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बड़ा सामान्य प्रश्न है और आप कलकत्ता के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। बेहतर यह होगा कि आप इसके लिये अलग से सूचना दें।

श्री ए० के० एम० इसहाक : केन्द्रीय सरकार की योजना यह है कि. . .

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते जिनमें विस्तृत अथवा आंकड़े-बद्ध जानकारी अपेक्षित हो। विस्तृत प्रश्न का अनुचित लाभ न उठाईये।

श्री ए० के० एम० इसहाक : प्रश्न तो मैकेनाईज्ड कम्पोस्ट प्लांटों की स्थापना से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: कलकत्ते में ही नहीं परन्तु हर जगह।

श्री ए० के० एम० इसहाक : कलकत्ता तो सबसे बड़ा नगर है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस बारे में निश्चित रूप से नहीं जानता। मेरे विचार में चंडीगढ़ प्रथम श्रेणी का नगर है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्रालय ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि..........

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है कि यदि एक प्रश्न असंबंधित है तो आपको दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। मुझे ऐसी प्रक्रिया मत सिखाएं। अब कृपया बैठ जाईये आप अगली बार अच्छा सा प्रश्न पूछिए।

श्री ए० के० एम० इसहाक : वह प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, वह तो बिल्कुल संबंधित है कि--क्या कलकत्ता के कूड़े-कचरे का खाद उत्पादन के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के बारे में विचार किया गया है !

अध्यक्ष महोदय : मेरा इस संबंध में अब भी वही दृष्टिकोण है।

Shri Hukam Chand Kachwai : How many State Governments have sent schemes to you for using the garbage for manufacturing manure, and what sort of help has been sought by them in this regard ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने इस विषय पर संबंधित मंत्रियों का एक सम्मेलम बुलाया था और केन्द्रीय सरकार की इच्छा कम्पोस्ट खाद कारखानों तथा कार्बनिक खाद के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता करने की थी। अब हमें राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने आरंभ हो गये हैं। मेरे पास इस समय पूरी जानकारी तो नहीं है। अब सभी राज्य सरकारों को इसका पता लग चुका है और वे इस आधार पर अपनी योजना तैयार कर रहीं हैं। पांचवीं योजना के वर्ष के अंत तक 45 नगरों में कम्पोस्ट खाद कारखाने लगाने का विचार है और सारे देश में 50,000 गोबर गैस कारखाने लगाये जायेंगे।

भारतीय खाद्य निगम में छंटनी किये गये कर्मचारियों को बहाल करने के स्थान पर नई नियुक्तियां करना

*880 **श्री वयालार रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडन्नापल्ली :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या गत तीन महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में नई नियुक्तियां की गई हैं और 500 से अधिक रिक्त पदों को नहीं भरा गया है जबकि बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो नई नियुक्तियां करने तथा छंटनी किये गये कर्मचारियों को बहाल न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है और हाल ही में कोई छंटनी नहीं हुई है। तथापि, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों की बंदरगाहों पर स्थानीय तात्कालिक जरूरतें पूरी करने के लिए पूर्णतया अस्थायी आधार पर कुछेक नई नियुक्तियां करनी पड़ीं थीं। उत्तरी क्षेत्र में छंटनी किये गये कर्मचारियों की थोड़ी समय के लिए इन दूरस्थ स्थानों पर नियुक्ति करने के लिए विचार नहीं किया गया था।

श्री वयालार रवि : भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेषकर मध्य प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में, उन्होंने कतिपय श्रेणियों के लिये कुछ लोगों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिये राज्य सरकार को लिखा है। मेरे प्रश्न के उत्तर के अनुसार वहां अभी भी बहुत से पद खाली पड़े हैं। परन्तु उन रिक्त स्थापदों पर छंटनी किये गये व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जब भी कोई पद रिक्त होगा उन्हें पहले रखा जाएगा। तीन से चार साल तक की सेवा वाले लोगों की भी छंटनी कर दी गई थी। जब केरल या अन्य स्थानों पर पद रिक्त होते हैं तो वहां उन्हीं लोगों को उन पदों पर क्यों नहीं लगाते ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं कि अब कोई छंटनी नहीं की जा रही है हालांकि माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे पास फालतू कर्मचारी हैं ; जैसे, हमारे पास हमारे क्षमता का केवल 30 प्रतिशत भंडार है परन्तु हमारे पास 100 प्रतिशत कर्मचारी हैं । दक्षिण में कुछ पत्तनों, पर कुछ काम बढ़ गया था और श्रेणी 3 के कुछ कर्मचारियों को 2 या 3 मास तक के लिये आवश्यकता पड़ी थी । आंध्र तथा महाराष्ट्र ने जोर दिया था कि जब पद रिक्त है तो हम स्थानीय लोगों को भर्ती क्यों न करें ? क्योंकि यह पद सर्वथा अस्थायी थे और केवल कुछ महीनों के लिये ही थे इसलिए स्थानीय लोग ही भर्ती करने पड़े क्योंकि यदि हम दूरस्थ स्थानों से लोगों को स्थानांतरित करके भेजे तो वे कहते हैं कि उनके पास घर नहीं है, तो हम क्या करें ? यदि स्पष्ट रूप से कोई लम्बी अवधि के लिए पद खाली होता है तो हम यह बात ध्यान में रख सकते हैं।

श्री वायलार रवि : जैसा कि सरकार ने एक निदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब आगे कोई नियुक्ति नहीं होगी तो क्या सरकार ने इस आशय का भी कोई निदेश दिया गया है कि अब आगे कोई छंटनी भी नहीं होगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं स्पष्ट कह चुका हूं कि जब तक किसी नई तथा अप्रत्याशित स्थिति के कारण अनिवार्य न हो जाये, हम भविष्य में कोई छंटनी करने का विचार नहीं रखते।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : नई अनाज नीति के संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुछ कर्मचारियों की छटनी करने की धमकी भी दी गई है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रमिकों की सेवाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए सरकार के समक्ष क्या ठोस प्रस्ताव हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अगर वहां कुछ स्थान रिक्त पड़े है और उनके लिए भरती की जाती है, तो जसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने सदन को आश्वासन दिया है, हम छंटनी किये गये व्यक्तियों को ही नई भर्ती में प्राथमिकता देगें । इस सम्बन्ध में जो सामान्य धारणा बनी हुई है, मैं उसे भी सुधारना चाहूंगा । जिन अस्थाई कर्मचारियों की छंटनी की गई है, उन्हें एक कार्य विशेष के लिए भर्ती किया गया था इसके बावजूद भी हमने मानवीय आधार पर उन लोगों को यह आश्वासन दिया है कि यदि स्थाई पदों के लिए स्थाई तौर पर भर्ती की जाती है, तो उसमें इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान अध्यक्ष ने मन्त्रिमडल सचिवालय की संयुक्त आसूचना समिति के अध्यक्ष होने के नाते मजदूर संघों की

वैध गतिविधियों से निपटने के लिए भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मशीनरी का उपयोग करने की प्रवृत्ति विद्यमान है? क्या यह सच है कि उसने संयुक्त प्रबंधक (पोर्ट आपरेशन) श्री पी० के० सेन गुप्त, वरिष्ठ प्रबंधक, श्री ए० के० दास तथा सहायक प्रबंधकों श्री एस० एम० विश्वास और श्री बी० दास को सितम्बर से निलंबित कर दिया है और अनियमित भर्ती के आधार पर उनके मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो बहुत ही सामान्य था : यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछना चाहते हैं तो बेहतर होगा यदि आप अलग प्रश्न रखें।

श्री समर गुह : उनके मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गए हैं। उनकी छंटनी करने का यह प्रारंभिक प्रयत्न है। आठ महीने गुजर चुके हैं और अभी तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके विरुद्ध प्रत्यक्षत मामला भी तैयार नहीं कर पाया है। यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग के इस निदेश के विरुद्ध है कि किसी भी कर्मचारी को इस प्रकार तीन महीने से अधिक समय के लिए निलम्बित नहीं रखा जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि जिन चार कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उनके संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई विशेष संबंध नहीं है। **व्यवधान**

श्री समर गुह : उनके मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिए गए हैं। इसीलिए तो मैंने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मशीनरी का उपयोग करने की इन महोदय की प्रवृति बनी हुई है। ऐसा केवल इसलिए किया गया है कि ये लोग श्रमिक संघों के संगटनों से सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न पूछने से नहीं रोक रहा। परन्तु प्रश्न का संबंध तो छंटनी से है और आप निलंबित किये गये अधिकारियों तथा जिनके मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है, उनके संबंध में पूछ रहे हैं।

श्री समर गुह : यह कार्यवाही कुछ प्रतिशोधी प्रकार की लगती है ताकि उनकी छंटनी की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : डा० सेन, क्या आप यह समझते हैं कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से ही सम्बद्ध है ?

डा० रानेन सेन : भारतीय खाद्य निगम का उद्देश्य तो छंटनी ही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्तियों को निलंबित किया जा रहा है। यही इसकी पृष्ठभूमि है।

अध्यक्ष महोदय : इन व्यक्तियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध जांच की जा रही है, यह मामला छंटनी से पूर्णतया भिन्न है।

श्री समर गुह : यह मामले केवल अनियमित भर्ती के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये हैं और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि का कोई आरोप नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो गत आठ महीनों में उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बना पाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप के साथ तर्क नहीं करना चाहता। मैं स्वयं कुछ न कह कर, इसका निर्णय मंत्री महोदय पर छोड़ता हूं।

श्री अण्णासाहिब पो० शिंदे : प्रश्न छंटनी के बारे में है और यह कुछ निलंबनों के बारे में पूछना चाहते हैं।

श्री समर गुह : वह अच्छे अधिकारी हैं। उन्हें अनियमित भर्ती के आधार पर केवल इसलिए निलंबित कर दिया गया है कि उन्होंने श्रमिक संघ की गतिविधियों में भाग लिया था। उनके मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिये गये हैं। आठ महीनों में अभी तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके विरुद्ध प्रथम-दृष्टिया मामले भी नहीं बना पाया है। स्थाई आदेशों के अनुसार यदि तीन महीने में कोई आरोप नहीं लगाया जाता तो उस कर्मचारी को पुनःबहाल करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि यह मुख्य विषय से संबद्ध नहीं है।

श्री समर गुह : आप जरा मंत्री महोदय से पूछिये कि क्या ऐसे मामलों से इस प्रकार निपटा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आप कोई विशिष्ट प्रश्न पूछें तो यह मामला सदन के समक्ष लाने में मैं आप को अपना पूरा सहयोग दूंगा। आप इसी प्रश्न में यह सब क्यों लाना चाहते हैं ?

श्री समर गुह : मैं इस पर अल्प सूचना प्रश्न भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : खैर आपने यह तो माना कि मूल प्रश्न से इसका संबंध नहीं है।

Shri Achal Singh : According to the new policy, wholesale traders will purchase foodgrains from farmers, so in that case what is the need of recruiting more persons in F.C.I Surat?

श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे : माननीय सदस्य महोदय यह पूछना चाहते हैं कि नई खाद्य नीति के संदर्भ में और लोग भर्ती करने की क्या आवश्यकता है। इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं लगता।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इसमें नहीं आ सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that about 1600 employees were retrenched in U.P. and without taking them back, now new recruitment is being made, if so the reasons thereof?

श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे : 800 कर्मचारियों वाले मामले पर सभा में पूर्ण रूप से चर्चा की गई थी। खरीफ सम्बन्धी नई योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में उन्हें गत वर्ष कुछ केन्द्र खोलने के लिए पूर्णतया अस्थाई आधार पर भर्ती किया गया था। परन्तु बाद में हमने देखा कि ये केन्द्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे और उनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं हैं, इसीलिए उनकी छंटनी कर दी गई। उनकी भर्ती केवल उस कार्यविशेष के लिए की गई थी और यह पूर्णतया स्पष्ट था कि छः या तीन महीनों के बाद उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी। तभी से हम सभा को यह आश्वासन देते आये हैं कि जब भी हमें नई भर्ती करनी होगी हम इन्हीं लोगों को प्राथमिकता देंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : भारतीय खाद्य निगम में स्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने नैमित्तिक हैं या कितने को ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती किया गया है।

श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे : विशिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों के बारे में बताने के लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सत्य नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम में भर्ती किये गये अधिकांश कर्मचारी नैमित्तिक कर्मचारी हैं ? इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि स्थाई कर्मचारियों और नैमित्तिक तथा अस्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सब से पहली बात तो यह है कि यह कहना ही गलत है कि भारतीय खाद्य निगम में जिन कर्मचारियों को भर्ती किया गया है उनमें से अधिकांश को नैमित्तिक या अस्थाई कर्मचारियों के रूप में भर्ती किया गया था क्योंकि जिन व्यक्तियों को रिक्त स्थानों के लिए भर्ती किया गया, उनके नैमित्तिक या अस्थाई भर्ती किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

दूसरे, माननीय सदस्य ने कलकत्ता में 49 या 50 कर्मचारियों की छंटनी के बारे में जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों को टंकक (टाइपिस्ट) के रूप में भर्ती किया गया यद्यपि वे टाइपिंग का एक शब्द भी नहीं जानते थे। कुछ लोगों को कुछ घूस दी गयी थी। अतः पश्चिम बंगाल सरकार और लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श करके, जो योग्य नहीं थे, उनकी छंटनी कर दी गई। नये साक्षात्कार किये गये और जो योग्य थे, उन्हें भर्ती कर लिया गया। मैं समझता हूं कि सदस्य महोदय ऐसी अनियमितताओं का समर्थन नहीं करेंगे जो कि देश के हित में नहीं हैं।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि भारतीय खाद्य निगम में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी भर्ती किये गये हैं यहां तक कि उनके गोदामों की भण्डारण क्षमता का 30 प्रतिशत उपयोग हो रहा है जबकि उसके लिए 100 प्रतिशत कर्मचारियों को भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया है कि भण्डारण क्षमता का उपयोग इसका एक मापदण्ड है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वहां आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रखने का आधार क्या है ? इण्डियन एयरलाइन्ज से लेकर हम यही बात सुनते आ रहे हैं। यह सम्बद्ध प्रश्न है क्योंकि यह भी छटनी से ही सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा कि यह सम्बद्ध प्रश्न है या नहीं।

श्री बी० वी० नायक : अपने अनुभव के आधार पर मुझे भय था।

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : उसकी एक सुनिश्चित प्रणाली है । मैं समझता हूं कि कोई भी एक-तरफा ढंग से यह नहीं कह सकता कि कर्मचारी अधिक हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए वहां पद बने हुए हैं। जब कोई पद-विशेष नहीं होता है, और काम भी नहीं होता है, तो कहा जाता है कि स्टाफ अधिक है।

श्री बी० वी० नायक : इस का मापदण्ड क्या है ? अपूर्ण उत्तर प्राप्त करने से तो अच्छा है कि हम प्रश्न ही न पूछें।

श्री सेझियान : श्री भट्टाचार्य के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ गैर-अर्हता-प्राप्त लोगों को भर्ती कर लिया गया था और यह भी पता चला है कि कुछ घूस दी गयी थी। यह बहुत गंभीर बात है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि गैर-अर्हता-प्राप्त लोगों को भर्ती

करने का उत्तरदायित्व किस पर था, जैसा कि उन्होंने कहा उसके लिए कितना पैसा घूस के तौर पर दिया गया और जिन लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रमिक संघों के कुछ कार्यकर्त्ताओं तथा भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारी इस मामले से सम्बद्ध हैं। उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। इस मामले की विशेष रूप से जांच करने का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। जहां तक छंटनी का प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श करने के उपरान्त ही यह कार्यवाही की गई थी।

तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नरेला, दिल्ली, पर व्यय

*882. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नरेला के तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूल पर प्रति वर्ष 6 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं जबकि इस स्कूल का केवल एक विद्यार्थी सफल रहा है,; और

(ख) यदि हां, तो बिना किसी परिणाम के इतना अधिक व्यय करने का क्या औचित्य है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नरेला, दिल्ली में एक तीन वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है जिससे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली का प्रमाण-पत्र मिलता है। अन्तिम वर्ष के लिये बोर्ड की 1973 की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 61 थी जिनमें से एक छात्र उत्तीर्ण हुआ था। 1973-74 के दौरान सभी तीनों, अर्थात् 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षाओं के लिये इस स्कूल का वेतनों, छात्रवृत्तियों, औजारों तथा समग्रियों पर 5.32 लाख रुपये का खर्चा हुआ था।

इस स्कूल के असंतोषजनक निष्पादन संबंधी कारणों की दिल्ली प्रशासन की सलाह से सरकार द्वारा जांच की जा रही है ताकि उनके लिये उचित उपचारक साधन तैयार किये जा सकें।

Shri R. S. Pandey : It has been stated by the hon. Minister that he is very much dissatisfied by this performance and as a result of this unsatisfactory performance he has consulted the Delhi Administration to find out some solution. It is really a matter of grave concern that even after spending 6 lakhs of rupees, only one student could get through out of a total of 61. Had I not asked this question, this vital fact would not have received any notice of the House. Now, the hon. Minister has replied about 1973-74. I would like to know what was the position prior to it ? What sort of technical school is this? Why no action has been taken so far ? Who is responsible for spending this money ?

Shri D. P. Yadav : I fully share the concern of the hon. Member. As far as result is concerned, the situation was equally disappointing in 1971 also when only 3 could get through out of 24. In 1972, only 8 out of 44 could get through and as I have already stated in 1973 one out of 61 could get through. That is why I say that it is a matter of grave concern and I want to assure the hon. Member that whatever action will be necessary we will not hesitate to take the same? We have already taken the initiative and hope that it will yield good results.

Shri R. S. Pandey : It is happening since 1970-71. What you are doing in this regard since then ?

Mr. Speaker : He is worried since then.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, besides being worried, may I know if the hon. Minister has tried to know what is the root cause for such unsatisfactory functioning of educational institutions. Is there something wrong with the teaching staff or with the syallabus or students' selection is not proper? They are confronted with this problem for the last three years but what steps they have taken in this regard ? Mere concern of the hon. Minister is not going to solve the problem ?

Shri D. P. Yadav : I myself deputed a senior officer of the Education Ministry for this purpose. He will examine the available infra-structure and give suggestions for its proper utilizations.

श्री गिरधर गोमांगो : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब 6 लाख रुपये खर्च करने के बाद, केवल एक ही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है तो यह व्यय लाभप्रद है या अलाभप्रद है ?

श्री डी० पी० यादव : यह तो ठीक है कि खर्चा काफी अधिक है।

जहाजरानी कम्पनियों के स्वामित्व में समुद्र तटीय जहाज

*883. **श्री लुतफल हक :**

श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में जहाजरानी कम्पनियों के स्वामित्व में समुद्र तटीय जहाजों की कम्पनी-वार संख्या क्या है ; और

(ख) इस समय समुद्र तटीय नौवहन में भारत निर्मित जहाजों की प्रतिशतता कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) विभिन्न शिपिंग कम्पनियों के स्वामित्व वाले देश में तटीय जहाजों की संख्या बताने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) कुल 60 जहाजों में से, भारत निर्मित कुल जहाजों की सख्या का 5 या कुल का 8.5 प्रतिशत है।

विवरण

शिपिंग कम्पनी का नाम	सूखे माल जहाज	तेलवाही	यात्री एव माल	कुल
1	2	3	4	5
शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया	5	2	5	12
सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कं०	3	--	--	3
मलाबार स्टीमशिप्स कं०	4	--	--	4
अफरीकन कम्पनी प्रा० लि०	3	--	--	3

1	2	3	4	5
साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कं०	3	—	—	3
लक्ष्मी लाईन लि० .	1	—	—	1
निकोबारसे कार्मशियल कं०	1	—	—	1
आर० ए० रे ० लाईन्स लि०	1	—	—	1
कोल्लिस लाईन प्रा० लि० .	1	—	—	1
हिन्द शिपिंग एजेन्सी .	2	—	—	2
वेस्टर्न स्टार लाईन्स प्रा० लि०	1	—	—	1
केरल लाईन्स लि०	2	—	—	2
कोचीन शिपिंग कम्पनी	2	—	—	2
दामोदर बल्क कैरियर्ज लि०	1	—	—	1
रवीन्द्रा शिपर्स	1	—	—	1
तोलनी शिपिंग	2	—	—	2
मुगल लाईन लि०	2	—	2	4
टाकुर शिपिंग कं०	2	—	—	2
इंडिया स्टीमशिप कं० लि० .	1	—	—	1
यूनियन आफ इंडियन	1	—	5	6
इन्डोसेनिक शिपिंग कं०	1	—	—	1
नीलहट शिपिंग कं०	1	—	—	1
हिमालय शिपिंग कं०	2	—	—	2
अन्डमान लाईन .	1	—	—	1
ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कं०	—	1	—	1
वरुण शिपिंग कं०	—	1	—	1
कुल . . .	44	4	12	60

श्री देवेन्द्र नाथ महाता: मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न कम्पनियों के स्वामित्व वालों को जो 60 तटीय जहाज उपलब्ध हैं, क्या वह देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखा है कि देश के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों में कोयले की सप्लाई करने के लिए हल्दिया पत्तन से भी नये अवसर प्राप्त होंगे ताकि बिहार और पश्चिम बंगाल की रेलों के कोयला ढोने के बोझ को भी हल्का किया जा सके ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी: वास्तविकता यह है कि तटीय नौवहन को हमारी वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और इसी को दृष्टिगत रखते हुये ही हमने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस प्रकार की योजना बनाई है। हमारी नौवहन तटीय क्षमता 6 लाख जी० आर० टी० के करीब

उसके लिए हमने पहले ही देशीय तथा विदेशी कम्पनियों को मिलाकर 20 जहाजों के आर्डर दे रखे हैं। जहां तक हल्दिया पत्तन से कोयले की ढुलाई का सम्बन्ध है, उसके लिए हमने वर्ष 1978-79 के अन्त तक तटीय नौवहन के माध्यम से 65 लाख टन कोयला ढोने की व्यवस्था पहले ही कर दी है।

श्री देवेन्द्र नाथ महाता : क्या यह सच है कि जिन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा जहाजों का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें शिपयार्डज़ की कमी के कारण काफी हानि उठानी पड़ रही है। क्या विश्व की अन्य देशों की तरह उन्हे भी इस कार्य के लिए कुछ सरकारी सहायता देने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक नौवहन का सम्बन्ध है, उसके बारे में यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें हानि उठानी पड़ रही है। जहां तक जहाज़ निर्माण करने का सम्बन्ध है, उसके लिए शिपयार्ड आदि बनाने के लिए सरकार द्वारा सहायता दी ही जाती है।

श्री देवेन्द्र कुमार महाता : पहले ही मंत्री महोदय ने वक्तव्य में बताया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के तटीय नौवहन निर्माण करने वाले लोगों को शिपयार्डज़ के कारण हानि उठानी पड़ रही है। क्या यह सच है कि सम्पूर्ण विश्व में उन्हें सरकारी सहायता दी जाती है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक जहाज-निर्माण का सम्बन्ध है, उसके लिए मैं बता ही चुका हूं कि सरकारी सहायता दी जाती है। जब आपने हानि की बात उठाई तो उस समय मैं समान्य नौवहन के बारे में बता रहा था।

Shri Madhu Limaye : India has such a vast Coast but according to the hon. Minister only 12 Passenger-cum-Cargo ships one playing. May I know from hon. Minister if any attention will be paid to ran more passenger ships on Western Coast between Manglore and Bombay where there is no Railway line....

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस पर पहले ही विचार किया जा रहा है।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि विभिन्न शिपिंग कम्पनियों द्वारा निर्मित कुल 60 जहाज़ों में से केवल 12 जहाज़ अर्थात् 8.5 प्रतिशत जहाज ही देश में बनाए गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होने की नीति को दृष्टिगत रखते हुये, और अधिक जहाज़ों का निर्माण करने के लिए क्या और जहाज़-निर्माण कारखानें बनाने की अनुमति दी जायेगी ? हल्दिया शिप बिल्डिंग यार्ड का क्या हुआ ताकि और अधिक जहाज़ों का निर्माण किया जा सके ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कई बार सभा को यह बता चुका हूं कि वास्तव में देशीय जहाज-निर्माण क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा है कि तटीय नौवहन के लिए 12 जहाज हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा दिये जायेंगे। हिन्दुस्तान शिपयार्ड शतप्रतिशत स्वदेशी कम्पनी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाना तथा उनकी बहाली

*872 **श्री वी० मायावन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के ऐसे कितने अधिकारियों पर अब तक मुकद्दमे चलाये जा चुके हैं जिनके मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये थे ;

(ख) क्या भ्रष्टाचार के आरोपों के लिये दोषी पाये गये कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई थी; और

(ग) कितने ऐसे कर्मचारियों को बहाल किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो राज्य पुलिस ने भारतीय खाद्य निगम के 143 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कुल मिला कर निगम के 649 कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया था। उनमें से, 345 कर्मचारियों को विभिन्न कारणों से काम पर वापस ले लिया गया है। इन कारणों में न्यायालय द्वारा छोड़ना, विभागीय कार्यवाही का पूरा हो जाना और उनके मामलों की समय-समय पर समीक्षा करना जैसे कारण शामिल हैं। विभागीय जांच के परिणामस्वरूप नौकरी से निकाले गए एक कर्मचारी को नौकरी में वापस ले लिया गया था क्योंकि कर्मचारी द्वारा अपील करने पर दी गई सज़ा को दो ग्रेड की वेतन वृद्धियों को रोकने की सज़ा देकर कम कर दिया गया था।

भारत और मारिशस के बीच नियमित नौवहन सेवा

*875 **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और मारिशस के बीच नियमित नौवहन सेवा आरम्भ करने की व्यवहार्यता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया पहले ही भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों से मारिशस को माल सेवा चला रहा है। यह संवर्द्धनात्मक सेवा है चालू वर्ष में चार चालन आयोजित किये गये हैं।

Setting up of Oil and Oil Seeds Corporation

*876. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the names of the State Governments which have made a proposal to set up vegetable oils and oilseeds corporation ; and

(b) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The need for setting up such a Corporation has been expressed from time to time but a specific suggestion in this behalf was received from the Government of Gujarat.

(b) The Government of India have agreed in principle to set up a Vegetable Oils and Oilseeds Corporation. The details are being worked out.

छोटे तथा सीमान्त कृषक और खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन

*877. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे तथा सीमान्त कृषक और खेतिहर मजदूर विकास एजेन्सियों के कार्यक्रम को नया रूप देने के बारे में कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने लघु तथा सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक विकास एजेन्सियों के कार्यक्रमों के नवीकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय कृषि आयोग की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों की भलाई के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में शामिल कर लिया गया है जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किया जाएगा।

Setting up of Geo-Magnetic Laboratory in Vikram University Campus

*878. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government of India have decided to set up a geo-magnetic laboratory in the campus of the Vikram University, Ujjain (Madhya Pradesh) with the cooperation of the International Geo-Magnetic Society; and

(b) if so, broad features in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) According to the information furnished by Vikram University. the Director of Indian Institute of Geo-Magnetism, Bombay approached the University in July, 1973 for providing necessary facilities for the establishment of a temporary magnetic observatory within the Campus of the University. The University agreed to this and the suitability of the site has since been surveyed by the officials of the Institute.

सेन्टर फार स्टडी आफ डेवेलपिंग सोसायटीज

*881. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फार स्टडी आफ डेवेलपिंग सोसायटीज, जिसको कि अमरीकी प्रतिष्ठान से धन मिलता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होना चाह रहा है ;

(ख) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इस सेन्टर को अपने से सम्बद्ध नहीं किया था; और

(ग) क्या सरकार ने इस सेन्टर को प्राप्त होने वाले धन के स्रोत और इसकी अन्य गतिविधियों की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विकासशील सोसाइटियों के अध्ययन केन्द्र की सहायता जुलाई, 1967 से शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा 2.5 लाख रुपये के वार्षिक अनुरक्षण अनुदान से की जा रही है। इस केन्द्र को अन्य सरकारी विभागों तथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से भी परियोजना अनुदान मिलता है। केन्द्र द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इसे किसी भी अमरीकी प्रतिष्ठान से सहायता नहीं मिल रही है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से यह अनुरोध किया है कि केन्द्र को विश्वविद्यालय के साथ विलय करने की सहमति दे दे, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा विलय के लिए पेश की गई शर्तें केन्द्र के स्वीकार्य नहीं थीं। इसी कारण से इस प्रस्ताव पर अमल नहीं हो सका। दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध किया गया है कि केन्द्र को अनुरक्षित संस्था के रूप में अपने अधिकार में ले लिया जाए। यह विषय विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं के कार्य की जांच समय-समय पर की जाती है। केन्द्र द्वारा किए गए कार्य की जांच के लिए सरकार ने 1971 में एक निरीक्षण समिति की नियुक्ति की थी। समति की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि केन्द्र ने 'राजनीतिक विज्ञान तथा उससे संबंधित विषयों में अनुसंधान में उल्लेखनीय कार्य किया है।'

मूंगफली के तेल पर गुजरात द्वारा अनिवार्य लेबी का लगाया जाना

*884. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 1974 के समाचारपत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर दिलाया गया है, जिनमें यह कहा गया है कि खाद्यान्न वसूली नीति की विफलता के कारण गुजरात सरकार बफर स्टाक बनाने के लिये, कम से कम मूंगफली के तेल पर अनिवार्य लेवी लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गेहूं, धान और बाजरा की वसूली करने सम्बन्धी सरकारी प्रयासों को आंशिक सफलता भी नहीं मिल सकी है **और मूंगफली तेल के निर्माता स्वैच्छिक लैवी के रूप में** 30,000 टन तेल देने सम्बन्धी अपने वचन को निभाने के लिए उत्सुक नहीं हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात में तुलनात्मक रूप से खाद्यान्नों की वसूली की धीमी गति और बफर स्टाक के निर्माण के लिये मूंगफली के तेल पर अनिवार्य लेवी लगाने के सम्बन्ध में गुजरात सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ प्रेम रिपोर्टें इस मंत्रालय की जानकारी में आई हैं।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि यद्यपि वर्ष 1973-74 के दौरान धान तथा मोटे अनाजों की वसूली पिछले वर्ष से अधिक रही है, लेकिन फसल की कटाई के समय अत्यधिक वर्षा से बाजरा की फसल को क्षति पहुंचने, उत्पादकों तथा व्यापारियों की स्टाक जमा करने की प्रवृत्ति, बाजरे पर व्यापारियों की लेवी में कमी होने और राज्य में लम्बे समय से राजनीतिक आन्दोलन चलने के कारण वसूली निर्धारित लक्ष्य से कम रही है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, वर्ष 1974-75 का विपणन मौसम अभी प्रारम्भ हुआ है और 2183 मीटरी टन की वसूली की जा चुकी है। राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि मूंगफली के तेल के मिल-मालिकों ने उन्हें तेल की कोई विशिष्ट मात्रा देने के सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दिया है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे धान की लेवी न देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। उसका अनुमान है कि गेहूं की वसूली में कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

राज्य सरकार का मूंगफली के तेल पर अनिवार्य रूप से लेवी लगाने का कोई विचार नहीं है। केन्द्रीय सरकार भी मूंगफली के तेल पर लेवी लगाने के पक्ष में नहीं है और उसने प्रेम रिपोर्टों को देखने के पश्चात् राज्य सरकार को अपने विचारों से अवगत कर दिया था।

सूरजमुखी से वाणिज्यिक आधार पर तेल का उत्पादन

*885. **श्री धामनकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाने के तेलों की बढ़ती हुई मांग और इनकी कमी को पूरा करने के लिए सूरजमुखी से वाणिज्यिक आधार पर तेल का उत्पादन करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1972-73 से सूरजमुखी के वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 1972-73 में लगभग 1.18 लाख हैक्टार क्षेत्र इसके अन्दर लाया गया था और आशा है कि वर्ष 1973-74 के दौरान यह क्षेत्र बढ़कर 2.50 लाख हैक्टार हो गया होगा।

शुष्क माल की तटीय जहाजरानी क्षमता का लक्ष्य

*886. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना की अवधि में तटीय जहाजरानी क्षमता का लक्ष्य क्या रखा गया है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : सूखे माल के नौवहन के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य 6 लाख जी आर टी प्रस्तावित किया गया है।

सरकारी संग्रहालयों का पुनर्गठन

*887. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी संग्रहालयों का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) एक संग्रहालय से किसी खंड को दूसरे संग्रहालय में बदलकर केन्द्रीय संग्रहालयों के पुनर्गठन करने का सरकार का विचार नहीं है। तथापि, केन्द्रीय संग्रहालयों, अर्थात् राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद तथा भारतीय सग्रंहालय, कलकत्ता के कार्यकरण में सुधार के संबन्ध में केन्द्रीय संग्रहालय पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को, वित्तीय विनिधान के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए, कार्यान्वित किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में हड़ताल

*888. **श्री हरी सिंह :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांकेतिक हड़ताल के कारण अप्रेल, 1974 के पहले सप्ताह में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग तथा प्रशासनिक कार्यालय बन्द रहे, और यदि हां, तो उक्त हड़ताल के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कर्मचारियों अथवा किसी संगठन द्वारा कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया था और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय कालेज तथा कर्मचारी संघ ने 3 अप्रेल, 1974 को सांकेतिक हड़ताल की थी। किन्तु विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापन विभागों ने अवश्य ही कार्य किया था। सांकेतिक हड़ताल विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारियों के लिये तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये की गई थी।

(ख) किसी दूसरे संगठन का कोई अन्य मांग-पत्र नहीं था।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में (i) श्रेणी 4 तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों और (ii) पुस्तकालय, प्रेस, चिकित्सा कालेजों और अस्पतालों, लो०नि० वि० तथा फार्मों इत्यादि के कर्मचारियों

सहित तकनीकी तथा प्रयोगशाला कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के बारे में सिफारिशें करने के लिये दो क्रमशः समितियां नियुक्त की हैं। प्रथम समिति ने पदों से संबन्धित कुछ श्रेणियों के बारे में अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत किया जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। इस समिति की शेष पदों के बारे में सिफारिशों तथा द्वितीय समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है ।

Effect of new wheat Procurement Policy on prices

*889. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the manner in which the prices fluctuated in various States after the announcement of the new policy of Government in regard to wheat?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : After the announcement of the new policy, the prices of wheat have registered a fall ranging from Rs. 2 to 38 per quintal in Bihar, Gujarat, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh and have shown a rise ranging from Rs. 2 to 29 per quintal in Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. The prices ruled steady in Karnataka.

खाद्य अनुसंधान केन्द्र जमशेदपुर में विकसित नये प्रकार के उर्वरक

*890. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय खाद्य अनुसंधान केन्द्र, जमशेदपुर के अमरीकी विशेषज्ञों ने 'संजीवनी' नामक एक नये प्रकार के उर्वरक का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रयोग संबन्धी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जेवियर संस्थान जमशेदपुर के खाद्य विपणन केन्द्र ने देशी रूप में उपलब्ध मूल धातुमल का चूर्ण बनाने का काम हाथ में लिया है और इसे 'संजीवनी' का नाम दिया है। मूल धातुमल जोकि इस्पात कारखानों का उपोत्पाद है, अम्लीय भूमि में मिट्टी को ठीक करने और फास्फेट के स्रोत के तौर पर लाभदायक ढंग से प्रयोग किया जा सकता है ।

डा० नारमन ई० बारलाग की कृषि मंत्री से भेंट

*891. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री डी० डी० देसाई :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनसे 11 मार्च, 1974 को एक कृषि वैज्ञानिक डा० बारलाग ने नई दिल्ली में भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने उन्हें भारत के विभिन्न राज्यों में फसलों की नवीनतम जानकारी दी थी ;

(ग) क्या उसने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि राज्यों के किसानों को तुरन्त डीजल और उर्वरक की सप्लाई की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केन्द्र, मैक्सिको के गेहूं सुधार कार्यक्रम के निदेशक डा० एन० ई० बोरलाग ने 11 मार्च, 1974 को कृषि मंत्री से भेंट की। उन्होंने देश के अनेक भागों में उगायी गयी गेहूं की फसल देखने के बाद अपना दृष्टिकोण कृषि मंत्री के सामने रखा। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में उगायी गई गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी और रोग मुक्त थी। उनके अनुसार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गेहूं की फसल अच्छी थी, लेकिन नलकूप चलाने के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में डीजल और विद्युत उपलब्ध नहीं हुई तो फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है। उन्होंने किसानों को और अधिक डीजल देने की सिफारिश तो की लेकिन पंजाब और हरियाणा को तुरन्त उर्वरक देने का जिक्र न करते हुए उन्होंने आमतौर पर विकासशील देशों को और अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया। उपर्युक्त राज्यों में किसानों को अधिकतम मात्रा में निश्चित रूप से डीजल देने के लिए सरकार ने पहले ही जो कदम उठाये हैं, उनकी जानकारी कृषि मंत्री ने डा० बोरलाग को दी।

जहाज निर्माण उद्योग के लिये पूंजी परिव्यय

*892. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में जहाज निर्माण उद्योग के लिये कोई पूंजी परिव्यय निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परिव्यय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या हल्दिया में शिपयार्ड के लिये कोई धनराशि मंजूर नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) 1974-75 के दौरान जहाज निर्माण के लिए निम्नलिखित पूंजी परिव्यय रखा गया है :–

(रुपये लाखों में)

1. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निवेश	180.00
2. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० में सूखी गोर्ड परियोजना के लिए ऋण	25.00
3. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए ऋण	2,000.00
4. जहाज निर्माण के लिए राज सहायता	140.00
5. नए शिपयार्ड	30.00
6. केन्द्रीय समुद्री और अनुसंधान संगठन	75.00
	2,450.00

(ग) पांचवीं योजना अवधि के दौरान नये जहाज निर्माण यार्डों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की रकम की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित विभिन्न स्थानों के दोनों तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन और अनुशासित स्थानों (हल्दिया सहित) पर लाभ बनाए जा सकने वाले प्रकारों और आकारों को बनाने के लिए स्थापित तकनीकी-आर्थिक कार्य दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी सक्रिय जांच की जा रही है। देश में नये शिपयार्डों के स्थानों के बारे में अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश के आदिवासियों द्वारा छोटे दाने वाले अनाज को नई किस्मों की खेती

*893. **श्री रण बहादुर सिंह**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने मध्य प्रदेश के आदिवासी किसानों द्वारा आने वाले मौसम में कोदों, कुटकी, सावां और मन्नरी जैसी छोटे दाने वाले अनाज की कौन-कौन सी नई सुधरी किस्मों की खेती की सिफारिश की है;

(ख) अब तक प्रयुक्त किए जा रहे परम्परागत बीजों की उपज की तुलना में इनकी उपज कितनी होती है; और

(ग) इन नई किस्मों के संबन्ध में किस अनुसंधान केन्द्र से आधार सामग्री प्राप्त हुई और यदि हां, तो क्या आधार सामग्री उपलब्ध हुई है और उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ग) शारदा (रागी) और अर्जुन (कुटकी) नाम की छोटे दाने वाले मोटे अनाजों की दो उन्नत किस्मों की मध्य प्रदेश में खेती करने की सिफारिश की गयी है। ई०-28, ई०-4840 (रागी), आई० पी० 606, आई० पी० 600, आई० पी० 19 और आई० पी० 22 (कोदों), आई० एस० सी० 480, आई० एस० सी० 703 और एस० आर० 118 (कुटकी) और आई० पी० एम० 1006 और आई० पी० एम० 307 (सावां) किस्में भी आशाजनक पायी गई हैं।

अखिल भारतीय समन्वित मोटे अनाज सुधार परियोजना के अन्तर्गत देश के मोटे अनाज उगाने वाले क्षेत्रों के अनेक स्थानों में इन किस्मों की जांच की गयी है। मध्य प्रदेश में इन किस्मों की जांच दिनदोरी, इन्दौर और ग्वालियर में की गयी। मध्य प्रदेश सरकार के मोटे अनाजों के विशेषज्ञ की देख-रेख में दिनदोरी, इन्दौर और ग्वालियर में उपज मूल्यांकन परीक्षण किये गये। इन किस्मों की उपज के आंकड़े संलग्न परिशिष्ट में दिये गये हैं।

विवरण

सन् 1970-71 में खरीफ के दौरान विभिन्न स्थानों में किये गये परिक्षणों के परिणामों से प्राप्त छोटे दाने वाले अनाजों की आशाजनक नयी किस्में :

फसल	किस्म	दानों की औसत उपज क्विटल फी हैक्टर	स्थानों की संख्या जहां पर परीक्षण किये गये
रागी (मडुआ)	आई०ई० 28 .	24.0	13
	ई० सी० 4840	22.68	
	पी० आर० 202	30.01	
	पी० आर० 722	30.39	
	सी० ओ० 8 (स्थानीय) .	20.6	
पास्पालम (कोदों)	आई० पी० एम० 19	13.3	7
	आई० पी० एम० 92 .	12.9	
	आई० पी ०एम० 158 .	12.7	
	आई० पी० एम० 600 . . .	12.9	
	आई० पी० एम० 606 . . .	13.0	
	निवास-1 . .	14.09	
सेटारिया (कुटकी)	आई० एस० सी० 480 .	17.1	10
	आई० एस० सी० 703 . .	16.0	
	एम० आर० 118 .	16.5	
	अर्जुन .	12.6	
पैनीकम (मावां)	आई० पी० एम० 307 . .	7.87	5
	आई० पी० एम० 1006 .	11.07	
	दिनदोरी-1 . . .	4.83	

डिप्लोमा होल्डरों की सहायक इंजीनियरों के रूप में पदोन्नति

8446. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** :– क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 300 डिप्लोमा होल्डरों को सहायक इंजीनियरों के पद पर पदोन्नत किया गया था जिसके लिए न्यूनतम अर्हता इंजीनियरी में डिग्री है और इस प्रकार विभाग में अनेक इंजीनियर स्नातकों जिनकी कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में दस अथवा अधिक वर्षों की सेवा है और जिनको विभाग की कार्यकुशलता के हित में नियुक्ति की गई थी जैसाकि 23 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 में उत्तर दिया गया है, उपेक्षा की गई है ; और

(ख) इंजीनियर स्नातकों की शिकायतों को दूर करने के हेतु भाग चार के साथ पठित भर्ती नियम 3(ख) को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां। स्नातक व गैर-स्नातक दोनों प्रकार के कनिष्ट इंजीनियरों की सामान्य वरिष्ठता सूची के आधार पर लगभग 300 गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों को सहायक इंजीनियरों के रूप में पदोन्नत किया गया है। सहायक इंजीनियर के पद के लिये इंजीनियरी में स्नातक होने की न्यूनतम अर्हता केवल सीधी भर्ती वालों के लिये ही अपेक्षित है। उस ग्रेड में पदोन्नति के लिये, ऐसी कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियर के काडर में स्नातक तथा गैर-स्नातक दोनों प्रकार के इंजीनियर शामिल हैं और पदोन्नतियां अधिकारियों के इन दो वर्गों की सामान्य वरिष्ठता सूची में से यथा गुण तथा वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं। स्नातक इंजीनियरों के दावों की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं है वे स्नातक इंजीनियर भी पदोन्नत किये गये थे जो पदोन्नति के जोन में आते थे तथा जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति ने चयन सूची में शामिल कर लिया था।

(ख) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा/केन्द्रीय बिजली इंजीनियरी सेवा, श्रेणी-II के भर्ती नियमों के भाग IV के साथ पठित नियम 3(ख), का संबन्ध, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अस्थायी इंजीनियरों/अस्थायी अनुभाग अधिकारियों (अब कनिष्ट इंजीनियर) को सहायक इजीनियरों के रूप में नियुक्त करने से है। सभी वरिष्ठ स्नातक इजीनियर स्थायी अनुभाग अधिकारी (अर्थात् स्थायी कनिष्ठ इंजीनियर) हैं। उनकी उपेक्षा करना और केवल अस्थायी व्यक्तियों के लिये मार्ग खोलना वांछनीय नहीं होगा।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि क्षेत्र पर विद्युत की कमी का प्रभाव

8447. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी का कृषि क्षेत्र पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : आन्ध्र प्रदेश में 1973-74 के दौरान कृषि क्षेत्र पर बिजली की कमी के असर का जायजा लेने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वास्तव में कृषि उत्पादन पर बिजली की कमी के असर का ठीक से पता लगाना बहुत कठिन है क्योंकि किसी खास वर्ष में कृषि का उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है जैसे कि मौसम, सिंचाई के जल की सप्लाई, उर्वरकों आदि जैसे महत्वपूर्ण कृषि आदानों का उपयोग।

दिल्ली स्कूलों के ड्राइंग के अध्यापकों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें

8448. **श्री हरी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने दिल्ली में रुपये 220-430 के ग्रेड में ड्राइंग के ग्रेड तीन के अध्यापकों के लिए किसी भी वेतनमान की सिफारिश नहीं की है ;

(ख) क्या इन अध्यापकों के प्रतिनिधियों ने 20 अप्रेल, 1973, 12 जुलाई, 1973 और 26 दिसम्बर, 1973 को उप-शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजे थे जिन में समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर टी०जी० टी० वेतनमानों की मांग की गई थी। और इस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 9 अगस्त, 1973 को संयुक्त शिक्षा परामर्शदाता से बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी यादव) : (क) तृतीय वेतन आयोग ने प्राइमरी स्कूलों के उन हैडमास्टरों के लिए भी 425-640 रुपये के वेतनमान की सिफारिश की है, जो 220-430 रुपये के वेतनमान में हैं । वर्तमान अपेक्षिकताओं अथवा समानताओं पर विचार करने के पश्चात् ही, स्कूलों में कार्य कर रहे शारीरिक शिक्षा अध्यापकों, और शिल्प अध्यापकों और पुस्तकाध्यक्ष जैसे अन्य स्कूली स्टाफ के लिए, तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, उपयुक्त परिशोधित वेतनमान निर्धारित किए जाने हैं। ग्रेड-III के उन ड्राइंग अध्यापकों को जो 220-430 रुपये के वेतनमान में हैं, उनके वेतनमानों के परिशोधन के विषय में भी निर्णय तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा ।

(ख) और (ग) जी, हां। दिल्ली प्रशासन के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है ।

अमरीका से सोयाबीन तेल का आयात

8449. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से सोयाबीन तेल का आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) विदेशों से हाल ही में खाने के तेलों की की गई खरीदारी में 595 डालर प्रति मीटरी टन लागत तथा भाड़ा सहित लागत का 10,000 मीटरी टन अमेरिकन और/अथवा पश्चिमी यूरोपियन मूल का सोयाबीन तेल शामिल है जिसका जुलाई/अगस्त, 1974 में लदान होगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों को सहायक इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति

8451. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों को सहायक इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों से कम सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तावित विभागीय परीक्षा लिए जाने में 'अन्डर एम्प्लायड' इंजीनियर स्नातकों के मामले में जिनको अब तीसरे वेनत आयोग की सिफारिश के अनुसार सेवा मामलों में डिप्लोमा होल्डरों के समान समझा जा रहा है, स्थिति और खराब हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कनिष्ठ इंजीनियरों को पदोन्नति के लिए, अन्य क्या प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के ग्रेड में कतिपय रिक्तयों को विभागीय सीमित प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर भरने के प्रश्न पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । सहायक इंजीनियर के स्तर की रिक्तियों को भरने की इस पद्धति के बारे में अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही यह प्रश्न तय किया जायेगा कि यह परीक्षा किस प्राधिकरण द्वारा ली जाये ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केवल प्रथम श्रेणी के स्नातक इंजीनियरों की भर्ती

8452. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले इंजीनियरी स्नातकों को अब तक दी जाने वाली 6 अग्रिम वेतन वृद्धियां बन्द करने की सिफारिश की है क्योंकि इसका अर्थ इन इंजीनियरों की सेवाओं का पूरा उपयोग न करना है;

(ख) क्या जूनियर इंजीनियर के रूप में चयन के लिये भारी संख्या में स्नातक इंजीनियर उपलब्ध होने के कारण, जिनमें प्रथम श्रेणी के स्नातक इंजीनियर भी शामिल हैं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर (इंजीनियर-इन-चीफ) ने केवल प्रथम श्रेणी के स्नातक के इंजीनियर भर्ती करने के निदेश जारी किए थे;

(ग) क्या डिप्लोमाधारियों को उच्चतर पदों पर पदोन्नत कर दिया जाता है जबकि विभाग में प्रथम श्रेणी के इंजीनियर स्नातक जिनकी 10 वर्ष से भी अधिक की सेवा है, उपलब्ध होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कनिष्ठ इंजीनियर के ग्रेड में कुछ स्नातक इंजीनियरों की भी आवश्यकता है । 1968 में विभाग को पता चला है कि इस विभाग में उस स्तर पर अच्छे स्नातकों की अपेक्षाकृत कमी थी। तदनुसार विभाग ने नियोक्त प्राधिकारियों को ये अनुदेश दिये थे कि वे कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती के लिए, प्रथम श्रेणी के इंजीनियरी स्नातकों को वरीयता दें। अब स्थिति बदल चुकी है क्योंकि अब कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती, अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जा रही है जिसमें निर्धारित न्यूनतम अर्हता डिप्लोमा है ।

(ग) तथा (घ) नवम्बर, 1971 तक, वर्ष 1955 में अपनाए गये 1 : 1 के अनुपात के कोटे के अनुसार स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों तथा गैर-स्नातक इंजीनियरों की सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति की गई थी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री एम० रामाय्या तथा अन्यों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में अपने दिनांक 5 नवम्बर, 1971 के निर्णय में यह मत प्रकट किया कि उक्त कोटे का उचित प्रकार से तथा प्रभावपूर्ण ढंग से निर्धारण नहीं किया गया । इसे देखते हुए सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति अब कनिष्ठ इंजीनियरों की एक संयुक्त सूची से, चाहे वे स्नातक हों अथवा डिप्लोमाधारी हों, यथागुण तथा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है । चूंकि संयुक्त वरिष्ठता सूची में गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियर बड़ी संख्या में स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों से वरिष्ठ हैं, अतः 5 नवम्बर, 1971 के बाद सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नत किये गये अधिकांश कनिष्ठ इंजीनियर पहले वर्ग के हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में कलाकारों के वेतनमान

8453. **श्री पाओकाई हाओकिप** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में काम करने वाले कलाकार 6-10 वर्ष पहले ही अपने पुराने वेतनमानों की अन्तिम सीमा तक पहुंच गए हैं;

(ख) क्या इन कलाकारों का वेतन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में अन्तिम सीमा पर निर्धारित किया गया है; और

(ग) इन युवक कलाकारों का जिन्होंने भारत सरकार में अभी 20-25 वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा करनी है भविष्य क्या होगा।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में कार्य कर रहे दो कलाकारों की क्रमशः 1961 तथा 1963 में भर्ती की गई थी और 1966 तथा 1968 में वे अपने मूल वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच गये थे। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कलाकारों, के वेतन-मानों को संशोधित करने के पश्चात् उनके वेतन उच्चत्तर संशोधित वेतनमानों की अधिकतम सीमा पर निर्धारित किए गए हैं। इन कलाकारों को उनकी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए भर्ती किया गया है तथा इस समय निदेशालय में उनकी विशिष्ठता के क्षेत्र में कोई उच्च पद संस्वीकृत नहीं किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का रख रखाव तथा सुरक्षा

8454. **श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के रख रखाव तथा सुरक्षा के बारे में 18 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3398 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के नियमों तथा विनियमों संबन्धी पुस्तिका को सभा पटल पर न रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया क्या है;

(ग) उत्तर पुस्तिकाओं को तीन महीने तक रखने की प्रक्रिया कब से अपनाई गई और पिछली प्रक्रिया को छोड़ने के क्या विशेष कारण हैं; और

(घ) मार्च, 1973 में हुई परीक्षा की प्रयोग में लाई गई उत्तर पुस्तिकाओं के निपटान का काम जिस अधिकारी को सौंपा गया था उसका नाम तथा पदनाम क्या है और क्या उसने यह सुनिश्चित किया था कि उनमें कोई विवादास्पद मामला नहीं था?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग के उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उत्तर पुस्तकाओं का रख रखाव तथा सुरक्षा के बारे में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों तथा विनियमों की पुस्तिका के अध्याय (vii) की धारा II का नियम सं० 10 (viii) जो इससे संबन्धित है, प्रश्न संख्या 3398 के भाग (क) के उत्तर में पूरी तरह से उद्धृत किया गया था। तथापि इस पुस्तिका की एक प्रतिलिपि लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय को भी भेजी गई है।

(ख) परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने की तारीख से तीन मास समाप्त होते ही उपयोग लाई गई उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट की जाती हैं।

(ग) परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से तीन मास की अवधि के बाद उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट किए जाने का नियम 1965 से लागू है। इस पिछली पद्धति को कभी छोड़ा नहीं गया है जो अभी भी चल रही है।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव इस कार्य के प्रभारी थे। उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट किए जाने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि नष्ट किए जाने वाले ढेर में कोई विवादास्पद मामला नहीं था।

दिल्ली में उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षाओं में उत्तर की नकल किया जाना

8455. **श्री के० लकप्पा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गवर्नमेंट बायज हायर सैकेण्डरी स्कूल, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा में दो छात्र किसी उच्च अधिकारी द्वारा उस केन्द्र पर अचानक जाने के समय उत्तर की नकल करते हुए पकड़े गए थे जो निरीक्षकों की सांठगांठ से उनके अध्यापकों द्वारा उपलब्ध किये गये बताते हैं ;

(ख) क्या अन्तर्ग्रस्त अध्यापकों और शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के परिणामस्वरूप इन छात्रों को छोड़ दिया गया था परन्तु बाद में उनके उत्तर की कापियों को मोहरबन्द कर दिया गया था ;

(ग) अन्तर्गस्त अध्यापकों और मंत्रालय के अधिकारी के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या इस मामले में अन्तर्गस्त एक अध्यापक को बोर्ड से पहले ही 'डिबार' कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो निरीक्षकों, अध्यापकों और मंत्रालय के अधिकारी के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) गवर्नमेंट बायज हायर सैकेण्डरी स्कूल, नौरोजी नगर केन्द्र में अपनी परीक्षा देते समय विद्यार्थियों द्वारा अनुचित तरीके अपनाने के दो मामलों के संबंध में केन्द्र के अधीक्षक ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सूचित किया था। लेकिन, किसी उच्च अधिकारी द्वारा केन्द्र का अचानक दौरा करते समय कोई भी छात्र पकड़ा नहीं गया था।

(ख) जी, नहीं। लड़कों को छोड़ा नहीं गया, परन्तु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उनके मामले भेज दिए गए थे। उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं को मोहरबन्द करके बोर्ड को भेज दिया गया था तथा बोर्ड द्वारा उसके अपने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग), (घ) और (ङ) भाग (ख) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बूढ़े, दुर्बल, बीमार और अपंग स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये 'होम'

8456. **श्री मोहम्मद जमीलुरहमान :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बूढ़े, दुर्बल, बीमार और अपंग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होम के लिए भवन देने हेतु गृह और उनके अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यदि उनके मंत्रालय को लिखा था तो कब; और

(ख) उनकी व्यवस्था करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक अस्थायी सदन की व्यवस्था करने के लिए गृह मंत्रालय ने फरवरी, 1974 में सम्पदा निदेशालय को उपयुक्त वास के आवंटन हेतु लिखा था। बेयर्ड रोड पर टाइप 5 के दो मकान देने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु गृह मंत्रालय ने उनको उपयुक्त नहीं पाया । उन्होंने दो अन्य मकानों के लिए कहा है । यह मामला अभी विचाराधीन है ।

†Translation and Publication of selected Russian Books in Indian Languages

†8457. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Indo-Russian Joint Board had decided in 1970 to translate and publish some selected Russian books in Indian languages; and

(b) if so, their number and the subject matter of the books to be published ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) A proposal for collaboration between Russian knowing Indian experts and Soviet experts for bringing out Indian language translation of selected Soviet books was discussed at the meeting of the Board in June, 1970. No concrete scheme was, however, formulated.

(b) Does not arise.

Central Funds For Land And Construction Of House For Poor In Madhya Pradesh

8458. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government had asked for funds from the Centarl Government in 1973-74 for the purpose of purchasing land for constructing houses for the poor;

(b) if so, the amount thereof and that given to the State Government ?

(c) whether very meagre amounts were made available by the Central Government for the Districts for which the State Governments had asked for funds for the aforesaid purpose separately and no funds were given for those Districts which were not mentioned by the State Government; and

(d) whether the Madhya Pradesh Government have spent crores of rupees on the account whereas the other States get assistance from the Centre for the said purpose. ?

25 LSS/74—5

The **Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta)** : (a) to (c) Up to 1973-74 the Government of Madhya Pradesh had sought Central Assistance of the order of Rs. 15.00 crores for their Projects to acquire land, where necessary, and for development of 9,59,000 house-sites in the State under the Centzral Sector Scheme for Provision of house-sites to landless workers in rural areas.

Initially it was not possible to sanction any of the project received from the State Government due to the following considerationst:

(i) The State Government did not enact the legislation for conferment of homestead rights on landless workers, who have built houses/huts on private land. This is one of the essential conditions to be fulfilled for drawal of Central assistance under the Scheme.

(ii) As a measure of economy, the budget provision of Rs. 5 crores for 1973-74 for implementation of the Scheme throughout the country was reduced to Rs. 3.5 crores. This reduced provision was considered to be inadequate compared to the anticipated spill-over commitment of about Rs. 12 crores in respect of projects approved during 1972-73.

The position was reviewed and it was found that consistent with the demands from the State Governments against the projects already sanctioned and the availability of funds, some new proects could be sanctioned. Consequently, the Government of India sanctioned projects of the Government of Madhya Pradesh for development of 1,34,496 house-sites at an estimated cost of Rs. 199.63 lakhs. A sum of Rs. 49.91 lakhs was advanced to the State Government to enable them to undertake execution of the projects immediately.

(d) The amount spent by the Government of Madhya Pradesh is not known. As Statement showing the number of house-sites sanctioned, their approved cost and the fund released under the Scheme to the various State Governments, including Madhya Pradesh is attached.

STATEMENT

Statement showing projects sanctioned and funds released under the Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas,upto 31st March, 1974

Sl. No.	Name of State	No. of projects sanctioned.	No. of house sites	Approved cost	Central financial assistanc released
1	2	3	4	5	6
				(Rs. in lakhs)	
1.	Andhra Pradesh .	19	79,598	131.13	32.78
2.	Bihar . .	44	32,608	62.87	15.71
3.	Gujrat . .	85	1,62,676	306.58	76.65
4.	Haryana . .	1	53	0.08	0.06
5.	Himachal Pradesh	7	583	0.87	0.38
6.	Karnataka . .	109	1,72,597	239.38	59.84
7.	Kerala . .	960	96,000	677.76	358.44
		Panchayatas			

1	2	3	4	5	6
8. Madhya Pradesh	.	73	1,34,496	199.63	49.91
9. Maharashtra	.	83	1,08,962	164.56	41.14
10. Orissa	.	2	3,349	8.40	2.10
11. Punjab	.	3	12,082	31.68	16.56
12. Rajasthan	.	46	17,832	28.76	7.19
13. Tamil Nadu	. .	36	33,692	75.51	56.64
14. Uattr Pradesh	. .	27	19,808	30.85	7.71
15. West Bengal	. .	12	11,166	19.39	4.85
	TOTAL:	1,507	8,85,502	1,977.45	7,29.99

राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण कार्य

8459. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजपथों के मूल निर्माण कार्यों के लिए 5.24 करोड़ रुपये देने में केन्द्रीय सरकार के असमर्थ रहने में खण्डलिपम, थण्डवा, नागराली आदि जैसे अनेक बड़े पुलों का काफी कार्य, जिनका निर्माण कार्य अच्छी प्रगति कर रहा था, रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन राष्ट्रीय राजपथों को पूरा करने के बारे में सरकार क्या कहना चाहती है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस बारे में पुनर्विचार नहीं कर सकती है तथा उस धनराशि में से निधि स्वीकृति नहीं कर सकती है जिसे विभिन्न सरकारें वर्ष 1973-74 में खर्च नहीं कर सकी जैसा कि पश्चिम बंगाल ने 30 करोड़ रुपये नहीं खर्च किये थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1973-74 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए 5.24 करोड़ रुपये के आवंटन के लिए अनुरोध किया था। परन्तु अस्वीकार्य व्यय निकालने के बाद और चालू वित्तीय कठिनाई के कारण उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए , 4.55 करोड़ रुपये का अन्तिम आवंटन किया गया। बड़े पुल कार्य अर्थात खंडालेश्रोम, थांडवा और नगराली पर पुल, जो संभवत: मुद्रण में गलती के कारण है, क्योंकि खंडलेरु थांडवा और नागलवली पहले ही लगभग पूरे हो चुके हैं ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि अपनी पारस्परिक प्राथमिकताओंको तैयार करने के लिए प्रगति में सभी परियोजनाओं की तुरन्त और आलोचनात्मक कार्य-वार समीक्षा करें और उसके बाद सर्व प्रथम ऐसे कार्यों को चालू करें जो कि

उच्चतम प्राथमिकता के हैं और दूसरे कार्यों की गति या तो धीमी कर दें अथवा उन कार्यों को चालू न करें जो कि अभी शुरू नहीं किये गए हैं, जब तक कि राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती कि उन्हें उचित कारणों से इस ढंग से चालू किया जाना चाहिए और चालू किया जा सके कि खर्च उपलब्ध आवंटन के अनुसार ही हो।

(ग) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है 1973-74 के दौरान पश्चिम बंगाल में 30 करोड़ रुपये जैसी कोई रकम नहीं थी जिसे खर्च न किया गया हो। परन्तु उपलब्ध धन की तुलना में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों पर खर्च की गति को ध्यान में रखते हुए, 1973-74 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों हेतु आन्ध्र प्रदेश के लिए आवंटन 390 लाख रुपये से बढ़ा कर 455 लाख रुपए कर दिया गया। चूंकि 1973-74 को वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है, अतएव इस समय उक्त वर्ष के लिए अतिरिक्त धन स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाना

8460. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट ऐड्स स्कूल टीचर्स एसोसिएशन (दिल्ली) ने स्कूल परीक्षाओं में निरीक्षण की ड्यूटी का बहिष्कार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक संघ ने, दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद को प्रस्तुत किये गए अपने ज्ञापन में यह सूचित किया था कि वे अपनी कुछ मांगें स्वीकृत करवाने के लिए उनके अपने अपने स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। संघ द्वारा की गई मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं:—

(1) दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का तुरन्त लागू किया जाना ।

(2) दोषी प्रबन्धों के विरुद्ध तुरन्त तथा ठोस कार्रवाई ।

(3) प्रबन्धकों द्वारा बन्द किये गये स्कूलों के अध्यापकों को तुरन्त खपाना।

(4) जिला तथा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली स्तर पर परामर्श दात्री समितियों का गठन, और

(5) तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों में सुधार तथा 6 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड का दिया जाना।

इस मामले पर शिक्षा निदेशक द्वारा संघ के प्रतिनिधियों से विचार विमर्ष किया गया था और बहिष्कार की नोटिस वापिस ली गई थी । तथापि, मांगों की जांच दिल्ली प्रशासन द्वारा की जा रही है ।

नये तथा पुराने जहाजों की खरीद के बारे में परामर्श देने के लिये सलाहकार समिति

8461. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग ओनर्स एसोसिएशन ने केन्द्र को नये तथा पुराने जहाजों की खरीद के लिए परामर्श देने हेतु एक परामर्शदायी निकाय गठित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) इंडियन नेशनल शिप-ओनर्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार को नये और पुराने जहाजों की खरीद के लिए सलाह देने के लिए एक परामर्श दात्री समिति बनाने के लिए अभी हाल ही में कोई खास सुझाव नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में मार्च, 1974 में टोकनधारियों को सप्लाई किये गये दूध की मात्रा

8462. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 30 मार्च, 1974 तक कुल कितने दूध के लिए टोकन जारी किए जा चुके हैं ;

(ख) 30 मार्च, 1974 तक टोकनाधारियों को कुल कितना दूध सप्लाई किया गया ; और

(ग) यदि दूध कम सप्लाई किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना इस समय अपने दुग्ध-डिपुओं पर पेश किए गए दूध के टोकनों पर प्रतिदिन लगभग 3 लाख लिटर दूध वितरित कर रही है। दिल्ली दुग्ध योजना ने जो दूध के टोकन जारी किए थे उन्हें सामान्य रूप से उन टोकनधारियों द्वारा उस समय वापस कर दिया जाना चाहिए था जब उन्होंने अपनी रिहायश दिल्ली से बदल ली। किन्तु यह अनुभव किया गया है कि ऐसे टोकन बहुधा दिल्ली दुग्ध योजना को नहीं लौटाए जाते हैं। तथापि, टोकनधारियों की वास्तविक आवश्यकतायें प्रतिदिन लगभग 3 लाख लिटर दूध की है।

(ख) 30 मार्च, 1974 को दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने ग्राहकों को 2,88,248 लिटर दूध की सप्लाई की थी ।

(ग) किन्हीं दुग्ध डिपुओं पर दूध की सप्लाई में मामूली कमी निम्नलिखित कारणों से होती है :—

(1) कुछ टोकनधारी कभी-कभी अपने कोटा के अंतर्गत अपनी सामान्य आवश्यकताओं से अधिक दूध ले लेते हैं;

(2) आवास बदल लेने के फलस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना के वापस न किए गए टोकन संबंधियों और मित्रों को दे दिए जाते हैं जोकि गर्मी के महीनों में दूध की मांग बढ़ जाने और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले तथा खुले बाजार में उपलब्ध दूध के

मूल्य में अन्तर होने के कारण इन अनधिकृत टोकनों पर कभी-कभी दूध ले लेते हैं। ये टोकन राशन कार्डों के साथ दूध के टोकनों की जांच करते समय रद्द करने के लिए जब्त कर लिए जाते हैं।

(3) केन्द्रीय डेरी में अचानक और अपरिहार्य तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने के कारण दूध की मामूली कमी हो सकती है।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली पर एक्सप्रेस बस सेवा का स्टाप बनाया जाना

8463. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली पर बड़ी संख्या में स्कूल होने के बावजूद वहां पर दिल्ली परिवहन निगम की ऐक्सप्रेस बस सेवा का एक भी बस स्टाप नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दिशा में कार्यवाही करने का है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) मन्दिर मार्ग पर स्थित स्कूलों के बहुत से विद्यार्थी गोल मार्केट बस स्टाप का इस्तेमाल करते हैं जोकि मन्दिर मार्ग के बिल्कुल निकट है। गोल मार्केट में एक्सप्रेस स्टापों की भी व्यवस्था की गई है। सामान्यतः भारी दबाव वाले स्थानों पर एक्सप्रेस स्टाप की व्यवस्था की जाती है। ऐसी स्थिति मन्दिर मार्ग के बारे में नहीं है, जोकि बिखरी आबादी वाला इलाका है। उपर्युक्त मार्ग पर मौजूदा साधारण बस स्टापों को इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

विश्वविद्यालय और कालेज के प्राध्यापक के वेतनमानों में विषमता

8464. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित किए जाने से विश्वविद्यालय और कालेज के प्राध्यापकों के वेतनमानों के बीच विषमताएं पैदा हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त असंगति की जांच करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : 1966—71 की योजना के अनुसार, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के प्राध्यापकों के वेतन-मान इस प्रकार थे :—

विश्वविद्यालय		400-950 रुपये
उत्तर स्नातक कालेज :	(i)	300-600 रुपये
	(ii)	400-800 रुपये
	(iii)	700-1100 रुपये
अवर स्नातक कालेज	(i)	300-600 रुपये
	(ii)	400-800 रुपये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राध्यापकों के लिए सरकार द्वारा हाल में अनुमोदित संशोधित वेतनमान इस प्रकार हैं:—

विश्वविद्यालय :	700-1600 रुपये
कालेज :	700-1300—मूल्यांकन 1600 रुपये

इससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय तथा कालेज प्राध्यापकों के बीच असमानता को कम से कम करने का प्रयत्न किया गया है।

Setting up of unit of Modern Bakeries at Indore

8465. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a unit of Modern Bakeries at any place in the Indore Division of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the time by which it will be set up and its location; and

(c) the criteria which is adopted for setting up any unit of Modern Bakeries at a particular place ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Yes, Sir. Modern Bakeries propose to put up a plant at Indore. The plant is expected to be commissioned during the financial year 1975-76.

(c) The main criteria adopted are demand potential, communication facilities and services facilities like power etc.

Share of M.P. in imported fertilisers during 1972-73

8466. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the quantity of imported fertilizers supplied to Madhya Pradesh during the year 1972-73 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : During the year 1972-73, imported fertilisers equivalent to 38559 tonnes of Nitrogen and 5068 tonnes of P_2O_5 were supplied to Madhya Pradesh.

पट्टानामों का निष्पादन के बाद प्लाटों के मूल्यों में वृद्धि

8467. **श्री शफ़कत जंग :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पट्टानामों के निष्पादन के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लांटो के लिए रु० 2.40 पैसे प्रति वर्गमीटर बड़ा कर क्यों मांगे गये हैं या मांगे जा रहे हैं जब दिल्ली प्रशासन ने अप्रैल, 1969 में इस प्रकार की वृद्धि 1 रुपये के हिसाब से निर्धारित की थी ;

(ख) क्या उक्त वृद्धि बेचे गये प्लाटों की पूरी लागत के रूप में प्राप्त किये गये 32 रुपये प्रति वर्ग गज की दर में शामिल नहीं की गयी है ; और

(ग) क्या अक्तूबर, 1967 में उनके आवेदन-पत्र मंगवाने वाले विज्ञापन में इस प्रकार की वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया था ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) विकसित की गई भूमि के सम्बन्ध में 2 रुपये प्रति वर्ग गज की बढ़ोतरी नियत की गई थी।

(ख) पंखा रोड़ योजना के सम्बन्ध में निश्चित किए गये 32 रुपये प्रति वर्ग गज की दर में यह बढ़ोतरी शामिल नहीं है।

(ग) विज्ञापन में, आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मांगे गए थे जिनमें आवंटन की शर्तें दी गई थीं। आवंटन की शर्तों के खण्ड 5(2) में बढ़ाये गये प्रीमियम की वसूली का उल्लेख है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों की निर्धारित मूल्य पर बिक्री

8468. **श्री शफ़कत जंग : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य पर या नीलामी में प्लाटों की बिक्री और विक्री के बाद उन्हें पट्टे पर करार दिये जाने की सार्थकता क्या है;

(ख) प्लाटों की बिक्री के लिए पट्टे नामों का निष्पादन न किये जाने और निष्पादन करने की बजाय पट्टे नामे वापस लिये जाने के कारण है ;

(ग) क्या रिहायशी प्लाटों के लिए भूमि की पूरी कीमत पर प्रीमियम और विकास, अनुषांगिक, विभागी प्रभारों आदि के रूप में उस राशि का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत लिया जा रहा है, जबकि अन्य सभी सोसायटियां केवल अविकसित भूमि पर $2\frac{1}{2}$ प्र०श० जमीन किराया लेती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सभी आवंटन पट्टे के आधार पर किए जाते हैं। परिणामतः पट्टा विलेखों का निष्पादन करना होता है न कि विक्रय विलेखों का।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये भू-खण्डों के संबंध में, विकास आदि प्रभारों पर भी वार्षिक भूमि किराया वसूल किया जाता है, क्योंकि ये प्रभार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाते हैं। सहकारी समितियों के मामले में जिन्हें बिना विकसित की गई भूमि का आवंटन किया जाता है, वार्षिक भूमि किराये में विकास आदि प्रभारों की गणना नहीं की जाती क्योंकि इनका खर्चा समितियां स्वयं वहन करती हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टानामा में शामिल प्लाटों की अधिग्रहण लागत के लिये न्यायालय के पंचाट को क्रियान्वित करने के लिये प्रीमियम में वृद्धि

8469. **श्री शफ़कत जंग : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न/मध्यम आय ग्रुप को 32 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से बेचे गये प्लाटों के लिए किये गये पट्टानामों में बढ़ी हुई अधिग्रहण लागत के सम्बन्ध में न्यायालय के पंचाट को पूरा करने हेतु प्रीमियम बढ़ाने के खण्ड को किन परिस्थितियों में शामिल किया गया है जब 30 रुपये और 32 रुपये की दर से नीलाम किये गये प्लाटों के लिए पट्टानामों में इस प्रकार का कोई खण्ड नहीं है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : संभवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य, पंखा रोड रिहायशी योजना के मध्यम आय वर्ग के भू-खण्डों से है। न्यायालय के पंचाट द्वारा इस बढ़ाई गई अर्जन की लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम की वसूली के सम्बन्ध में नीलामी की शर्तों में एक खण्ड अन्तः स्थापित करना वांछनीय नहीं समझा गया क्योंकि नीलामी में प्राप्त बोली की राशि प्रत्येक भू-खण्ड में अलग-अलग है जबकि कोने के भू-खण्डों को छोड़कर, आबंटन के सभी मामलों में पूर्व निर्धारित दरें समान रूप से लागू होती हैं।

मध्य प्रदेश में पूर्वी प्रदेश को उर्वरक की सप्लाई करने के लिये व्यवस्था

8470. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम और दक्षिण के उर्वरक कारखानों द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्वी प्रदेश को उर्वरक की सप्लाई की व्यवस्था को युक्तियुक्त बनाने का है ; और

(ख) क्या रीवा और सिधी जैसे जिलों को वर्ष 1973-74 के लिए उर्वरक सप्लाई करने के लिए की गई व्यवस्था के आधार पर ही स्थायी व्यवस्था की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) भारत सरकार केवल आयातित और देशी उत्पादन के उर्वरकों का राज्यवार नियतन करती है। राज्य के अन्दर उर्वरकों की सप्लाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जहां तक आयातित उर्वरकों का संबंध है, ये राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाओं तथा राज्य के अंतर्गत किसी क्षेत्र की अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से वितरण के लिए दिए जाते हैं। जहां तक देशी कारखानों द्वारा उत्पादन किए गए उर्वरकों का सम्बन्ध है, उर्वरकों का केवल वह भाग ही वितरण के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण में है, जो सहकारी समितियों और अन्य सार्वजनिक माध्यमों से वितरित किया जाता है। जहां तक देशी उत्पादन की शेष मात्रा का सम्बन्ध है, राज्य सरकारें निर्माताओं के साथ परामर्श से अपने क्षेत्र की सप्लाई की योजना तैयार कर सकती हैं। 1973-74 में रीवा और सिधी जैसे जिलों को उर्वरकों की सप्लाई के लिए की गई व्यवस्था को स्थायी करने के प्रश्न पर मध्य प्रदेश सरकार ने ऊपर बताई गई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेना है।

Sugar demanded by U.P.

8471. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of sugar sought by U. P. from the Centre during last five months ; and

(b) the reasons for not supplying the quota in full ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b) In accordance with the normal practice of determining the monthly allotment of levy sugar to the different States after taking into account the population factor and the consumption pattern during the years 1967-68 and 1968-69, the following quantities of levy sugar were allotted to U.P. :

Month	Allotment
November, 1973	24,739 tonnes
December, 1973	24,739 ,,
January, 1974	26,072 ,,
February, 1974	26,072 ,,
March, 1974	26,072 ,,
April, 1974	26,072 ,,

During this period the Government of Uttar Pradesh pressed for increasing their monthly quota of levy sugar to 32,000 tonnes. Additional *ad hoc* allotments of 4,000 tonnes in January, 1974, 6,000 tonnes in February, 1974 and 4,000 tonnes each in March and April, 1974 were given pending further consideration of the State Govrnment's request in the context of the need for exporting more sugar this year.

Demand and supply of Rice to Tamil Nadu

8472. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice supplied to Tamil Nadu by the Central Government during the last five months ;

(b) the quantity of rice demanded by the State Government from the Central Government during this period ; and

(c) the reasons for not supplying full quota of rice ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) Tamil Nadu is surplus in rice. Rice was not supplied as the State Government did not ask for any allotment.

Financial Assistance to U. P. for transport facilities and constructions of highways

8473. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance provided by the Central Government to the Uttar Pradesh Government during the last two years for providing transport facilities and construction of highways ;

(b) the amount sought by the State for the purpose during this period ; and

(c) the financial assistance that will be given to the State for the above work during the financial year 1974-75 ?

Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) The Government of India has not given any grant or other financial assistance to the Government of Uttar Pradesh for development of Road Transport during the last two years. In the field of Highways, the Government of India are mainly concerned with National Highways, which are a Central subject. The entire expenditure on their development and maintenance is, therefore, being met by the Government of India. Central financial assistance by way of loan is given for some projects including inter-alia selected state roads/bridges of inter-State or economic importance. Further, money is also provided for some special roads under some other schemes. The table below indicates the position regarding final requirements received from the Government of Uttar Pradesh and the allotments made against those requirements under the various schemes keeping in view the available resources :—

	1972-73		1973-74	
	Final requirements intimated by State Government	Amount allotted	Final requirements intimated by State Government	Amount allotted
1	2	3	4	5
			in lakhs of Rupees	
(i) Development and construction of National Highways .	895.00	895.00	1380.00	1320.00
(ii) Central Road Fund .	39.78	39.70	39.12	24.51
(iii) Loan assistance for development of State Roads of inter-State or economic importance	38.00	33.00	72.50	38.50
(iv) Central non-Plan loan assistance for construction of bridges over the river Ganga and Ram Ganga at Farrukhabad, and bridge over the river Ganga at Mirzapur, Hardwar and Dalmau bridge in Rae Bareilly	55.00	34.95	281.945	287.945
(v) Advance Action for 5th Plan in respect of National Highways	—	6.76	13.00	8.50
(iv) Laternal Road (State portion) . . .	63.29	12.74*	6.50	@

*This is excluding a sum of Rs. 50,55,255/ lying with the State Government un-utilised out of the grants made in earlier years and adjusted during 1972-73 against the State's total demand of Rs. 63.29 lakhs.

@No payment was made to the State Govt. for 1973-74 as they were already having un-utilised Central grants on account of this project and they were requested to utilise that un-spent balance for meeting their requirements for 1973-74.

(c) Allocations for 1974-75 can be decided only after the Budget Estimates for that year have been voted by Parliament.

गृह निर्माण अग्रिम धन पर लगी रोक को हटाना

8474. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री एन० ई० होरों :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मध्यम आय ग्रुप में पर्ची निकाल कर केन्द्रीय सरकार के अनेक कर्मचारियों को फ्लैट आबंटित किये गये हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गृह निर्माण अग्रिम धन पर लगाई गई रोक के कारण यह कर्मचारी अब फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे और इस प्रकार नई दिल्ली में फ्लैट खरीदने के अवसर से वे वंचित हो जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर उन कर्मचारियों के मामले में, जिनको दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट आबंटित कर दिये गये हैं, रोक को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम धन कब तक देने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । किसी हद तक ।

(ग) तथा (घ) गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति पर लगी रोक हटा दी गई है। जो स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं उनकी वचनबद्धताओं तथा गत वर्ष लगी रोक के समय इस मंत्रालय के विचाराधीन पड़े आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष के दौरान उपलब्ध होने वाली निधियों का हिसाब लगाने के बाद ही नये आवेदन आमंत्रित किये जा सकते हैं।

तीसरी और चौथी श्रेणी के लिये निर्मित और आवंटित क्वार्टरों की संख्या

8475. **श्री वयालार रवि :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिए देश में केन्द्रीय सरकार के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्मित्त और वितरित क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनके लिए देश में अन्य कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) निर्माण और आवास मंत्रालय केवल सामान्य पूल वास का निर्माण तथा आवंटन करता है। डाक व तार विभाग, रक्षा, सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्रालय अपने मकान स्वयं बनाते हैं और उनका आबंटन करते हैं। शेष के लिए मकानों का निर्णाण तो यह मंत्रालय करता है परन्तु आबंटन संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाता है।

मकानों का निर्माण अथवा आबंटन, कर्मचारियों की श्रेणियों के अनुसार नहीं किया जाता है। मकानों के टाइप किसी कर्मचारी के वेतन पर आधारित होते हैं न कि वेतन मान पर। अतः ऐसे बहुत मामले होंगे जिनमें दो अथवा उससे अधिक श्रेणियों के कर्मचारी एक ही टाइप के मकान के पात्र होंगे और उन पर उनका दखल होगा, तथा आम तौर पर श्रेणी III तथा II के कर्मचारी टाइप I तथा II के के मकान में रह रहे होंगे।

इनके बारे में वर्ष 72-73 तथा 73-74 की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) यह समझा जाता है कि इसका आशय, इन टाइपों के निर्माणाधीन मकानों/फ्लैटों के बारे में पता करना है तथा "अन्य क्वार्टरों" पद का मतलब, पहले से बने और आबंटित किये गये क्वार्टरों तथा निर्माणाधीन क्वार्टरों में विभेद करने के सिवाय और कुछ नहीं है।

इस आधार पर टाइप I तथा II के क्वार्टरों की सूचना उपर्युक्त (क) की सूचना के साथ सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में छापों के दौरान मूंगफली के तेल के भण्डारों का पकड़ा जाना

8476. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट तथा गुजरात के अन्य भागों में गत छः महीनों के दौरान मूंगफली तथा मूंगथली के तेल के बड़े भण्डार पकड़े गये थे;

(ख) क्या गुजरात राज्य में इन तेलों की बड़े पैमाने पर जमाखोरी होती रही है;

(ग) क्या इस बरामदगी को देखते हुए और अधिक छापे मारे जा रहे हैं; और

(घ) क्या जमाखोरों से कच्चा तेल तथा अन्य प्रकार के तेल बरामद करने के लिए देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के छापे मारने का कोई प्रस्ताव है?

कृषि **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे)** : (क) से (ग) गुजरात सरकार से जानकारी मांगी गई हैं और मिलते ही सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) संभवतः जानकारी वनस्पति तेलों (जिनमें अपरिष्कृत तेल भी शामिल हैं) के बारे में मांगी गई है। मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सट्टा व्यापार को समाप्त करने व तिलहनों तथा तेलों के स्टाक को जमा करने से रोकने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करके उनकी तेजी से क्रियान्वित करे। जमा किए हुए स्टाक को बरामद करने के लिए वास्तविक रूप से कार्यवाही करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

तिलहन के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना

8477. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहन के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्र

8478. **श्री भोला मांझी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सामान्य जनता तथा विभिन्न पंजीकृत एजेंसियों/संगठनों/महासंघों से प्राप्त होने वाले पत्रों के सिद्धांत के तौर पर उत्तर नहीं देते हैं;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो गत 12 महीनों में उक्त कार्यालय को कितने पत्र प्राप्त हुए और कितने पत्रों के उत्तर उनके कार्यालय ने दिये; और

(ग) लारेंस रोड वैलफेयर फैडरेशन ने 1 जून, 1973 से अब तक (30-12-73 तक) कितने पत्र भेजें और उनमें से प्रत्येक पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के रिकार्ड से पता लगाना संभव हो सका है उन्हें इस अवधि में 6 पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें एक सीधे, एक म्यूनिसिपल इंजीनियर की मार्फत तथा शेष पत्र निर्माण और आवास मंत्रालय/उप राज्यपाल दिल्ली की मार्फत प्राप्त हुए। पहले पत्र का उत्तर 6-7-73 को दिया गया था, दूसरा पत्र मुख्य इंजीनियर (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) दिल्ली प्रशासन को अग्रेषित किया गया था। जिसकी सूचना फैडरेशन को भी दी गयी थी तथा शेष पत्रों के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी थी।

Removal of wooden structures in the Press Colony of Faridabad

8479. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the question of removing wooden structures (Khokhas) raised on either side of the street in the Press Colony in Faridabad has been discussed with Haryana Government; and is so, by what time these structures will be removed ;

(b) whether Haryana Government propose to allot shops on the right side of the road in the Press Colony where wooden structures have been raised and which land belongs to the Press Colony; and if so, whether Government of India have given approval for this;

(c) whether the Haryana Government has given a licence for a liquor shop inside the Press Colony and whether approval of the Government of India has been obtained for this ; and

(d) whether there is a proposal to carry out repairs of roads, etc. and to build dunghills in the Press Colony ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (d) : Information is being collected and would be laid on the Table of the house.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिकों की पदोन्नति में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की सिफारिश

8480. **श्री समर गुह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समितियों के चेयरमैन ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न वर्गों के वैज्ञानिकों तथा विज्ञान अधिकारियों की पदोन्नति और नियुक्ति के बारे में गम्भीर आरोपों के अनेक मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा किस प्रकार की सिफारिश की गई है और इन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जांच समिति के अध्यक्ष ने परिषद के अन्तर्गत काम करने वाले एक संस्थान के दो कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित मामले को सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए कृषि मंत्री के पास अवश्य भेजा है। इन मामलों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की गयी और उन पर उपयुक्त कार्यवाही की गयी।

आयातित उर्वरकों के लिये राजसहायता

8481. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों के आयात के लिये भारी मात्रा में राजसहायता मंजूर करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) विश्व की मण्डियों में उर्वरकों के मूल्यों में तेज़ी से वृद्धि हुई है और गत वर्ष के दौरान विशेष रूप से सामुद्रिक भाड़े में भी काफी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के आयात की लागत काफी बढ़ गई है। आयात की लागत की तुलना में आयातित उर्वरकों के जारी करने के मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है, ताकि इनका मूल्य बढ़ जाने से किसान उर्वरकों का उपयोग करने से हतोत्साहित न हो और इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर न पड़े।

दिल्ली प्रशासन द्वारा क्वार्टरों का निर्माण

8482. **श्री अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने गत तीन वर्षों में दिल्ली/नई दिल्ली में क्वार्टर बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में वर्ष-वार कितने क्वार्टर, श्रेणी-वार, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों को अलाट किये गये ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :
(क) जी, हां।

(ख) सूचना इस प्रकार है :—

	टाईप						
वर्ष	I	II	III	IV	V	VI	कुल
1971	49	10	1	2	—	2	64
1972	116	3	3	—	4	1	127
1973	30	7	1	10	1	—	49
कुल	195	20	5	12	5	3	240

वृद्धावस्था पेंशन देने के बारे में सरकार की नीति

8483. **श्री गदाधर साहा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृद्ध, विकलांग, निःसहाय आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों और आर्थिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों को वृद्धावस्था पेंशन देने के लिये मामले छांटने तथा पेंशन मंजूर करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ग) योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :
(क) केन्द्रीय सरकार की कोई वृद्धवस्था पेंशन योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

समुद्री जल दूषण

8484. **श्री मधु दंडवते :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक जहाजों द्वारा ढोये जाने वाले तेल के समुद्री जल में मिलने के कारण समुद्री जल दूषण हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले समुद्री जल दूषण को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) किसी तेल पोत के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वहां आकस्मिक तेल के बिखरने या जहाजों के तेल छोड़ने के परिणामस्वरूप समुद्री दूषण होता है।

(ख) तेल से समुद्र के दूषण निरोध संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 1954, 1962 में यथा संशोधित में उन एहतियाती उपायों का उल्लेख किया गया है जो कि आकस्मिक दूषण को कम करने और स्वतः दूषण को रोकने के लिए है। भारत ने इस अभिसमय की पुष्टि कर दी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु किसान विकास एजेंसी और सीमांत किसान कृषि श्रमिक कार्यक्रम को दिए गए ऋणों की राशि

8485. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु किसान विकास एजेंसी और सीमान्त किसान कृषि श्रमिक, कार्यक्रम को दिये गये ऋणों की राशि का राज्यवार अब तक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6853/74]।**

(ख) जी हां।

(ग) ऋण देने में धीमी गति का मुख्य कारण यह है कि परियोजना क्षेत्रों और विशेषकर पूर्वी राज्यों में संस्थागत ऋण का ढांचा दुर्बल है। सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिये एजेंसियों द्वारा विशेष सहायता दी जाती है। इस सहायता में केन्द्रीय सरकारी बैंकों को—"नान-ओवरड्यू कवर", प्रारम्भिक सहकारी संस्थाओं और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रबन्ध संबंधी आर्थिक सहायता देना और प्रारम्भिक सहकारी संस्थाओं के नये सदस्यों के नामांकन के लिये शेयर पूंजी ऋण देना शामिल है। पांचवी

25 LSS/74—6

योजना का एक उद्देश्य यह है कि संस्थागत ऋण देने के संबंध में राज्यों के बीच क्षेत्रीय अन्तर को कम किया जाये। सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने और वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिये योजना में कई उपाय शामिल किये गये हैं।

'पगड़ी' प्रथा के कारण काले धन में वृद्धि

8486. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों तथा भारत के अन्य बड़े नगरों में किरायेदारी छोड़ने अथवा व्यापार के हस्तांतरण अथवा निवास के तबादले के लिये 'पगड़ी' की एक बुरी प्रथा विद्यमान है;

(ख) क्या उक्त प्रथा प्रचलित है और इससे पहले ही बड़ी मात्रा में काला धन जमा हो चुका है; और

(ग) इस बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) बम्बई तथा कलकत्ता महानगरों में "आवास" पर किराया नियंत्रण के प्रभाव सम्बन्धी कतिपय अध्ययनों में "पगड़ी" की प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख किया गया है। यह प्रथा भारत के शहरों में किस सीमा तक प्रचलित है इसका पता नहीं है। इस प्रथा को समाप्त करने की दृष्टि से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तथा अन्य कुछ राज्यों में लागू किराया नियंत्रण कानूनों में इस प्रथा को रोकने तथा इसे दण्डनीय ठहराने के लिए उपबन्ध हैं।

Import of Sheep

8487. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to State :

(a) whether Government have under consideration a proposal for importing sheep of the improved breed from Australia and New Zealand ; and

(b) the benefits likely to accrue therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) except for import of sheep of Corriedale breed for the Central Sheep Breeding Farm Hissar (Haryana) from Australia under the Colombo Plan, there is no specific proposal for he present to import sheep from New Zealand.

(b) The Corriedale breed of sheep is a dual purpose sheep (mutton and wool) and its extensive use for cross-breeding, results in increase in production and quality of wool as well as mutton.

Central Assistance for Bridge over Majhi

8488. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give financial assistance to construct a pucca bridge over the Majhi in place of the existing Pontoon bridge; and

(b) if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) & (b) The bridge over river Ghaghra near Majhi when constructed would fall on a State road. Its construction is, therefore, primarily the concern of the Government of Uttar Pradesh. The State Government have, however, included this bridge project in their proposals for Central financial assistance under the Central Aid Programme of State roads/bridges of inter-State or economic importance during the Fifth Plan. As the Fifth Five Year Plan is still in preparatory stage, it is not possible to indicate at present the extent to which any road/bridge project could be included in the Fifth Five-Year Plan within the very limited provision likely to be available for the purpose in the 5th Plan. For the same reason, it is not possible to indicate the time by which the bridge would be constructed.

Alleged Irregularities in Vikram University

8489. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a complaint has been received about the corrupt practices and irreutglarities committed in the expenditure met out of the grant given to the Vikram Universiy by the University Grants Commission; and

(b) if so, the action taken so far in this regard and the steps proposed to be taken in future ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) According to the information furnished by Vikram University an ex-employee of the University made a representation alleging irregularities in the expenditure met on the participation of the University in the Comex Fair at New Delhi and the Celebration of Gandhi Centenary on the University level at Ujjain. On receipt of the report of University on the representation, the Chancellor got the complaint examined by the Chairman, M.P. Uchcha Shiksha Anudan Ayog, Bhopal, as to whether any *prima facie* case for enquiry against the alleged irregularities exists. The Chairman, in his report to the Chancellor stated that he found no *prima facie* case for any enquiry in the alleged irregularities mentioned in the complaint.

कृषि श्रौर छोटी सिंचाई योजनाश्रों के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

8490. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों में कृषि श्रौर छोटी सिंचाई/योजनाश्रों के संबंध में योजना-वार पश्चिम बंगाल को कुल कितनी सहायता दी गई;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य की किस योजना का श्रनुमोदन किया है; श्रौर

(ग) योजनाश्रों की योजना-वार श्रब तक प्राप्त सफलतायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6854/74]**

सड़कों के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

8491. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **नौवहन श्रौर परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार को सड़कों के सम्बन्ध में योजना-वार कुल कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) राज्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोन सी योजना स्वीकृत की है; और

(ग) आज तक योजना-वार कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) अनुमोदित सड़क योजनाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार को निम्नलिखित कुल धन राशि दी गई :—

रुपए लाखों में

1	2
(1) राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और विकास .	832.04
(2) विशेष सड़कें	41.56
(3) केन्द्रीय सड़क निधि .	137.33
(4) अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के विकास के लिए ऋण सहायता . .	81.84
(5) हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माणार्थ केन्द्रीय गैर योजना ऋण सहायता	450.00
(6) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये पांचवीं योजना में अग्रिम कार्यवाही	15.26
(7) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण . . .	310.34

उपरोक्त योजनाओं में से स्वीकृत बहुत से कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उपरोक्त मद (1) तथा (7) (1971-72 तथा 1972-73 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुरक्षण एवं मूल कार्य) के लिए वास्तव में अपनी नियतन राशि से अधिक खर्च किया है।

नगर पालिका प्राइमरी स्कूल, संख्या तीन मोती बाग, नई दिल्ली के हैडमास्टर का व्यवहार

8492. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयरैन्ट्स टीचर्स ऐसोसिएशन के सेक्रटरी जो कि एक निर्वाचित निकाय है ने मोती-बाग, I दिल्ली के नगर पालिका प्राइमरी स्कूल संख्या तीन के हैडमास्टर के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं ;

(ख) क्या स्कूल की अध्यापिकाओं के प्रति मुख्य अध्यापक का व्यवहार उचित नहीं है जिसके फलस्वरूप बच्चों को सुचारू ढंग से शिक्षा देने में बाधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्कूल विशेष के हैडमास्टर के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) नगर पालिका प्राइमरी स्कूल संख्या III, मोती बाग I के पेरैंट्स टीचर्स ऐसोसिएशन के सेक्रेट्री ने स्कूल के हैडमास्टर के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए थे, परन्तु नई दिल्ली नगर पालिका के प्राधिकारियों द्वारा जांच करने पर वे आरोप निराधार पाए गए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकारों द्वारा उर्वरक के वितरण को अपने हाथ में लेना

8493. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में उर्वरक वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) किसी राज्य के अन्दर वितरित होने वाला उर्वरक आयातित भण्डारों और देशी उत्पादन से प्राप्त होता है। जहां तक राज्यों में आयातित उर्वरकों के वितरण का सम्बन्ध है, इनकी समूची मात्रा राज्य सरकारों को दे दी जाती है, जो सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि संस्थाओं के जरिये वितरित करते हैं।

जहां तक राज्य में वितरित होने वाले देशी उर्वरकों का सम्बन्ध है, उनका कुछ भाग सार्वजनिक एजेंसियों और कुछ भाग गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। अभी हाल ही में कुछ राज्यों ने अपने अधिकारियों द्वारा जारी किये गये परमिटों/पहचान-पत्रों के आधार पर उर्वरकों की वितरण प्रणाली प्रारम्भ की है, परन्तु वितरण के माध्यम पूर्ववत् रहेंगे।

शराब सम्बन्धी विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

8494. **श्री धामनकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध के संबंध में जिसकी केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने मांग की थी, दी गई सलाह की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस सलाह को ध्यान में रखते हुए, 'स्पिरिट उत्पादों' के समर्थन में वाणिज्यिक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाने के लिए राज्यों को कुछ निदेश दिये गये हैं जैसा कि मद्य-निषेध के संबंध में सरकार की नीति के निदेशक सिद्धान्तों में अपेक्षित है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) कानूनी सलाह यह थी कि स्पिरिट उत्पादों के वाणिज्यिक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाना उचित और न्याय संगत कहा जा सकता है। राज्य सरकारें इस प्रयोजन के लिए कानून बना सकती हैं।

(ख) तथा (ग) इस मत को केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति के सामने 26 मार्च, 1974 को हुई उसकी बैठक में रख दिया गया था। इस बैठक में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। समिति ने विज्ञापनों पर कानूनी प्रतिबन्ध की सिफारिश की परन्तु सुझाव दिया कि यदि सम्भव हो तो केन्द्रीय कानून होना चाहिए। केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

आयातित उर्वरकों के मूल्यों तथा आंतरिक नियंत्रित मूल्य में अन्तर

8495. **डा० कर्णी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित उर्वरक की प्रति टन बढ़ी हुई कीमत क्या है ;

(ख) इन उर्वरकों की उन विदेशों में नियंत्रित कीमत क्या है ;

(ग) आयातित मूल्य तथा उन विदेशों में जारी मूल्य में अन्तर के फलस्वरूप सरकार को 1974-75 में कितनी हानि की सम्भावना है ; और

(घ) सरकार का विचार इस हानि को किस प्रकार पूरा करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, 1969 में यूरिया का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 60 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन से कुछ अधिक था, अब वह बढ़कर 250 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन से अधिक हो गया है। एम० ओ० पी० का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जो कि 1969 में 21 कनाडियन डालर प्रति मीटरी टन था, अब 42 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन से भी अधिक हो गया है। डी० ए० पी० का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 1969 में 50—55 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन था, वह 1973 में बढ़कर 115 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन से भी अधिक हो गया। इसी प्रकार से अन्य उर्वरकों के मूल्यों में भी वृद्धि होती रही है।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ, समुद्री भाड़े की दरों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। 1971-72 में अमेरिका और पश्चिम योरुप से माल लाने का भाड़ा 10-12 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन था, जो अब बढ़कर 60 अमेरिकी डालर प्रति मीटरी टन से भी अधिक हो गया है।

(ख) कृषकों को होने वाली बिक्री के लिए 1-10-1969 से यूरिया, एमोनियम सल्फेट और सी० ए० एन० (आयातित तथा देशी) के सांविधिक रूप से नियंत्रित फुटकर मूल्य और अन्य आयातित उर्वरकों के फुटकर मूल्य नीचे दे दिए गये हैं।

	पूल निर्गम मूल्य	वितरण लाभ	फुटकर मूल्य (प्रति टन रुपये)	
1	2	3	4	5.
यूरिया 46% एन	970	80	050	ये फुटकर मूल्य उर्वरक (नियंत्रण आदेश, 1957 के अन्तर्गत सांवधिक रूप से नियंत्रित हुए मूल्य हैं।
यूरिया 45% एन	950	80	030	
एमोनियम सल्फेट				
(100 कि०ग्रा० पेकिंग)	535	55	590	
(50 कि०ग्रा० पेकिंग)	545	55	600	
सी० ए० एन० 26% एन	585	60	645	
सी० ए० एन० 25% एन	560	55	615	
डी० ए० पी०	1240	95	1335	
ए०एन०पी० 20-20-20	1120	80	1200	
एम० ओ० पी०				
(100 कि० ग्रा० पेकिंग)	620	50	670	
50 कि०ग्रा० पेकिंग	630	50	680	
एन०पी०के० (15-15-15)	1295	80	1375	

(ग) और (घ) 1974-75 की अवधि में खपत के लिये उर्वरकों की खरीद अभी चल रही है। इस समय निश्चित रुप से यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि सरकार को 1974-75 के दौरान उर्वरकों के आयातित मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर के फलस्वरुप कितना नुकसान उठाना होगा।

उर्वरकों के मूल्य सूत्र का निर्णय करने हेतु समिति

8496. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री वीर भद्र सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के लिए एक युक्तियुक्त मूल्य सूत्र बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं, । तथापि, सरकार ने श्री कुरेशी की अध्यक्षता में स्थापित एक समिति से उर्वरकों के वितरण पर लाभ के संबंध में सिफारिश करने के लिए कहा गया है।

(ख) आशा है समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के व्यक्तियों को विदेशों में कार्य पर लगाने हेतु उनके चयन का तरीका

8497. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम कर रहे सिविल तथा इलैक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैनों को ईराक में नियुक्ति के लिए चुना गया है;

(ख) क्या कुछ मामलों में विदेश जाने के लिए उन्हें दुबारा चुना गया था; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से व्यक्तियों को विदेशों में कार्य पर भेजने हेतु उन के चयन के लिए क्या तरीका अपनाया गया था ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) चयन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में कंडस्वारी शुगर मिल का कार्यकरण

8498. **श्री बीरेन दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा में कंडस्वारी शुगर मिल के लिये नींव रख दी गई है; और

(ख) मिल में काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर को अक्तूबर, 1973 में प्राप्त सूचना के अनुसार त्रिपुरा सरकार का सितम्बर, 1974 में एक खंडसारी चीनी मिल चालू करने का इरादा है। तथापि, त्रिपुरा सरकार की पुष्टि की प्रतीक्षा है।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश को सीमित करने सम्बन्धी योजना

8499. **श्री समर मुखर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश को सीमित करने सम्बन्धी कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) लोक सभा में 25-3-1974 को उत्तर दिए गए अतां० प्रश्न संख्या 4397 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

योजना आयोग ने उच्च शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाने की ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है। वास्तव में योजना आयोग ने यह कहा है कि दाखिले पर सीमा लगाने संबंधी सीधी नीति व्यावहारिक नहीं हो सकती। तथापि, योजना आयोग ने एक ऐसी नीति का सुझाव दिया है जिससे अत्यन्त आवश्यकता की स्थिति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सक्रिय रूप से विस्तृत करते हुए विश्वविद्यालयों में भीड़ को कम किया जा सकता है। उसी नीति में निम्नलिखित बातों का समावेश है :—

(क) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर के अन्त में बड़ी संख्या में लोग रोजगार प्राप्त कर सकें;

(ख) नियमित संस्थाओं में दाखिले को सीमित करना, जिससे प्रशिक्षण कक्षाएं तथा समायोजित पाठ्यक्रमों के सहयोग से पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त आरक्षण रखते समय वे योग्यता के आधार पर कुछ सु-परिभाषित स्तरों के अनुकूल हो सकें; तथा

(ग) उच्च शिक्षा की शेष सामाजिक मांग को, सायंकालीन कालेजों, पत्राचार पाठ्यचर्या तथा प्राइवेट अध्ययन द्वारा उपलब्ध कराना।

उच्चतर शिक्षा पर प्रतिबन्ध और स्कूली शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाना

4397. **श्री राम प्रकाश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार से देश में उच्चतर शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाने और स्कूली शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

लोक सभा में सोमवार, 25 मार्च, 1974 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4397 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण ।

योजना आयोग ने उच्च शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाने की ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है । वास्तव में योजना आयोग ने यह कहा है कि दाखिले पर सीमा लगाने संबंधी सीधी नीति व्यावहारिक नहीं हो सकती । तथापि, योजना आयोग ने एक ऐसी नीति का सुझाव दिया है जिससे अत्यन्त आवश्यकता की स्थिति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सक्रिय रूप से विस्तृत करते हुए विश्वविद्यालयों में भीड़ को कम किया जा सकता है । उसी नीति में निम्नलिखित बातों का समावेश है :—

(क) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर के अंत में बड़ी संख्या में लोग रोजगार प्राप्त कर सकें ;

(ख) नियमित संस्थाओं में दाखिले को सीमित करना, जिससे प्रशिक्षण कक्षाएं तथा समायोजित पाठ्यक्रमों के सहयोग से पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त आरक्षण करवाते समय वे योग्यता के आधार पर कुछ सु-परिभाषित स्तरों के अनुकूल हो सकें ; तथा

(ग) उच्च शिक्षा की शेष सामाजिक मांग को, सायंकालीन कालेजों, पत्राचार पाठ्यचर्या तथा प्राइवेट अध्ययन द्वारा उपलब्ध कराना ।

उपर्युक्त नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल है, जिसे संसद ने अनुमोदित किया है तथा यह केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार है ।

2. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा सायंकालीन कक्षाओं, पत्राचार पाठ्यक्रमों और प्राइवेट अध्ययन की व्यवस्था के कार्यक्रम सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय मसौदा योजना के अंश के रूप में स्वीकृत कर लिए गए हैं ।

दिल्ली में इंस्टीट्यू आफ फार्मेसी की स्थापना

8500. **श्री यमुना प्रसाद मन्डल :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमदर्द (वक्फ) दवाखाने के अन्तर्गत दिल्ली में इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उक्त इंस्टीट्यूट को सरकार द्वारा सहायता और मान्यता दी जायेगी ;

(ग) इन्स्टीट्यूट में छात्रों और कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : (क) हमदर्द फार्मेसी कालेज को वर्ष 1972 में हमदर्द (वक्फ) दवाखाना के प्रबन्ध के अन्तर्गत खोला गया था । इस कालेज में फार्मेसी में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । डिप्लोमा पाठ्यक्रम को वर्ष 1972 में और डिग्री पाठ्यक्रम को वर्ष 1973 में लागू किया गया था ।

(ख) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए यह कालेज तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है । डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सहायक अनुदान हेतु कालेज का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

डिग्री पाठ्यक्रम के लिये कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सम्बंधन प्रदान किया गया है । सांविधिक विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गयी सभी डिग्रियां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं । डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये सहायक अनुदान सम्बन्धी एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

(ग) उक्त कालेज के छात्रों और कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 76 और 20 हैं ।

राज्यों में नशाबन्दी

8501. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पूर्ण नशाबन्दी की नीति का पालन कर रहे हैं, कौन-कौन से संशोधित नशाबन्दी की नीति का पालन कर रहे हैं और किस-किस ने नशाबन्दी का पूर्णतया त्याग कर दिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मद्यनिषेध औपचारिक रूप से समस्त गुजरात राज्य में लागू है । उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में भी मद्निषेध औपचारिक रूप से लागू है । कुछ अन्य राज्यों ने भी मद्यनिषेध कार्यक्रम को 'शुष्क दिनों' आदि की व्यवस्था करके विभिन्न अंशों में लागू कर रखा है । नीति यह है कि मद्यनिषेध को धीरे-धीरे सभी जगह (पुनः) लागू किया जाए ।

गन्दी बस्ती हटाने सम्बन्धी बोर्ड का गठन

8502. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से गन्दी बस्ती हटाने सम्बन्धी एक स्वायत्तशासी बोर्ड स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पत्तन श्रमिकों की हड़तालें और प्रमुख पत्तनों पर उनके संघ पत्तन

8503. **श्री बेवेन्द्र नाथ महाता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास पत्तनों पर श्रेणी वार तथा पत्तन वार श्रमिकों की संख्या कितनी-कितनी रही ;

(ख) उक्त अवधि में इन पत्तनों पर कितनी हड़तालें हुई और उनमें कितने श्रमिकों ने भाग लिया।

(ग) उक्त अवधि में पत्तन वार मान्यता प्राप्त तथा गैरमान्यता प्राप्त श्रमिक संघों की संख्या कितनी रही ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है । चूंकि संघों को मान्यता देने के लिये कोई सांविधिक व्यवस्था नहीं है, अतः दी गई सूचना संघों की संख्या से संबंधित है ।

विवरण

वर्ष	श्रमिकों की संख्या		हड़तालों की संख्या		श्रमिक संघ की संख्या
	श्रेणी	संख्या	संख्या	श्रमिकों की सं०	
	(क) कलकत्ता पत्तन				
1971	श्रेणी III	16010	57	1800	4
	श्रेणी IV	25636 (आकस्मिक सहित)			
1972	श्रेणी III	15757	89	4528	5
	श्रेणी IV	25371 (आकस्मिक सहित)			
1973 .	श्रेणी III	15577	90	3776	5
	श्रेणी IV	23938 (आकस्मिक सहित)			
	(ख) बम्बई पत्तन				
1971 . .	श्रेणी III	1105	24	8821	11
	श्रेणी IV	17294			
1972 . .	श्रेणी III	11204	25	12700	10
	श्रेणी IV	7313			
1973 . .	श्रेणी III	11216	52	30560	10
	श्रेणी IV	17689			
	(ग) मद्रास पत्तन				
1971 .	श्रेणी III	5176	17	उपलब्ध नहीं	11
	श्रेणी IV	6365 (आकस्मिक सहित)			

वर्ष	श्रमिकों की संख्या		हड़तालों की संख्या		श्रमिक संघ की संख्या
	श्रेणी	संख्या	संख्या	श्रमिकों की सं०	
1972 .	श्रेणी III	5335	7	उपलब्ध नहीं	11
	श्रेणी IV (आकस्मिक सहित)	6418			--
1973 .	श्रेणी III	5613	24	उपलब्ध नहीं	11
	श्रेणी IV (आकस्मिक सहित)	—			--

ब्लाईन्ड रिलीफ एसोसिएशन को प्लास्टिक केन में रियायत देना

8504. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लास्टिक केन के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि से सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयों में कुर्सियां बुनकर रोजी कमाने वाले ब्लाईन्ड रिलीफ एशोसिएसन के नेत्रहीनों की आय पर काफी प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त एसोसिएशन को इस बारे में कुछ राहत देने का है और यदि हां, तो किस प्रकार की राहत देने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका और ब्रिटेन को दिये जाने वाले चीनी के कोटे को समाप्त करना

8505. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल और अमरीकी कोटे के अन्तर्गत भारत को अमरीका और ब्रिटेन को लगभग 1.25 लाख टन चीनी सप्लाई करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों देशों को सप्लाई किये जाने वाले कोटे को सुविधापूर्वक समाप्त किया जा सकता है और इसकी बजाये भारत चीनी को खुले बाजार में बेचकर अधिकतम लाभ कमा सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) राष्ट्रमण्डल चीनी करार और संयुक्त राज्य चीनी अधिनियम के अधीन भारत को ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्रमशः लगभग 25,000 मी० टन और 75,000 मी० टन चीनी सप्लाई करनी पड़ती है ।

(ख) जी नहीं । इन आश्वासनों को अवश्य ही पूरा करना है।

अदरक (जिंजर) का मूल्य

8506. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई फसल में अदरक (जिंजर) के मूल्य में रिकार्ड वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अदरक की कीमतें ऊंची रही है, परन्तु 1970 के मूल्य स्तरों की अपेक्षा कीमतें कम है । अन्य बातों के अलावा मूल्यों में वृद्धि होने का कारण विश्व भर में मूल्यों में वृद्धि होना तथा आम वृद्धि होना है ।

किराये की कारों के प्रयोग को रोकने के लिये सरकारी उपक्रमों को निदेश

8507. **श्री इन्द्रजीत गप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों को निदेश जारी किये गये हैं जिनमें उनके अधिकारियों के लिये किराये की कारों के प्रयोग की मनाही की गई है क्योंकि यह एक व्यर्थ प्रथा है;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम कलकत्ता तथा बंबई में अपने अधिकारियों के दैनिक प्रयोग के लिये अनेक कारें किराये पर लेता है ; और

(ग) यदि हां, तो 1971 1972 और 1973 में किराये के रूप में कितना व्यय किया गया है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं । यह एक ऐसा मामला है जोकि उद्यम के दिन प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित है ।

(ख) अपनी परिचालनात्मक आवश्यकताओं और कार्य की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिये शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लाइसेंस प्राप्त किराया कार एजैंसियों से प्राइवेट कारें किराए पर लेता है

(ग) 1971, 1972 और 1973 के दौरान बंबई और कलकत्ता में शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा कारों को किराये पर लेने के संबंध में किया गया खर्च निम्न प्रकार से है :—

	बम्बई	कलकत्ता
	(रु० लाखों में)	
1971	0.88	1 16
1972	2.48	1.15
1973	3.56	1,92

दुग्ध चूर्ण का आयात

8508. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों को अपने राज्यों में दुग्ध चूर्ण के आयात की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें इसे प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है ; और

(ग) अब तक कितनी मात्रा प्राप्त हुई है और उन देशों के नाम क्या हैं और इस बारे में हुए करारों का व्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय माल को कराची के बजाय दुबाई उतारना

8509. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो-अफगानिस्तान मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ कामर्स ने एक विदेशी जहाज द्वारा भारतीय माल को कराची उतारने की बजाये दुबाई उतारने की घटना की जांच करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) एम० वी० थालिया नामक अन्तर्राष्ट्रीय लाइनर पोत को मैसर्स मम्ज शिपिंग कंपनी ने मैसर्स मोहम्मद यूनस को भाटकित किया था, जिसमें स्वंय इसे इसके स्वामी मैसर्स टी० एस० कोलीरिच कंपनी आफ स्विटजरलैंड को भाटकित करवाया । यह 24 दिसम्बर, 1973 को बंबई से 1350 मीटिरिक टन माल लेकर कराची होकर अफगानिस्तान के लिये रवाना हुआ । यह बताया गया कि जहाज कराची आया परन्तु स्विटजरलैंड में स्थित जहाज के स्वामी के कहने पर वहां माल ना उतारा गया क्योंकि चार्टर कर्ता मैसर्स मोहम्मद यूनस ने चार्टर किराया अदा नहीं किया था । जहाज दुबाई को मोड़ दिया गया और जो वहां 26-2-74 को पहुंचा वहां माल उतारा गया । दुबाई से माल जहाज से फिर कराची ले जाने के लिये सम्ज शिपिंग कंपनी से बातचीत करने के लिये प्रेषित के प्रतिनिधि, पोत वणिक और इन्डों अफगान चैम्बर आफ कामर्स के सचिव दुबाई गये संविदा की शर्तों के अंतर्गत पार्टियों (चार्टर पार्टियों) के अधिकारों के प्रकाश में पार्टियों के बीच मामला तय किया जायेगा ।

सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में 'टाइगर प्रोजेक्ट्स'

8510. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र में 'टाइगर प्रोजेक्ट्स' के विकास में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : आश्रम-स्थलों की व्यवस्था की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है । यह योजना 30.92 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 1973-74 से 1978-79 तक 6 वर्ष की अवधि के लिये एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वीकृत की गई है । वर्ष 1973-74 के दौरान इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार के लिए 67,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी ।

राज्य सरकार ने परियोजना के लिये क्षेत्र निदेशक तथा उप-निदेशक की नियुक्ति कर दी है । परियोजना का मुख्यालय गोशाबा में स्थित है । अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जा रही है ।

ताड़ के तेल के आयात के लिये करार

8511. **श्री गजाधर माझी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताड़ के तेल के आयात के लिये विदेशों के साथ कोई करार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, उक्त करारों की शर्तें क्या है और इस आयात की मात्रा कितनी है तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जैसाकि उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई करार नहीं किया गया है । तथापि, हाल ही में विदेशों से खाने के तेलों की की गई खरीददारी में 510-525 डालर प्रति टन लागत भाड़ा सहित लागत का 5000 मी० टन इंडोनेशियन अथवा मलायेशियन ताड़ का तेल शामिल है जिसका जुलाई, अगस्त, 1974 में लदान किया जाएगा । इस सभी खरीदारी पर विदेशी मुद्रा में कुल 260 लाख डालर खर्च आएगा ।

भूमि बस्तीकरण परियोजना कार्यक्रम

8512. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित भूमि बस्तीकरण परियोजना कार्यक्रम पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ क्षेत्रों में मार्गदर्शी योजना के रूप में इस कार्यक्रम को लागू करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीचे दिए गए आठ राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र में प्रत्येक 500 हैक्टार के लगभग क्षेत्र के संहत खण्डों में आत्मनिर्भर बस्तियां बसाने का काम हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार किया है । ऐसी प्रत्येक बस्ती में 200 परिवारों को बसाने की योजना है । अब तक इस काम में इन 8 राज्यों ने दिलचस्पी दिखाई है :—

1. आन्ध्र प्रदेश

2. बिहार

3. हरियाणा
4. महाराष्ट्र
5. उड़ीसा
6. राजस्थान
7. उत्तर प्रदेश और
8. पश्चिम बंगाल।

विभिन्न नगरों में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सहायता

8513. **श्री एम० सुदर्शनम :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री कलकत्ता राज्य परिवहन निगम की एक करोड़ रुपये की धन राशि देने के बारे में 15 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6757 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य नगरों में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : हिन्दी परिवहन निगम के लिये सम्पूर्ण धनराशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही है। बंबई और मद्रास में परिवहन उपक्रमों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने का प्रश्न तभी उठता है जब महानगर परिवहन सेवा कार्य दल द्वारा यथा अनुशंकित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत इन नगरों में सड़क परिवहन निगमों की स्थापना नहीं की जाती।

बंबई और मद्रास में सार्वजनिक परिवहन पद्धति में सुधार के लिये अल्पकालीन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिये विशेष वित्तीय सहायता के लिये वी० ई० एस० टी० उपक्रम और तमिल नाडू सरकार से प्राप्त उन प्रार्थनाओं की जांच की जा रही है जिनसे शीघ्र लाभ होने की आशा है।

दिल्ली में खाद्यान्न के उत्पादन में कमी

8514. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्यान्न के उत्पादन में 20 प्रतिशत कमी होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) 1973-74 के चालू वर्ष के खाद्यान्नों के कुल उत्पादन के सम्बन्ध में अंतिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। दिल्ली कमी वाला इलाका है और इसकी खाद्यान्नों की आवश्यकता प्रायः खुले बाजार से पूरी की जाती है और उसे केन्द्रीय भण्डार से आबंटन द्वारा अनुपूरित किया जाता है।

Meeting of Advisory Committee on the use of Hindi in the Ministry of Agriculture

8515. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether an Advisory Committee has been set up for proper use of Hindi in various activities of his Ministry; and

(b) if so, the reasons for not convening its meetings even after a long time ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) Yes, Sir.

(b) The first meeting has been held on the 19th April, 1974.

Foodgrains rendered unfit for Human Consumption in F.C.I. Godowns at Madhya Pradesh during 1972-73 and 1973-74

8516. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains that became rotten or unfit for human consumption in the godowns of Food Corporation of India at Indore, Ratlam, Bairagarh, Chhar and Mandsaur in Madhya Pradesh during the years 1972-73 and 1973-74; and

(b) the causes thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

(a) The information is as under :—

Name of the place	Quantity (in quintals)	
	1972-73	1973-74
Indore	0.60	18.47
Ratlam	Nil	Nil
Bairagarh	FCI has no depot	
Dhar	Nil	Nil
Mandsaur	2.28	Nil

(b) The damage was caused due to leakage of rain water through the roof and dampness in the godowns hired by the Corporation at the centres.

Annual Requirement of Foodgrains during last three years

8517. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the annual requirement of foodgrains in India, State-wise, during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : The requirement of foodgrains in different states are dependent on a number of factors i.e. level of production, availability, other substitutable foodstuffs, their comparative prices, levels of income, population growth and extent of urbanisation etc. and are, therefore, likely to vary from State to State and year to year. It is, therefore, not possible to frame any precise quantitative estimates of foodgrains requirements of different States.

Fall in Sugar Production in U.P. During 1974-75

8518. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Shri Chandra Shekhar Sihgh :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news items dated the 17th March, 1974 in which it has been stated that the targets estimated for crystal sugar production will not be achieved in Uttar Pradesh during the year 1974-75; and

(b) if so, whether Government have tried to remove the bottlenecks which are likely to affect production adversely ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (a) & (b) The Government have seen a news item to this effect in the "Economic Times" dated the 27th March, 1974. On the basis of 17% increase in the case areas reserved for the sugar factories in U.P. , the State Government had earlier estimated a production of 16 lakh tonnes of sugar in 1973-74 sugar year (October 1973 to September 1974). However, as result of unexpected drought, continued frost, lack of winter rains and pest epidemic, there has been a fall in rate of recovery of sugar and consequently the State Government now expects to reach a production of only about 14 lakh tonnes. Recently, the Central Government have sanctioned additional incentives by way of excise rebates for stepping up production.

दालों का सघन उत्पादन और वर्ष 1974-75 के दौरान इसके लिये धनराशि का नियतन

8519. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों के सघन उत्पादन के लिए जिन राज्यों को चुना गया है, उनके नाम क्या हैं और वर्ष 1974-75 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का नियतन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) दालों की मांग और सप्लाई के अन्तर को कम करने के लिए इन योजनाओं से कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दालों के गहन उत्पादन की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है । 1974-75 के बजट प्राकक्लनों में इसके लिए 150 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद विभिन्न राज्यों को धनराशि का आबंटन किया जायेगा ।

(ख) आशा है कि उपर्युक्त योजना से 1974-75 के दौरान 5 लाख मीटरी टन दालों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

Restriction on Consumption of Sugar

8520. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are seriously considering the question of restricting the consumption of sugar;

(b) if so, the reason therefor; and

(c) the facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (a) to (c) In the present oil crisis, there is a national need for increasing the export of sugar this year to earn the much needed foreign exchange taking full advantage of the unprecedented high level of sugar price in the world market and also the estimated increase in sugar production in India this year. In doing so, every attempt will be made to ensure that the requirement of sugar for domestic consumption is not unduly affected.

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के लिये प्राप्त किए गये गेहूं के बीजों को आटे में बदलना

8521. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के लिये प्राप्त किये गये 1000 टन गेहूं के बीजों में से एक बड़ा भाग आटे/मैदे में परिवर्तित होकर राज्य से बाहर चला गया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है ; और

(ग) सरकार ने इसके विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपी इन खबरों की ओर आकृष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय बीज निगम के कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बेचे गये लगभग एक हजार मीटरी टन गेहूं के बीज के कुछ भाग को आटे में परिणित कर दिया गया है । क्षेत्रीय कार्यालय के पास 921 मीटरी टन बीज था । उसमें से 15 मीटरी टन असम को 8 मीटरी टन नागालैंड को, 218 मीटरी टन मणिपुर को, 40 मीटरी टन त्रिपुरा को और 640 मीटरी टन पश्चिम बंगाल को वितरित किया गया है । राष्ट्रीय बीज निगम ने इस सौदे के संबंध में लगाये गये आरोपों के बारे में विभागीय जांच करने का निर्णय किया है । निगम, जांच के परिणामों को ध्यान में रखकर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ।

संसद् सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों के वेतन

8522. **श्री वयालार रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के वेतन विभिन्न राज्यों के विधान सभा सदस्यों से कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में उनमें कितना अन्तर है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में परिवर्तन

8523 **श्री वयालार रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि शिक्षा की 0+2+3 पद्धति को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त से पूर्व सभी राज्यों में अपना लिया जाना चाहिये । राज्य शिक्षा विभागों के मार्गदर्शन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा–XII कक्षाओं के लिये नये पाठ्य विवरण तथा नयी पाठ्यचर्याएं विकसित की जा रही हैं । शिक्षा आयोग के प्रस्तावों के अनुसार । 10 कक्षाओं में सामान्य शिक्षा प्रदान की जायेगी । किन्तु, लगभग 20 प्रतिशत छात्रों के लिये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होगी । व्यावसायिक पाठ्यचर्या में दी गई सामान्य शिक्षा में प्राप्त विशिष्टताओं के हस्तान्तरण करने की व्यवस्था का एक प्रस्ताव है ताकि इस प्रयोजन के लिये किये गये एक विशेष पाठ्यक्रम के पश्चात् आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर छात्र सामान्य शिक्षा पाठ्यचर्या में पुनः प्रवेश प्राप्त कर सकें ।

खाद्यान्न की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री को ज्ञापन

8524. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन यूथ कांग्रेस, एन० एस० यू० आई, आल इंडिया यूथ फेडरेशन और आल इंडिया स्टूडेंस फेडरेशन की ओर से खाद्यान्न की विगड़ती हुई स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री को 4 अप्रैल, 1974 को एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया था ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री को संयुक्त ज्ञापन 3 अप्रैल, 1974 को दिया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ जनता के सहयोग से मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या को हल करने, सरकारी वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने और चोर बाजारी जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिये पग उठाने की मांग की गई थी ।

केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकारों को अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न आवंटित किए जा रहे हैं । खाद्यान्नों की उपलब्धता सुधारने के उद्देश्य से मोटे अनाजों के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं और 1974-75 के रबी मौसम के लिये गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्य नीति भी घोषित कर दी गई है जिससे खाद्य स्थिति के सुगम होने की आशा है ।

Corruption in National Seed s Corporation

8525. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards a news-item appearing in a Hindi daily of the 5th April under the heading "Rashtriya Beej Nigam—Bhrishtachar ka Adda" (National Seeds Corporation—a centie of corruption); and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Many of the allegations referred to in the Press Report against the officers of the National Seeds Corporation were also contained in a memorandum submitted by the Employees Union of the Corporation. The Government of India had appointed a Committee under the Chairmanship of Shri V.N. Gadgil to enquire into these allegations. In so far as the export of potato seeds to Bangla Desh is concerned, a Senior Officer in the Ministry of Agriculture has been appointed to enquire into the transactions and the enquiry is in progress. The National Seeds Corporation has decided to institute a Departmental enquiry into the reported conversion of 300 tonnes of wheat seeds by Gauhati dealers into atta for sale.

महाराष्ट्र में शारीरिक शिक्षा संस्थान

8526. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में कौन-कौन से शारीरिक शिक्षा संस्थान हैं और कहा-कहां स्थित हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में अनुदान दिये गये थे ; और

(ख) प्रत्येक मामले में, संस्थानवार तथा वर्षवार, अनुदान की कितनी-कितनी राशि किस उद्देश्य के लिये दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० -6855/74]

नारायण प्रसाद नामक जहाज के डूबने के बारे में जांच का परिणाम

8527. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायण प्रसाद नामक जहाज डूबने के कारणों की सरकार ने कोई जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां । जांच प्रगति पर है ।

खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना

8528. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना की जाये जिससे राज्य में इन वस्तुओं का औचित्यपूर्ण वितरण कराया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा अन्य राज्यों के लिये ऐसे निगमों की सिफारिश न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों को यह बताया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं है यदि राज्य सरकारें राज्यों में खाद्यान्नों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति और वितरण की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं और इस प्रयोजन के लिये अपने-अपने निगम स्थापित करती हैं लेकिन उन्हें उनसे अपेक्षित अंशदान केन्द्रीय पूल में देना होगा और इस प्रक्रिया से फालतू होने वाले भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को खपाना होगा

नौवहन कम्पनियों द्वारा जहाजों की खरीद

8529. **श्री लुतफल हक :**
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नौवहन कंपनियों ने वर्षवार और कंपनीवार भारत में तथा विदेशों में चलने वाले कितने जहाज खरीदे उनका टनभार और जी० आर० टी० कितना था और वे किस प्रकार के जहाज थे ;

(ख) उक्त जहाज किन-किन देशों से खरीदे गये और उनकी कीमत क्या थी ; और

(ग) उक्त अवधि में देश में कितने जहाजों का निर्माण हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

देश में समुद्री जहाज बनाने वाली फर्में

8530. **श्री लुतफल हक :**
श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुद्री जहाज बनाने वाली 13 फर्में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक फर्म का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) नौवहन महानिदेशक से प्राप्त अद्यतन सूचना के आधार पर देश की जहाज-निर्माण फर्मों क ब्योरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

फर्म का नाम	संक्षिप्त ब्यौरा (निर्मित जहाजों का प्रकार)
1. हिन्दुस्तान शिपयार्ड .	यह सरकारी क्षेत्र का शिपयार्ड है और इस समय 21500 डी० डब्लू० टी० की क्षमता तक के जहाजों का निर्माण कर रहा है।
2. गार्डन रीच वर्क शाप्स लिमिटेड, कलकत्ता	यह सरकारी क्षेत्र का शिपयार्ड है जो कि जलयानों अर्थात् कर्ष-नावों, निकर्षकों लांचों आदि और मछली पकड़ने वाली नौकाओं तथा 27000 डी० डब्लू० टी० की क्षमता तक लाइनर खुले वाहकों का भी निर्माण करता है ।
3. मजगाव डाक लि०, बंबई	यह एक सरकारी क्षेत्र का शिपयार्ड है जोकि बजरों, फ्रिगेटों आदि और 15000 डी० डब्लू० टी० की क्षमता तक के यात्री एंव माल जहाजों का निर्माण करता है ।
4. राजबगान डाकयार्ड, कलकत्ता .	यह डाकयार्ड केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० का भाग है जोकि भारत सरकार का उपक्रम है । अन्तर्देशीय जल परिवहन जहाजों की मरम्मत के अलावा, यह डाकयार्ड कर्षनावों लांचों निकर्षकों और मछली पकड़ने वाली नौकावों जैसे अन्तर्देशीय जहाजों और बन्दरगाहों जलयानों का भी निर्माण करता है ।
5. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोआ	यह शिपयार्ड, मजगांव, डाक लिमिटेड का सहायक शिपियार्ड है और बजरों, कर्षकों, अन्य नदी जलयानों तथा मछली पकड़ने वाली नौकाओं का निर्माण करता है ।
गैर सरकारी क्षेत्र का शिपयार्ड	
6. एन्ड्यू मूल एंड कंपनी लि०, कलकत्ता	यह नदी, बन्दरगाह और समुद्रगामी, जलयान, माल उतारकों, स्वाचालित बजरों, आनन्द, सर्वेक्षण रक्षालोंचों, मछली पकड़ने वाली नौकाओं और ग्रेव निकर्षकों का निर्माण करता है ।
7. अलकांक, एशडाऊन कं० लि०, बंबई	यह नौकाओं, कर्षनावों, बजरों, निकर्षकों, मछली पकड़ने वाली नौकाओं, दबाव और रासायनिक जहाजों आदि का निर्माण करता है।
8. बंबई मेराइन इंजीनियरिंग वर्कस, बंबई	यह भिन्न प्रकार के मध्यम आकार के जलयान बनाना है ।
9. ग्रंटव एंड कंपनी इंजीनियर्स लि०, कोचीन	यह सभी प्रकार के समुद्री जलयानों, मछली पकड़ने वाली नौकाओं, कर्षनावों, बजरों और निकर्षकों आदि का निर्माण करता है।

फर्म का नाम	संक्षिप्त ब्यौरा (निर्मित जहाजों का प्रकार)
10. चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लि०' मारमुगाव	यह 1000 टन के जहाजों और 1000 टन क्षमता अयस्क धारक बजरों का निर्माण करती है ।
11. ईस्ट बंगाल इंजीनियरिंग वर्कस, कलकत्ता	ये निम्नलिखित आयाम तक के कर्षनावों स्वचालित बजरों, निकर्षकों आदि का निर्माण करते हैं । 1. लंबाई अधिकतम 200 फुट, 2. अधिकतम बीम 32 फुट, 3. डुबुआ 10 फुट
12 ग्लेड लायल एंड कपनी लि०, कलकत्ता	यह फाइवरग्लास जलपोतों का निर्माण करता है ।
13. हुगली डाकिग एंड इंजीनियरिंग कपनी लि०, कलकत्ता	यह कर्षनावों, होपर बजरों, जालपोतों और 200 टन तक समुद्रगामी एवं परिचालित तटीय जलयानों का निर्माण करता है।
14. पोर्ट इंजीनियरिंग वर्क्स लि० कलकत्ता	यह छोटे जलयानों निकर्षकों और जलपोतों आदि का निर्माण करता है।
15. सिंधिया वर्कशाप लि०, बंबई ।	यह बजरो, जालपोतों पीमा पुलों और लांचों आदि का निर्भाण करता है।
16. शालीमार वर्क्स लि०, कलकत्ता	यह कर्षनावों जलयानों, और निकर्षकों का निर्माण करता है ।
17. शापारिया डाक एंड स्टील कं० प्राईवेट लि० बंबई,	यह 1000 टनों तक के अन्तर्देशीय समुद्रोगामी जहाजों और 150 फुट तक की लम्बाई और 31 फुट बीम लांचों, कर्षनांवों, बजरों जीवन रक्षा नौकाओं का निर्माण करता है।
18. विशाल इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लि० पानाजी, गोआ	यह 400 टनों और इससे अधिक क्षमता वाले बजरों का निर्माण करता है।
19. रिवर स्टीम नेवीगेशन कं० लि०, कलकत्ता	यह 300 फुट की लाम्बई तक के कमगहरे डुबाव वाले जहाजों और 6 फुट तक के अधिकतम लदे डुवाव तक के जहाजों का निर्माण करता है
20. माडर्न, मेकेनिकल मेराइन वर्क्स प्राइवेट लि० बंबई,	यह 1500 टन तक की क्षमता वाले जल यानों का निर्माण करता है।

टिप्पणी: इस विवरण में कोचीन शिपयार्ड शामिल नहीं है जोकि निर्माणाधीन है और उसके सितम्बर, 1975 के अन्त तक पूरे होने की संभावना है । इस शिपयार्ड में निर्मित होने वाली पहली श्रेणी 75000 डी० डबल्यू टी० तक के पैनामैक्स खुले मालवाहकों की है ।

गुजरात के लिये जहाजों से भेजा गया कोयला

8531. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात ने रेलवे के सम्मुख वर्तमान कठिनाई को देखते हुये केन्द्र से राज्य को जहाजों के द्वारा कोयला भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) समुद्र से गुजरात राज्य को कोयला लाने ले जाने के लिये गुजरात सरकार से हाल ही में कोई आवेदन नहीं मिला। परन्तु गुजरात राज्य में कुछ संगठनों से आवेदन प्राप्त हुये और कोयलावाही पोतों के आवंटन के लिये उनकी मांग जहां तक शक्य थी नौवहन महानिदेशक ने पूरी की ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वन विकास परियोजनाओं के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों की यात्रा

8533. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री धामनकर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन के वन-विशेषज्ञों के एक दल ने, जिसने पिछले वर्ष भारत की यात्रा की थी, कई वन उपयोग और विकास परियोजनाओं को तत्काल प्रारम्भ करने का सुझाव दिया था और अन्तर्राष्ट्रीय धनदाता एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने का भी सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो अन्य सुझाव क्या हैं ;

(ग) सरकार ने कितने सुझावों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां, खाद्य तथा कृषि संगठन/स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के एक दल ने 7 जनवरी से 16 मार्च, 1973 तक भारत का दौरा किया था और उनकी फारेस्ट्री प्रोजेक्ट आइडेन्टीफिकेशन मिशन फार इंडिया, संबंधी रिपोर्ट जुलाई, 1973 में प्राप्त हुई थी । उन्होंने शीघ्र क्रियान्विति के लिये कुछ परियोजनाओं को अभिज्ञात किया है और उन्होंने इन परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये प्रज्ञाता एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने का सुझाव दिया है । निम्नलिखित परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति की सिफारिश की गई है :—

(1) उष्णकटिबंधीय देवदारू वृक्षों के पौधारोपण की तकनीकों के विकास के लिये परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था करना तथा बन लगाने के लिये क्षारीय किस्म की मृदाओं का सुधार करना;

(2) नर्सरी परीक्षणों के लिये उचित किस्म के उष्णकटिबंधीय देवदारू के वृक्षों के बीज खरीदना;

(3) पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर पोधरोपण करने के लिये मशीनरी का चयन होने पर परीक्षणों के लिये भारी उपस्करों को भाड़े पर लेना ;

(4) भारतीय अधिकारियों को यंत्रीकृत पोधरोपणों का अध्ययन करने हेतू आस्ट्रेलिया का दौरा करने के लिये शिक्षा वृत्तियां देना ।

दल द्वारा की गई अन्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्तरी पूर्वी असम में प्रोजेक्ट फार इंडस्ट्रियल एंड फयूल बुड प्लान्टेशन और पश्चिम बंगाल के पल्पवुड प्रोजेक्ट के लिये राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत वित्तीय एजेंसियों से धन प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाए ।

(2) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वन निगम की स्थापना करके संस्थागत वित्तीय एजेंसियों के लिये महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों में एक एक पोधरोपण योजना लगभग 40,000 हैक्टर में शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जाये ।

(3) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिये प्रदाताओं से सहायता प्राप्त की जानी चाहिये :—

1. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के उपयुक्त क्षेत्रों में देवदारु जाति के वृक्षों की किस्मों के बारे में परीक्षण करना ;
2. यूकेलिप्टस टेरीटीकारनिस का उनके प्राकृतिक मूल स्थानों के विषय में अध्ययन करना तथा विदेशी किस्मों से पोधों के रूप में उनकी प्रवृत्ति की जांच करना;
3. केरल में एक आदर्श बन अग्नि रक्षा सेवा की स्थापना ;
4. वन निगम के व्यक्तियों के लिये व्यावसायिक प्रशासन प्रशिक्षण एकक की स्थापना ;
5. पश्चिम बंगाल में यूकेलिप्टस पोधारोपण की स्थापना के लिये भारी उपस्कर, उर्वरक और परामर्श संबंधी सेवा की व्यवस्था करना ;
6. विभिन्न वन विकास परियोजनाओं के लिये परामर्श संबंधी सेवा की व्यवस्था करना ;
7. फार्म वानिकी/वानिकी विस्तार के संबंध में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन ;
8. हरियाणा में फर्म वानिकी के लिये एक परियोजना की तैयारी और उसकी क्रियान्विति ।

(ग) सरकार ने मिशन की सिफारिशों पर विचार करके उन्हें स्वीकार कर लिया । उनको प्राथमिकता दी गई है ।]

(घ) शीघ्र क्रियान्विति के लिये सिफारिश की गई परियोजनाओं के विषय में विचार किया जा रहा है । प्रदाताओं से सहायता प्राप्त करने के विषय में अधिकांश अन्य सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है।

पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति कालोनी, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दोषपूर्ण डिजाइन और घटिया माल का प्रयोग

8534. **श्री धामनकर :**
श्री मोहिन्दर सिंह गिल :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि ल्ली विकास प्राधिकरण ने दक्षिण दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति कालोनी के निर्माण में दोषपूर्ण डिजाइनों और घटिया माल का उपयोग किया, जिसके निर्माण के लिये उनके मंत्रालय के अनुरोध पर जीवन बीमा निगम 2 करोड़ रुपये का अग्रिम देने को सहमत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले और काम के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : घटिया किस्म की निर्माण सामग्री के प्रयोग करने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । प्रयोग की गई निर्माण सामग्री घटिया किस्म की नहीं थी। सभी त्रुटियों को शीघ्र ही दूर किया गया था जो साधारण किस्म की थी । सीमेंट मसाले के नमूनों को पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्तियों की समिति के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से लिया गया था जिसे कलकत्ता में राष्ट्रीय प्रयोगशाला में परीक्षणार्थ भेजा गया और इसका परिणाम सन्तोषजनक निकला । जहां तक मकानों के डिजाइन का संबंध है, इसमें कोई खास कमियां नहीं थीं तथा समिति के सदस्यों ने स्वयं इस ड्राइंग को मंजूर किया था । मंजूर किया गया ऋण केवल एक करोड़ रुपये का था ।

मकानों के पूर्ण होने में विलम्ब इसलिये हुआ कि सदस्यों की सन्तुष्टि के लिये बड़ी संख्या में विभिन्न डिजाइनों को बनाना पड़ा, निर्माण कार्य के लिये पानी मिलने में विलम्ब हुआ तथा सीमेंट और ईन्ट जैसी निर्माण सामग्री का अभाव रहा ।

राष्ट्रीय बीज निगम का निदेशक बोर्ड के बिना कार्य करना

8535. **श्री धामनकर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम निदेशक बोर्ड के बिना कार्य कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से, और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । राष्ट्रीय बीज निगम के निदेशक मंडल की अवधि 15-2-1974 को समाप्त होनी थी उसे तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिदनापुर नोरघाट में हल्दी नदी के ऊपर पुल का निर्माण

8536. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 में मिदनापुर जिले में नीरघाट में हल्दी नदी के ऊपर पुल का निर्माण शुरू किया गया था और अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुल के लिये कितनी धनराशि अब तक स्वीकृत की गई है और निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) हल्दी नदी पर प्रस्तावित पुल एक राज्य परियोजना है और पश्चिम बंगाल सरकार इसे अपने धन से बना रही है । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना 1967 में शुरू की गई थी और उन्होंने 1974-75 तक इसके लिये कुल 41.50 लाख रुपये आवंटित किये हैं । कठिन कार्य स्थिति तथा भूमि विरोधताओं, कठिन वित्तीय स्थिति तथा ठेकेदार द्वारा कार्य को संभालने के लिये उपयुक्त मशीनरी एवं अनुभव के कारण कार्य को अब तक पूरा करना उनके लिये संभव नहीं हो पाया है ।

घाटे पर चल रही नौवहन कम्पनियां

8538. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश नौवहन कंपनियां घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में नौवहन कंपनियों को वर्ष 1971-72 और 1972-73 में कितना लाभ अथवा हानि हुई ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क): जी नहीं ।

(ख) 1971-72 और 1972-73 के शिपिंग कंपनियों का लाभ हानि लेखा सहज रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्रपारीय व्यापार में संलग्न जहाज

8539. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न कंपनियों के पास कंपनीवार कितने समुद्रपारीय जहाज हैं ; और

(ख) उक्त जहाजों की किस्म टनभार और जी० आर० टी० कितना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 31-12-1973 को अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–6856/74]

कर्नाटक के लिये अतिरिक्त मात्रा में गेहूं की मांग

8540. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **कृषि** मंत्री कर्नाटक द्वारा मांगे गये तथा उसको सप्लाई किये गये गहूं तथा मोटे अनाज की मात्रा के बारे में 25 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 615 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य से कुछ अतिरिक्त मात्रा में गेहूं की मांग की गई ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) कर्नाटक का आवंटन बढ़ाना संभव नहीं हुआ है । राज्य को मार्च और अप्रैल, 1974 के महीनों के लिये प्रत्येक मास 9,000 मी० टन गेहूं और 11,000 मी० टन माइलो का आवंटन किया गया है।

तीन से कम मंजिलों की इमारत बनाने के बारे में निदेश

8541. **श्री के० मालन्ना :**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने तेल उत्पादक देशों को अधिक मात्रा में सीमेंट का निर्यात करने की दृष्टि से तीन से कम मंजिलों की ही इमारतें बनाये जाने के बारे में कोई निदेश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट और इस्पात उपलब्ध कराने के लिये सुविधायें देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Imparting instructions in morality and discipline in Schools and Universities

8542. **Shri Shanker Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether any scheme is being formulated to impart instruction in morality and discipline in schools and Universities; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) The Government is of the view that the building up of character of students should be one of the major aims of education. The cultivation of moral and social values by pupils should be encouraged through all curricular and extra-curricular activities. The education system must produce young men and women of character and ability comitted to national service and development. With this end in view, Government are proposing in consultation with the States and the Union Territories, the reorganisation of curricular and extra-curricular programmes of educational institutions.

सूरजमुखी की खेती

8543. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरजमुखी जैसे गैर-पारम्परिक तिलहनों की खेती का विस्तार करके तिलहनों की उपलब्धता में वृद्धि करने का कोई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों में सूरजमुखी के विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 10,60,000 हैक्टार के क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती बढ़ाने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम की अन्य मुख्य बातें ये हैं :—

(1) प्रति हैक्टार अधिकतम पैदावार करने के लिये खेती की समुचित तकनीकों का प्रचार ।

(2) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष में 'सीड ड्रेसर' तथा पैकेज पद्धतियों के साहित्य के साथ कृषकों को बीजों के मिनीकिटों की मुफ्त सप्लाई और अनुवर्ती वर्षों में अच्छे बीजों पर राज-सहायता देना ।

(3) सूरजमुखी की खेती के संबंध में कृषकों को शिक्षा देने के लिये बड़े पैमाने पर प्रदर्शन ।

(4) कर्मचारियों को बढ़ाना ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में सहकारी समितियों को मकानों का आवंटन

8544. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सहकारी समितियों, नागरिक परिषदों अथवा अन्य ऐसी ही समितियों के नाम क्या हैं जिनको सुपात्र व्यक्तियों को आवंटन के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में 100 से अधिक मकान दिये थे ;

(ख) इन समितियों अथवा परिषदों के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उन समितियों द्वारा इन मकानों के आवंटन के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किसी सहकारी समिति, नागरिक परिषद अथवा अन्य समितियों को, पात्र व्यक्तियों को आवंटन के लिये 100 से अधिक फलैट नहीं दिये हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक क्षेत्रों और नगरों के लिये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

8545. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह विचार कर रही है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था औद्योगिक क्षेत्रों और नगरों तक ही सीमित रहे; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य व्यापार व्यवस्था द्वारा होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार होने से सरकारी वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों का वितरण थोड़े पैमाने पर होने की आशा है।

नौवहन उद्योग द्वारा संकट का सामना

8546. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता पर गेहूं की खेती का निर्भर होना

8547. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं-खेती क्षेत्र की उत्पादन क्षमता पूरी तरह रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पूरी तरह नहीं, केवल आंशिक रूप में।

(ख) गेहूं की उत्पादन-क्षमता अनेक प्रकार के साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, ये साधन हैं--(1) अच्छे बीज, (2) पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता, जिसमें पहले से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के अलावा पूरक के रूप में दिये जाने वाले उर्वरक या ऐसे पोषक तत्व शामिल हैं, जिनकी पूर्ति जैव खादों से नहीं हो पाती। (3) सिंचाई का पानी (4) प्रबन्ध विधि और (5) बालियों में दाना भरने के समय बहुत गर्म हवा के झोंकों का चलना या फूल आने के समय भीषण पाला पड़ना इत्यादि जलवायुगत प्रतिकूलताओं और बीमारियों वगैरह का न होना । इनमें से किसी भी प्रतिकूलता के होने पर गेहूं की पूरी उपज प्राप्त नहीं हो सकती। सामान्य और अनुकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत, अन्य सभी कारकों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से गेहूं की उपज क्षमता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन उर्वरक की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। इसके लिए हमें ये उपाय अपनाने पड़ेंगे--उर्वरक का बेहतर इस्तेमाल, जैव खाद की अधिक मात्रा में उपलब्धता, गेहूं की बुआई से पहले राइजोबिया कल्चर लगी दलहनी फसलें उगाकर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करना इत्यादि। पर्याप्त मात्रा में उर्वरक न होने से उत्पादन में जो कमी आती है, उसे सिंचाई द्वारा भी काफी कम किया जा सकता है।

वाई० डब्ल्यू० सी० ए० दिल्ली को पट्टे पर दी गई भूमि

8548. **श्री पीलू मोदी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंग वीमैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन को, समाज कल्याण प्रयोजनों, जैसे दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल बनाना आदि के लिये भूमि पट्टे पर दी गई थी परन्तु वहां बने होस्टल में कदाचार, भाई भतीजावाद तथा गबन का बोलबाला है; और

(ख) क्या दिल्ली में श्रमजीवी महिलाओं के होस्टलों के अभाव के कारण केवल आर्थिक लाभ हेतु वहां पर थोड़ी जगह में अधिक महिलाओं को रखा जाता है जिसके कारण अपेक्षित सफाई नहीं रहती ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) तथा (ख) यंग वीमैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन के भवन तथा होस्टल के लिये भूमि पट्टे पर दी गई थी। इस मंत्रालय के पास कथित कदाचार के बारे में कोई सूचना नहीं है।

सिंधी (मध्य प्रदेश) के रास्ते से मुख्य राजपथ मार्ग

8549. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के सिंधी जिले से कौन-कौन से मुख्य राजपथ गुजरेंगे; और

(ख) उन राजपथों से कितने बड़े नगरों में सम्पर्क हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिये मुख्यतः उत्तरदायी है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सभी सड़कें राज्य के कार्य क्षेत्र में पड़ती हैं। अतः मध्य प्रदेश के सिंधी जिले में से गुजरने वाले मुख्य राज मार्ग व्यवस्था करने का सामान्य प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है राज्य सरकार का ग्वालियर, झांसी, छतरपुर-खुजराहों-पन्ना-सतना रेवा-सिधी-वैधनन-पिपरी-रांची के मुख्य नगरों से गुजरने वाली सड़क को पांचवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसे धन की उपलब्धता अखिल भारत आधार पर प्रत्येक योजना की पारस्परिक प्राथमिकता और इस बात को कि सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु निर्धारित कसौटी को कहां तक पूरा करते हैं, को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय, इस प्रकार के अन्य प्रस्तावों के साथ विचारार्थ नोट कर लिया गया है। चूंकी पांचवीं पंच वर्षीय योजना अभी प्रारंभिक चरण में है. इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

असम के लिये खाद्यान्न

8550. **श्री निहार लास्कर :**
श्री तरुण गोगोई :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस राज्य के लिए अधिक खाद्यान्न की सप्लाई करने की प्रार्थना की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और 1 जनवरी, 1974 से राज्य को कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) असम सामान्यतया चावल की दृष्टि से अधिशेष है। असम में मिलिंग की कुछेक कठिनाइयां होने के कारण राज्य सरकार को केन्द्रीय पूल से उनके अनुरोध पर लौटने के आधार पर हाल ही में 2000 मी० टन चावल आवंटित किया गया है।

राज्य सरकार केन्द्रीय पूल से गेहूं का अधिक आवंटन करने के लिए कहती रही है। गेहूं का मासिक आवंटन बढ़ा दिया गया है। जनवरी-मार्च, 1974 के दौरान असम को गेहूं की सप्लाई की गई मात्रा 25.3 हज़ार मी० टन थी। अप्रैल, 1974 का आवंटन 12,000 मी० टन है।

कर्नाटक में हरीहर पोलीफायबर प्लांट से निकलने वाले पदार्थ का कृषि और वनस्पति पर विषैला प्रभाव

8551. **श्री बी० वी० नायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में हरिहर पोलीफाइवर प्लान्ट से निकलने वाले पदार्थ के विषैले प्रभाव के बारे में परीक्षण किया गया है;

(ख) क्या इसे कृषि और वनस्पति के लिये हानिरहित पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका प्रयोग सिंचाई प्रयोजनों के लिये न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उक्त प्रश्नों से संबंधित सूचना संबंधित राज्य से एकत्र की जा रही है, और जैसे ही वह प्राप्त होगी उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

बीजापुर दी गोल गुम्बज में दरार

8552. **श्री बी० वी० नायक :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में बीजापुर स्थित गोल गुम्बज की ऊंची चोटी में दरारें पड़ गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पुरातत्व स्मारक के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी, हां। गुम्बज की उपल्ली सतह के आच्छादी पलस्तर में प्रकट हुई कुछ दरारें देखी गई थी। इनकी मरम्मत की गई थी और सीमेंट के पतले मसाले से इन्हें बंद कर दिया गया था। फिर भी, उन उपायों का पता लगाने की दृष्टि से, गुम्बज की पूर्णतः जांच की जा रही है, जो स्मारक के संरक्षण के लिए आवश्यक हों।

कारवाड (बिनागा) के वकास के लिए परियोजना प्रतिवेदन

8553. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर (कर्नाटक) सरकार ने कारवाड (बिनागा) को एक मध्यवर्ती पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना संबंधी एक प्रतिवेदन पेश किया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव योजना आयोग के परामर्श से विचाराधीन है।

लाभप्रद मूल्यों के लिये दबाव डालने के लिये पंजाब के किसानों द्वारा रबी गेहूं की फसल की कटाई में देर करना

8554. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान रबी गेहूं की फसल की कटाई में कुछ समय के लिये देर करने हेतु पंजाब के किसानों द्वारा किये गये प्रयासों की ओर गया है, ताकि गेहूं के लाभप्रद मूल्यों के लिये दबाव डाला जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकार को किसानों के ऐसे किसी प्रयास की जानकारी नहीं है।

केरल में नारियल के अल्पावधि एवं बौना किस्मों के पौधे

8555. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केरल में कम अवधि वाले और बौना किस्म के नारियल के पौधों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इनके व्यापक आधार पर उगाने के लिए केरल में नर्सरी की स्थापना करने अथवा गैर-सरकारी नर्सरियों की स्थापना को राज सहायता देने का विचार है; और

(ग) क्या इस किस्म को लोक प्रिय बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कहा गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कृषकों के बगीचों में शीघ्र तथा अधिक उपज देने वाली संकर नारियलों की किस्मों का वर्धन किया जा रहा है। बाजार के प्रचलित मूल्य के आधार पर नारियल की लागत अदा करने के अलावा बीज गिरी (सीड-नट) इकट्ठा करते समय इस कार्य के लिए कृषकों को 15% प्रीमियम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषकों को बौने पाम से पराग इकट्ठा करने के लिए 5 रुपये प्रति पाम के हिसाब से प्रीमियम दिया जाता है।

केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम में भी इस कार्य की व्यवस्था करने का विचार है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सहित सब नारियल उत्पादक राज्यों को नारियल की इन किस्मों का पता है।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा सभी नौवहन कम्पनियों को अपने अधिकार में लेना

8556. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया स्टीमशिप कम्पनी को इस वर्ष अधिक जलपोत खरीदने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सभी नौवहन कम्पनियों को शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के अन्तर्गत लेने में मंत्रालय के रास्ते में क्या बाधा है; और

(ग) इंडिया स्टीमशिप कम्पनी तथा शिपिंग कारपोरेशन को 1972-73 में कितनी लाभ-हानि हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। इंडिया स्टीमशिप लि० को 260 लाख यू० एस० डालर की लागत के कुल 35,163 जी आर टी के तीन वर्ते हुए जहाजों की प्राप्ति के लिए 9-1-1974 को अनुमति दी गई।

(ख) भारतीय नौवहन के राष्ट्रीयकरण का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) 1972-73 में इन दो नौवहन कम्पनियों द्वारा कमाया गया लाभ (कर एवं मूल्य ह्रास से पूर्व) निम्न प्रकार था :—

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया	1791.36 लाख रुपये
इंडिया स्टीमशिप्स	233.89 लाख रुपये

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा खराब बीजों की बिक्री

8557. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने 1970-73 के दौरान खराब बीजों की बिक्री की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार बेचे गये बीजों की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं; और

(ग) क्या इन खराब बीजों की खुदरा बिक्री कर के उपभोक्ताओं को हानि पहुंचा कर भारी लाभ अर्जित किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने 1969-70 से 1972-73 तक की अवधि में 105.49 लाख रुपये के मूल्य के 2,808 मीटरी टन बीजों को खराब घोषित किया था। निगम ने वर्ष 1969-70 से 1972-73 तक की अवधि के दौरान खराब घोषित किये हुए या अस्वीकृत किए हुए और बुहार कर इकट्ठे किए हुए बीजों की बिक्री से 36.50 लाख रु० की राशि वसूल की है।

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

राज्य कृषि फार्म निगम की गतिविधियों में विविधीकरण

8558. **श्री सतपाल कपूर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिये राज्य कृषि फार्म निगम की गतिविधियों में विविधता लाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम के ज्ञापन और संगम की धाराओं में यह व्यवस्था है कि इस निगम का एक उद्देश्य किसानों, उत्पादकों और परिसंस्करण आदि के सभी या कोई भी कार्य चलाना है, जिनमें डेरी, कुक्कुट-पालन, बागवानी और फलोद्यानों आदि काम भी शामिल है।

(ख) निगम ने मध्यम आकार का डिब्बा बन्दी का एक संयंत्र पहले से केन्द्रीय राज्य फार्म मिज़ोरम में स्थापित किया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपने कुछ फार्मों में भी कृषि पर आधारित अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना करने का निगम का प्रस्ताव है और इसके लिए 20 लाख रुपये की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। यद्यपि इस सम्बन्ध में सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कुछ प्रयास किये गये हैं। ये परिसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए कोई ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। इन यूनिटों को स्थापित करने के सम्बन्ध में निगम ने अभी निर्णय लेना है और अभी इस बात का भी फैसला करना है कि ये यूनिट कब स्थापित किये जाने चाहिएं।

सरकार द्वारा खाद्यान्न की वसूली

8559. **श्री मधु दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न की वसूली और मूल्य सम्बन्धी नई नीति लागू होने के पश्चात् सरकार को थोक व्यापारियों से कितना खाद्यान्न प्राप्त होने की आशा है; और

(ख) जितना खाद्यान्न वसूल किये जाने की सम्भावना है उतने खाद्यान्न की वसूली सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) नयी नीति के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली गेहूं की मात्रा का ठीक ठीक अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिशेष राज्यों ने व्यापारी के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने वाले गेहूं व्यापारियों और सहकारी समितियों से 50 प्रतिशत लेवी प्राप्त करने के लिए लेवी आदेश जारी कर दिए हैं और उन्होंने प्रशासनिक प्रबंधों को अन्तिम रूप दे दिया है।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के संशोधित ग्रेडों की क्रियान्विति

8560. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के संशोधित ग्रेडों की क्रियान्विति के लिये कोई ममय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों तथा उन से सम्बद्ध कालेजों के अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अभी हाल ही में 1-1-1973 से विश्वविद्यालयों और कालिजों के अध्यापकों के लिये संशोधित वेतनमान अनुमोदित किये हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने से संबंधित ब्यौरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से तैयार किये जा रहे हैं और आशा है कि उन्हें शीघ्र ही सभी राज्य सरकारों को भेज दिया जायेगा। इस योजना को कार्यान्वित करने तथा केन्द्रीय सकार से सहायता मांगना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

गेहूं की बिक्री के लिये पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा सहकारी समितियां बनाना

8561. **श्री मधु दण्डवते :**
श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के अमीर किसान स्थानीय मण्डियों के भाव से अधिक भाव पर कमी वाले राज्यों को अपना गेहूं बेचने के लिये सहकारी समितियां बनाने की योजना बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं आयी है। तथापि, ऐसी सहकारी समितियां यदि गेहूं के व्यापारी के रूप में कार्य करना चाहती हैं तो उन्हें व्यापारी लाइसेंस प्राप्त करना ही होगा और 50 प्रतिशत लेवी देनी होगी। अन्य लाइसेंसशुदा व्यापारियों की भांति, लेवी देने के बाद वे लेवी मुक्त गेहूं को राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर परमिट के आधार पर बेच सकेंगे।

निर्यात हेतु चीनी की वसूली के लिये चीनी उद्योग को परस्पर तयशुदा मूल्य देना

8562. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिमान्य कोटे के अतिरिक्त निर्यात हेतु जितनी मात्रा में चीनी वसूल करना चाहती है इसके लिये चीनी उद्योग को परस्पर तय-शुदा मूल्य देने के सुझाव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार मूल्य तय करने के उपरान्त टेंडर मांगने की प्रक्रिया को कम से कम इस वर्ष के लिये स्थगित रखा जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) निर्यात के लिए अपेक्षित चीनी को फिलहाल अधिसूचित मूल्यों पर लेवी कोटे से प्राप्त किया जा रहा है। मिलें इस चीनी का तय शुदा प्रभारों के भुगतान पर जहाजों में लदान करवाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करती है और बन्दरगाहों पर सुपुर्दगी देती हैं। खुली बिक्री की चीनी को जब कभी निर्यात हेतु इस्तेमाल करने की आवश्यकता पैदा होती है, तब उसके खरीद मूल्यों के बारे में बातचीत की जाएगी और उन्हें तय किया जाएगा।

गन्ना विकास योजना

8563. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक गन्ना विकास योजना तैयार की और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के चीनी कारखाने के आसपास 2,000 हैक्टार के संहत खण्ड और उष्ण-कटिबन्धीय क्षेत्र में 1,000 हैक्टार के ऐसे ही खण्डों की स्थापना की जानी है जिसमें इन बातों पर जोर दिया जाएगा (1) अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन और वाणिज्यिक खेती के लिए इसका वितरण, (2) गन्ने के पौधों और पेड़ों सम्बन्धी प्रदर्शन, (3) वनस्पति रक्षण उपाय अपनाना, (4) राज्य स्तर पर गन्ना विकास कार्मिकों का प्रशिक्षण और (5) गन्ना कारखाना क्षेत्रों को अन्य क्षेत्र से सम्बद्ध करने वाली सड़कों का निर्माण।

सफदरजंग उपरिपुल (फ्लाई ओवर) का ढह जाना

8564. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सफदरजंग "फ्लाई ओवर" के खंभे ढह जाने के लिये जांच आयोग ने एन० बी० सी० सी० को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो निगम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस लापरवाही के लिये कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

आदिमजाति क्षेत्र विकास एजेंसियाँ तथा उसके लिये नियतन

8565. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितनी आदिम-जाति क्षेत्र विकास एजेंसियां शुरू की गई हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और प्रत्येक परियोजना में कितने आदिम जाति खण्डों को शामिल किया गया है और अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना में कुल कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) अब तक कुल 8 आदिवासी विकास अभिकरण आरम्भ किये गये हैं।

(ख) व (ग) दो विवरण संलग्न हैं। एक में प्रत्येक परियोजना के बारे में धनराशि का नियतन, शामिल किये गये खण्डों की संख्या और लाभभोगियों की कुल संख्या दी गई है और दूसरे में प्रत्येक परियोजना द्वारा की गई प्रगति दी गई है। **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी०—6857/74]**

उड़ीसा के शिक्षा की दृष्टि से पिछले जिलों में उच्च शिक्षा का विकास

8566. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च शिक्षा के विकास विशेषकर-उड़ीसा के शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में इसके विकास के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या नीति और व्यवस्था अपनाता है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चौथी योजना में और पांचवीं योजना के लिये बरहामपुर, सम्वलपुर और उत्कल विश्वविद्यालयों के लिये कितने आबंटन की सिफारिश की है; और

(ग) मंत्रालय ने चौथी योजना और पांचवीं योजना में कितना आबंटन किया ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्ताव तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालयों को जो मार्गदर्शी रूपरेखा भेजी गई है उसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि समाज के उन पिछड़े समुदायों को तथा प्रत्येक क्षेत्र के उन भागों में जो पिछड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा के अवसर उत्पन्न कर के, क्षेत्रीय असन्तुलता को दूर करने के लिये प्रयास किये जाने चाहियें। ये अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों की सहायता करने हेतु, विशेष अनुपूरक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को शुरू करके किया जा सकता है ताकि वे अपनी बुनियादी कमियों को दूर कर सकें। विश्वविद्यालयों को चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कालिजों के पाठ्यक्रमों की संरचना तथा विषय वस्तु की ओर विशेष ध्यान दें।

आयोग द्वारा उड़ीसा के विश्वविद्यालयों के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में निम्नलिखित विनिदान किये गए थे :—

बरहमपुर	55 लाख रुपये
सम्बलपुर	57 लाख रुपये
उत्कल	92 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त चौथी योजना के दौरान उड़ीसा के 64 कालिजों के 108 प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे तथा आयोग के हिस्से के रूप में 45.31 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। आयोग का कुल अनुमोदित हिस्सा 1.34 करोड़ रुपये था। पुस्तकें तथा उपस्कर और अध्यापक फ्लैट के लिये बुनियादी अनुदान जैसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भी 72 कालिजों को 22.92 लाख रुपये की एक दूसरी राशि भी संस्वीकृत की गई थी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में उत्कल विश्वविद्यालय से 1.5 करोड़ रुपये तथा बरहमपुर और सम्बलपुर विश्वविद्यालयों से प्रत्येक को एक एक करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव भेजने के लिये आयोग द्वारा अनुरोध किया गया है। ये प्रस्ताव मार्गदर्शी रूपरेखा में बताई गई तीन प्राथमिकताओं के मुताबिक रखे जायेंगे।

विश्वविद्यालय तथा समाज कल्याण मंत्रालय में इस प्रयोजन के लिये कोई योजना नहीं है क्योंकि उच्च शिक्षा के विकास के लिये सभी निधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए दी जाती हैं।

सड़कों के विकास के लिये आदिवासी विकास एजेंसी को आवंटन

8567. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क विकास के अन्तर्गत आदिवासी विकास एजेंसी गुनपुर-परलाखमुंडी को कितना धन आबंटित किया गया है,

(ख) आदिवासी विकास एजेंसियों में सड़कों के विकास के लिये किस मानदंड और नीति का पालन किया जाता है, और

(ग) क्या पांचवीं योजना में सड़क विकास शीर्ष के अन्तर्गत इन आदिवासी विकास एजेंसियों के लिये विशेष धन मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) आदिवासी विकास अभिकरण, गुनपुर (कोरापट) और परलाखमुंडी (गंजम) को परियोजना अवधि में सड़क विकास के लिये आबंटित धन नीचे दिया गया है :—

	सम्पर्क सड़कें (लाख रु० में)	मुख्य सड़कें (लाख रु० में)
1. आदिवासी विकास अभिकरण-गुनपुर (कोरापट) . .	20	50
2. आदिवासी विकास अभिकरण-परलाखमुंडी (गंजम) . .	25	50

(ख) आदिवासी विकास अभिकरणों में सड़कों के विकास के लिए अपनाई गई नीति यह है कि (i) सम्पर्क सड़कें बाजारों, मण्डियों, गोदामों आदि को और साथ ही गांवों को जिला राजमार्गों ग्राम बस्ती सड़कों आदि के साथ जोड़ने वाली पक्की ग्राम सड़कों के वर्ग की होनी चाहिये और (ii) मुख्य सड़कें 'बड़ी जिला सड़क' के स्तर की सर्वऋतु पक्की सड़कें होनी चाहियें और ऐसा न होने पर वे 'अन्य जिला सड़कों' के वर्ग की होनी चाहियें और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरी होनी चाहियें, जिसमें पक्के नदी पथ, पुल, पुलियां आदि भी शामिल हैं और वे परियोजना क्षेत्र को राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों, रेल हैडों आदि से मिलाती हों, ताकि इस क्षेत्र में पहुँचा जा सके।

(ग) जी, नहीं। पांचवीं योजना में सड़क विकास के लिए आदिवासी विकास अभिकरणों को अन्य विशेष धन मंजूर करने का प्रस्ताव नहीं है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में सड़क विकास

8568. **श्री गिरिधर गोमांगो**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के और विशेषकर उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा कौनसी विशेष योजनाएं शुरू की जा रही हैं, और

(ख) (एक) केन्द्रीय क्षेत्र तथा (दो) राज्य क्षेत्र में सड़क विकास के लिए प्रस्तावित कुल परि-व्यय में से आदिवासी क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत सरकार मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों का संबंध संबंधित राज्य सरकारों से है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना सम्पूर्ण देश के विभिन्न भागों को मिलाने वाली मुख्य सड़कों के रूप में बनाई जाती हैं, नाकि किसी विशेष क्षेत्र अथवा इलाके के लिए। इनमें से कुछ राजमार्ग अनुसूचित जाति वाले इलाकों से हो कर गुजरते हैं उड़ीसा में, 1649 कि० मी० की कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में से 516 कि० मी० लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के अनुसूचित जनजाति वाले स्थानों में से गुजरते हैं। इस प्रकार उड़ीसा में अनुसूचित जन जाति वाले क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई कुल लम्बाई का 31 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 23 प्रतिशत है, इसके अतिरिक्त, अन्तंराजीय अथवा आर्थिक महत्त्व की चुनिदा राज्य सड़कों के लिए कुछ ऋण सहायता भी दी जाती है और यदि राज्य कोई ऐसी मांग करें तो इस योजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों की सड़कों को उचित महत्त्व दिया जाता है।

क्योंकि पांचवीं पंचबर्षीय योजना सम्बन्धी प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है इसलिए इस सम्बन्ध में यह अनुमाम लगाना सम्भव नहीं है कि केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजनाओं द्वारा जनजाति क्षेत्रों की आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया जायेगा।

यह मंत्रालय राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी, राज्य क्षेत्र में प्रस्तावित न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों (रूरल रोड्स) द्वारा जनजाति क्षेत्रों की आवश्यकतायें को पूरा किया जायेगा। मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उड़ीसा राज्य के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस हेतु अनूमानतः 35.00 करोड़ रुपयों के परिव्यय का सुझाव दिया गया है जिसमें जनजाति क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5.00 करोड़ रुपये भी सामिल हैं।

कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में पशु तथा भेड़ नस्ल सुधार फार्म

8569. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में सरकारी पशु तथा भेड़ नस्ल सुधार फार्मों की सूची क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन फार्मों के लिये (एक) देश में प्रजनित और (दो) विदेशों से आयात की गई भेड़ों और पशुओं की संख्या और मूल्य क्या है तथा उक्त काल के दौरान प्रत्येक फार्म में कितने पशु और भेड़ें मर गईं;

(ग) इन मौतों के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मौतों से राजकोष को कितनी हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) कर्नाटक में हैस्सरघटा में भारत सरकार का एक केन्द्रीय पशु-प्रजनन फार्म है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

8570. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदनी चौक, दिल्ली में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने हाल ही में प्रधान मंत्री के ध्यान में पशु तथा भेड़ विकास योजनाओं के नाम पर उनके मंत्रालय में पशुपालन विभाग में सार्वजनिक धन के अपव्यय के मामले लाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) : चांदनी चौक के रहने वाले 5 व्यक्तियों से बिना हस्ताक्षर का एक अभ्यावेदन कृषि मंत्रालय में प्राप्त हुआ था जोकि प्रधान मंत्री के नाम था। इस अभ्यावेदन में उनका पूरा पता नहीं दिया गया था। इसमें विभाग के पशु-पालन प्रभाग के कार्य के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाये गये थे। इस मामले की जांच की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भ्रष्टाचार

8571. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने [की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय में उनके मंत्रालय को विभिन्न राज्यों में कालेज भवनों के निर्माण सुसज्जा और रखरखाव के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भ्रष्टाचार के किन्हीं मामलों के बारे में सूचना दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के मामले के बारे में बताया गया है और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विभिन्न राज्यों में कालेज भवनों के निर्माण, सुसज्जा और रखरखाव के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भ्रष्टाचार के किसी मामले की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के कर्मचारी

8572. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में 1960, 1965 और 1973 में अधिकारियों की प्रत्येक श्रेणी तथा अन्य श्रेणियों में अलग-अलग कुल कितने कर्मचारी थे।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कौन कौन से नये विभाग अथवा डिवीजन खोले गये, इन नये विभागों अथवा डिवीजनों में भर्ती किस प्रकार की गई है;

(ग) राष्ट्रीय अभिलेखागार में भर्ती और पदोन्नति की सामान्य पद्धतियां क्या हैं;

(घ) क्या विगतकाल में इस पद्धति का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार इस संस्था में भर्ती और पदोन्नति के मार्गदर्शी नियमों तथा विनियमों में संशोधन करना वांछनीय समझती हैं; यदि नहीं तो क्यों?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) स्वीकृत काडर श्रेणीवार नीचे दिये गये अनुसार था :—

	श्रेणी 1	श्रेणी 2	श्रेणी 3	श्रेणी 4
1960 . .	8	48	189	182
1965 .	8	51	190	175
1973	12	58	213	165

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाजन तथा स्वतन्त्रता (स्वतन्त्रता की ओर) के सम्बन्ध में अभिलेखों का प्रकाशन, अभिलेख प्रबन्ध और अभिलेखों की मरम्मत के अल्पकालीन प्रशिक्षण को शुरु करना, पुस्तकालय में बकाया की निकासी, इनायत जंग संग्रह के लिये पुरालेख नियम पुस्तिका तथा संदर्भ माध्यम तैयार करने से संबंधित योजनायें शुरु की गई हैं। अभिलेख-प्रबन्ध, अभिलेखों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा जांच सूचियों को तैयार करने से संबंधित कार्य अधिक कर्मचारी रखकर तीव्र किया गया है। मरम्मत और 'रिप्रोग्राफिक' सेवायें तथा प्रशासनिक प्रभाग को सुदृढ़ किया गया है।

पदों को लागू भर्ती नियमों के अनुसार भरा गया है।

(ग) अन्य सरकारी विभागों/कार्यालयों की भांति भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में पदों पर भर्ती की सामान्य पद्धति नीचे दी गई है :—

(1) सीधी भर्ती।

(2) अंशतः सीधी भर्ती द्वारा और अंशतः पदोन्नति द्वारा।

(3) पदोन्नति द्वारा (चयन के आधार पर तथा वरीयता व उपयुक्तता के आधार पर)।

(घ) जी, हां।

(ङ) कर्मचारी ढांचा तथा भर्ती नियमों के पुनरीक्षण का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

देश में नये शिपयार्ड

8573. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नये शिपयार्ड बनाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) देश में दो नये शिपयार्डों की स्थापना के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 50.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

दुग्ध चूर्ण की मांग, उसका उत्पादन और आयात

8574. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुग्ध चूर्ण की कुल कितनी मांग हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार किस किस्म का दुग्ध चूर्ण का उत्पादन हुआ; और

(ग) उक्त अवधि में किस कस्म का दुग्ध चूर्ण का आयात किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) देश में दूध की कमी को देखते हुए दुग्ध चूर्ण की वर्तमान आवश्यकता लगभग 40,000 मीटरी टन है।

(ख) देश में गत तीन वर्षों में उत्पादित कुल दूध और स्किम दुग्ध चूर्ण की क्वालिटी खाद्य अपमिश्रण निषेध अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विहित मामलों के अनुरूप हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित स्किम दुग्ध चूर्ण की क्वालिटी भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अनुरूप हैं।

मूंगफली के उत्पादन में सुधार करने के लिये अनुसंधान केन्द्र

8575 **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मूंगफली के उत्पादन में सुधार करने और वृद्धि करने के लिये कोई अनुसन्धान केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे केन्द्र स्थापित करने के वारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) तिलहनों के सुधार के लिये सन् 1967 से एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना कार्यान्वित की जा रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रायोजना को जारी रखा गया है। देश में इस प्रायोजना के अन्तर्गत 19 केन्द्र और 30 उप-केन्द्र हैं, जिनमें से 22 केन्द्रों/उप-केन्द्रों में मूंगफली पर अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहन अनुसन्धान पर कुल 165 लाख रुपये खर्च किये गये। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रायोजना को अतिरिक्त बल देकर चलाया जा रहा है। देश में खाये जाने वाला तेल अधिकतर मूंगफली से तैयार किया जाता है, इसलिये तिलहन अनुसन्धान के अन्तर्गत सबसे अधिक ध्यान मूंगफली पर दिया गया है।

मूंगफली के उत्पादन में सुधार करने के लिये समन्वित प्रायोजना की मुख्य बातें ये हैं: मूंगफली की किस्मों में सुधार करना, फसल प्रबन्ध की सुधरी विधियां, पौध संरक्षण के उपाय, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थायी उपज आदि।

(ग) मूंगफली पर निम्नलिखित अनुसन्धान केन्द्र कार्य कर रहे हैं:

1. राजेन्द्र नगर, 2. करीमनगर, 3. जूनागढ़, 4. जलगांव, 5. धारवाड़, 6. चिपलिमा, 7. लुधियाना, 8. तिन्दीवनम, 9. कदारी, 10. खरगांव, 11. रायचूर, 12. कोयम्बटूर, 13. पोल्लाची, 14. मैनपुरी, 15. प्रजनन एकक (आर० आर० एस० हैदराबाद), 16. शरीर क्रिया विज्ञान एकक (कोयम्बतूर), 17. सूक्ष्म जीव विज्ञान एकक (भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली), 18. एफ्लोटोक्सिन एकक (आर० आर० एस०, हैदराबाद), 19. एफ्लाटोक्सिन एकक (भारतीय पोषण संस्थान, हैदराबाद), 20. सफेद सूंडी एकक (भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली), 21. विषाणु एकक (कोयम्बतूर), 22. तेल की बायोजेनेसिस (धारवाड़)।

फार्मर्स फेड्रेशन आफ इण्डिया द्वारा गेहूं वसूली का विरोध किये जाने की मांग

8576. **श्री डी० पी० जदेजा:**
श्री एम० एम० जोजफ:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फार्मर्स फैडरेशन आफ इण्डिया ने कृषक समुदाय से गेहूं की वसूली का विरोध करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) सरकार ने कुछेक प्रैस रिपोर्टें देखी हैं जिनके अनुसार फार्मेस फेडरेशन आफ इण्डिया ने गेहूं उत्पादकों से गेहूं की अधिप्राप्ति का विरोध करने के लिये कहा है। उन्होंने यह मांग की है कि गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य समता के सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित किया जाये जिससे तयशुदा आधार वर्ष के संदर्भ में किसानों द्वारा प्राप्त और दिये गये मूल्य के बीच संतुलन रखा जा सके। सरकार अब सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर 1974-75 के रबी मौसम के लिये गेहूं की अपनी अधिप्राप्ति और मूल्य नीति घोषित कर चुकी है।

दादरा और नागर हवेली की उर्वरक सम्बन्धी मांग

8577. **श्री डी० पी० जदेज:**
श्री आर० आर० पटेल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दादरा और नागर हवेली क्षेत्रों ने 1973-74 वर्ष के लिये कितने उर्वरक की मांग की हैं; और

(ख) इस मांग की तुलना में कितनी उर्वरक सप्लाई किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) दादरा और नागर हवेली प्रशासन ने, 1973-74 (अप्रैल, 1973 से मार्च, 1974 तक) वर्ष के लिये एन 1,112 मीटरी टन और पी$_2$ ओ$_5$ की 126 मीटरी टन पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों की अपनी मांग भेजी है। इस अवधि के दौरान एन० 200 मीटरी टन और पी$_2$ ओ$_5$ की 33 मीटरी टन की सप्लाई की गई थी।

Forcible Occupations of D.D.A. Land by Political Workers

8578. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether many political workers have forcibly occupied plenty of land belonging to Delhi Development Authority; and

(b) if so, facts thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) Some of the land belonging to DDA is under encroachment. No survey has been made regarding the Political affiliations of the encroachers.

Construction of Roads and Bridges in Border Areas of Rajasthan

8579. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the names of various places in Rajasthan, particularly of border towns and villages, where roads and bridges are proposed to be constructed with Central assistance; and

(b) if so, the outlines of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) The Hon'ble Member is probably having in mind the road and bridge works in border towns and villages of Rajasthan proposed to be constructed with Central assistance under the programmes of State Roads of inter-State or economic importance. No road and bridge works forming part of the E & I roads programme fall in the border towns and villages of Rajasthan. Some road and bridge works in the border towns and villages of Rajasthan are, however, being constructed with Central assistance under a special programme. It is not in the public interest to disclose the details of these roads.

Provision of sheds on D.T.C. Bus Stops on most of its routes

8580. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the stops on most of the bus routes of the Delhi Transport Corporation have not been provided with sheds as a result of which hundreds of passengers waiting for the buses are put to great inconvenience due to sun, heat, cold and rains; and

(b) if so, whether Government propose to tackle this problem ?

Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) The Delhi Transport Corporation has so far provided 573 bus queue shelters at various important bus stops in the Union Territory of Delhi. Based on the demand of the travelling public, about 30 to 35 bus queue shelters are provided every year. Steps are being taken for providing bus queue shelters at all important bus stops under a phased programme.

New Delhi Municipal Committee has taken over the responsibility of providing shelters in the area under its jurisdiction. Similarly in the newly constructed colonies bus queue shelters are being provided by Delhi Development Authority.

मक्का की नई किस्म

8581. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान द्वारा विकसित मक्का की नई किस्म (पुंजा हाई लाईसिन मेज) का दुग्ध के समान पोषाहारी होने का दावा किया गया है और दुग्ध की तुलना में इसके मूल्यांकन के लिये संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के एक गांव के बच्चों पर अहर्ता-प्राप्त आधुनिक पोषणविद् के अधीक्षण के बिना परीक्षण किये गये थे;

(ख) क्या मक्का की इस नई किस्म की उपज साधारण उपज की लगभग 50 प्रतिशत होती है और इसके बहुत अधिक ग्रहणशील होने के कारण किसानों की ओर से बहुत कम प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत लाइसिन बहुल पीली ओपेक 2 मक्का की तीन संकुल किस्में विकसित की गई हैं। नांगलोई में निम्न आय वाले वर्ग के स्कूल से पहले की उम्र वाले बच्चों के दो समूहों में पूरक आहार सम्बन्धी प्रारंम्भिक अग्रगामी परीक्षणों से पता चला कि ओपेक 2 मक्का के दलिया पर रखे गये बच्चों का वजन समान आयुवर्ग के मखनिया दूध पीने वाले बच्चों के वजन के समकक्ष बढ़ा। इस परीक्षण को नांगलोई के मेडीकल आफीसर की सहायता से एक क्वालीफाइड पोषण विशेषज्ञ की देख-रेख में चलाया गया।

(ख) नहीं। ओपेक-2 किस्मों ने मक्का की प्रचलित किस्मों से अधिक उपज दी है और इनमें समान भ्रूणपोष (एण्डोस्पर्म) वाली किस्मों जैसी ही रोगरोधिता पाई गई है। ओपेक-2 किस्मों में भ्रूण-पोष कोमल होता है, जबकि मक्का की सामान्य किस्मों में अपेक्षाकृत कठोर होता है। कुछ स्थानों पर किसानों ने सन् 1973 के दौरान इन किस्मों को उगाया और ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि किसानों ने इन किस्मों को कम अपनाया है या स्वीकार नहीं किया है।

(ग) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय बीज उप-समिति ने तीन ओपेक-2 संकुल किस्मों शक्ति, रतन और प्रोटीना को किसानों में जारी करने के लिये अनुमोदित किया है।

दुग्ध उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबन्ध

8582. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के मेरठ और बुलन्दशहर जिलों में दुग्ध उत्पादों के उत्पादन तथा उनकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

25 LSS/74—9

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) दूध की कमी के मौसम के दौरान दूध की सप्लाई बनाये रखने और उसमें वृद्धि करने तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में इसका समान वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) के अन्तर्गत दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश जारी किया गया था। यह आदेश 1 अप्रैल, 1974 को लागू किया गया और 1 अगस्त, 1974 से लागू नहीं रहेगा। इस आदेश के अन्तर्गत क्रीम, कैसीन, स्कीम दूध, खोया, रबड़ी पनीर या ऐसी कोई भी मिठाई तैयार करने की मनाही है जिसमें घी के अलावा दूध या दूध से बनी कोई भी चीज इस्तेमाल की गई हो। इसमें औद्योगिक कामों के लिये खट्टे दूध से बनाई गई कैसीन शामिल नहीं है। इस आदेश के द्वारा खट्टे बटर आयल के अलावा हर तरह के दूध के निर्यात की भी मनाही कर दी गई है। क्रीम, कैसीन, स्कीम दूध, खोया, रबड़ी, पनीर या ऐसी मिठाई जिनमें घी के अलावा दूध या दूध से बनी कोई भी चीज जैसे कि शुष्क दूध या दूध पाउडर या संघनित दूध का इस्तेमाल किया गया हो, उनकी बिक्री, सर्विस सप्लाई या निर्यात की भी मनाही है। लेकिन इसमें औद्योगिक कामों के लिये खट्टे दूध से तैयार की गई कैसीन शामिल नहीं है। उक्त आदेश की अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में ब्यौरेवार सूचना एस० ओ० 226 (ई०) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना में उपलब्ध है। इसकी प्रतियां 8 अप्रैल, 1974 को सभा-पटल पर रख दी गई थीं।

भारतीय बागवानी विकास परिषद द्वारा फलों तथा सब्जियों के लोगों की न्यूनतम मूल आवश्यकता घोषित करना

8583. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री गजाधर मांझी

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बागवानी विकास परिषद ने कोई सुझाव दिया है कि फलों तथा सब्जियों को लोगों की न्यूनतम मूल आवश्यकता घोषित किया जाना चाहिये और इन्हें पोषाहार योजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) बागवानी विकास परिषद की सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और प्राप्त हो जाने पर सरकार उनकी जांच करेगी।

सार्वजनिक वितरण पद्धति का विस्तार न किया जाना

8584. **श्री बी०डी० देसाई :**

श्री के० लकप्पा

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की वितरण पद्धति का विस्तार न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) केन्द्र द्वारा 1974-75 में कितना खाद्यान्न वितरित किया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकारी वितरण प्रणाली का उद्देश्य राज्यों में उपभोक्ताओं के लिये खाद्यान्नों की खुले बाजार में उपलब्धता बढ़ाना है। 1974-75 के दौरान केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को सरकारी वितरण प्रणाली के लिये सप्लाई की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा इन तथ्यों पर निर्भर करेगी अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास स्टाक, मौसमी स्थितियां, फसलों की स्थिति और अन्य संगत तथ्य।

खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गेहूं की नई किस्मों तथा खेती के नये तरीकों को अपनाने के लिए किसानों को दिया गया परामर्श

8585. **श्री डी० डी० देसाई** :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण सोना के स्थान पर गेहूं की नई किस्म को अपनाया जायेगा;

(ख) क्या खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा किसानों को नई किस्मों तथा खेती के नये तरीकों को अपनाने का परामर्श दिया गया है; और

(ग) क्या विशेषज्ञों ने 'ट्रिटीकेल' को गेहूं जैसा, लेकिन गेहूं की अपेक्षा सूखे का अधिक प्रतिरोधक तथा पोषक पाया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) कल्याण सोना के स्थान पर उगाने के उद्देश्य से सन् 1973 में गेहूं की कुछ किस्में विकसित की गई। इन किस्मों का अभी संवर्धन किया जा रहा है और जांच की जा रही है।

(ख) गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय के गेहूं विशेषज्ञ प्रति इकाई क्षेत्र और समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये सुधरे प्रबन्ध को अपनाकर गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को उगाने के लिये किसानों को निरन्तर सलाह देते रहते हैं। इसके लिये वे किसान मेला की व्यवस्था करते हैं, किसानों के खेतों में प्रदर्शन करते हैं, किसानों में अच्छी क्वालिटी का मूल बीज वितरित करते हैं और आकाशवाणी से कृषि कार्यक्रम प्रसारण करवाते हैं तथा फार्म बुलेटिनों का प्रकाशन करते हैं।

(ग) ट्रिटीकेल की अनेक किस्में विकसित की गई हैं। इसका पौधा गेहूं के पौधे जैसा ही होता है। ट्रिट्रीकेल की अधिकतर किस्मों में प्रारम्भिक परीक्षणों में गेहूं की तुलना में प्रोटीन और लाइसिन की मात्रा अधिक पाई गई और इनमें गेहूं की अपेक्षा सूखा को सहन करने की भी क्षमता अधिक है। अब सारे देश में सिंचित और असिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत इन किस्मों की और आगे जांच की जा रही है।

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में चर्चित पोषाहार नीति

8586. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा आयोजित 21 दिवसीय विचार गोष्ठी में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विचार गोष्ठी में पोषाहार नीति पर चर्चा की गई थी;

(ग) पोषाहार नीति के बारे में सरकार का योगदान कितना था; और

(घ) क्या समेकित खाद्य पोषाहार नीति के बारे में सलाह देने के लिये एक उच्च स्तरीय अन्तः अनुशासनिक संगठन बनाया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एशिया तथा सदूरपूर्व के लिये खाद्य तथा पोषाहार नीति और आयोजना पर भारत सरकार के सहयोग से खाद्य तथा कृषि संगठन/नोराड (नार्वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) का 7-27 फरवरी, 1974 के दौरान एक क्षेत्रीय सेमिनार हुआ था जिसमें यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भाग लिया था।

(ख) भारत ने एक पोषाहार नीति तैयार की थी जिसमें खाद्य सप्लाई, खाद्यान्नों की मांग, पोषाहार शिक्षा, खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण, अनुपूरक आहार और स्वास्थ्य विषयक उपाय और राष्ट्रीय विकास के लिये योजनाओं में पोषाहार के समन्वय के लिये अपेक्षित कार्यविधि समेत आपसी प्रबन्ध के उपागम शामिल हैं।

बम्बई आयल सीड्स एण्ड आयल एक्सचेंज लिमिटेड से खाद्य तेलों और वनस्पति की कमी के सम्बन्ध में पत्र

8587. **श्री डी० पी० देसाई :**

श्री बसन्त साठे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई आयल सीडस एंड आयल एक्सचेंज लिमिटेड से खाद्य तेलों और वनस्पति की कमी के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के नाम 14 सितम्बर, 1972 को लिखा गया एक पत्र प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसका विषय क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या खाद्य तेलों और वनस्पति की 1974 में सप्लाई स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 7 दिसम्बर, 1973 का एक अन्य पत्र प्रधान मंत्री को प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उसका विषय क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) सरकार को बम्बई आयल सीडस् एवं आयल एक्सचेंज लि० से दिनांक 14 सितम्बर, 1972 और 7 दिसम्बर, 1973 के दो पत्र प्राप्त हुये हैं। इन पत्रों में क्रमश: 1972-73 और 1973-74 के फसल वर्षों में खाने के तेलों की कमी की सम्भावना के बारे में विचार व्यक्त किये गये हैं और इन वर्षों में प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिये क्रमश: 4 लाख मीटरी टन और 2 लाख मीटरी टन मुख्यतया तिलहनों का आयात करने के लिये सुझाव दिया गया है। सरकार इस मामले के बारे में पहले ही जागरूक थी और इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध विदेशी मुद्रा की सीमा में रहते हुये तथा इन वर्षों के दौरान विश्व की मंडियों में खाने के तेलों की कठिन सप्लाई स्थिति को देखते हुये इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की गई थी।

चावल की भूसी से खाने योग्य तेल निकालना

8588. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की भूसी से खाने योग्य तेल निकाले जाने से देश में खाद्य तेल की कठिन स्थिति में राहत मिलने की आशा है;

(ख) देश में चावल की भूसी की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है;

(ग) इस समय चावल की भूसी से कितनी मात्रा में तेल निकाला जा रहा है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के साथ विचार विमर्श करके परम्परागत धान मिलों के स्थान पर रस्टर वाल इस्तेमाल करने वाले आधुनिक मिल स्थापित करने का विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1972-73 में उत्पादित लगभग 570 लाख मी० टन के आधार पर लगभग 18 लाख मी० टन भूसी के उपलब्ध होने का अनुमान है।

(ग) 1973 के दौरान संगठित क्षेत्र में उत्पादन लगभग 25,000 मी० टन हुआ बताया गया था। यद्यपि असंगठित क्षेत्र में उत्पादन के ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है लेकिन मोटे तौर पर वह उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 40,000 मी० टन हुआ बताया जाता हैं।

(घ) जी हां। सरकार का देश में चावल मिलिंग उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का अनुमान है जहां उत्पादन बढ़ाने और चावल की किस्म सुधारने और सह उत्पादों का बेहतर उपयोग करने के लिये रबड़ रोलों का प्रयोग किया जायेगा।

नई दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निर्धारित इतिहास और भूगोल की पाठ्य पुस्तकें

8589. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक:**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव:

क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में इतिहास और भुगोल की पुस्तकों में राष्ट्र विरोधी बातें निहित हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन करने के लिये कोई कार्यवाही की है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) नई दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में प्रयोग की जा रही इतिहास और भूगोल की पुस्तकों की जांच की जा रही है। यदि उनमें कोई राष्ट्र विरोधी संदर्भ पाया गया तो उचित कारर्इवाई की जायेगी। दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के उपबन्ध के अन्तर्गत पाठ्यचर्या समिति, प्रशासक को दिल्ली में प्राइमरी और मिडिल स्तर की शिक्षा के लिये पाठ्यचर्या और विनिर्देशन अथवा पुस्तकों की सिफारिश करने के लिये सलाह देगी।

स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार की सेवाओं को प्राप्त करना

8590. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक:**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव:

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बीच भारतीय स्कूलों में पढ़ाये जाने के लिये भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास को लिखने के लिये एक इतिहासकार की सेवाओं को प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह पुस्तक स्कूलों में पढ़ाये जाने के लिये कब तैयार हो जायेगी?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) सरकार ने, भारतीय स्कूलों में पढ़ाने के लिये भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास लिखने हेतु किसी इतिहासकार की सेवायें प्राप्त नहीं की हैं। तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद ने, माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिये 'भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन' नामक एक पूरक रीडर जनवरी, 1970 में प्रकाशित की थी। रा० शि० अनु० तथा प्र० परि० ने, 6 से 11 कक्षाओं के लिये इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिये एक परियोजना भी आरम्भ की है। कक्षा 11 के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास की इसकी पाठ्यपुस्तक में स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का विषय पर्याप्त रूप सम्मिलित है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने भी उच्चतर माध्यमिक तथा पूर्व विश्वविद्यालय कक्षाओं के लिये 'स्वतन्त्रता संग्राम' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। जिसका उपयोग पूरक पठन सामग्री के रूप में किया

जाता था। न्यास ने इस पुस्तक को लिखने के लिये तीन प्रसिद्ध इतिहासकारों की सेवायें प्राप्त की थी। अंग्रेज़ी में लिखी गई इस पुस्तक का 15 अगस्त, 1972 को विमोचन किया गया था। 11-14 आयु वर्ग के लिये एक पुस्तक का जिसका शीर्षक है "भारत ने अपनी स्वतन्त्रता कैसे प्राप्त की" एक बाल संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है।

गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय योजना

8591. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्ती क्षेत्रों के पर्यावरण सुधार सम्बन्धी एक केन्द्रीय योजना दिल्ली सहित 20 नगरों में लागू की गई है;

(ख) क्या इस योजना के सम्बन्ध में काम शुरू हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में किन किन गन्दी बस्ती क्षेत्रों में काम हो रहा है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

दिल्ली के गन्दी बस्ती क्षेत्र जहां पर गन्दी बस्ती क्षेत्रों के पर्यावरणीय सुधार की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

1. मन्दिर मार्ग के पीछे रिज पर।	कार्य पूर्ण हो चुका।
2. तालकटोरा बाग के पीछे।	
3. लक्ष्मी बाई नगर में खुश्क नाले पर।	
4. —वही— (पश्चिम किदवई नगर के सामने)।	
5. पश्चिमी किदवई नगर में खुश्क नाले पर।	
6. सरोजिनी नगर में एक्स वाई जैड ब्लाक के समीप।	
7. डिप्लोमेटिक इन्कलेव में डी० I, डी०-II फ्लैटों के समीप।	
8. सरोजिनी नगर में सी० पी० डब्ल्यू० डी० स्टोर (भण्डागार) के समीप।	
9. रामकृष्ण पुरम सेक्टर XIII के बहुमंजिले फ्लैटों के तथा नेताजी नगर के समीप।	
10. डिप्लोमेटिक इन्क्लेव में केवेन्टर डायरी के समीप खुश्क नाले पर।	
11. मोती बाग के शिव मन्दिर के समीप।	
12. चाणक्यपुरी में जेसिस एंड मेरी कालेज के सामने।	
13. चाणक्यपुरी में जेसिस एंड मेरी कालेज के पीछे।	

14. सनलाइट, जे० जे० कालोनी।

15. जे० जे० कालोनी, सीलमपुर, चरण I तथा II

16. जे० जे० कालोनी, पाण्डू नगर।

17. जे० जे० कालोनी, बजीरपुर।

18. जे० जे० कालोनी, मदनगीर।

19. जे० जे० कालोनी, तिगड़ी।

20. जे० जे० कालोनी, श्रीनिवासपुरी।

21. जे० जे० कालोनी, नांगलोई।

22. जे० जे० कालोनी, नारायणा।

23. जे० जे० कालोनी, नजफगढ़ रोड।

24. जे० जे० कालोनी, सीमापुरी।

25. जे० जे० कालोनी, सीलमपुर चरण III

26. जे० जे० कालोनी, मादीपुर।

27. जे० जे० कालोनी, पंखा रोड तथा हस्ताल।

28. झुग्गी झोंपड़ी समूह, इन्डियन एक्सप्रैस बिल्डिंग के पीछे।

29. झुग्गी झोंपड़ी समूह, इर्विन अस्पताल के पीछे।

30. झुग्गी झोंपड़ी समूह, एंड्रूज गंज के पीछे।

31. झुग्गी झोंपड़ी समूह, पटेल चेस्ट अस्पताल के पीछे।

32. शास्त्री मार्किट, रामकृष्णपुरम।

33. झुग्गी झोंपड़ी समूह, रामकृष्णपुरम सेक्टर 3 तथा 4 के मध्य।

34. जय रानी बाग (पूर्वी मोती बाग)।

35. झुग्गी झोंपड़ी समूह, बलम्बा रोड।

36. आर० ब्लाक, न्यू राजेन्द्र नगर।

37. झुग्गी झोंपड़ी समूह, सनातन धर्म मन्दिर, तिलक नगर के पीछे।

38. झुग्गी झोपड़ी समूह, मथुरा रोड के पश्चिम में, जंगपुरा के उत्तर में (मद्रासी बस्ती)।

39. झुग्गी झोंपड़ी समूह, मैगजीन रोड कालोनी।

40. सभुद्रा कालोनी।

41. आजाद मार्किट (कोकरीवालान)।

42. पंजाबी बाग रोड नं० 77

43. सर्कुलर रोड, पश्चिमी जमुना नहर तथा नाला से घिरा हुआ गुलाबी बाग।

44. पंजाबी बाग रोड नं० 41, (रोहतक रोड पर डिपो के समीप)।

केन्द्रीय भण्डारगार निगम द्वारा भाण्डागारों के निर्माण की कसौटी

8592. **श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने हाल ही में 58 स्थानों पर भाण्डागारों का निर्माण किया है ;

(ख) क्या भाण्डागार के अतिरिक्त अन्य साधारण प्रकार के गोदाम किसी भी स्थान पर अर्थात् किसी भी खाद्य क्षेत्र में बनाये जा सकते हैं ; और

(ग) भाण्डागारों के निर्माण के संबंध में केन्द्र द्वारा क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने 1972–73 और 1973–74 के वर्षों के दौरान 66 केन्द्रों पर भाण्डागार बनवाए हैं ।

(ख) और (ग) वैज्ञानिक ढंग से भाण्डारण करने की सुविधाएं मुहैया करने के लिए भाण्डागार/ गोदाम बनवाते समय सरकारी एजेंसियों को बाजार सम्भाव्य, भण्डारण योग्य फालतू माल, अधि-प्राप्ति और वितरण संबंधी जरूरतों, जीव्यता की दृष्टि से कस्टम सम्भाव्यता आदि जैसे तथ्यों पर विचार करना पड़ता है ।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिबुनल नामक विशेष न्यायाधिकरण

8593. श्री **राजदेव सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर एक्सीडेंट कालेम्ज दिल्ली में 2500 मामले अनिर्णीत पड़े हैं तथा इसमें लगभग 4–5 वर्ष में एक मामले का फैसला हो पाता है ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के जमा हो जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और अतिरिक्त न्यायाधिकरण नियुक्त करने का है जिससे सम्बद्ध व्यक्तियों को शीघ्रता से न्याय मिल सके; और

(घ) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि दिल्ली मे कार्य कर रहे सभी डिस्ट्रिक्ट जजों तथा एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जजों को पदेन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाये जैसा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे पड़ौसी राज्यों में किया जा रहा है जिससे एक कचहरी में भीड़-भाड़ की समस्या को हल किया जा सके और यदि हां नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 1–4–1974 को मोटर एक्सीडेंट क्लेम्ज़ ट्रिब्युनल, दिल्ली में 2416 मामले अनिर्णीत पड़े थे ।

(ख) आरम्भ में, दिल्ली में केवल अंशकालिक ट्रिब्युनल था । पूर्ण कालिक ट्रिब्युनल 31–3-69 से नियुक्त किया गया । परन्तु सड़क पर मोटर गाड़ियों की संख्या और दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में तदनुरूपी वृद्धि के कारण उक्त ट्रिब्युनल के समक्ष पेश की गई क्लेम आवेदनों की संख्या उस संख्या से बहुत अधिक है जिसे यह निपटा सकता है ?

(ग) क्लेम आवेदनों के निपटाने में शीघ्रता करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने अतिरिक्त मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्युनल के सृजन का प्रस्ताव भेजा है परन्तु प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता करने की दृष्टि से सरकार को इसे मानना संभव नहीं हुआ है ।

(घ) दिल्ली प्रशासन के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है उनका विचार है कि विभिन्न अतिरिक्त जिला जज कोर्ट और सिविल कोर्ट जिनके पास पहले ही अनिर्णीत मामले पड़े हैं के लिए अन्य मुकदमेबाजी मामले के अलावा मोटर गाड़ियों के प्रयोग से उत्पन्न क्लेम्स के आवेदनों को निपटाना संभव नहीं होगा ।

उपयोग के पश्चात टेट्रा पाक के जलाने से वायु दूषण

8594. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित बल्क वेंडिंग स्कीम के लिए अपेक्षित ट्रेटा पाक मिल्क कार्टन्स को उनके उपयोग के पश्चात् केवल जलाकर नष्ट किया जा सकता है ।

(ख) क्या प्लास्टिक के सामान के जलने से वायु दूषित होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वायु दूषण को समाप्त करने के लिए कोई पूर्वोपाय किये जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) प्रचुर मात्रा में दूध बेचने वाली मशीनों के जरिए दूध वितरित करने के लिए टेट्रा पैक दूध के डिब्बों की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार सीधे अपने निजी आधानों में दूध ले सकेंगे ।

(ख) और (ग) टेट्रा पैक आधानों का प्रचलन करने के प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

टेट्रा पाक के उत्पादन के लिए अपेक्षित मशीनें

8595. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेट्रा पाक मिल्क संबंधी प्रस्तावित योजना के लिये कच्चा माल तथा कार्टन्स तैयार करने हेतु विभिन्न किस्मों की कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या इन मशीनों को आयात करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कहां से तथा प्रत्येक प्रत्येक-मशीन की कीमत क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) टेट्रा पाक दुग्ध योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिल्क वैंडिंग दुग्ध मशीनों के इष्टतम उपयोग के लिए दुग्ध चूर्ण का आयात

8596. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध सप्लाई के लिये बल्क वेंडिग मशीन संबंधी प्रस्तावित योजना के लिये अतिरिक्त मात्रा में आयातित दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल की आवश्यकता होती है जिससे उन मशीनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या दूध के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ग) क्या दिल्ली के लिए भारी विदेशी मुद्रा खर्च करके एक दूसरा मिल्क प्रोसेसिंग संयंत्र आयात किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 'बल्कवेंडिग' मशीनें दूध या स्कीम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल को ताजे दूध के साथ मिलाकर तैयार किये गये क्रियागत दूध का वितरण करेंगी। उपलब्ध दूध और स्कीम दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल को मिलाकर इस संबंध में छोटे पैमाने पर शुरुआत करने का प्रस्ताव है । परियोजना 618 (आपरेशन फ्लड) के अन्तर्गत ऐसा स्कीम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दान के रूप में दिया जा रहा है । दुग्ध क्षेत्र में सम्भरक डेरियों के चालू होने से निकट भविष्य में देशी दूध के उत्पादन और उपलब्धि में वृद्धि होने की आशा है और परियोजना (आपरेशन फ्लड) के अन्तर्गत निर्धारित स्कीम दुग्ध चूर्ण और बटर आयल से अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दिल्ली में नई डेरी के लिये दुग्ध परिसंस्करण संयंत्र का आयात करने में लगभग 39 लाख रु० की विदेशी मुद्रा खर्च होगी ।

बल्क मिल्क वैंडिंग मशीन और टैट्रा पाक का निर्माण

8597. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में दुग्ध की सप्लाई के लिये बल्क मिल्क वैन्डिग मशीनों और प्लास्टिक की थेलियों (टैट्रा पाक) को लागू करने का निर्णय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के उपायों से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी ?

(ग) क्या प्लास्टिक की थेलियों का आयात किया जायेगा अथवा उनका निर्माण भारत में किया जायेगा : और

(घ) क्या इस योजना के लिये किसी फर्म का सहयोग मांगा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दिल्ली और अन्य महानगरों में दूध के वितरण के लिये प्रचुर मात्रा में दूध बेचने वाली मशीनों का प्रचलन करने का फैसला किया गया है। एक ही बार प्रयोग में आने वाले टेट्रा पैक के आधानों का प्रचलन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रचुर मात्रा में दूध बेचने वाली मशीनें दुग्ध वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिये लगाई जा रही हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा संस्थानों को आरम्भ करने के लिए कसौटी

8598. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष स्थान अथवा क्षेत्र में ग्रामीण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को आरम्भ करने की कसौटी क्या है; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में ऐसे संस्थान आरम्भ किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जिसका शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ेपन के मामले में स्थान सब से नीचे है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा परिषद् के तत्वावधान में 1956 से 1963 के दौरान देश के विभिन्न भागों में चौदह ग्रामीण उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किये गये थे । परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इनमें से अधिकांश संस्थान पड़ोसी विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किये गये हैं । इस योजना के अन्तर्गत कोई नया ग्रामीण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

वर्ष 1974-75 के दौरान राज्यों के खाद्यान्न वसूली लक्ष्य

8599. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों द्वारा 1974-75 में कितना खाद्यान्न वसूल किये जाने की संभावना है;

(ख) इस वर्ष में खाद्यान्न वसूली के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) यदि विभिन्न राज्य और विशेषकर बिहार प्रस्तावित मात्रा में खाद्यान्न वसूल नहीं कर सकें, तो क्या केन्द्रीय सरकार बिहार जैसे राज्यों के लिये, जो खाद्य समस्या का मुकाबला करने में असमर्थ है, विशेष प्रबन्ध करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) इस समय 1974-75 के दौरान खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की जा सकने वाली मात्रा का कोई ठीक-ठीक अनुमान देना सम्भव नहीं है ।

(ख) 1974-75 के दौरान खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिये कोई लक्ष्य निधारित नहीं किया गया है ।

(ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता ,कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता , मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

दिल्ली पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल में एल०एल०बी० पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव

8600. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वर्ष 1974-75 में दिल्ली के पत्राचार-पाठ्यक्रम स्कूल में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० ए० स० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम आरम्भ करने से सरकार का कोई संबंध नहीं है । दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों के मूल्यों पर नियंत्रण के संबंध में पंजाब सरकार द्वारा की गई मांग

8601. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री पी० गंगा देव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भी उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों के मूल्यों पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने की मांग की है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) उर्वरकों के संबंध में अभी हाल ही में पंजाब सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने सभी उर्वरकों के लिये अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है । कृमिनाशी औषधियों के संबंध में, पंजाब सरकार ने कोई विशिष्ट और औपचारिक अनुरोध नहीं किया है । तथापि, राज्य सरकार ने हाल ही में हुई बैठकों में कृमिनाशी औषधियों के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने की आवश्यकता के विषय में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

(ख) तीन प्रमुख उर्वरकों, अर्थात् यूरिया, केलसियम, एमोनियम नाईट्रेट और एमोनियम सल्फेट के अधिकतम बिक्री मूल्य सावधिक रूप से निर्धारित किये जा चुके हैं । अन्य उर्वरकों पर यह नियंत्रण लागू करने के लिये राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

कृमिनाशी औषधियों के मूल्यों पर मांग के उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है और उर्वरकों की कमी की वजह से मूल्यों में वृद्धि हुई है । इस स्थिति का सामना करने के लिये भारत सरकार कृमिनाशी औषधियों की पर्याप्त उपलब्धि की कोशिश कर रही है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

8602. **श्री पी०गंगा देव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के समग्र कार्यकरण की समीक्षा के लिए उन का मंत्रालय एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति दिल्ली तथा इसके उपनगरों के विकास के लिए भी उपाय सुझायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) जी, हां

(ख) समिति के प्रस्तावित विचारार्थ विषयों में से एक विषय यह है कि वह दिल्ली के विकास के लिये और उपायों का सुझाव दे ।

केन्द्र द्वारा घोषित मूल्य पर गेहूं वसूल करने की राज्य एजेंसी को अनुमति

8603. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है कि केवल राज्य एजेंसी को ही केन्द्र द्वारा घोषित मूल्य पर गेहूं वसूल करने दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने अभ्यावेदन किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) (क) और (ख) : किसी भी राज्य सरकार से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था । लेकिन विचार-विमर्श के दौरान पंजाब के मुख्य मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया था कि राज्य की एजेंसी केन्द्र के घोषित तरीके के अनुसार उचित मूल्य पर गेहूं का सारा कारोबार सम्भालने में सक्षम है ।

आदिवासियों को गृह निर्माण के लिए प्लाटों का आवेदन

8604. **श्री आर०आर० पटेल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों को गृह निर्माण के लिये प्लाट आवंटित करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या इस योजना को अन्य भूमिहीन श्रमिकों पर भी लागू किया जाता है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इस योजना से कितने आदिवासी तथा गैर-आदिवासी लोग लाभान्वित हुए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) निर्माण और आवास मंत्रालय की केवल आदिवासियों को मकान बनाने के लिये भूखण्ड देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है, तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अधीन, आदिवासियों सहित सभी पात्र मजदूरों को मुफ्त आवास स्थल दिए जाते हैं ;

(ग) अक्तूबर, 1971 से, जब से यह योजना आरम्भ हुई, पात्र मजदूरों को आवंटन के लिये मंजूर किये गये आवास स्थलों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	मंजूर किये गये आवास स्थलों की संख्या
1971–72	कुछ नहीं
1972–73	6,52,828
1973–74	2,32,674
कुल . .	8,85,502

इस योजना के अधीन विभिन्न वर्गों के लाभभोगियों के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

दादरा और नागर हवेली में वनस्पति घी की मांग तथा वहां वनस्पति घी की सप्लाई

8605. श्री आर०आर० पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में दादरा और नागर हवेली में वनस्पति घी की मांग कितनी थी ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रति माह कितनी सप्लाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दादर एवं नागर हवेली प्रशासन ने एक मीटरी टन प्रति मास की मांग का अनुमान लगाया है ।

(ख) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं है ।

थोक व्यापारियों और सरकारी एजेंसियों द्वारा राज्यवार वसूल किया गया गेहूं

8606. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक व्यापारियों द्वारा खरीदे गए गेहूं के राज्यवार नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और उन्होंने सरकार को कितनी मात्रा में गेहूं बेचा है और वे किसानों को राज्यवार कितना वास्तविक मूल्य अदा कर रहे हैं ; और

(ख) सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वसूल किए गए गेहूं के राज्यवार नवीनतम आंकड़े क्या हैं और उत्पादकों से किस मूल्य पर वसूल किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०; 6858/74]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा नशीली वस्तुओं तथा शराब के प्रयोग में वृद्धि

8607. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों में नशीली वस्तुओं और शराब का प्रयोग बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्व-विद्यालयों के अधि-कारियों ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी यह सूचित किया है कि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके विद्यार्थियों में नशीलीं वस्तुओं और शराब का प्रयोग बढ़ रहा है। जहां तक अन्य विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पांचवीं योजना में होशियार पुर-नादौन-हमीरपुर होते हुए जालंधर से मंडी तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

8608. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में होशियारपुर-नादौन-हमीरपुर होते हुए जालंधर से मंडी (हिमाचल प्रदेश) तक की सड़क को राजमार्ग के रूप में सम्मिलित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित राजमार्ग पर कितनी लागत आने की संभावना है तथा इसे कब तक मंजूर किये जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। राज्य के मुख्य इंजिनियर द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस सड़क (हिमाचल प्रदेश की सीमा में पड़ने वाले खंड के लिए) को राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक सुधार करने के लिए अपेक्षित कुल धन राशि लगभग 10.11 करोड़ रुपये आती है जिस में इस सड़क पर पड़ने वाले मौजूदा कमजोर पुलों के निर्माण/बदलने अथवा सशक्त करने के लिए 2.50 करोड़ रुपये की एक मुश्त व्यवस्था शामिल है पंजाब में इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक दोहरी गली वाली पटरी सहित विकास करने पर 46 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। धन की उपलब्धता, अखिल भारत आधार पर प्रत्येक योजना की पारिस्परिक प्राथमिकता और यह कि सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए निर्धारित कसौटी को कहां तक पूरे करते हैं, को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कें शामिल करने के लिए प्रस्ताव बनाते समय विभिन्न राज्यों तथा अन्य जगहों से प्राप्त इस प्रकार के बहुत से अन्य प्रस्तावों सहित इस प्रस्ताव को विचारार्थ नोट कर लिया है। परन्तु चूंकि

पांचवीं योजना अभी तक प्रारम्भिक चरण में है अतः पांचवीं पंच वर्षीय योजना कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में किसी विशेष सड़क को कहां तक शामिल किया जायेगा, यह बताना इस समय संभव नहीं है।

दिल्ली में सैनिक कर्मचारियों के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के दूध टोकन

8609. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली में नियुक्त सैनिक कर्मचारियों को दूध के टोकन जारी करने में प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 में कितने-कितने सैनिक कर्मचारियों को दूध के टोकन जारी किये गये; और

(ग) इन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सैनिक कर्मचारियों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बो० पी० मौर्य) : (क) दिल्ली में रहने वाले सैनिक कर्मचारियों से दूध के टोकन जारी करने के लिये प्राप्त होने वाले आवेदनों की प्रतीक्षा सूची में उच्च प्राथमिकता देकर दर्ज किया जाता है और इस विशेष प्रतीक्षा सूची में से जब कभी सम्भव होता है बारी-बारी से टोकन जारी किये जाते हैं।

(ख) इससे पहले 1971-72 में 203 सैनिक कर्मचारियों को इकट्ठे टोकन जारी किये गये थे। उसके बाद अन्य लोगों के साथ-साथ सैनिक परिवारों के लिए भी कुछ बहुत ही खास मामलों में, जैसे कि चिकित्सा के आधार पर विधवाओं और सैनिकों से अलग रहने वाले उनके परिवारों के मामलों में आवेदन स्वीकार किए गए हैं।

(ग) 1971-72, 1972-73, 1973-74 में दिल्ली में रहने वाले सैनिक कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2
1971-72	1042
1972-73	2803
1973-74	1604

दिल्ली में वनस्पती की कमी

8610. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में वनस्पति की अत्यधिक कमी बराबर बनी हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और सप्लाई कब उपलब्ध करायी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) श्रम सम्बन्धी विवाद होने का कारण डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स दिल्ली के 9 मार्च, 1974 से बराबर बंद रहने के परिणामस्वरूप अधिकांशतः दिल्ली में इस समय वनस्पति की कमी महसूस की जा रही है। दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समझौता करवाने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के बावजूद, मिल अभी भी बंद पड़ी है। आशा है कि इस यूनिट द्वारा पुनः उत्पादन शुरू करने से सप्लाई स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा।

गोरक्षा समिति का प्रतिवेदन

8611. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गो-रक्षा समिति ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने अपने प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को प्रस्तुत करने के बाद रिपोर्ट की प्रति लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सौराष्ट्र क्षेत्र में पेय जल

8612. **श्री बेकारिया** :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पेय जल की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र ने क्या सहायता दी है ; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां

(ख) ठेलों टैंकरों द्वारा तथा कुए खोदकर, उन्हें गहरा करके और उनकी मरम्मत करके, पेय जल की पूर्ति के लिये वर्ष 1973-74 के दौरान 35 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी।

(ग) 15 अप्रैल, 1974 तक 111 ग्रामों तथा राजकोट, गोंड़ल और जामनगर के शहरों में 349 बरमें लगाये जा चुके हैं। और आगे कार्य चल रहा है। 126 ग्रामों तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में पेय जल की पूर्ति के लिये 175 टैंकरों का प्रयोग किया जा रहा है। 41 कुए खोदे गए हैं अथवा गहरे किये गये हैं तथा 12 कुए खोदे जा रहे हैं।

गुजरात में चीनी के कारखाने के विस्तार की योजना

8613. श्री बेकरिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में चीनी के कारखानों के विस्तार की कोई योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

झुनझुंनू, राजस्थान में सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम हेतु नियमतन

8614. श्री शिवनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में झुनझुनूं जिले को झुनझुनूं तथा चिड़ावा तहसीलों के लिये सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिये सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई योजना मंजूर की गई थी और यदि हां, तो उसका कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं,

(ख) इस योजना के लिये कुल कितना नियतन किया गया और कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है, और

(ग) वित्तीय वर्ष 1973-74 के अन्त तक किन-किन योजनाओं पर व्यय करने के लिये राजस्थान को कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के झुनझुनूं जिले की चिड़ावा तथा झुनझुनूं तहसीलों में लागू किया गया था। राज्य सरकार ने झुनझुनूं तहसील के लिये किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं किया था। चिड़ावा तहसील के लिए दो सिंचाई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया था, जो मंजूर नहीं की गई थीं, क्योंकि उनकी लागत इस मंत्रालय द्वारा विहित मानकों के भीतर नहीं थी। इस लिये राज्य सरकार से इनके स्थान पर दूसरी योजनायें बनाने के लिए कहा गया था। तथापि, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये इसलिये चौथी योजना में इन दोनों तहसीलों के लिये कोई कार्यक्रम मंजूर नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1970-71 से 1973-74 के दौरान राज्य को लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वनरोपण, सड़कें, पीने के पानी, आदि के क्षेत्रों की योजनाओं के लिये कुल 13.81 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। यह राज्य दिसम्बर, 1973 तक कुल 13.17 करोड़ रुपये व्यय कर सका। 1973-74 के पूरे वर्ष के व्यय के आंकड़े अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों के निर्माण के लिए राजस्थान को मंजूरी दी गई धनराशि

8615. श्री सिवनाथ सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों के निर्माण के लिए राजस्थान को कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा उस राशि में से किन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) भारत में सभी राज्यों के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) क्या राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा पाकिस्तान से लगी सीमा की अधिक लम्बाई के कारण आगामी वर्षों में राजस्थान की सीमा सड़कों के लिए राजस्थान को अधिक धनराशि अलाट की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6859/74]

(ख) सारे भारत में प्रश्नगत योजनाओं के लिए चतुर्थ योजना के दौरान 2,74,04.26 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई।

(ग) संभवतया सदस्य पांचवीं योजना के विभिन्न वर्षों के दौरान धन की व्यवस्था के बारे में स्थिति जानना चाहते हैं। यह वर्ष प्रतिवर्ष की बजट संबंधी स्थिति पर निर्भर करेगी। इसलिये अगले वर्षों में जितने धन की व्यवस्था की जानी है उसके बारे में इस समय कुछ कहना कठिन है, और केवल यही कहा जा सकता है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों की आवश्यकता की ओर निश्चित रूप से उचित ध्यान दिया जाएगा।

अकादमी परिषद, कार्यकारी परिषद और विश्वविद्यालय कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों के व्यापक प्रतिनिधित्व की मांग

8616. श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद्, कार्यकारी परिषद् तथा विश्वविद्यालय कोर्ट में छात्रों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के व्यापक प्रतिनिधित्व के लिए मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा किन-किन संगठनों ने ये मांगें की हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त मांगों को मानने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार राज्यों के अन्य विश्वविद्यालयों को निदेश देगी कि वे अपनी परिषदों, तथा कोर्टों में यही सिद्धांत तथा मार्गदर्शी सिद्धांत अपनायें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और यदि नहो, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है और अन्य बातों के साथ साथ अकादमी परिषद् तथा कार्यकारी परिषद कोर्ट में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भाग लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षक संघ की नियुक्ति की थी ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ

(i) अकादमी परिषद् कार्यकारी परिषद् तथा कोर्ट में शिक्षकों का व्यापक प्रतिनिधित्व;

(ii) अकादमी परिषद् कार्यकारी परिषद् और कोर्ट में छात्रों का प्रतिनिधित्व; और

(iii) कार्यकारी परिषद् तथा कोर्ट में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ

(i) अकादमी परिषद्, कार्यकारी परिषद् तथा कोर्ट में छात्रों का प्रतिनिधित्व; और

(ii) कार्यकारी परिषद् तथा कोर्ट में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व ।

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ

कार्यकारी परिषद में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षक संघ की नियुति की ।

(i) अकादमी परिषद् में शिक्षकों का व्यापक प्रतिनिधित्व; और

(ii) अकादमी परिषद् में छात्रों का प्रतिनिधित्व ।

(ग) मांगें विश्वविद्यालीय प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं ।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालयों के अभिशासन के संबंध में गजेन्द्रगडकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा भाग लेने से संबंधित अन्य बातों के साथ-साथ अनेक सिफारिशें कीं हैं । भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समिति की शिफारिशें सिद्धांत रूप में मान ली है । विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करते समय बिचार करने के लिए समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों को भी भेज दी गई है ।

मांड़ के निर्माताओं को मक्का की सप्लाई

8617 **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच तालमेल न होने के कारण मांड़ निर्माताओं को अपने कारखाने चालू रखने के लिए मक्का का उत्पादन करने वाले राज्यों से पर्याप्त मात्रा मे मक्का प्राप्त करने मैं कठिनाई होती है ;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा जारी किए गए परमिट निरर्थक हो गए हैं क्योंकि कारखानों को उचित मात्रा में मक्का उपलब्ध नहीं हो पाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी नीति की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) स्टार्च उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों तथा इस तथ्य को कि वस्त्र उद्योग और एंटीबायोटिक उद्योग स्टार्च उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों पर निर्भर करते हैं, को ध्यान में रखते हुए; जो राज्य मक्का के बारे में अधिशेष है और जहां मक्का के संचलन पर अन्तर्राज्यिय प्रतिबन्ध लगे हुए है; उनको लिखा गया था कि वे अखिल भारत स्टार्च निर्माता संघ के माध्यम से स्टार्च कारखानों की मक्का की कुछ मात्रा वसूल करने में सहायता करें । कुछेक अधिशेष राज्यों ने अपेक्षित सहायता प्रदान की थी। मोटे अनाजों के संचलन पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटाने से अब स्थिति बदल गई है।

निम्न मध्यवर्ग के लिए आवास और नगरीय विकास निगम की आवास योजना

8618. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या आवास और नगरीय विकास निगम ने नगरीय क्षेत्रों के लिय आवास योजनाएं बनायीं हैं जिनमें एक मकान पर 7000 रुपये से अधिक की लागत आयेगी;

(ख) क्या निम्न मध्य वर्ग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसका पुनरीक्षण करने तथा नगरीय क्षत्रों में 2000 रुपये की लागत वाले मकान तैयार करने का है; और

(घ) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) आवास तथा नगर विकास निगम केवल अर्थव्यवस्था करने वाला अभिकरण है। यह राज्य सरकारों, राज्य आवास बोर्डों, सुधार न्यासों आदि को ऋण प्रदान करता है। कलकत्ता में एक आवास योजना को छोड़कर, जिसका निष्पादन आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा स्वयं किया जा रहा है, यह स्वेच्छा से किसी योजना का निष्पादन नहीं कर रहा है। उधार लेने वाले अभिकरण, स्थानीय परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखकर योजनाएं भेजते हैं । मकानों/फ्लेटों की लागत इन स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं । तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम ने एक मंजिले मकान का एक टाइप-डिजाइन 2,500 रुपये की अनुमानित लागत का तैयार किया है, जिसमें भूमि की कीमत शामिल नहीं है ।

(घ) एक विवरण पत्र संलग्न है

देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय की निम्नलिखित दो योजनाएं हैं :—

(i) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना ।

2. ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम राज्य क्षेत्र में है । आवास सहित राज्य क्षेत्र मे सभी कार्यक्रमों के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों का केन्द्रीय वित्तिय सहायता "सेमकित ऋणों" तथा "सेमकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है । यह सेमकित केन्द्रीय सहायता किसी विशेष योजना परियोजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं है । इस प्रकार राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाने के लिए कार्यक्रम बनाने तथा निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं ।

3 जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों की आवास स्थल देने को योजना का संबंध है यह योजना भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने पर राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है। वर्ष 1973-74 के दौरान जब यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र में थीं, इस योजना के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं के निष्पादनार्थ विभिन्न राज्य सरकारों को 290.99 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तिय सहायता प्रदान की गई थी ।

खेल-कूद निकायों का गठन

8620. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खेल-कूद निकायों में कुछ व्यक्तियों का प्रभुत्व है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी खेल-कूद निकायों के गठन का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या सरकार सहायक संगठनों को दानों के रूप में दी जाने वाली धनराशि से पूर्व उनकी गतिविधियों की जांच करने के लिए कोई उपाय करती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें कुछ व्यक्ति काफी लम्बी अवधि तक खेल संगठनों के पदधारी बने रहे। राष्ट्रीय खेल संगठन/संघ प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं और सरकार का उनके स्वतंत्र कार्यकलापों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। तथापि, इन संगठनों/संघों को प्रदान किए गए (सार्वजनिक) कोषों की दृष्टि से नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय खेलों और प्रतियोगिताओं से उपलब्ध परिणामों और विदेश में देश की तस्वीर को भी ध्यान में रखते हुए उनके अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अनुकूल सरकार ने कुछ मानदंड और रूपरेखाएं निर्धारित की हैं, जिनके सन्दर्भ में उनकी आगामी सहायता और ऋणत्व भारतीय ओलम्पिक संघ/राष्ट्रीय खेल संघों को अवसर आने पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में सरकार ने जो रूपरेखाएं अपने लिए निर्धारित की हैं और जिन रूप-रेखाओं को सम्बन्धित संगठनों को दिनांक 9 अप्रैल, 1974 को भेजा गया है, वे इस प्रकार हैं :—

(i) कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय संगठन का लगातार एक कार्यकाल अथवा तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए न तो पदधारी रहा है और न ही रह सकता है, अथवा अधिक से अधिक दो कार्यकाल अथवा छः वर्ष तक पदधारी रह सकता है, जबकि दूसरी कार्यावधि का चुनाव सर्वसम्मति से सम्पन्न हुआ हो।

(ii) कि किसी राष्ट्रीय संगठन का पदधारी एक ही समय में किसी अन्य राष्ट्रीय संगठन का पदधारी नहीं होता है ।

स्पष्टीकरण:— उपरोक्त (i) और (ii) धाराओं में उल्लिखित पदाधिकारी शब्द का अभिप्राय यह है :—

(क) अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष

(ग) कोषाध्यक्ष

(घ) सचिव/महासचिव अथवा कोई समानुरूपी पदाधिकारी ।

(iii) कि संगठन के वार्षिक लेखे समुचित रूप से रखे गए हैं और उनका नियमित रूप से लेखा परीक्षा तथा इसके विधान के अंतर्गत यथाअपेक्षित विभिन्न कार्यकारी बैठकों को यथाविधि आयोजित किया गया है।

(iv) प्रत्येक राष्ट्रीय संगठन/संघ अपने विशिष्टिकरण के विशेष क्षेत्र में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के पूर्व-अनुमोदन से राष्ट्रीय प्रशिक्षणों को या तो नियुक्त करता रहा है अथवा करेगा ।

(v) कि राष्ट्रीय संगठन/संघ जहां कहीं भी संभव हो, विशिष्टिकरण के अपने-अपने क्षेत्रों में जूनियर तथा उप-जूनियर स्तरों पर विशिष्ट आयु वर्गों के लिए वर्ष में कम-से-कम दो प्रतियोगिताओं का आयोजन करते आए हैं अथवा करेंगे ; इन प्रतियोगिताओं को प्रत्येक राज्य में अन्तः खंड और अन्तः जिला के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए; जोकि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के लिए पथ प्रदर्शन करेंगी ;

(vi) कि राष्ट्रीय संगठनों/संघों के विशिष्टिकरण के उनके विशेष क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत उनकी सदस्यता राष्ट्रीय संगठनों/संघों से सम्बद्ध समनुरूपी राज्य और अन्य विशेष एककों तक ही सीमित होती है और जब कभी भी कोई राष्ट्रीय संगठन/संघ किसी व्यक्तिगत क्लब अथवा व्यक्ति विशेषों को अपनी सदस्यता प्रदान करते हैं, तो उक्त सदस्यता इन सदस्यों को इस प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है कि वे संगठनों/संघों की बैठकों में मतदान कर सकें।

सम्बन्धित खेल-कूद संगठनों को सरकारी सहायता की पात्रता के लिए अपने उपबन्धों और प्राविधियों का निर्धारण करने के लिए 15 सितम्बर, 1974 तक का समय दिया गया है।

लघु सिंचाई योजना के विकास के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना

8621. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राज्य में लघु सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए उड़ीसा सरकार ने यदि कोई योजना प्रस्तुत की है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या उसके लिए केन्द्रीय सहायता भी मांगी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य : (क) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा सरकार से राज्य में लघु सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कोई विशेष योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हुगली, पश्चिमी बंगाल में भुखमरी के कारण मौतें

8622. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हुगली, पश्चिम बंगाल में भुखमरी के कारण हुई मौतों के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Major Road Transport Problems

8623. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Federation of Bombay Motor Transport Operators and Indian Federation of Transport Operators had invited Government's attention towards the major road transport problems on the 12th July, 1973 and submitted a memorandum in regard thereto; and

(b) if so, the features thereof and the steps taken by Government to ease these problems ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) No communication or Memorandum dated 12-7-1973 has been received by Government from any of the two Federations. However, the Indian Federation of Transport Operators, Bombay forwarded a set of eight resolutions adopted at the All India Convention of Road Transport Operators held in Bombay on 12-5-73. A gist of these resolutions is given below :—

Resolution 1—Ministry of Heavy Industry should direct the Commercial vehicle manufacturers, notably M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., to stay implementation of the recent increase of about Rs. 4,000/- in the price of Tata truck and bus chassis. Government should institute an enquiry into the reasons for the frequent

price increases effected by the manufacturers since 1967-68. They should further consider re-imposing informal control on prices of commercial vehicle chassis. Ministry of Heavy Industry should also direct the vehicle manufacturers to regularly supply a quota of chassis at concessional rates to Unions/Federations or co-operative Societies of small transport operators for distribution to their members.

Resolution No. 2 : A separate Ministry or Department may be created both at the Central and State levels to protect the interest of the consumers.

Resolution No. 3 : The Union Government as well as State Governments should take effective measures to regulate the sale and distributions of truck tyres and tubes under the Essential Commodities Act. 1955. Representives of organizations of transport operators should be associated with the distribution machinery.

Resolution No. 4 : The State Governments should frame rules to regulate the working of goods booking agencies to prevent exploitation of small transport operators.

Resolution No. 5 : Government should set up suitable machinery for effective control over the prices and equality of essential spare parts of motor vehicles and take measures to stop black-marketing in these parts.

Resolution No. 6 : Applications for grant of permits under the Zonal Schemes should be considered on merits. Preference should, however, be given to operators, who have a record of efficient service in the Zone. The procedure for issue of Zonal permits should be simplified so that the maximum number of persons engaged in the transport trade can derive benefit from it.

Resolution No. 7 : The State Governments should abolish octroi and toll taxes as recommended by Road Transport Taxation Enquiry Committee.

Resolution No. 8 : Government should direct their departments and undertakings to award transportation contracts to Unions, federations, associations or co-operative societies of small transport operators directly so that the middle-men in the trade may be eliminated.

2. Ministry of Shipping and Transport are mainly concerned with Resolutions 4, 6 and 7.

3. As regards Resolution No. 4, provisions have already been made in the Motor Vehicles Act, 1939 for the licensing of agents engaged in the business of collecting, forwarding or distributing of goods carried by public carriers. Model Rules on the subject have been circulated for the guidance of the State Governments. The rules made by the Delhi Administration have been challenged in the Supreme Court. The other State Governments are awaiting the judgement of the Supreme Court.

4. So far as Resolution No. 6 is concerned, permits for goods vehicles under the Zonal Schemes are also granted by Transport Authorities appointed by State Governments under the Motor Vehicles Act. These authorities function in a quasi-judicial manner and the considerations which are required to be taken into account by them in dealing with applications for permits are laid down in Section 55 of the Motor Vehicles Act.

5. With regard to Resolution No. 7, abolition of octroi falls within the jurisdiction of the State Governments. The Central Government have been endeavouring to persuade the State Governments to implement the recommendations of the Road Transport Taxation Enquiry Committee in this regard. Abolition of octroi depends, however, on locating acceptable alternative taxes. Although several alternatives have been considered, from time to time, it has not been possible so far to decide on suitable substitute taxes.

6. A delegation of the Indian Federation of Transport Operators met the Minister Shipoping and Transport on 5-11-1973, when the above position was explained to it. The elegation had also called on the Ministers of Heavy Industry and Industrial Development and placed before them the difficulties of the operators in obtaining tyres, chassis, etc.

To be answered on the 29th April, 1974

Agricultural Farm and their Work

8624. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the agricultural farms being run by the Central Government at present alongwith the locations thereof and the annual expenditure being incurred thereon;

(b) the revenue earned from these farms during 1972 and 1973; and

(e) the investment made on each of these farms by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) The Central State Farms are managed by the State Farms Corporation of India, a Government of India Undertaking. The Farms at Suratgarh, Jetsar, Hissar, Jharsuguda and Raichur had been established prior to the formation of State Farms Corporation of India and the administrative control of these Farms were transferred to the Corporation on 1st August, 1969. The Corporation has opened additional Farms since then. A statement showing the investments made on these Farms, the expenditure incurred and the revenue earned from these Farms in 1971-72 and 1972-73 is appended. The investmen; refers to the total investments made on these Farms since their inception.

Statement

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the Farm & Location	1971-72			1972-73		
		Revenue Earned	Expenditure incurred	Investment made	Revenue Earned	Expenditure incurred	Investment made
1.	Central State Farm Suratgarh (Raj.)	107.08	88.47	192.56	160.36	103.57	193.96
2.	Central State Farm Jetsar (Raj.)	19.94	19.80	67.25	35.60	26.58	72.14
3.	Central State Farm Hissar (Haryana)	31.51	25.22	57.09	38.85	29.11	65.33
4.	Central State Farm Ladhowal (Punjab)	13.85	12.57	46.94	20.00	21.10	57.08
5.	Central State Farm Rajchur (Mysore)	18.48	18.36	57.45	28.85	27.30	66.47
6.	Central State Farm Cannanore (Kerala)	6.04	7.50	30.90	12.27	12.31	34.51
7.	Central State Farm Chengam (Tamil Nadu)	3.38	3.94	13.02	13.86	13.86	36.80
8.	Central State Farm Kokilabari (Assam)	0.69	2.09	10.28	2.08	5.81	15.04
9.	Central State Farm Jharsuguda (Orissa)	1.14	9.11	17.99	0.71	3.03	9.47
10.	Central State Farm Rai-Bareili (U.P.)				0.93	0.97	3.56
11.	Central State Farm Khammam (A.P.)	..	..	..	3.89	4.29	8.26

NOTE :—1. The information tabulated above does not include Mizoram Farm as it is a developmental Project undertaken on behalf of Government and does not constitute part of the Copn.

2. Revenue earned includes sales income and other miscl. income of the farm.
3. Expenditure incurred is revenue expenditure including depreciation on assets and write off of deferred revenue expenses.
4. Investment is upto date net investments in assets after providing for depreciation.
5. Since the financial year of the Corporation is from July to June, the information furnished relates to agricultural years ending June, 1972 and June, 1973.

Staff Strength, Administrative Expenditure and Loss incurred by FCI

8625. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total staff strength and the administrative expenditure of the Food Corporation of India at the time of its formation in 1965 and at present, separately; and

(b) the total loss incurred by it so far and the causes thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) The staff strength and the administrative expenditure of the Food Corporation of India in 1965 and at present are as under :—

Staff Strength		Administrative Expenditure (In crores of rupees)	
1965	As on 31-3-73	1965-66	1972-73
2,150	50,522	1.17	25.02 (Provisional)

(b) The Corporation has not incurred any loss during the years from 1965-66 onwards.

Activities of NCERT

8626. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the main activities of the National Council of Educational Research and Training at present and the total administrative expenditure incurred thereon and the categories of officers working therein; and

(b) the fields in which this Council conducted research studies during 1973-74 and the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The main activities of the National Council of Education Research and Training at present are as follows :

(i) research and development relating to the quality of education in schools, involving particularly development of curriculum, textbooks, teacher's guides, instructional materials, test items, science kits, audio-visual aids, etc.

(ii) pre-service and in-service training of secondary school teachers and teacher educators, such as 4 year course in science for pre-service training of science teachers, summer school correspondence course, short-term in-service courses for teacher educators.

(iii) orientation courses for primary and secondary teacher associations at the all-India and State levels.

(iv) the liaison with the State Departments of Education through Field Units.

(v) publication of textbooks, supplementary readers, research monographs, educational journals.

The estimated expenditure incurred in 1973-74 is Rs. 3.24 crores (both Plan and non-Plan).

The officers working in the Council can be broadly classified into 3 categories viz. academic, non-academic (ministerial and administrative) and ancillary. Academic staff consists of Professors, Readers, Lecturers, etc., non-academic staff consists of Under Secretaries, Assistant Secretaries, Section Officers, Superintendents, Personal Assistants, etc., and ancillary staff consists of Editors, Assistant Editors, Production Officers, Assistant Production Officers, etc., in the Publication Department of the Council, Library staff in the N.I.E. Library and Documentation Unit and technical staff such as Technical Officers, Formen, Technicians, Mechanics, etc., working in the Workshop Department.

(b) The N.C.E.R.T. conducted research studies during 1973-74 in the following fields :—

(i) Education in Science and Mathematics.

(ii) Education in Social Sciences and Humanities.

(iii) Educational Psychology and Foundations of Education.

(iv) Teacher Education.

(v) Pre-Primary and Primary Education.

Research and development work in curriculum, textbooks, kits, audio-visual aids, etc. is a continuous work. In the case of some research studies the reports are available and being examined for implementation or any other action to be taken. Some are still going on. For example, a draft curriculum in the new 10+2 pattern of school education was prepared for Classes I to X. Further work in the development of curriculum is going on. Textbooks which were published earlier are in the process of revision so as to make them up-to-date and in some cases new books have been written. Science kits were produced as prototypes and tried out in the field.

अशोक विहार में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए फ्लैटों का निर्माण

8627. **श्री मूल चन्द डागा:** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अशोक विहार में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाये गये उन 188 फ्लैटों के निर्माण के बारे में जांच की है जिनमें ठेकेदार ने घटिया किस्म की निर्माण समग्री का प्रयोग किया था ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) इन निष्कर्षों पर सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार फ्लैट मालिकों को कोई राशि वापस करने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग ने कुछ त्रुटियां बतायी थीं। इनमें से अधिकांश त्रुटियां आम किस्म की थीं, सिवाय दीवारों तथा फर्श की ईंटों के मामले में जिसमें ठेकेदार ने घटिया किस्म की ईंटों का इस्तेमाल किया प्रतीत होता है; किन्तु दीवारों में प्रयोग की गई घटिया किस्म की ईंटों की मात्रा का पता नहीं चल सका। फ्लश डोर शटर्ज तथा सीमेंट के मसाले के परीक्षण के परिणाम सन्तोषजनक पाये गये ।

(ग) आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ठेकेदार के अन्तिम बिल में से उपयुक्त वसूली करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) जी, नहीं।

कृषि जोतों की चकबन्दी के लिए कानून

8628. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि जोतों की चकबन्दी के लिए देश के कुछ राज्य में अभी तक कानून पास नहीं किया गया।

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) संबंधित राज्यों में कृषि जोतों की चकबन्दी संबंधी कानून को शीघ्र पास करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र, केरल, मणिपुर,, मेघालय नागालैण्ड, तमिलनाडु और त्रिपुरा में अभी तक कृषि जोतों की चकबन्दी के लिए कोई कानून पास नहीं किया गया है।

(ग) कृषि जोतों की चकबन्दी के काम को प्रोत्साहन देना भारत सरकार की भूमि सुधार नीति का एक प्रमुख भाग रहा है। राज्य सरकारों के समय-समय पर जोतों की चकबन्दी का काम हाथ में लेने के लिए कहा गया है, जोकि संविधान के अंतर्गत राज्यों का विषय हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी देश भर में जोतों की चकबन्दी के काम को हाथ में देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में आवास समस्या

8629 **श्री विभूति मिश्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्र की आवास समस्याओं का समाधान करने का परामर्श दिया है ;

(ख) इस परामर्श का सारांश क्या है; और

(ग) अनुवर्ती कार्यवाही कहां तक किये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) निर्माण और आवास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवासीय दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित दो आवास योजनायें प्रत्येक के सामने लिखे वर्ष में, आरम्भ की :—

(1) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम 1937

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना . 1971

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था। राज्यों को, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम तथा अन्य सामाजिक आवास योजनाओं सहित राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जिसे किसी विशेष योजना, परियोजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं किया जाता। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए समेकित नियतन तथा उपयोग करने में स्वतंत्र हैं।

उपर्युक्त (2) में उल्लिखित योजना को, 1971 में सरकार के एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र में आरम्भ किया गया था। इस योजना को भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है। तथापि, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों की आवास-समस्या के महत्व को देखते हुए, इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 108.16 करोड़ रुपये की बड़ी राशि की अलग से व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण आवास कार्यक्रम तथा विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली यदि कोई कठिनाइयां तथा अड़चनें हों तो उन पर, राज्यों के आवास मंत्रियों के सम्मेलनों में समय-समय पर तथा राज्यों के अधिकारियों के साथ योजना आयोग में वार्षिक योजना पर होने वाली चर्चाओं में प्रतिवर्ष विचार किया जाता है।

Thrashing Students problems with students, union leaders

8630. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have any proposal to invite the leaders of the Students' unions of various universities to thrash out the problems of the students ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurual Hasan): (a) and (b) The Deputy Ministers in the Ministry of Education and Social Welfare propose to meet, amongst others, representatives of Student Youth in separate meetings at the various State capitals in the near future.

The Central Advisory Board of Education Committee on Student Unrest at its meeting held at New Delhi on April 18, 1974 has also decided to meet, amongst others, the representatives of Students Unions of different Universities at its next meeting proposed to be held at New Delhi on May 20-21, 1974.

कृषि उत्पादन बढ़ाना और अनाज के उत्पादन पर बल देना

8631. **श्री विभूति मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा इस कार्य में अनाज के उत्पादन पर बल देने के लिए लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में उन्होंने अब तक क्या कार्यवाही कि है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) प्रधान मंत्री ने हाल ही में मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पादन की चुनौती का सामना करने के लिए अपनी शक्तियां जुटाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस पत्र में उन्होंने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में उत्पादन बढ़ाने के लिए शामिल किये गये कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता की ओर उनका व्यक्तिगत ध्यान दिलाया है।

(ख) तथा (ग) : इस सम्बन्ध में अब तक जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनमें मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्री के पत्र में दिये गये सुझावों के अनुसार काम करने पर सहमति प्रकट की है।

रायगढ़ में भवन निर्माण तथा शिवाजी की मूर्ति की स्थापना

8632. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रायगढ़ में भवन का निर्माण करने और शिवाजी की मूर्ति स्थापित करने के महाराष्ट्र सरकार के प्रयास पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रायगढ़ किले के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अभ्यावेदन किया है कि रायगढ़ किला उसे सौंपा जाये; और

(ङ) यदि हां, तो उसके अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित निर्माण कार्य तथा मूर्ति की स्थापना पुरातात्विक सिद्धांतों तथा पद्धति के अनुसार नहीं है। सर्वेक्षण की नीति, संरक्षित स्मारकों को, उनमें किसी प्रकार की आधुनिक संरचना, मूर्तियां इत्यादि की बढ़ोतरी किये बिना, जिससे उनके प्राचीन स्वरूप पर असर पड़ता है। उनकी मौजूदा स्थिति में ही बनाए रखना है। यदि रायगढ़ के किले में आधुनिक निर्माण कार्य किया जाता है तथा आधुनिक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई मूर्ति इसमें रखी जाती है तो इस किले की पवित्रता कम हो जाएगी।

(ग) क्योंकि रायगढ़ का किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है इसलिए, राज्य सरकार को इस स्मारक के संरक्षण तथा रख रखाव के बारे में कोई अधिकार नहीं है। स्मारकों के पहुंच-मार्ग उपलब्ध करने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथा साथ ही कानून और व्यवस्था जैसे मामलों का दायित्व भी राज्य सरकार का है।

(घ) जी, हां। वर्ष 1962 में, महाराष्ट्र सरकार के, शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग के सचिव ने, महानिदेशक से इस स्मारक को केन्द्रीय सूची से हटाने का अनुरोध किया था ताकि राज्य सरकार इसे अपने अधिकार क्षेत्र में संरक्षित स्मारक के रूप में ले सके।

(ङ) केन्द्रीय सरकार इस विचार को मानने में असमर्थ है कि छत्रपति शिवाजी द्वारा बनाया गया रायगढ़ का किला राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नहीं है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रख रखाव की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। अतः केन्द्रीय सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकती।

मुगल लाइन्स को वार्षिक घाटा

8633. **श्री शंकर राव सावन्त :**
श्री मधु दण्डवते :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकण समुद्री तट पर यात्रि सेवा के संदर्भ में मुगल लाइन्स को कितना वार्षिक घाटा होने का संभावना है,

(ख) क्या इन घाटों को माल ढुलाई सेवा से होने वाले लाभों के साथ जोड़ा जायेगा,

(ग) क्या इन घाटों को मद्रास तथा अंडमान के बीच यात्री सेवा में होने वाले घाटों के समान माना जायेगा, और

(घ) यदि उक्त भाग (ख) तथा (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) संभावित वार्षिक हानि का अनुमान 23.50 लाख रुपये हैं।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं।

(घ) यह निश्चय किया गया है कि कोंकण तटीय यात्री सेवा को "न लाभ न हानि" के आधार पर चलाया जाये।

महाराष्ट्र में सड़कों के निर्माण अथवा रख-रखाव के लिए राज सहायता तथा ऋण

8634. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार सड़कों तथा आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सड़कों के निर्माण अथवा रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता (राज सहायता तथा ऋण) देती है।

(ख) महाराष्ट्र की कौन-कौन सी सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं, और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र की इन में से प्रत्येक सड़क के लिए कितनी सहायता देने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत चुने हुए सड़क/पुल कार्यों के विकास/निर्माण के लिए ऋण सहायता दी जाती है। चौथी योजना में, महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 प्रतिशत ऋण सहायता से निम्नलिखित नई परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की सहमति हुई :

	अनुमानित लागत
1. कोलाबाद जिले में अलीबाग-रेतादन्दासालार मुरन्द सड़क पर रेवादन्देर क्रीक पर पुल	60.00 लाख रु०
2. मन्दनगढ़-महप्राल-अमेत-कुदा सड़क पर महाप्राल में सावित्री नदी पर पुल	50.00 लाख रु०
3. तारापुर-वायसार सड़क . .	29.26 लाख रु०

चौथी योजना अवधि में महाराष्ट्र सरकार को कुल 51.99 लाख रु० दिया गया।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में विभिन्न योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था वर्षानुवर्ष महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र को उक्त योजनाओं में से प्रत्येक के लिए कितनी धन राशि दी जाएगी।

महाराष्ट्र में ग्रामीण पेय जल सप्लाई योजना

8635. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 में महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण पेय जल सप्लाई योजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता मांगी थी और उसको कितनी सहायता दी गई, और

(ख) उक्त उद्देश्य के लिये वर्ष 1974-75 के दौरान कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है और किन-किन परियोजनाओं के लिए ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ओम मेहता : (क) महाराष्ट्र सरकार ने 520.03 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 136 ग्रामीण जलपूर्ति योजनायें भेजी थीं जिनमें से, केन्द्रीय सरकार ने त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 323.53 लाख रुपये की अनुमानित लागत की 87 योजनायें अनुमोदित कर दी थीं। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे योजनाओं की अनुमोदित सूची में से ऐसी योजनायें चुन ले और उन्हें आरम्भ करें जिनकी लागत उपलब्ध नियतन से पूरी की जा सके। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान मांगी गई सहायता तथा दी गई निधियां निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता	केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि
1972-73	135.17 लाख रुपये	106.00 लाख रुपये
1973-74	223.23 लाख रुपये	79.00 लाख रुपये

वित्तीय दबावों के कारण राज्य सरकार को और अधिक निधियां नहीं दी जा सकीं।

(ख) इस कार्यक्रम को पांचवी योजना में केन्द्रीय योजना के रूप में बन्द कर दिया गया है। पांचवीं योजना में, ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है, जिन्हें राज्य सरकारें कार्यान्वित करेंगी।

चीनी की कम वसूली के बावजूद फसल आरम्भ में ही गन्ने की पिराई के लिए प्रोत्साहन

8636. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, नवम्बर मौसम के आरम्भ में चीनी के उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क में रियायत देने के कारण चीनी की वसूली में पर्याप्त हानि होती है और इस प्रकार देश में चीनी के कुल उत्पादन में कमी होती है; और

(ख) फसल के आरम्भ में ही गन्ने की पिराई के लिए प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) वर्ष भर में चीनी की औसतन वसूली की तुलना में अक्तूबर और नवम्बर के प्रारम्भ में चीनी की वसूली सामान्यतया कम होती है। फिर भी इन दो महीनों के दौरान कारखानों द्वारा शीघ्र पिराई करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं ताकि गुड़ बनाने के लिए गन्ने के इस्तेमाल में कमी लाई जा सके और मौसम के शुरू में, विशेषतया तब जब पिछले वर्ष का बचा स्टाक कम हो, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। इससे स्वयं भी चीनी के उत्पादन में कमी पैदा होती नहीं प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ, पिछले तीन मौसमों के दौरान, अक्तूबर और नवम्बर में 5.08 लाख मीटरी टन का अधिकतम उत्पादन हुआ था और कुल अधिकतम उत्पादन भी 38.73 लाख मीटरी टन हुआ था।

कस्बों में पेय जल सुविधायें

8637. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कुल कितने कस्बों में पेय जल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) देश में राज्यवार कुल कितने-कितने कस्बों में उचित जल-निकास व्यवस्था नहीं है; और

(ग) वर्ष 1974-75 तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितने-कितने कस्बों में पेय जल सुविधायें तथा उचित जल-निकास व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना अनुलग्नक में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6860/74]।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त किये जाने वाले प्रत्यक्ष लक्ष्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1974-75 के दौरान प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों के बारे में कुछ राज्यों से उपलब्ध हुई सूचना भी अनुलग्नक में दी गई है।

Backward States whose expenditure on Transportation and storage of Foodgrains borne by Central Government

8638. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the backward States whose expenditure on transportation and stor age of foodgrains is borne by the Central Government and the annual expenditure pe quintal incursed during the last three years ;

(b) the per quintal expenditure incurred by the Food Corporation of India in this regard ; and

(c) whether the work relating to transportation and storage of foodgrains of these States are also being entrusted to the Food Corporation of India ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) Under the existing arrangements foodgrains are issued from Central stocks to the State Governments at uniform issue prices, ex-F.C.I. depots or F.O.R. destination. Since the F.C.I. is responsible for the supply of foodgrains on Central account, the expendi-ture on transportation and storage or foodgrains supplied from the Central Pool is born by the F.C.I. on behalf of the Central Government. The State Governments are responsi-ble for the distribution of foodgrains within the States and as such the State Governments on their agencies are required to incur expenditure on additional storage and transportation and other incidentals after the stocks are received from the F.C.I. depots or destination rail heads.

The average expenditure incurred by the F.C.I. on the transportation and storage of foodgrains on Central account during three years 1970-71 to 1972-73 is as under :—

(Rs. per quintal)

Year	Transportation Expenditure	Storage Expenditure
1970-71	3.47	1.01
1971-72	3.96	1.32
1972-73	3.48	1.15

Uniformity in Agrarian Reforms

8639. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the concrete suggestions made by the Central Government in regard to bringing uniformity in the agrarian laws of all the States and safeguarding the interests of the share-cropper ;

(b) the reaction of the State Government thereon ; and

(c) the steps taken to implement them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) In order to bring a broad level of uniformity in the laws relating to ceiling on agricultural holdings, a set of national guidelines base on the recommendations of the Chief Ministers' Conference held in July, 1972, was issued by the Government of India to all the States and the Union Territories. On the basis of the guidelines, the following States have already revised their ceiling laws :—Andhra Pradesh ; Bihar ; Gujarat ; Haryana ; Himachal Pradesh; Jammu & Kashmir; Karnataka; Madhya Pradesh; Orissa; Punjab; Rajasthan and Uttar Pradesh. In Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal, the ceiling laws had been revised before the issue of the national guidelines. These laws are in broad conformity with the national guidelines. The Maharastra and the Tripura bills are under examination prior to the accordance of President's assent to them. The Manipur law is being drafted. Nagaland and Meghalaya do not contemplate enacting any ceiling law as there is largely communal ownership of land in these States.

The guidelines relating to tenancy laws have been laid down in the Five Year Plan documents. The 3 most important of them are: (1) Rent should not exceed 1/5th to 1/4th of the gross produce ; (2) all tenancies should be declared non-resumable and permanent except in certain specified circumstances ; and (3) in respect of non-resumable land, the landlord-tenant relationship should be ended by conferring ownership rights on tenants.

Maximum rates of rent not exceeding those suggested in the guidelines have been fixed in all the States except the Andhra area of Andhra Pradesh, Haryana, Punjab and Tamil Nadu. Almost all the States have enacted legislation for conferring security of tenure on tenants.

In respect of security of tenants, the Fourth Five Year Plan required the following steps to be taken :—

(1) To declare tenancies non-resumable and permanent (except in cases of land-holders who are serving in the defence forces or suffering from a specified disability) ;

(2) Where resumption has been permitted and where applications have already been made, arrangements for quick disposal of such applications ; where there is a likelihood of large number of evictions as a result of resumption, for further restricting it with a view to reducing the number of cases of resumptions ;

(3) Regulation of 'voluntary surrenders' prohibiting land-owners from taking possession of land at present tenanted and empowering the government or local authority to settle other tenants thereon ;

(4) Provision for complete security of tenancy in respect of homestead lands on which cultivators, artisans and agricultural labourers have constructed their dwelling houses ;

(5) Implementation of legislation relating to security of tenure to sub-tenants and ensuring that the provisions of the laws are not circumvented by the land-lord ; and

(6) Provision for penalty for wrongful evictions.

The Fifth Five Year Plan document lays particular stress on a rational definition of the term "personal cultivation" in such a manner as to ensure supervision by the land-owner himself or a member of his family so that absentee ownership can be reduced. It seeks to restrict the creation of further tenancies in the future only to cases like specified disability or service in the Defence Forces.

Whi e State legislations provide varying degrees of security to tenants and are in conformity with the guidelines stated above in varying degrees, fresh efforts are being made to ensure that all tenancy laws of the country broadly conform to these guidelines. Recently, the laws of Jammu & Kashmir, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka and Orissa have been amended largely bringing them in conformity with the national guidelines. In some cases like Jammu & Kashmir, ownership has been conferred outright on tenants.

Taking over of India Office Library

8640. **Shri Atal Behari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) when the proposal for the take-over of India Office Library at London was referred to Government for consideration for the first time ;

(b) the steps taken so far in this regard ;

(c) the clauses of the draft agreement received from Britain and the reaction of Government in regard to each of them ; and

(d) the time by which the said Library would be taken over by India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (d) The matter has been under negotiation with the Government of United Kingdom since 1947. Various implications regarding the issue of ownership of India Office building and its contents, including the Library, have been under examination by the Governments concerned. A draft Arbitration Agreement was received from the Government of the United Kingdom in 1968, but is still very much the subject of discussions. Government of India has been of the view that it would be helpful if a common approach is taken by the countries of the sub-continent in respect of this draft Arbitration Agreement.

चावल और धान की वर्तमान स्टाक स्थिति

8641. **श्री पी० चार० शिनाय :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल और धान के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या चावल और धान के वर्तमान स्टाक से लोक वितरण व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास पहली अप्रैल, 1974 को चावल के हिसाब से धान समेत चावल का प्रत्यक्ष स्टाक अस्थायी तौर पर 20.21 लाख मीटरी टन था ।

(ख) क्योंकि चावल/धान की आन्तरिक अधिप्राप्ति अभी चल रही है इसलिए सरकारी वितरण प्रणाली की उपयुक्त जरूरतें पूरी की जाएंगी ।

विभिन्न मोटे अनाजों के मूल्य

8642. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लाने ले जाने से प्रतिबंध हटाने के पश्चात् विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों के मूल्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6861/74]

15 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना

8643. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी वर्ष से 15 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि सभी राज्यों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व शिक्षा के 10+2+3 की संरचना को अपनाया जाना चाहिए।

उक्त नई प्रणाली को लागू करने के मुख्य कारण हैं :—(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गयी परिकल्पना के अनुसार देश के सभी भागों में मोटे तौर पर शिक्षा की एक-समान-संरचना, और (2) दो वर्षों के लिये छात्रों द्वारा व्यावसायिक विषयों का चुनाव करने संबंधी निर्णय को कुछ समय के लिये मुल्तवी करना ताकि इस प्रकार के निर्णय को लेने के लिये छात्र और भी प्रौढ़ (परिपक्व) हो जायें और ऐसे निर्णय करने तथा नौकरी में वास्तविक प्रविष्टि के मध्य के समय को कम किया जा सके।

जहां अधिकांश छात्रों को माध्यमिक स्कूलों में सामान्य शिक्षा दी जायेगी, वहां लगभग 20 प्रतिशत छात्रों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दी जायेगी। उच्चतर माध्यमिक को 11 और 12 श्रेणियों में व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा पृथक-पृथक रूप से उपलब्ध होगी। तथापि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध की जायेगी।

इस संबंध में, राज्य शिक्षा विभागों के पथ-प्रदर्शन करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 1 से 12 तक की श्रेणियों के लिए नये पाठ्य विवरणों और पाठ्यचर्याओं को विकसित किया जा रहा है।

शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण, उक्त नयी पद्धति को लागू करना राज्य सरकारों और संघ-शासित प्रदेशों के प्रशासनों पर निर्भर होगा। इनमें से कुछ तो (संघ-शासित प्रदेश-दिल्ली) शैक्षणिक वर्ष, 1975 से ही उक्त पद्धति को लागू करने और कुछ बाद में इसे लागू करने की सोच रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की राज्य सरकारों ने इस नयी प्रणाली को पहले ही लागू कर दिया है। इस बात की संभावना है कि बाकी राज्य/संघ शासित प्रदेश भी इस नयी प्रणाली को पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अपनाने की स्थिति में होंगे। कुछ राज्य दो वर्षीय पास पाठ्यक्रम और प्रथम डिग्री स्तर पर तीन वर्षीय आनर्स पाठ्यक्रम संस्थापित करने की भी सोच रहे हैं।

Contents of Time Capsule

8644. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that historical records are not open to scholars until thirty years have passed ;

(b) if so, whether the period cannot be changed ; and

(c) the time by which the description of contents of the time capsule will be laid on the Table of the House ?

Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) According to the Policy Resolution in respect of Records of the Union Government, issued on 11th December, 1972 "all non-confidential public records, transferred to the National Archives, of the period prior to 31st December, 1945, and prospectively all records more than 30 years old, will be open to bonafide research scholars, subject to such exceptions and restrictions as may be found necessary by the departments concerned in consultation with the Director of Archives, National Archives of India."

(b) There is no proposal to change the policy enunciated in the above mentioned Resolution.

(c) The attached list gives a description of the contents of the Time Capsule embedded at the Red Fort on August 15, 1973.

राष्ट्रीय बीज निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

8645. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बीज निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामलों की जांच की जा रही है और यह जांच इस समय किस चरण में है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : राष्ट्रीय बीज निगम कर्मचारी संघ ने मई, 1971 में प्रस्तुत किए ज्ञापन में भ्रष्ट कार्यों में लगे निगम के अधिकारियों के विरुद्ध अनेक आरोपों की एक सूची प्रस्तुत की थी। कर्मचारी संघ की शिकायतों तथा आरोपों की जांच करने के लिए, राज्य सभा के सदस्य श्री वी० एन० गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। श्री वी० एन० गाडगिल ने समिति की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। उनसे काम जारी रखकर जांच पूरी करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है ?

पिछले वर्ष निगम द्वारा बंगला देश कृषि विकास निगम को आलू के बीजों की बिक्री के संबंध में आरोप लगाये गये थे कि परिवहन का ठेका अपनी मर्जी की परिवहन फर्म को दिया गया था। समग्र सोदे की जांच करने के लिए कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल को चीनी की मांग और उनको सप्लाई के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 और 4411 दिनांक 25-3-74 के उत्तरों को ठीक करने के लिए विवरण

Correction of Answers to U. S. Q. No. 4332 and 4411 dated 25-3-74 regarding (i) Demand and Supply of Sugar to west Bangal and Sugar demanded and Supplied to Karnataka

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल की चीनी की मांग और उनकी सप्लाई के बारे में श्री हुकम चन्द कछवाय और श्री ए०के० एम० इसहाक, संसद सदस्यों के दो अतारांकित प्रश्नों, जिनकी संख्या क्रमश: 4332 और 4411 थी, का उत्तर लोक सभा में 25-3-74 को दिया गया था। दोनों प्रश्न एक ही प्रकार के थे। दुर्भाग्यवश, उत्तरों में दी गई सूचना एक-दूसरे से बदल गई थी। इस गलती के लिए खेद है। इन प्रश्नों के बारे में सही सूचना इस प्रकार है :—

(1) अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 का सही उत्तर

(क) पिछले पांच महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को लेबी चीनी की निम्नलिखित मात्राएं आवंटित की गई थी :—

	मीटरी टन
अक्तूबर, 1973	10391

	मीटर टन
नवम्बर, 1973	9401
दिसम्बर, 1973	9401
जनवरी, 1974	9907
फरवरी, 1974	9907

(ख) और (ग) इस अवधि में कर्नाटक सरकार से मासिक कोटा बढ़ाने के लिए कोई पत्र नहीं आया है। तथापि, कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का लेवी चीनी का मूल मासिक कोटा 1971 की जनगणना में दर्ज जनसंख्या के आंकड़ों, और खपत के पिछले प्रतिमान को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त आधार पर निर्धारित किया गया है। लेकिन वास्तविक मासिक आवंटनों में प्रत्येक मास के लिए लेवी चीनी की कुल निर्मुक्ति के अनुपात में सीमांत रूप से समायोजन कर लिया जाता है।

(2) अतारांकित प्रश्न संख्या 4411 का सही उत्तर

(क) पिछले छः महीनों के दौरान पश्चिमी बंगाल राज्य को लेवी चीनी की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गई थी :—

	मीटरी टन
सितम्बर, 1973	19793
अक्तूबर, 1973	21876
नवम्बर, 1973	19793
दिसम्बर, 1973	19793
जनवरी, 1974	20857
फरवरी, 1974	20857

(ख) राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1973 में यह अनुरोध किया था कि उनका लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ाकर 38,000 मीटरी टन किया जाए।

(ग) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का लेवी चीनी का मूल कोटा 1971 की जनगणना में दर्ज जनसंख्या के आंकड़ों और खपत के पिछले प्रतिमान को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त आधार पर निर्धारित किया गया है। तथापि, वास्तविक मासिक आवंटनों में प्रत्येक मास लेवी चीनी की कुल निर्मुक्ति के अनुपात में सीमान्त रूप से समायोजन कर लिया जाता है। चीनी का स्टाक सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उनका लेवी चीनी का मासिक कोटा बढ़ाना जसा कि उन्होंने अनुरोध किया है, संभव नहीं हुआ है यह स्थिति राज्य सरकार को स्पष्ट कर दी गई है।

———

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re : Adjournment Motion

अध्यक्ष महोदय : : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं रुके हुए हजारों यात्रियों का मामला उठाना चाहता हूं। डाक विभाग ने पार्सल लेने से भी इंकार कर दिया है। यह बहुत गंभीर मामला है। इस पर पहले विचार क्यों न किया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले ही उस पर वक्तव्य दे चुके हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) **:** A sum of Rs. 1.50 crore is being spent for purchasing turpantines. There are reports about calling of Territorial Army and regular army con tingents while talks are going on, attempts, are made to supress the railway workers.

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : I suggest that the notices for Adjournment Motion etc. may be considered tomorrow. Today we may discuss demands of Home Ministry.

Mr. Speaker : Adjournment motions are never postponed.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने स्थगन प्रस्ताव का कोई नोटिस नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस श्री समर गुह और श्री बसु द्वारा दिये गये थे। श्री बसु अपना स्थगन प्रस्ताव रखें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : इस स्थगन प्रस्ताव पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जैसा आप चाहते हैं, मैं अपना स्थगन प्रस्ताव रखने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आज गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जानी है, उसमें भी आप को अपनी बात कहने का काफी अवसर मिलेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्रालय की मांगों के कारण हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पायेगा। श्री बसु आज इसके लिए आग्रह न करें।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have given notice of a privilage motion against an officer who is being appointed chairman of I.O.C. would you please ask the Petroleum Minister not to take him till this motion is discussed in the house.

Mr. Speaker : First, I want to see the report that has been partly quoted by you there in.

Shri Madhu Limaye : Please see the whole of it. But what about my request?

अध्यक्ष महोदय : उस के लिए मुझे समय चाहिए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं श्री भोला पासवान शास्त्री की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 6847/74]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और बंबई अभिधृति तथा कृषि भूमि नियमों के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :--

(एक) बेलन मिल्स गेहूं उत्पाद (मिल द्वारा) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 176 (ड) में प्रकाशित हुआ।

(दो) दिल्ली बेलन मिल्स गेहूं उत्पाद (मिल द्वारा तथा खुदरा) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 177(ड़) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिये** संख्या एल०टी० 6848/74]

(2) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बंबई अभिधृति तथा कृषि भूमि अधिनियम, 1948 की धारा 82 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बंबई अभिधृति तथा कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) नियम, 1973 (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 9 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या जी एच एम --73–195--एम--टी एन सी 1073–जे–(एल आर) में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 26 नवम्बर, 1973 का उनका शुद्धि पत्र और तत्संबंधी एक व्याख्यात्मक टिप्पण। [ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी०] 4849/74]

मुगल लाइन लिमिटेड, भारतीय जहाजरानी निगम की वर्ष 1972-73 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन तथा वाणिज्य पोत परिवहन नियम

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) मुगल लाइन लिमिटेड बंबई के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मुगल लाइन लिमिटेड बंबई का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 6850/74]

(दो) (क) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड बंबई का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल०टी० 6851/74]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (माल पोत निर्माण तथा सर्वेक्षण) नियम, 1974 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 मार्च 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 295 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 6852/74]

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की प्रतियां, जो राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत की गई हैं, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1974

(2) एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1974

(3) राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक, 1974

(4) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1974

(5) लोक वक्फ (सीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1974

प्राक्कलन समिति

ERLIMETS COMMITTEE

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री आर० के० सिन्हा : (फैजाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) (एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय--चल चित्र, भाग-2 के संबंध में 59वां प्रतिवेदन।

(दो) 58वें और 59वें प्रतिवेदनों के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) (एक) वाणिज्य मंत्रालय (आंतरिक व्यापार विभाग)--सिविल पूर्ति संगठन के संबंध में 61वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(3) (एक) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)--वन विज्ञान के संबंध में 65वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही - सारांश।

(4) तात्कालिक विदेश व्यापार मंत्रालय--निर्यात संवर्धन उपाय, वाणिज्यिक प्रचार तथा व्यापार मेले के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में 54वां प्रतिवेदन।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :--

(1) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के बारे में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970 तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 और 1970-71 के प्रतिवेदनों केन्द्रीय सरकारी (सिविल) संबंधी समिति के 86वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में 111वां प्रतिवेदन।

(2) आयकर के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल)--राजस्व प्राप्तियां के अध्याय 4 संबंधी समिति के 87वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में 115वा प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रेल) में सम्मिलित रेलवे में संगणकों के प्रतिष्ठापन संबंधी पैराग्राफ 42 और 43 के संबंध में 127वां प्रतिवेदन ।

(4) निगम कर के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 2 प्रत्यक्ष कर संबंधी अध्याय दो के संबंध में 128वां प्रतिवेदन ।

(5) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) में सम्मिलित विदेश व्यापार मंत्रालय सम्बन्धी पैराग्राफ 28–31 के सम्बन्ध में 131 वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE OF PUBLIC UNDERTAKINGS

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखत प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के संबंध में 51वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(2) (एक) भारतीय तेल निगम (पाइप लाइन अनुभाग को छोड़कर शोधनशाला प्रभाग) के संबंध में 52वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(3) (एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के संबंध में 54 वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

प्रत्यक्ष कर संशोधन विधेयक

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL

(एक) प्रतिवेदन प्रवर समिति का प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

श्री एन० के० पी० साल्वे (बेतूल): मैं आयकर अधिनियम, 1961, धन अधिनियम, 1957 दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले तथा कतिपय सम्बद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

(दो) साक्ष्य

Evidence

श्री एन० के० पी० साल्वे: मैं आयकर अधिनियम, 1961 धन कर अधिनियम, 1957, दानकर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले तथा कतिपय संबद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

42 वां प्रतिवेदन

Motion Re. Forty-Second Report of Business Advisory Committee

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन से, जो 26 अप्रैल, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : The other day it was decided that Business Advisory Committee would look into the matter of Railway strike and situation regarding Tyres and Tubes.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन से, जो 26 अप्रैल, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Montion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

मेघालय में गुप्त चल रेडियो स्टेशन का पता लगने का समाचार

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास नियम 377 के अधीन बहुत से सदस्यों की सूचनाएं आई हैं। सदस्यों के नाम हैं श्री वसन्त साठे, श्री एस० एम० बनर्जी, प्रो० मधु दण्डवते तथा श्री तरुण गोगोई। मामले का संबंध मेघालय में पुलिस द्वारा दो शक्तिशाली वायरलेस सेटों का पता लगाने से है।

मेरा विचार है कि पहले व्यक्ति को सबकी ओर से बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सामान्यतः दो व्यक्तियों को अवसर दिया जाता

अध्यक्ष महोदय : मैं कांग्रेस के एक सदस्य तथा एक विरोधी सदस्य को समय दूंगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : यदि आप नियम 377 के अधीन मामले की अनुमति देते हैं तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रह जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आज गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है आप उसमें अपनी बात कह सकते हैं।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं सरकार का ध्यान एक अत्यन्त गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। पुलिस की सूचना के अनुसार मेघालय में शक्तिशाली वायरलेस ट्रांसमिटर तथा रिसीवर सेट पकड़े गये हैं। सेटों के तकनीकी परीक्षण के पश्चात् पाया गया है कि यह विश्व के प्रसारण केन्द्रों में बाधा पहुंचाने में सक्षम हैं। बाधा पहुंचाने की उनकी क्षमता व्यापक बतायी गयी है। जांच के लिये कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

मैं सरकार से इस बारे में अधिक जानकारी चाहता हूं। सरकार इस मामले पर विस्तृत वक्तव्य दे तथा ऐसी गतिविधियों को शीघ्र रोकने का यत्न करे, क्योंकि यह मामला अत्यन्त गंभीर है।

Shri S.M. Banerji (Kanpur) : Sir, When I read this news I thought that it might be a Mobile Broadcasting unit of the Jan Sangh. Then I thought it could not be in Maghalaya.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We start ours in Kanpur.

Shri S.M. Banerji : Certainly foreign elements are involved in it. C.I.A. activities might be there. American planes fly over our ships in the Indian ocean. The Hon. Minister may tell in detail the facts about this matter.

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है ?

गृह मंत्री श्री उमा शंकर दीक्षित : अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्या बाद में ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : 25 अप्रैल को आपकी अनुमति से मैंने पांडिचेरी के बजट के बारे प्रश्न उठाया। सरकार ने 31 मार्च से पहले बजट पास न करके अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया है। आपने 23 अप्रैल को कहा था कि मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य देंगे। लेकिन मंत्री महोदय ने अब तक भी अपना वक्तव्य नहीं दिया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : वित्त मंत्री ने कहा है कि वह 2 मई को वक्तव्य देंगे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : अभी हाल में बहुत महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं। हमें विदेश मंत्रालय की मांगों पर नियम 193 अथवा किसी अन्य नियम के अन्तर्गत चर्चा करने का अवसर दिया जाय।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I support the suggestion that there should be a separate discussion on the international situation.

Mr. Speaker : We had kept some time for this but it was utilised on other topics.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Two other cases are pending before the Law Ministry. Gujarat Vidhan Sabha was dissolved without consulting the President.

Mr. Speaker : I will enquire from the Law Minister and let you know.

अनुदानों की मांगें, 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75

गृह मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा अब गृह मंत्रालय की मांग संख्या 45 से 56 पर चर्चा तथा मतदान करेगी जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहें, वे 15 मिनट के अन्दर पर्चियां भेज दें। इन्हें प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

गृह मंत्रालय की वर्ष 1974-75 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी
1	2	3	4
45.	गृह मंत्रालय .	1,72,96,000	
46.	मंत्रिमंडल . . .	88,47,000	
47.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	4,63,44,000	
48.	पुलिस .	1,33,45,27,000	2,29,17,000
49.	जनगणना . .	2,88,48,000	
50.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	64,91,87,000	14,16,34,000
51.	दिल्ली	72,04.38,000	28,30,60,000
52.	चंडीगढ़ . . .	8,93,78,000	3,69,65,000
53.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13,98,82,000	5,95,60,000
54.	अरुणाचल प्रदेश . .	16,50,97,000	7,03,28,000
55.	दादर और नागर हवेली	84,40,000	1,07,88,000
56.	लक्षद्वीप	2,15,60,000	66,55,000

गृह मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए :—

कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4
7	श्री ज्योतिर्मय बसु	कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं के कार्यालयों तथा निवास स्थानों के टैलीफोनों का बीच में सुना जाना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए।

1	2	3	4
8	श्री ज्योतिर्मय बसु	टैलीफोनों को बीच में सुनने के लिये जापान, अमेरिका और पश्चिम जर्मनी से इलैक्ट्रोनिक गेजेटों की खरीद।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए।
9	,,	एक दलीय तानाशाही तथा अर्द्धफासिस्ट स्वरूप के राज्य की स्थापना के लिये सरकार का प्रयत्न।	,,
10	,,	भारत को एक गैस्टपों राज्य में बदलना।	,,
11	,,	सत्ताधारी दल द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उन्हें दबाने के लिये आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम का दुरुपयोग।	,,
12	,,	"दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत पास की गई किसी अधिसूचना को, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि ऐसे आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मारी जा सकती है, अवैद्ध ठहराने वाले" गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करने में असफलता।.	,,
13	,,	देश में सामान्य स्थिति बनने के बावजूद भी दिसम्बर, 1971 में प्रख्यापित आपतकालीन स्थिति तथा भारतीय रक्षा नियमों को हटाने में असफलता।	,,
14	,,	भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) तथा कुछ अन्य दलों के सदस्यों को सरकारी सेवाओं में भर्ती न करने के केन्द्रीय सरकार के तथाकथित गुप्त निदेश।	,,
15	,,	हिन्दुस्तान स्टील इम्प्लाइज़ यूनियन, दुर्गापुर के कार्यकर्ताओं की कुछ अनजान व्यक्तियों द्वारा हथगोले फेंककर, जिन पर पाकिस्तान आयुद्ध कारखाने के चिन्ह हैं, हत्या करने का प्रयत्न जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को गंभीर चोट तथा अन्य व्यक्तियों को मामूली चोटें पहुंची हैं।	,,
27	,,	केन्द्रीय पुलिस पर 162 करोड़ रुपये व्यय करना आवश्यक नहीं है। पुलिस राज्य का विषय है और कानून तथा व्यवस्था एक मात्र राज्यों के क्षेत्राधिकार में हैं। केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व केवल संघ राज्य क्षेत्रों के ही सम्बन्ध में है।	राशि में से सौ करोड़ रुपये घटा दिये जायें।

1	2	3	4
28	श्री ज्योतिर्मय बसु	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत व्यय 1950 के लगभग 1.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974-75 में 39 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। पुलिस राज्य का विषय है, अतः यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि इतने बड़े केन्द्रीय पुलिस बल को बनाये रखा जाये।	राशि में से 25,22,73,000 रुपये घटा दिये जायें।
30	,,	दोहद में गड़बड़ी को रोकने के लिये नियुक्त केन्द्रीय तथा राज्य रिजर्व पुलिस द्वारा अपने पाशविक व्यापार से जिसमें स्त्रियों को सताया जाना भी शामिल है, स्थिति को और उत्तेजक बनाया जाना।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
31	,,	नागालैंड और मणिपुर में केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा दमन।	,,
32		प्रत्येक केन्द्रीय पुलिस बल का 1967 से कार्यकरण।	,,
33	,,	गुजरात और बिहार में केन्द्रीय पुलिस के अत्याचारों से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने में असफलता तथा अनिच्छा।	,,
34	,,	दिल्ली के, जो "अपराध के शहर" के रूप में बदनाम हो चुका है, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
35	,,	दिल्ली में केन्द्रीय पुलिस पर व्यय में प्रतिवर्ष भारी वृद्धि के साथ-साथ अपराधों में भी वृद्धि होना।	,,
36	,,	गुजरात बिहार, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में जहां लोग खाना और महंगाई तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं तथा जहां पुलिस द्वारा कम से कम 100 व्यक्ति मारे जा चुके हैं, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों का राज्य पुलिस बलों के सहयोग से लोगों पर जुल्म।	,,
37	,,	सीमा-शुल्क बल संगठन में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद।	,,
38	,,	मणिपुर राज्य में सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा नागर स्त्रियों तथा लड़कियों के साथ बड़े पैमाने पर कथित बलात्कार।	,,
39	,,	केन्द्रीय पुलिस के व्यय में भारी वृद्धि तथा केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों का इस तथ्य के बावजूद भी कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, विस्तार करना।	,,

1	2	3	4
40	ज्योतिर्मय बसु	श्रमजीवी लोगों के खाने, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकतांत्रिक आन्दोलनों को कुचलने के लिये वी० एस० एफ०सी०आर०पी०, सी०आई०एस०एफ० तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस बल सरकार के हाथ का खिलौना बन गये हैं ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
41	,,	गुप्तचर्या ब्यूरो शीर्षक के अन्तर्गत कोई विवरण नहीं दिया गया है व्यय की इस राशि का अधिकांश भाग, यह सन्देह है, कि कांग्रेस विरोधी राजनीतिक दलों को दबाने तथा बामपंथी दलों के नेताओं पर निगरानी रखने के लिये दुरुपयोग किया जायेगा । अतः यह अपव्यय है ।]	राशि में से 8,87,52,000 रुपये घटा दिये जायें ।
45	,,	गुजरात, बिहार, तथा अन्य राज्यों में खाद्य आन्दोलनों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की मामलों की न्यायिक जांच न करवाना ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
46	,,	देश में पुलिस, गुन्डों, तथा जमींदारों के अत्याचारों से हरिजनों की रक्षा करने में असफलता ।	,,
47	,,	हरिजनों पर अत्याचारों के मामलों में, जिनमें पुलिस द्वारा हरिजन स्त्रियों तथा लड़कियों के साथ बलात्कार भी शामिल हैं, हाल में भारी वृद्धि होना ।	,,
26	फ्रैंक एन्थनी	अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा कानूनी व्यवस्था का ह्रास ।	,,
48	श्री दशरथ देव	जनजातियों के भूमि सम्बन्धी हितों के संरक्षण में असफलता ।	,,
49	,,	त्रिपुरा के ऐसे जनजातीय क्षेत्रों को, जहां जनजातियों की बहुसंख्या है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने और वहां स्वशासी जिले अथवा क्षेत्र गठित करने की आवश्यकता ।	,,
50	,,	त्रिपुरा में जनजातियों से घने बसे क्षेत्रों के लिये वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की एक क्षेत्रीय समिति तुरन्त गठित करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4
51	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में जनजातियों को, संरक्षण देने में कमी जिसके परिणामस्वरूप जनजातियों की एक बड़ी संख्या त्रिपुरा छोड़कर चली गई है क्योंकि गैर-जनजाति बंगाली समुदाय के एक शक्तिशाली वर्ग ने उनकी भूमि हथिया ली है।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
52	,,	त्रिपुरा विशेषकर उसके जनजातियों वाले क्षेत्र में पिछड़ापन दूर करने के लिये विशेष निधि के आवंटन की आवश्यकता।	,,
53	,,	त्रिपुरा के जनजातियों वाले क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने और ऐसे क्षेत्रों के लिये संविधान की षष्ठम अनुसूची के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर जनजातियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षेत्रीय परिषद् गठित करने की आवश्यकता जिसे अनुसूचित क्षेत्रों में विकास कार्य आरम्भ करने के पूरे अधिकार प्राप्त हों ।	,,
54	,,	त्रिपुरा के भारत संघ में मिलने के पश्चात् गैर-जनजातियों के पास जनजातियों की कितने एकड़ भूमि अन्तरित हुई और उसके कारणों का पता लगाने के लिये एक समिति गठित करने की आवश्यकता ।	,,
55	,,	जनजातियों की उस भूमि को जो 1 जनवरी, 1962 को अथवा उसके पश्चात् अवैध रूप से गैर-जनजातियों के नाम अन्तरित की गई उन्हें लौटाने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता ।	,,
69	श्री आर० वी० बड़े	सी० आर० पी०, बी० एस० एफ० एवं टैरीटोरियल आर्मी का राजनैतिक स्वार्थपूर्ति के लिये उपयोग।	,,
70	,,	हरिजनों पर अत्याचार तथा उसे रोकने में सरकार की विफलता ।	,,
71	,,	बिहार और गुजरात के गोली काण्डों की न्यायिक जांच कराने में विफलता ।	,,
72	,,	देश में आन्तरिक शांति बनाये रखने में असफलता।	,,
73	,,	विरोधी दलों के प्रजातांत्रिक एवं न्यायपूर्ण आन्दोलनों को लाठी, गोली द्वारा दबाने की घृणित कार्यवाही।	,,

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : एक ओर सरकार बचत और अनुत्पादन व्यय को कम करने की बात करती है और दूसरी ओर पुलिस और प्रशासनिक व्यय बढ़ रहा है। आज देश में पुलिस राज चल रहा है ।

वर्ष 1950-51 में केन्द्रीय पुलिस का व्यय 3 करोड़ रुपये था । 1964-65 में यह लगभग 25 करोड़ रुपये हुआ, 1968-69 में यह 72 करोड़ हो गया तथा 1974-75 में यह 169.39 करोड़ रुपये से भी कुछ अधिक ही होगा ।

1960 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर 1.97 करोड़ रुपये व्यय हुआ । 1973-74 में यह बढ़कर 39.44 करोड़ रुपये हो गया है । राज्य पुलिस का व्यय भी बहुत बढ़ा है ।

1968-69 में सीमा सुरक्षा बल पर 26.44 करोड़ रुपए व्यय हुए । 1974-75 का बजट अनुमान 57.41 करोड़ रुपये का है । इसके अतिरिक्त सरकार के पास 17,500 की केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा पुलिस भी है ।

सीमा सुरक्षा बल का कार्य सीमा की सुरक्षा करना, सीमावर्ती लोगों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना और इसके साथ ही तस्कर व्यापार को रोकना है । परन्तु सरकार ने इसका उपयोग आन्तरिक सुरक्षा के लिये किया है जैसा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है । वास्तविकता यह है कि सरकार सेना के विरोध करने की दशा में एक नई सेना खड़ी करना चाहती है, जो इस बात से स्पष्ट है कि सीमा सुरक्षा बल में सशस्त्र सेना से कहीं अधिक ऊंचे वेतनमान हैं ।

सरकार ने रक्षा की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की आड़ में मणिपुर, नागालैंड और मीजो पहाड़ियों में केन्द्रीय सेनाएं रखी हुई हैं तथा उन्हें आसानी से देश के लोगों की आंखों से दूर रख रखा है। इन सेनाओं के कर्मचारी उस क्षेत्र में खूब लूटमार, बलात्कार और आगजनी कर रहे हैं ।

टनकपुर में सीमा सुरक्षा बल अकादमी है। यहां अधिकारियों ने भूमि अधिगृहीत की है । उन्होंने किसी के नाम में भूमि खरीद कर उसे 800 प्रतिशत लाभ पर सरकार को बेच दिया है । इस सम्बन्ध में और सम्बन्धित अधिकारियों की आस्तियों की जांच की जानी चाहिये ।

गृहमंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : हम इतनी जल्दी तथ्यों का पता नहीं लगा सकते तथा उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रिसर्च और एनालिसिज़ विंग एक रहस्यपूर्ण संस्था है। इस संस्था का कार्य श्रीमती गांधी की सरकार को जैसे-तैसे कायम रखना है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने दुगुना समय ले लिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रत्येक माननीय सदस्य को मैटल डिटेक्टर दिया जाना चाहिये ताकि वह जान सके कि क्या उसका टैलीफोन आदि टेप तो नहीं किया जाता ।

टैलीफोनों को चोरी से सुनने वाले इलैक्ट्रानिक यंत्रों का सरकार ने आयात किया है। यह आयात जनवरी, 1974 में अमरीका, जापान, जर्मनी, इंगलैंड आदि देशों से किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के इलैक्ट्रानिक यंत्रों का उपयोग करने का प्रशिक्षण लेने हेतु कितने अधिकारी विदेश भेजे गये हैं? सरकार ने इस प्रकार के कार्यों के लिये कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति करने का कार्य संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से निकाल लिया है, हाल के वर्षों में इस प्रकार के पदों की संख्या दो गुनी हुई है।

सरकार ने रेलवे हड़ताल के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर सूचित किया था कि हड़ताल को सफल बनाने में सहायक होने वाले लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाये। यह भी कहा गया है कि आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने संबंधी अधिनियम का भी सहारा लिया जा सकता है।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री बसु ने जिस पत्र का उल्लेख किया है उसे वह सभा-पटल पर रखें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आसूचना विभाग का उपयोग चुनाव जीतने, समाचार पत्रों को दबाने के लिये किया जा रहा है। लन्दन के समाचार पत्र ने लिखा है कि हजारों स्त्री-पुरुष पश्चिम बंगाल में जेलों में बन्द हैं। उन पर मुकदमे नहीं चलाए जाते। यह लोक तंत्र है जो आज देश में चल रहा है।

बिहार में देखते ही गोली मार देने के आदेश के बारे में मैं चुनौती देता हूं कि इस बात की जांच करवाई जाय कि यह आदेश जारी किया गया था अथवा नहीं। यदि जांच नहीं कराई गई तो लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आप का क्या निर्णय है?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में नियमों पर विचार करूंगा।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : माननीय सदस्यों ने ऐसे मामले उठाये हैं जो उन व्यक्तियों के बारे में हैं जो सदन में उपस्थित नहीं हैं और अपना बचाव नहीं कर सकते। (अन्तर्बाधाएं) उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि इस देश में लोकतन्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं है और देश में फास्टिज्म है तथा पुलिस का राज्य है। वास्तव में देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश में लोक-तन्त्र को समाप्त करके ही ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती हैं। बिहार में कभी किसी नाम से और कभी किसी नाम से सरकार को समाप्त करने का आन्दोलन चलाया जा रहा है। इस आन्दोलन के नाम पर रेलवे स्टेशनों व डाक-घरों को लूटा तथा जलाया जा रहा है। विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस राज की बात की गई है। अपने व्यवहार से पुलिस हस्तक्षेप के अवसर पैदा किये जाते हैं। जब पुलिस हस्तक्षेप करे तो उसकी निन्दा की जाती है और यदि पुलिस हस्तक्षेप न करे तो भी उसकी निन्दा की जाती है। सीमा सुरक्षा बल पर आरोप लगाया गया है। हम सब सीमा सुरक्षा बल के योगदान से परिचित हैं। इस प्रकार के निराधार व झूठे आरोप लगाना बहुत दुःख की बात है। गुजरात में भी यही सब कुछ किया गया और फिर कहा जाता है कि देश में लोकतन्त्र की

हत्या की जा रही है । यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके करने वाले वह लोग हैं जो आज यह आरोप लगा रहे हैं । देश में लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं को समाप्त करने का षड्यन्त्र रचा जा रहा है । गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के समक्ष यह स्थिति है जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है । यह बहुत ही असाधारण स्थिति है । इसके संदर्भ में कोई यह नहीं कह सकता कि सरकार ने अधिक शक्ति का प्रयोग किया है । वास्तव में कुछ क्षेत्रों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिये अपेक्षित शक्ति का प्रयोग नहीं किया है । मैं यह बात नहीं मानता । सरकार ने स्थिति को संतुलित दृष्टि से देखा है और लोकतान्त्रिक दृष्टि से कार्यवाही की है ।

वर्तमान स्थिति केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है । अतः इसे पुलिस के हाथों में ही नहीं छोड़ देना चाहिये । जनता के लोकतान्त्रिक अधिकारों पर आक्रमण किया जा रहा है । लोगों को चाहिये कि अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों की रक्षा करें । इसके लिये वे एक नागरिक दल बनायें। सरकार को उसे प्रोत्साहन व सहायता देनी चाहिये ।

यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि विधान सभाओं और संसद में बैठे लोग सरकार बदलने के लिये असंवैधानिक तरीकों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं । इस सदन में आकर हम संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेते हैं । परन्तु बाहर निकलते ही हम विपरीत बातें करने लगते हैं । इस प्रकार के लोगों को विधान सभाओं व संसद के सदस्य बनने का कोई अधिकार नहीं है । अतः इनको संसद अथवा विधान सभाओं की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जाये । इसके लिये सरकार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना चाहिये । इस कार्य के लिये एक स्थायी आयोग की स्थापना की जानी चाहिये ।

अनेक संसद सदस्यों ने सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व अन्य पैरा-मिलिटरी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है । परन्तु सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है । स्पष्ट है कि ये शक्तियां हमारी मूलभूत मान्यताओं पर आक्रमण कर रही हैं । जनता तथा सरकार को इस प्रकार की शक्तियों के विरुद्ध संगठित हो जाना चाहियें ।

देश में नवयुवकों में असन्तोष है । राजनैतिक दलों द्वारा उन का उपयोग किया जा रहा है । शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके इसे रोजगार प्रधान बनाया जाये । इस कार्य के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाये । यह आयोग 6 मास में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । देश में युवा असन्तोष समाप्त करने का यही उपाय है ।

यह सच है कि देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है । परन्तु आज जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये आन्दोलन चलाया जा रहा है क्या वह वास्तव में भ्रष्टाचार विरोधी हैं ? इसे चलाने के लिये काले धन का सहारा लिया जा रहा है । यह आन्दोलन लोक-तन्त्रात्मक ढंग से चलाया जाना चाहिये । भ्रष्टाचार मिलावट, कालाबाजारी और जमाखोरी के लिये मृत्यु दण्ड दिया जाना चाहिये **(अन्तर्बाधाएं)**

न्यू फ्रेन्ड्स कोआपरेटिव सोसाइटी के मामले की पूरी जांच होनी चाहिये । उस जांच से जो भी दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये । दिल्ली की भूमि और आवास नीति का आमूल पुनरीक्षण किया जाये । यह ठीक है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सराहनीय कार्य किया है परन्तु वह अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिवर्ष कम से कम 50,000

भू-खण्डों का विकास करके सस्ती दरों पर उनका आवंटन किया जाये । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो दिल्ली में गन्दी बस्तियां व अनधिकृत कालोनियां बनेंगी ही । आज लाखों लोग अनधिकृत बस्तियां में रह रहे हैं । उनका सुधार और उन बस्तियों को अधिकृत बनाया जाये ।

दिल्ली में आज वनस्पति की बहुत अधिक कमी है । डी०सी०एम० बन्द है । उसे पुनः चालू करवाया जाये अथवा सरकार उसे अपने अधिकार में ले । आज की परिस्थितियों में गणेश फ्लोर मिल का क्षमता से कम उत्पादन करने का कोई औचित्य नहीं है ।

शाहदरा हस्पताल में पांच वर्ष पूर्व एक बीस वर्षीय विवाहित महिला की मृत्यु हुई थी । इस मृत्यु के बारे में कहा जा रहा है कि असावधानी के कारण हुई । इस मामले की जांच की जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।

दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और वितरण केन्द्र है । इसके इस स्वरूप को बनाये रखा जाना चाहिये और बिक्रीकर के ढांचे को उचित स्तर पर बनाये रखा जाना चाहिये । दिल्ली में एक शुष्क पत्तन की भी स्थापना की जानी चाहिये ।

यमुना पुल की स्थिति अत्यन्त खराब है । एक अन्य पुल के निर्माण का वचन दिया गया था परन्तु उसका कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

दिल्ली के प्रशासनिक, राजनैतिक ढांचे पर भी नए सिरे से विचार किया जाये । दिल्ली में अनेक प्राधिकरण हैं । इन सब में आपस में कोई समन्वय नहीं है, अतः इस के बारे में गृह मंत्री जी को विचार करना चाहिये ।

दिल्ली की परिवहन नीति पर भी फिर से विचार किया जाये । आज की स्थिति में पहले से कुछ सुधार हुआ है परन्तु उसमें अभी और सुधार अपेक्षित हैं । जल सप्लाई और मल निस्सारण संबंधी अनेक समस्याओं की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । मंत्री महोदय को पड़ौसी राज्यों से इनके बारे में शीघ्र बातचीत करनी चाहिये ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : It has been said that there was a threat to democracy in the country and certain forces were trying to destroy democracy. We have to see whether the ruling party had all these years done anything to strengthen democracy and democratic Institutions in the country ? Can the happenings in the country after the split of the Congress Party in 1969 be described as democratic developments ? (*Interruptions*). Election for the Gujarat Assembly Party was held but the counting of votes was done in the room of Minister for external Affairs. Is it democracy ? All these 27 years they have destroyed the roots of democracy in the country. History will have to record that. It will also be written on the hearts of the people of this country.

Time and again baseless charges are levelled against the R.S.S. These charges will have to be substantiated. The R.S.S. has been accused of having a hand in the murder o Mahatma Gandhi. But the Kapur Commission did not find anything against the R.S.S. So repeating old charges again and again does not serve any purpose. This organisation was set up in 1925. Let there be a white paper in this regard.

There is a freedom to form Associations. Have the Hindus no right to form their association ? Do you know what is fascism ? Making baseless charges is a worst form of fascism. Suppression of freedom of expression and association amounts to fascism.

You should not misunderstand me. In democracy, everybody is free to oppose. It is no use making wild allegations against R.S.S. unless you have solid grounds to substantiate. It appears that the Home Ministry is not capable of functioning properly.

So far as Maharashtra-Mysore boundary dispute is concerned, there is no reference of it in the Ministry's Report. It was demanded that this dispute should be settled before 26th January. So immediate action should be taken to find out some solution of this problem.

The Government has no rational policy to deal with objectionable activities of foreigners in the country. Some times back Maharashtra Government had objected to the activities of Father Ferner, but he was allowed to stay in Andhra. Now in Andhra also he has been arrested. The Government have clear-cut policy in this regard.

One of the parts of Goa, Dadar and Nagar Haveli was freed in 1954. But that part has neither been included in Goa nor in Gujarat nor Maharashtra. This is a very peculiar sort of administration.

Government talks of national solidarity. But it has failed to reorganise our Eastern States during the last 27 years. National solidarity means that the Country as a whole is one and its states are its souls. Government should take stern action against the bureaucrats.

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon): We welcome the views of the opposition. But the attitude of the opposition is an attitude of a rebel, which is not proper. The tactics being followed by opposition parties are against the very basis of democracy. They are very dangerous for the internal security of the country.

We welcome the differences of the opposition parties if they are practicable. We are very well aware of the crisis from which the country is passing through. Inciting students for arson, loot and violence and to indulge in crime and restoring to extra Constitutional means is against democracy.

There may be corruption hoarding and blackmarketing in the country but these are national problems and all parties should cooperate in showing these problems.

All the parties should cooperate in fighting against corruption in the country.

Capital punishment should be awarded to persons involved in adulteration in essential commodities or medicines.

A cell has been set up for the welfare of Harijans by the Prime Minister. It should be asked to work more vigorously.

A close watch should be kept over the activities of Communal Parties.

More facilities should be given to students. The system of education should be radically changed.

With these words, I support these demands.

Shri Ishaque Shambhali (Amroha) : The Home Ministry has been unsuccessful in performing all its functions. The Ministry is itself responsible for creating difficulties. It has itself given opportunities to unsocial elements to exploit the youth and students because instead of taking severe action against them, protection is being accorded to them. The Home Ministry should remove corrupted Minister.

The atrocities on Harijans are still going on. Mere judicial enquiry will not do. Steps should be taken to protect Harijans. If police is incompetent to investigate into the atrocities committed on Harijans, C.B.I. should be entrusted with the job.

C.B.I. Officials, who are very responsible persons, have not been provided with quarters.

It is the responsibility of the Government to provide protection to Harijans and minorities.

There has been communal riots and disturbances in dfferent part of the country but the Home Ministry has not taken action against any high officers or district officials responsible for maintenance of peace and law and order in the areas under their jurisdiction.

Reference has been made several times in the House to the decisions taken by the National Integration Council but those decisions have not been implemented. The hon. Home Minister wants to save corrupt officials. If at some place riots take place then it means that the concerned officials are inefficient. It is due to their inefficiency that such things happen. Action must be taken against those officials who are responsible for riots. But experience shows that where riots broke out, the concerned police officials and authorities were given promotions rather than taking any action against them.

In this very house it was assumed that steps would be taken to protect the rights of minorities. But nothing has been done so far. My Hindu friends recommend that muslims should be given jobs but is it not a fact that they are denied jobs only because they are Muslims. Assurances for the promotion of Urdu were given so many times but nothing has been done. Many committees were set up for Urdu. Unless you give legal right to Urdhu. no solution would come out.

Today blackmarketing, bribery and adulteration are rampant. I want to know how many persons have been arrested in this connetion under Defence of India Rules ? The Police are resorting to firing in Gujarat, Bihar and other places. Judicial enquiry should be instituted to find out the reasons of firing. The Government should not keep quiet over the rape incident in Nagaland in which many B.S.F. officials are involved. I want that Government should give them deterrent punishment to set an example for others. The bayonets aimed at the public should be divented to corrupt officials who are corrupting the body-politic of the country. If you do not take such steps the working sections of the society will rise as one well against the Government.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): I entirely agree with Shri Ishaque Sambhali that those persons who indulged in such crimes should be punished but to brand the B.S.F. and C.R.P. as rape force is not correct. They are defending the country in very difficult circumstances. It is not proper to condemn them.

The spokesman of the Jan Sangh, Shri Jagannath Rao Joshi was rather preaching what our duty was in the name of religion. He repeatedly asked for documents against R.S.S. I am proud of being a Hindu but I do not support the theory that Muslims should be punished. Is this proof of there having faith in fascism not sufficient that the instructions issued by Shri Guruji of R.S.S. are blindly followed by all its members. Shrimati Indira Gandhi is branded as fascist but we openly criticize our party.

It is a right of every state to take the help of B.S.F. and C.R.P. to maintain law and order. But I want to remind that every problem should not be termed as law and order problem. Hunger is a main problem. Due to our wrong distribution system the weaker sections of society do not get sufficient food. If they resort to agitation on this account, it does not become a law and order problem. Instead of calling B.S.F. and C.R.P. to crush them, foodgrains should be distributed in all nooks and corners of the country. Political parties should not exploit the students' disontentment. We should provide them such

education as may make them fit for any work so that they may be able to earn their liveli-hood without much difficulties. What action the Government have taken on the recommendations of the Kothari Commission that education should be vocationalised and be given through students' mother tongue ? Planning and all administrative works are conducted in English while they are for the common people. The number of English-knowing persons is only two percent then why not the work be conducted in people's own languages like Tamil, Telegu, Malyalam etc. Bureaucracy is a heavy burden on the people. It has proved a disaster for the country. Why arrangements are not made to conduct examinations for Government services in the regional languages ? I think the hon. Minister is much obssesed with English culture. In Bihar three Government officiers have formed All Gowdaga Development Committee and got it registered. Their plea is that Gowdaga sub-division is a backward area. These three officers are spending money in the name of development of Gowdaga subdivision. It is the responsiblity of the Home Ministry to bring out a code of conduct for bureaucracy and get it complied by them. But today in Bihar some administrative officers are carrying on their work in violation of code of conduct. The students in Bihar are demanding hostel facility, representation in the Senate and the Syndicate. But firing is opened on them. Firing will not succeed. The example of Delhi is before us where the Lt. Governor and other big officials are involved in land grab incidents. Such things will only invite agitation. I have no objection if any student receives his education in English. But their number is too small. If the Government is really interested in the development and progress, it will have to apply some control over the bureaucracy. The agitation in Bihar is aimed at the corrupt administration of the State. The demand of autonomy by the D.M.K. of Tamil Nadu should be dealt with firmly Sympathetic consideration should be given to the demand of Bohra Community's boys and girls who saw the Prime Minister and the hon. Home Minister. In the end I would like to say that firing should be resorted only to maintain law and order and not to crush those who agitate due to hunger. I hope there two things viz problem of law and order and hunger will be viewed in correct perspective. With these words I support these Demands.

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता और संवैधानिक पक्ष का मामला उठाया था। अब विधि मंत्री उस विषय पर एक वक्तव्य देने के लिये सहमत हो गये हैं। वह आज 6 बजे या शेष मांगों के गिलोटीन के तुरन्त पश्चात एक वक्तव्य देंगे।

Shri K. S. Chavda (Patan) : There is President's rule in Gujarat. The terms of Taluqa Panchayats, District Panchayats and Municipal Corporations have expired. I would like the Home Minister to make a categorical statement as to when the elections to these bodies would be held. I shall be grateful if the hon. Minister would let this House know the date on which election for the State Assembly would be held.

Government should look into the complaints pertaining to the atrocities committed on Harijans. They should set good examples for others to follow them. There are incidents in which Harijan women were raped by the police officers in Bihar but no action has been taken. Similar incidents have occurred in Gujarat as well where Government servants were involved. Such matters are raised and discussed in the House but no follow-up action is taken.

There is great discontent among the Harijans. It is good that Government have increased the percentage of quota but in pr[illegible]evious quota is not filled. I would also like to point out that the candidates who come in the merit list are also counted towards the reservation. In spite of this, the prescribed quota is not filled. As a result of these incidents, organisations like 'Dalit Panthers' have sprung up. The Central Government used to give Post-Matric Scholarships since 1944 but the same was stopped in 1969 and the matter was left to the states. I would request the Central Government to give these scholarships themselves.

There is no difference in treatment meted out to Harijans, especially in rural areas. This is a national problem. I would therefore request the hon'ble Home Minister to take some concrete steps atleast in Union Territories.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi): Although several steps have been taken to ameliorate the lot of Harijan after achievement of independence but no significant change could be brought about in the existing set-up. The person who practises untouchability should not be treated as a citizen of this country. Such persons should be given deterrent punishment.

I would request the Minister of Home Affairs to deal with the problems of law and order firmly irrespective of the fact that the same is on behalf of left reaction or right reaction : It has been observed that right reactionaries are encouraged because they belong to the upper class. I want to say that both of them should be treated alike. Government is sympathetic towards the blackmarketeers. If a person commits a theft of Rs. 4/- he is handcuffed but if some capitalist indulges in hoarding, profiteering and blackmarketing he is not handcuffed. The officers of C.B.I. have done a nice job these days. They should be provided with housing and other facilities. They should be given more facilities. Government should deal with para-military organisation like R.S.S. and Anand Margi's firmly. The problem of law and order can be solved only if the activities of such organisations are curbed.

West Bengal Legislative Assembly has provided life-imprisonment for adultrators in a Bill but the same has not been cleared by the Centre. Land grab is a crime and Government should deal with these cases on a national basis. A comprehensive bill should be introduced by Government to curb such activities. It has been observed that the number of land grab cases is all the more in rural areas. The case of New Friends Society in Delhi has come up. There is large scale bungling and many V.I.Ps. are involved in this case. I want that the society itself should be scrapped and the land should be distributed afresh. I would further suggest that Government should order an inquiry by C.B.I. so that facts may come to the surface.

I would like to suggest to Shri Jai Prakash Narain that he should not take sides and should do some constructive work. We do not want any confrontation with him but he has started one-sided civil war.

Before concluding I would reiterate that para-military organisations like R.S.S. should be banned.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कम किये जाने और विधि शासन की ओर ध्यान दिलाने के लिये कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन अल्पसंख्यकों की संख्या कम है उनके हितों की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। उनके न्यासों को भी, जो 100 या 200 वर्ष पहले स्थापित किये गये थे, आय-कर के घेरे में लाया जा रहा है। यह बहुत शर्म की बात है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत इस प्रकार के न्यास बनाये जाने की अनुमति दी थी। परन्तु अब सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर प्रहार कर रही है। फिर इस व्यवस्था को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा रहा है। इससे हमारे न्यासों का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि केवल बहुसंख्यक हिन्दू या अनुसूचित जातियों के लोग ही इस प्रकार के न्यास स्थापित कर सकेंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वे गरीबों की मदद करने के लिये हैं और उन्हें आय-कर से छूट मिल जायेगी। इस प्रकार लोकतंत्र और धर्मनिर्पेक्षता के नाम पर हमारा गला दबाया जा रहा है। मैंने थोड़ा-थोड़ा चन्दा ले कर एक केन्द्रीय राहत निधि बनायी थी ताकि अपने समुदाय की निःसहाय महिलाओं की सहायता की जा सके, परन्तु सरकार उसको भी आय-कर के घेरे में ले आयी है। अब मुझे इस निधि को भी समाप्त करना पड़ेगा।

यदि अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखा जाये तो बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक आंग्ल भारतीय को पंजीकरण के लिये भी 500 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है और कोई उचित स्थान प्राप्त करने के लिये 1000 रुपये तक देने

पड़ते हैं। इस बारे में सरकार क्या कर रही है? अब एक नया दौर चला है कि किसी राज्य में उसी राज्य के लोगों को रोज़गार दिया जाये। सरकार इस प्रकार के आन्दोलन को प्रोत्साहन देती है। महाराष्ट्र में उन्हीं को रोज़गार मिलेगा जिनकी मातृ-भाषा मराठी है। आन्ध्र प्रदेश के लिये जो 6 सूत्री फार्मूला बनाया गया था उसकी स्थिति क्या है? आज बंगलौर में लड़कों से पूछा जाता है कि उनके माता-पिता बंगलौर में कितने वर्षों से रह रहे हैं। यदि वे वहां पर नहीं रहते तो उन्हें वहां पर रोज़गार नहीं मिल सकता। उन्हें कालेजों में दाखिला तक नहीं मिलता।

लड़ाई वर्ष 1971 में खत्म हो गई थी परन्तु आपात स्थिति अब तक बनी हुई है। यह व्यवस्था तभी लागू की जानी चाहिये जब देश को कोई खतरा हो इस समय विदेशी आक्रमण का कोई ख़तरा नहीं है और देश के भीतर भी कुछ नागा और मिजो विद्रोही हैं परन्तु उनकी समस्या इतनी खतरनाक नहीं है कि देश में आपात स्थिति लागू रखी जाये। अनुच्छेद 19 के उपबन्धों को स्थगित कर रखा है। न्यायालयों में भी मूलभूत अधिकारों के मामलों को नहीं उठाया जा सकता। भारत रक्षा नियमों में बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेलों में सड़ना पड़ता है। सरकार ने देश में विधि शासन समाप्त कर दिया है। देश में हिंसा के वातावरण का कारण यह है कि सरकार पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : It is democracy in which the hon'ble Member has uttered even those things which he might not have been able to utter even at the time of British Rule.

[श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI IN THE CHAIR]

In British period there was no development. Only roads were built for the Convenient movement of the English or for the repression of the Indian people. There was feudal system and agriculture was completely ignored. Moreover, population was also less Freedom of speech has been given only after democracy and now they can conveniently say that there is no democracy. Now the society has been developed and our difficulties have been increased. The reforms have been enforced but the dimention of crises has also been enlarged. One of the reason for rise in the incidence of crimes in urbanisation. In view of industrialisation, population growth and internal migration and also change in technology, the administration of justice has to face many difficulties.

There is overloading in the administration and justice. Backlog continues and we would have to speed up the work to clear it. Jail reforms are very necessary to save the jailed persons from getting dehumanised.

The Government have improved the recommendations of the third Pay Commission in respect of police officers and has given them a pay scale of Rs. 1200 to 1700 instead of 1100—1600, whereas the officers demand Rs. 1800. Much care is to be taken of the Police officers since they are responsible for controlling the services and discipline and they help and guard us next to our military.

Action should be taken to fix the responsibility in connection with atrocities on the Harijans, backward class and tribal people. Strict and prompt action is required to escape criticism. Similarly, you have to look into the unemployment problemt which many a time becomes the basis for criminal offences. For that you should examine your industrialisation pattern. Attention is also required to be paid towards the problems of the wards/children whose mothers have also taken up employment.

There has been an appreciable population growth and age-rate has increased as a result of increase in medical facilities. But at the same time more mouths have not opened for food.

Our small farmers' difficulties have got multiplied and he is compelled to wander in search of employment. The administration should look into those and help such people. No doubt we have made progress in the fields of technology automobile, aeroplanes, computors, telephone, electricity and so on, but certain crimes have also come up. The strikers in electricity boards sometime indulge in sabotage cases and disrupt power supplies by damaging equipment. We should have face to deal with such nefarions activities.

The rights of the Panchayats should be maintained as it is and people should be given an opportunity to work for themselves. People would be satisfied when they would find the decentralisation of power.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : अब तक भाषणों में कांग्रेसी सदस्यों ने खड़े हो होकर देश में लोकतंत्र की रक्षा का राग अलापा है। उनके भाषण सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वे इस भारत के नहीं बल्कि अपने सपनों के किसी अन्य देश का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस देश में ही लोकतंत्र बचा और पनपा है। परन्तु मेरे विचार से आजादी के पहले 18 वर्षों में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण लोकतंत्र कुछ रहा था क्योंकि उनके मन में लोकतंत्र के प्रति कुछ श्रद्धा और इज्जत थी। यह बात सारा विश्व भी जानता है। इस प्रकार लोकतंत्र तो हमारे देश में केवल पहले 18 वर्षों में ही रहा था। हालांकि वह लोकतंत्र भी उस महान "मुग़ल" के लिये मनमानी कर सकने का समय था।

मेरे विचार से लोकतंत्र का वास्तविक आधार राष्ट्रपतित्व, संसद्, मंत्रीमंडल प्रणाली, विपक्षी दल, एक निर्भीक प्रेस, एक स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा देश में जनमत की प्रधानता ही हैं। ये संस्थान इतने सुदृढ़ होते हैं कि इनकी नींव को किसी की अस्थायी लोकप्रियता जैसा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की है, या कोई अन्य हुल्लड़बाजी आदि से नहीं हिलाई जा सकती। किसी को भारी बहुमत मिलने के बाद भी लोकतंत्र जीवित रह सकता है। मेरे विचार से सही लोकतंत्र तो वही है।

श्री भागवत झा आजाद ने अपने भाषण में कहा कि आप चाहे जितना चीखें चिल्लायें वह सब निरर्थक होगा। परन्तु यह भी उन्होंने सच ही कहा है कि हम चाहे जो कहें—कोई भी विचार करें उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि जनता तक हमारी बातें पहुंचाने का माध्यम तो सरकार के नियंत्रण में है।

ये लोग अनेक वर्षों से 'समाजवाद-समाजवाद' चिल्लाये जा रहे हैं परन्तु न जाने ये लोग देश में कैसे समाजवाद लायेंगे? क्योंकि समाजवाद का अर्थ तो वह सब के साथ न्याय और सम्पत्ति का बंटवारा है परन्तु शक्ति के बंटवारे बिना सम्पत्ति का बंटवारा तो निरर्थक है। उनका समाजवाद तो शक्ति का केन्द्रीयकरण करने का है। फिर धन का बंटवारा कौन करेगा? बताईये कौन अपनी शक्ति छोड़ने को तैयार हैं? शक्ति छोड़ने से मेरा अभिप्रायः है केन्द्रीय आयोजन का परित्याग करना। देश भर में जिला स्तर पर आयोजन हो और उसका क्रियान्वयन हो। पूरे तौर पर विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं या केन्द्रीय सरकार को बजट प्रावधानों के अन्तर्गत जो राशि जिलों के लिये दी जाती है वह जिला स्तर तक पहुंचते-पहुंचते ही कहीं मार्ग में ही समाप्त हो जाती है रुपया तो बहुत खर्च होता है किया जाता है परन्तु उसको खर्च करने वाले लोग ईमानदार नहीं हैं कार्य करने वाले लोगों की वृत्तियां अच्छी नहीं हैं।

योजना बनाते समय आप लोगों की राय नहीं लेते। कुछ कच्चे मस्तिष्क के लोग योजना पत्र तैयार करते हैं और समस्त दल उसे ही सिद्धान्त मानकर आगे बढ़ता है और यह समझा देता है कि गांव-गांव में इसकी प्रशंसा के पुल बांधे जायेंगे।

अतः अब यदि कोई नीतियां बदलती हैं तो उनका आरंभ शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करने से हो। यदि किसी जिले के लिये नियत की गई राशि ठीक ही उस जिले को दी जाये और कहा जाये कि वह उसका जैसे चाहे उत्तम उपयोग करें, तो उसका कम से कम आधा भाग तो अच्छे कार्यों पर लगेगा ही और उसके कुछ परिणाम भी निकलेंगे। और इस प्रकार सप्ताह, मास तथा वर्ष गुजरने के साथ-साथ लोग भी आपके साथ होते जायेंगे। इससे इतर तो सरकार का सारा झमेला ही निरर्थक है।

मैंने इतना कुछ कहा है परन्तु मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय ने उसमें से क्या कुछ लिया है। क्या इन लोगों में ऐसा कोई है जो कहीं कहता ही कि अमुक व्यक्ति ने अमुक अच्छा सुझाव दिया आओ हम उसे क्रियान्वित करें? क्या मंत्री मण्डल की बैठक में सिवाय पूर्व निश्चित निर्णयों पर मुहर लगाने के अतिरिक्त कभी कोई विचार विमर्श हुआ करता है?

जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक तो लोकतंत्र इस संसद के बाहर ही रहेगा। मेरे विचार से यह तो सच्चा लोकतंत्र नहीं है और यदि यही है तो यह आपके दिल तक स्थायी नहीं रहेगा। क्योंकि ये लोग खोखले हैं। अब लोगों का कांग्रेस में विश्वास नहीं रहा है आप लोग रेडियो पर केवल लता मंगेशकर आदि के सुनने को उसे खोलते हैं इन्दिरा जी के भाषण सुनने को नहीं। आज प्रशासन जनता को कुछ भी दे सकने में असमर्थ है। जनता जहां भी जाती है वहीं से उसे 'नहीं है . . . नहीं है' का उत्तर ही मिलता है।

सभापति महोदय : और अब समय भी नहीं है।

श्री पीलू मोदी : आप भी 'नहीं' कहकर एक बुरी परम्परा बना रहे हैं क्योंकि आप भी देश की स्थिति से प्रभावित हैं।

इस प्रकार यह सरकार लोगों को कुछ भी नहीं करने दे रही है। प्रत्येक स्थान पर रुकावटें ही रुकावटें हैं। यह सब कुछ सरकार की गलत नीतियों और गलत आयोजन के कारण हो रहा है जिसकी शुरुआत वर्ष 1955-56 में हुई थी। ऐसी परस्पर विरोधी नीतियां और कानून बन रहे हैं कि किसी को यह भी पता नहीं लगता कि वह कानूनी रूप से ठीक काम कर रहा है याकि गलत कर रहा है। मेरे विचार से वह समय आ गया है जबकि लोग इन गलतियों को महत्व देने की बजाय जंगल के कानून को ही अपनाना सही समझेंगे।

धन्यवाद।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं एक उदाहरण से शुरू करता हूं। एक नया पादरी एक पुराने पादरी के पास आकर बोला कि उसे अपने पहले भाषण के लिये कुछ नुक्ते बताये। "वरिष्ठ पादरी ने नये पादरी द्वारा बोले जाने वाले अनुच्छेद पर, हाशिये में कुछ ऐसे शब्द लिख दिये जैसे—यह दलील बड़ी सुदृढ़ है; इसे भावपूर्ण ढंग से बोलना—यह दलील ज़जबात से भरी है; अतः इसे उंगली उठाकर

बोलना" आदि आदि । ठीक इसी प्रकार आजकल श्री फ्रैंक एन्थनी अल्पसंख्यकों एक-दूसरे समुदाय, के बीच वैमनस्य उत्पन्न करके, इनके मध्य धार्मिक भावनाओं को भड़का कर स्थिति को जटिल बना रहे हैं। विशेषकर देश के उसी नाजुक क्षेत्रों में उनकी गतिविधियां देश की अखण्डता तथा सुरक्षा के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। मैं गृह मंत्रालय को इस बारे में चेतावनी दे देना चाहता हूं।

आज देश के सामने अनेक समस्यायें खड़ी हैं। श्री पीलू मोदी भले ही कुछ कहें, परन्तु हमारे देश के लोकतंत्र की जो जड़ें बहुत गहरी हैं हालांकि उसे उग्रवादी दक्षिण पंथियों और प्रयोगवादी वाम-पंथियों से निरन्तर खतरा बना हुआ है। अतः हमें इस पर ध्यान देना है कि ऐसे समय में ही ये लोग क्यों इतने सक्रिय और सचेत हुए हैं। ये लोग ऐसी गतिविधियां करने लगे हैं जिससे हमारे लोकतांत्रिक आधार को खतरा पैदा हुआ है। क्या कारण है कि आज हमारे छात्र, युवक आदि देश की समस्याओं के लिये कोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना रहे हैं यदि आप देश की समूची स्थिति पर गौर करें तो आप पायेंगे कि देश का यही जज़बाती वर्ग तथा देश का दलित वर्ग, जिसे आजादी के गत 25 वर्षों में कम से कम लाभ पहुंचा है, वही इस लोकतांत्रिक प्रणाली के समर्थक रहे हैं। वे जानते हैं कि अन्ततः यही प्रणाली उनकी आशाओं को फलीभूत करेगी। देश में विज्ञान, प्रोद्योगिकी, शिक्षा तथा संचार आदि के विकास के साथ-साथ आज विश्व एक बहुत छोटी जगह मालूम होने लगा है। आज हमारा युवक वर्ग वही लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है जो देश के अन्य भागों से प्राप्त हो चुके हैं। वे पश्चिमी देशों में उपलब्ध जीवन-स्तर बनाना चाहते हैं। परन्तु वे इसके लिये कम ही गुंजाइश पाते हैं। आज देश में दो वर्ग के छात्र दिखाई देते हैं। एक वर्ग यह सोचता है कि लोकतांत्रिक तथा संसदीय प्रणाली से कुछ बनने का नहीं है। दूसरा वर्ग सभी कुछ के प्रति निराश और हतोत्साह है। वे समझते हैं कि प्रणाली कोई भी हो उसका फल कुछ भी नहीं निकलेगा।

हमें तथ्यों को देखकर विचार करना चाहिये।

ये दोनों ही धारणायें हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिये खतरनाक हैं। जो लोग इस प्रणाली की उपेक्षा करते हैं वे भी उतने ही खतरनाक हैं। फिर यह बात हम भी और छात्र वर्ग भी जानता है कि हम एक दम तो उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। फिर भी वे इतने क्रोधित क्यों होते हैं? मेरे विचार से वह यह अनुभव करते हैं कि हमारा प्रशासन ही इतना ढीला तथा दोष पूर्ण है कि वह कोई लाभ नहीं पहुंचा पाता।

नौकरशाही पर विभिन्न आरोप लगाये गये हैं कि यह देश के लिये कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहती। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। परन्तु यह सही है कि प्रशासन बहुत ही धीमी गति से कार्य कर रहा है।

यदि गृह मंत्री देश में समुचित ढांचा खड़ा करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह समूचे प्रशासनिक ढांचे को नया रूप प्रदान करें ताकि द्रुत गति से अच्छा कार्य हो सके।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता हैं कि मूल्य-वृद्धि और छात्र असंतोष के विरुद्ध उपाय किये जाने आवश्यक हैं।

मैं गृह मंत्रालय से अपील करता हूं कि वह, इन दोनों मामलों का हल निकाले।

कमी के बारे में शिकायत की जाती है लेकिन किसी वस्तु की कमी नहीं है। जिनके पास पैसा है वे सब-कुछ खरीद सकते हैं। अतः मुनाफाखोरों और जमाखोरों को दंड दिया जाना चाहिये ।

मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं। समाचार-पत्रों में यह समाचार आया है कि कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा चोरी-छिपे राष्ट्र-विरोधी तत्वों की सहायता की जा रही है और विदेशी निशान वाले दो 'बड़ी शक्ति वाले' ट्रांसमीटरों एवं रिसीवर सेटों को पकड़ा गया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र नाजुक क्षेत्र है।

यदि सरकार उस क्षेत्र में स्थिरता की भावना उत्पन्न करना चाहती है तो उसे उत्तर-पूर्वी परिषद् को राष्ट्रीय बनाना चाहिए।

श्री समर गुहा (कन्टार्इ) : दोनों सदनों के सभी दलों के सदस्यों के सहयोग से नेताजी जांच आयोग गठित किया गया था। मुझे इस बात पर जरा भी संदेह नहीं है कि नेताजी की मृत्यु विमान-दुर्घटना में नहीं हुई थी।

नेताजी जांच आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है परन्तु 'अपूर्ण' रूप से।

मैंने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा जिसके उत्तर में उन्होंने मुझे लिखा था कि चूंकि आपके पत्र का सम्बन्ध गृह मंत्रालय से है, अतः इसे इस अनुरोध के साथ गृह मंत्री के पास भेज दिया गया है कि वह शीघ्र उत्तर दें परन्तु दुर्भाग्यवश प्रधान मंत्री के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे अभी तक गृह मंत्री से उत्तर नहीं मिला है । सरकार आयोग को सहयोग नहीं देना चाहती।

सरकार ने आयोग को बहुत से दस्तावेज बहुत देर से दिये जबकि आयोग फारमोसा को छोड़कर उत्तर-पूर्वी एशिया और जापान में कार्य पूरा कर चुका था। इन दस्तावेजों में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी परन्तु देर से मिलने के कारण आयोग इन पर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं कर सका।

आयोग ने जब जापान का दौरा किया तो वह कर्नल टोडा, श्री किशी और जनरल साइड्ज की परीक्षा नहीं कर सका।

सरकार ने जापान सरकार से इस बारे में समुचित आग्रह नहीं किया कि वह नेताजी के बारे में युद्ध-काल के दस्तावेज दें।

सरकार ने रूस जैसी घनिष्ठ मित्र सरकार को भी नेताजी के बारे में युद्ध-काल के दस्तावेज देने का अनुरोध नहीं किया।

स्वर्गीय पंडित नेहरू की वैयक्तिक फाइल, जिसमें नेताजी के बारे में पर्याप्त जानकारी होने का समाचार था, आयोग को नहीं दी गई क्यों?

सरकार ने बिना शपथ-पत्र के मूल दस्तावेजों की केवल प्रतियां ही दी हैं। इन दस्तावेजों के अनेक पृष्ठ या तो गुम थे या नष्ट कर दिये गये अथवा उन्हें आयोग को नहीं दिया गया। उदाहरण के लिये, प्रधान मंत्री सचिवालय की फाइल संख्या 12(226)/56-पी०एम०। (इस बीच नष्ट कर दी गई है)

सरकार ने कर्नल हबीबुर्रहमान की परीक्षा करने के लिये आयोग को पाकिस्तान भेजने या उन्हें भारत लाने के लिये कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। लाल किले में चलाये गये मुकद्दमे के समय कर्नल हबीबुर्रहमान द्वारा रक्षा गुप्तचर विभाग को दिया गया बयान या तो नष्ट कर दिया गया है या आयोग को दिया ही नहीं गया है।

सरकार ने सी० एस० डी० आई० सी० का महत्वपूर्ण दस्तावेज आयोग को नहीं दिया।

राष्ट्रपति च्यांग-काई-शेक द्वारा नेताजी के बारे में की गई जांच से सम्बन्धित पंडित नेहरू और राष्ट्रपति च्यांग-काई-शेक के बीच हुए पत्र-व्यवहार को आयोग को नहीं सौंपा गया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यह जानकारी मंत्री महोदय को दे दें। वह जांच कर लेंगे।

श्री समर गुह : यदि आयोग को ताइवान सरकार का सहयोग लेने की अनुमति दी जाती तो वह ताइपेई हवाई-अड्डे के अधिकारियों से मौसम-विज्ञान विभाग की सरकारी रिपोर्ट प्राप्त करता और उससे नेताजी के विमान के दुर्घटना-ग्रस्त हो जाने की बात असत्य सिद्ध हो जाती।

यदि मैं यह कहूं कि भारत सरकार ने आयोग को ताइवान सरकार का सहयोग प्राप्त करने की अनुमति न देकर स्वयं को आयोग के उद्देश्य की पूर्ति विफल करने में दोषी बना लिया है तो क्या अति होगी ?

जापान सरकार द्वारा युद्ध की समाप्ति पर सैगोन में छोड़ी गई माउंटबेटन की डायरी की पूरी प्रति भी आयोग को नहीं दी गई।

'शिकागो ट्रिब्यून' के संवाददाता, श्री अल्फ्रेड वाग द्वारा 1946 के आरंभ में पंडित नेहरू को प्रस्तुत रिपोर्ट आयोग को नहीं दी गई है।

"भिक्षु सातो" के नाम से बौद्ध मंदिर में रहने वाले जापानी नागरिक, जो युद्ध काल में सैनिक अधिकारी था, को आयोग के समक्ष नहीं बुलाया गया।

सरकार ने भारत के बहुत से सन्यासियों के बारे में जांच की परन्तु आयोग को आंशीक रिपोर्ट दी गई है।

नेताजी का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में था या नहीं, जिसके बारे में सरकार ने संसद को बहुत सी गुमराह करने वाली जानकारी दी।

विदेश मंत्रालय के चार गुप्त टिप्पणों से पता चलता है कि सरकार ने इस बात को जानने के लिये गम्भीरता पूर्वक यत्न नहीं किया कि क्या नेताजी को युद्ध अपराधी घोषित किया गया था। युद्ध के पश्चात् नेताजी के न प्रकट होने के मामले को समझने में इस बात का अत्यन्त महत्व है।

गत तीन वर्षों में सरकार ने आयोग के सचिव को तीन बार और स्टाफ के सदस्यों को कई बार बदला। अब रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय सरकार ने बिना कोई कारण बताये आयोग के समूचे स्टाफ को बदल दिया है।

जापानी अधिकारियों द्वारा नेताजी की मृत्य के बारे में जारी किया गया प्रमाण-पत्र जाली सिद्ध हुआ है।

जनरल फ्यूजीयाम, जो नेताजी और जापान सरकार के बीच बड़े सम्पर्क अधिकारी थे, ने कहा बताया जाता है कि जापान सरकार ने नेताजी के बारे में काफी जानकारी दी है। मामले की और छानबीन करना भारत सरकार का दायित्व है। 17 जनवरी, 1941 को भारत से जाते समय नेताजी ने अपने भतीजे को बताया था कि या तो वे युद्ध के दौरान लौटेंगे अथवा युद्ध के बीस से भी अधिक वर्ष बाद । मैं समझता हूं कि नेताजी की मृत्यु की कहानी सर्वथा काल्पनिक है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : देश के भाग्य के निर्माण में गृह मंत्रालय का महान उत्तर-दायित्व है। आज हम ऐसे समाज में रह रहें हैं जिसमें भौतिकवाद का बोलबाला है। सारे देश में हिंसा, लूट और आगजनी की घटनाएं हो रही है।

हमने भारतीय राजतंत्र अंग्रेजी राजतंत्र तथा भारतीय स्वतंत्रता के युग को देखा है। परन्तु कानून और व्यवस्था की इतनी चिन्ताजनक स्थिति पहले कभी नहीं देखने को मिली । कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धि, उनकी बढ़ती हुई कीमतें छात्र असंतोष एवं जनता के क्षोभ का कारण बना जिसके कारण कानून और व्यवस्था भंग हुई एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ।

आज भारत की जन संख्या का 45 प्रतिशत से अधिक भाग गरीबी के स्तर से भी नीचे के स्तर में जीवन यापन कर रहा है।

लूट, आगजनी और हिंसा कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिये जाने चाहिऐ। इस बारे में राजनीति को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। लज्जा की बात है कि हम अपनी जनता को डो जून भोजन पाने में भी सफल नहीं हो सके।

आर्थिक वैषम्य के इस काल में हमें अपने राजनीतिक भेदभावों को समाप्त करके देश की सभी समस्याओं का मिलजुल कर समाधान खोजना चाहिए।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विरोध करते हुए सर विल्सन चर्चल ने कहा था भारतीय लोग कुछ वर्षों में ही अपनी सरकार समाप्त कर देंगे। क्या उनका यह कथन आज भी हमारे लिये चुनौती नहीं बना हुआ है।

गृह मंत्रालय का अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रति विशेष उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 275 के अधीन आदिवासी लोगों के विकास के लिये एक उप-योजना लाने के लिये गृह मंत्री बधाई के पात्र हैं। इस बारे में मेरा एक सुझाव है। कई बार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये निर्धारित धन राशि को अन्य कार्यों के लिये नियत किया जाता है। यदि हम इस उप-योजना के अन्तर्गत किसी परिव्यय का प्रावधान करने जा रहे तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह परिव्यय उस योजना से भिन्न कार्य में न लगाया जाये।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) विधेयक जिस पर 1970 में चर्चा हुई थी, तक में रख दिया गया है । चार वर्ष हो गये हैं । इसे पुनः लाने के लिए यत्न किया जाना चाहिए ताकि उक्त जातियों के लोगों को लाभ पहुंच सके। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि उन्हें विकास के लिये नहीं अपितु उपेक्षा के लिए अनुसूचित किया गया है।

सेवा नियमों के अनुसार ग्रेड II अधिकारियों से ग्रेड I अधिकारियों में पदोन्नति वरिष्ठता को ध्यान में रख कर की जाती थी। एक उच्च ग्रेड प्रदान करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति का एक अवसर मिल जाता था किन्तु गत 13 वर्षों से गृह मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। यह मंत्रालय योग्यता और वरिष्ठता का अनुसरण कर रहा है जिससे उक्त जातियों के अधिकारी पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं।

भारत सरकार ने 27 नवम्बर, 1972 को एक आदेश जारी किया था जिसमें वरिष्ठता व योग्यता, के आधार पर किये जाने वाले पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके अन्तर्गत सभी श्रेणियों। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद आते हैं। इन आदेशों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों को पदोन्नति के मामले में आरक्षण मिलते हैं। परन्तु अब गृह मंत्रालय पुनः 'वरिष्ठता व योग्यता' के नियम को अपना रहा है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को उनके पदोन्नति के अवसरों से वंचित किया जा रहा है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हमने अपना लक्ष्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठा कर अच्छे जीवन के लिये अधिक अवसर देना निर्धारित किया था। प्रधान मंत्री ने अप्रैल, 1971 में आगामी तीन चार वर्षों में इस दिशा में प्रगति करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। स्वतंत्रता के 27 वर्षों में हमने बहुत सी भूलें की है। राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अधिकार और उत्तरदायित्व साथ-साथ चलने चाहिएं। वर्तमान प्रशासकीय ढांचे के अन्तर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व साथ-साथ नहीं चलते हैं क्योंकि अधिकार तो सामान्य प्रशासकों में निहित होता है और काम करने का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय अधिकारियों अर्थात् तकनीकी विशेषज्ञों का है इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

वेतनमानों के निर्धारण में भी सरकार को एक यथार्थवादी निर्णय लेना चाहिए।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी विभागों के सभी क्षेत्रों में हिन्दी में कार्य शुरू करने और थोपने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय करारों का हिन्दी में अनुवाद किया जाना चाहिए और सभी विभागों के साथ पत्र-व्यवहार 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए? किन्तु संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 15 भाषाओं की क्या स्थिति है?

गृह मंत्रालय ने एक निदेश यह भी जारी किया है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 1-1-74 के बाद खुलने वाले किसी भी नये स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं हिन्दी होना चाहिए। यह तो अहिन्दी भाषी लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी थोपना है।

मुझे कई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं रेलवे कर्मचारियों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गृह मंत्रालय ने पदोन्नति के लिये हिन्दी को एक शर्त के रूप में थोपने के लिये निदेश जारी किये हैं। यह तो इस सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के विरूद्ध है।

गृह मंत्रालय का प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिन्दी में छपता है इस पर तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु अंग्रेजी शब्दों में 'भारत सरकार' 'गृह मंत्रालय' छापे जाने का हमने विरोध किया था। प्रधान मंत्री ने इस बारे में परिवर्तन का आश्वासन भी दिया था।

यदि सरकार इसी तरह सभी सरकारी विभागों पर हिन्दी थोपती रही तो 1965 में जो कुछ हुआ है वह पुनः हो सकता है। लाखों लोग हिन्दी लादे जाने के विरोध में खून बहाने को तैयार हैं।

जब कभी हम राज्य के लिये स्वायत्तता की मांग करते हैं तो कांग्रेसी लोग कहते हैं कि द्रमुक की मांग पृथक होने की है। किन्तु हम राज्य की स्वायत्तता इसलिये चाहते हैं कि भारत की एकता सुरक्षित रहे, आर्थिक विकास में वृद्धि हो और राज्य सरकार जनता के साथ घनिष्ठ संबंध रख सकें। इसके साथ ही जब शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर की स्वायत्तता की मांग की तो केन्द्रीय सरकार उस के साथ बातचीत करने को तैयार थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : काश्मीर का विशेष स्थान है।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : द्रमुक देश भक्ति में किसी से पीछे नहीं है। 1962 में चीनी आक्रमण एवं 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय सभी मतभेदों को ताक में रख कर हमने सरकार का साथ दिया। 6 करोड़ रुपए एकत्र करके प्रधान मंत्री को दिये।

तमिलनाडु सरकार ने एक समिति बनायी थी जिसका प्रतिवेदन मंत्री महोदय को भेज तमिलनाडु विधान सभा ने संकल्प पारित किया था। सरकार इस मामले पर खुली चर्चा क्यों नहीं कराती ?

प्रजातंत्र को शासक दल से ही खतरा है। गुजरात की घटनाओं को हमने देखा है । उड़ीसा बिहार, और उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे देख रहें हैं।

अनेक संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके क्या कारण हैं ? सरकार भारत रक्षा नियम के बावजूद भी कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफल रही है। पाण्डिचेरी सहित अनेक संघ राज्यों को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की समस्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार ने अस्पृष्यता की समस्या के अध्ययन के लिए एक समिति नियुक्त की थी जिसने अपना प्रतिवेदन भी दिया था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों का आयोग भी प्रति वर्ष अपना प्रतिवेदन देता है। परन्तु केन्द्रीय सरकार इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने को तैयार नहीं है।

तमिलनाडु सरकार ने पैतृक पुरोहिताई प्रथा समाप्त करने के लिये संशोधित विधेयक रखा है। किन्तु उच्चतम न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया है। केन्द्रीय सरकार से इस बारे में संविधान में संशोधन करने को कहा गया है।

श्री डी० बसुमतारी (कोकरा झार) : गृह मंत्रालय को केवल कानून और व्यवस्था का ही भार नहीं सौपा हुआ है अपितु देश की आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का कल्याण करना भी इसी मंत्रालय का काम है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के कार्य को गेंद की भांति एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय में फेंका जा रहा है। कभी यह कार्य शिक्षा मंत्रालय के पास था, कभी विधि मंत्रालय के पास और कभी समाज कल्याण मन्त्रालय के पास।

स्वतंत्रता से पहले भारत में साक्षारता 5 प्रतिशत थी। अब यह 29.45 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों में साक्षरता का प्रतिशत 14.71 है जबकि अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत 11.29 है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन देता है जिस पर इस सभा में चर्चा भी होती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण कार्यों के अध्ययन के लिए दो संसदीय समितियां भी नियुक्त हुई थी। परन्तु मुझे सन्देह है कि मंत्री महोदय उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करेंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास का कार्य महत्वपूर्ण है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के विकास की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है। हमने गृह मंत्री महोदय से अनेक बार अनुरोध किया है कि मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रों के लिये छात्रवृत्तियों की धनराशि बढ़ाई जाये।

ब्रिटिश राज्य के समय श्री फ्रैंक एन्थनी के सम्प्रदाय के लोगों को अधिकतम संख्या में रोजगार प्राप्त था अब उनके लिए दो विभाग रेलवे और संचार, आरक्षित हैं। वहां इस सम्प्रदाय के कम से कम 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त है। परन्तु अनुसूचित जनजाति के 0.2 अर्थात एक प्रतिशत से भी कम लोगों को ही रोजगार प्राप्त है। अनुसूचित जाति के 2.39 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त है। हम इन जातियों के लोगों के क्षेत्र का विकास करने की बात सोच रहे हैं ताकि उन्हें समाज के विकसित वर्गों के समकक्ष लाया जा सके। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को कुछ और अधिक बढ़ाया जाना चाहिये। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का तेज़ी से विकास किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि संविधान के अनुच्छेद 335 का, जो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को रोजगार प्रदान करने के मामले में बाधक है, समुचित संशोधन किया जाये।

तत्पश्चात जनजाति खंडों का प्रश्न सामने आता है। सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय की है। किन्तु केवल 25 प्रतिशत व्यय का ही उन्हें लाभ पहुंचा है।

श्री सभापति महोदय : मंत्री महोदय मध्याह्नोपरान्त 5 बजकर 15 मिनट पर उत्तर देंगे, अतः समय का प्रश्न सामने आता है। यदि आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय बाद में बोलें, तो आप निर्णय करलें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

संसदीय कार्यप मंत्री श्री के० रघुरामय : मध्याह्नोपरान्त 6 बजे गिलोटिन है। इसके बाद वह नहीं बोल सकते।

Shri T. Sohanlal (Karol Bagh) : Sir, I request that the time for the debate should be extended.

श्री पीलू मोदी (गोधर) : मंत्री महोदय 5 बजकर 15 मिनट पर बोलें। कांग्रेस दल के वक्ताओं के नाम काट दिये जाने चाहियें और उनके स्थान पर विपक्ष के सदस्यों को समय दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : हम मूल समय सारणी के अनुसार चलेंगे। श्री ए० सी० दास।

Shri Anadi Charan Das (Jajpur) : Sir, Government has been a failure in checking atrocities on Harijans. The special schemes that have been taken up for the development of backward classes did not prove beneficial for these communities. On one side, the special projects are being drawn up for their development whereas on the other, these tribals and Harijans are being subjected to exploitation. The benefits of tribal development schemes under which mannure, bulls and other facilities are provided to them, do not actually reach these people. Money lenders still change usuary rates of interest from these people. This should be stopped.

The amounts of stipends and scholarships given to Adivasis Harijans students should be enhanced. Special attention should be paid towards the education of these people.

It is good that some measures have been taken for the development of backward communities. Irrigation facilities should also be provided to them along with the land.

श्री के० मारक (तुर) : आसाम के मैदानी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या एक लाख से भी अधिक है । उन लोगों के अपने खास लोग पहाड़ी जिलों में रहते हैं । किन्तु वे अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं माने जाते और इस प्रकार उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले अधिकार प्राप्त नहीं हैं । उदाहरण के लिये ग्वालपाड़ा, कामरूप तथा अन्य मैदानी जिलों में एक लाख से अधिक गारो लोग हैं जिन्हें वे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं जो मेघालय के पर्वतीय जिलों में रहने वालें उनके भाई बहिनों को प्राप्त हैं ।

इन पर्वतीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की सिद्धि काफी नहीं हुई है और देश के इन सुदूर क्षेत्रों में सामाजिक दमन तथा आर्थिक अस्थिरता अभी व्याप्त है । इसका कारण सरकार द्वारा उठाये गये कारणों का अनुचित तथा पक्षपातपूर्ण कार्यान्वियन है । इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में पिछड़ेपन का यह भी कारण है कि इन क्षेत्रों के महत्व को नहीं समझा गया और इनके विकास के लिये अपर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है ।

आसाम के ग्वालपाड़ा तथा कामरूप जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले गारों लोगों की इस मांग को, कि 360 गारो गांवों को मेघालय के गारो ज़िले में सम्मिलित किया जाये, एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए और इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये। अपने निकट सम्बन्धियों के साथ बसने की उन लोगों की मांग न्यायोचित है । यह काल्पनिक सीमारेखा ब्रिटिश शासकों ने अपनी प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की थी । उनके साथ रहने, साथ प्रगति करने तथा मिलकर कार्य करने की इच्छा एक भाषायी राज्य की स्थापना के स्वीकृत सिद्धान्त के अनुकूल है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा आसाम सरकार की मौनवृति के कारण इन सीमावर्ती लोगों में निराशा की भावना पैदा हो गई है ।

सरकार के लिये यह उचित समय है कि वह आसाम के ग्वालपाड़ा तथा कामरूप जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले इन भाषायी अल्पसंख्यकों की इस समस्या का कोई राष्ट्रीय समाधान निकाले।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को ग्वालपाड़ा तथा कामरूप जिलों के गारों लोगों के, जिन्हें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की मान्यता नहीं दी गई है, संवैधानिक अधिकारों तथा आकांक्षाओं की ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । इन लोगों की समस्याओं का एकमात्र समाधान यह है कि इन गारो गांवों को शीघ्रताशीघ्र मेघालय राज्य में सम्मिलित कर दिया जाये ।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): In the name of agitation against shortages and high prices, the communal elements are again raising their ugly head. They have made it impossible for the Muslims and Harijans to live a peaceful life. Every agitation is given a communal turn. What has happened at many places in Bihar and Gujarat in an example of this.

The student agitation in Bihar has been the creation of right reactionaries. They want to motilise the people in their favour. If this element is not suppressed, our democracy is in danger.

The R.S.S. and Vidhyarathi Parishad are involved in riots that took place in Khudasa the police force is also colliding with them. I request the hon. Minister to take legal action against these organizations. Mere amendment of Section 153, IPC is not enough. Organizations such as the RSS and Anand Marg should be banned.

Urdu should be given it's proper and right ful place in the administration.

There should be proper representation of Muslims in Public under takings and other Government departments.

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : राष्ट्रीय एकता के मामले में यह आवश्यक है कि समान सिविल संहिता हो जैसी कि संविधान में व्यवस्था की गई है । परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 44 पर कोई ध्यान नहीं दिया है । सरकार ने इसकी पूर्णतया उपेक्षा की है । राष्ट्रीय एकता के लिये एक सम्पूर्ण भाषा का होना भी आवश्यक है । हिन्दी का, जो राष्ट्रीय भाषा है, उत्तरोत्तर विकास और प्रचार किया जाना चाहिये । अनुच्छेद 343 तथा 344 में एक आयोग और एक संसदीय समिति की नियुक्ति का उपबन्ध किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है । देश में अजोदोगरीब बातें हो रही हैं और गृह मंत्रालय इन्हें रोकने में असफल रहा है । तमिलनाडु सरकार स्वायत्तता की मांग कर रही है । यह मांग देश से अलग होने का एक कदम है । यह राज्य सरकार हिन्दी विरोधी आन्दोलन में भाग लेने वालों को पेंशन दे रही है । क्या यह उचित है? गृह मंत्रालय इस मामले में चुप है । केवल हिन्दी ही देश की राष्ट्रभाषा है । दक्षिण के राज्यों में हिन्दी भाषा को अनिवार्य दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिये और उत्तरी राज्यों में दक्षिण की एक भाषा इसी प्रकार से पढ़ाई जानी चाहिये ।

चड़ीगढ़ के बारे में प्रधान मंत्री ने चार वर्ष पूर्व निर्णय दिया था । निर्णय के अनुसार अगले वर्ष चंडीगढ़ पंजाब को मिल जाना था । फाजिल्का तथा अबहोर के स्थानान्तरण का मामला, जो हिन्दी-भाषी क्षेत्र हैं, आयोग को सौंपा जाना था । यह आयोग अन्य सीमा विवादों को हल करने के लिये स्थापित किया जाना था । चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है अभी तक आयोग की स्थापना नहीं की गई है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि फाजिल्का और अभोर के मामले को सीमा विवाद सम्बन्धी आयोग से नहीं जोड़ा जाना चाहिये । मेरा सुझाव है कि चंडीगढ़ पंजाब में जाना चाहिये और फाजिल्का और अभोर हरियाणा में जाने चाहिये ।

Kushak Bakula (Ladakh) : Ladakh is a backward region of the state of Jammu and Kashmir. It is being ignored by the state as well by the Central Government. I will request the Government to declare Ladakh as a scheduled area.

The people of Ladakh have been demanding that Ladakh should be made a separate State so that it could make progress. We are told to wait as the time is not ripe for that. Gajendragadkar Commission was appointed to go into this question. The commission was also of the view that Ladakh has remained backward during all these years. The commission made several recommendations but nothing had been done to develop this area.

People in Ladakh have been demanding Central rule in Ladakh. This demand should be looked into by the Government. If it is not possible immediately, the centre should at least take the developmental work of that region in its own hands.

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार आंध्र के लिये छः सूत्रीय फार्मूला बनाने में सफल हुई है ।

हम इस क्षेत्र के लिये एक केन्द्रीय विद्यालय चाहते हैं। तेलंगाना एक पिछड़ा क्षेत्र है । इस क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार को अधिकाधिक राशि देनी चाहिये । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वहां फिर से अन्दोलन न हो ।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : आंध्र प्रदेश के बारे में छः सूत्री फार्मूला तैयार किया गया है । इसके लिये संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया है । यह आवश्यक है कि अधिकांश राज्यों को इसमें संशोधन करने के लिये संकल्प पारित करने चाहिएं । हाल ही में अधिकांश राज्यों ने संकल्पों को पारित करके इसमें सुधार कर लिया है । फिलहाल शिक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की योजना पर विचार किया है ।

इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं । अनुसमर्थन की बात से राष्ट्रपति को अवगत करा लिया गया है और हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय थोड़े समय में ले लिया जायेगा ।

हम 6 सूत्री फार्मूले पर दृढ़ हैं और इससे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं उठता । सरकार ने संसद में कुछ आश्वासन दिये हैं और इन वचनों को पूरा किया जाएगा बशर्ते कि विधिक औपचारिकताएं या प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों से कोई विलम्ब न हो ।

हम यह भी प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार का विलम्ब न हो । आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी है । अनेक समस्याओं की ओर से सरकार का ध्यान हटाने के लिये जानबूझ कर प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे पास एक पत्र की प्रति है...

श्री उमाशंकर दीक्षित : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभापति महोदय इसे पढ़ें ।

सभापति महोदय : आप लोगों को सहयोग से काम लेना चाहिये । मैं आपका पत्र पढ़ूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह पत्र चार दिन पहले सचिवालय को दिया गया था ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Speaker in the Chair]

श्री उमाशंकर दीक्षित : महत्वपूर्ण बत यह है...

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अध्यक्ष महोदय को पत्र में लिखा था .....(**व्यवधान**) ....मंत्री महोदय ऐसी बातें कहते हैं । जो बिल्कुल .....(**व्यवधान**).....शर्म

श्री उमाशंकर दीक्षित : इन्हें असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये । ये सारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं...(**व्यवधान**) : साधारणतः गृह मंत्रालय में गुमनाम पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती.......(व्यवधान) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रतिदिन झूठ बोलना यह हमारे संयम की परीक्षा है .....(**व्यवधान**)

श्री उमाशंकर दीक्षित : गम्भीरता का मामला तो यह है कि उन लोगों ने भी जो संसदीय लोकतंत्र का राग अलापते हैं, देश के लोकतांत्रिक जीवन को गंदा करने का प्रयास किया है । ऐसी परिस्थितियों में सरकार का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कठोरता से कार्यवाही करे क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों का परिणाम लोकतंत्र को खतरा पहुंचाना और संविधान को नष्ट करना होता है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : ये किसका जिक्र कर रहे हैं ......(**व्यवधान**)

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह राज्यों को प्रजातंत्र की समस्याओं का सामना करने के लिये अपना नैतिक समर्थन दे.......(**व्यवधान**)

श्री समर गुह (कंटाई) : अनैतिक राजनीतिज्ञों को नैतिक समर्थन ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : नागालैंड सरकार के साथ सम्बन्धों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की समग्र स्थिति का उल्लेख किया गया है । नागालैंड में चुनाव होने के पश्चात् यू० डी० एफ० दल ने सरकार बनाई । मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी ने भी संयुक्त सरकार बनाई। हम उन्हें पूरा समर्थन तथा सहयोग देंगे। संतोष की बात है कि नागालैंड की यू० डी० एफ० सरकार ने संविधान में अपनी निष्ठा दिखाई है । हम सब अपना समर्थन तथा सहयोग देने के इच्छुक हैं । नागालैंड सरकार राज्य में शांति स्थापित करने तथा वहां की तीव्र प्रगति के लिए कदम उठा सकती है ।

रेल हड़ताल की सूचना का उल्लेख किया गया है । हम हड़ताल को रोकने और टालने की पूरी निष्ठा से कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है । लेकिन यदि हमारे प्रयासों का कोई फल नहीं निकला तो इस सभा तथा देश को सरकार से यह आशा करनी चाहिये कि न्यूनतम स्तर पर आवश्यक यातायात कायम रखा जायेगा ....(**व्यवधान**) । खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रुक जाने से

देश के विभिन्न भागों में आर्थिक स्थिति पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ेगा । देश के लिये आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के लिये आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती ....(**व्यवधान**) ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : विधि ने 6 बजे शाम एक वक्तव्य देना है । ऐसा मैंने नोटिस बोर्ड पर पढ़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह उसके बाद है .....(**व्यवधान**) ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, यदि विरोधी दल के ये महानुभाव बाधा न डालें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय कार्यवाही में बाधा डालते हैं, मैं अनुमति नहीं देता..... (**व्यवधान**) ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र के पास एक विधेयक भेजा है जो कि खाद्य तथा औषधियों में अपमिश्रण को रोकने के बारे में है । किंतु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, इसकी सूचना कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु का कटौती प्रस्ताव संख्या 7 मतदान के लिये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Cut motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव संख्या 8 से 15, 27 से 28, 30 से 41, 45 से 47 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

All the Cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री फ्रेंक एंथनी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 26 मतदान के लिये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Cut motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दशरथ देव द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 48 से 55 मतदान के लये रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुईं

The following demands in respect of Ministry of Home Affairs were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
45	गृह मंत्रालय	1,72,96,000	
46	मंत्रिमण्डल . .	88,47,000	
47	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग .	4,63,44,000	..
48	पुलिस .	1,33,45,27,000	2,29,17,000
49	जनगणना	2,88,48,000	..
50	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय .	64,91,87,000	14,16,34,000
51	दिल्ली .	72,04,38,000	28,30,60,000
52	चण्डीगढ़	8,93,78,000	3,69,65,000
53	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	13,98,82,000	5,95,60,000
54	अरुणाचल प्रदेश .	16,50,97,000	7,03,28,000
55	दादर और नागर हवेली	82,40,000	1,07,88,000
56	लक्षद्वीप	2,15,60,000	66,55,000

वर्ष 1974-75 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की मांगें

Outstanding Demands in respect of Budget (General) 1974-75

अध्यक्ष महोदय द्वारा संचार, विदेश, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, भारी उद्योग, सिंचाई और विद्युत, श्रम, योजना, नौवहन और परिवहन, पूर्ति और पुनर्वास, पर्यटन और नागर विमानन, तथा निर्माण और आवास मंत्रालयों तथा परमाणु ऊर्जा, एलैक्ट्रोनिक्स तथा अंतरिक्ष तथा लोक सभा; राज्य सभा विभागों, संसदीय कार्य विभाग और उपराष्ट्रपति सचिवालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं और स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Ministries of Communications, External Affairs, Finance, Health and Family Planning, Heavy Industry, Irrigation and Power, Labour, Planning, Shipping and Transport, Supply and Rehabilitation, Tourism and Civil Aviation and Works and Housing, Departments of Atomic Energy, Electronics and Space and Lok Sabha, Rajya Sabha Department of Parliamentary Affairs and the Secretariat of the Vice-President were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
(1)	(2)	(3)	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
13	संचार मंत्रालय .	66,77,000	2,29,17,000
14	समुद्रपारीय संचार सेवा .	5,70,75,000	3,16,67,000
15	डाक व तार (कार्यचालन व्यय) . .	3,12,21,67,000	—
16	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग तथा सामान्य राजस्व से दिये जाने वाले ऋणों की वापसी अदायगी .	69,45,52,000	—
17	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं) . .	—	1,23,69,17,000
27	विदेश मंत्रालय	62,63,06,000	26,00,00,000
28	वित्त मंत्रालय	20,52,82,000	
29	सीमा-शुल्क .	14,71,16,000	
30	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	23,61,57,000	
31	आय आदि पर कर	26,19,44,000	..
32	स्टाम्प .	5,18,74,000	59,80,000
33	लेखा-परीक्षा .	43,54,17,000	..
34	मुद्रा, सिक्का और टकसाल	25,79,48,000	14,11,08,000
35	पेंशन	15,02,71,000	..
36	अफीम के कारखाने और एल्कलायड के कारखाने .	2,86,11,000	53,74,000
37	राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण . .	2,08,69,85,000	..
38	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .	1,58,73,64,000	2,04,72,75,000
39	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण .	..	46,43,22,000
40	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	45,95,000	..
41	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य .	46,33,37,000	19,59,26,000
42	परिवार नियोजन	48,39,40,000	16,67,000
43	भारी उद्योग मंत्रालय	24,02,000	..
44	भारी उद्योग .	4,30,81,000	26,79,02,000
63	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . .	3,78,05,000	5,96,67,000

मांग संख्या (1)	शीर्षक (2)	राशि (3)	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
64	जल तथा विद्युत् विकास	9,68,45,000	1,53,77,000
65	विद्युत् योजनाएं	9,29,97,000	58,51,46,000
66	श्रम मंत्रालय	45,97,000	—
67	श्रम और रोजगार .	24,52,09,000	1,68,78,000
71	योजना मंत्रालय	9,60,000	—
72	सांख्यिकीय	7,24,27,000	—
73	योजना आयोग . .	2,62,90,000	—
74	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1,58,09,000	—
75	सड़कें . . .	51,46,75,000	56,18,57,000
76	बन्दरगाह, प्रकाशस्तम्भ और नौवहन	11,36,49,000	1,50,50,09,000
77	सड़क और अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन	86,14,000	12,70,08,000
81	पूर्ति विभाग .	17,28,000	..
82	पूर्ति और निपटान .	6,25,58,000	..
83	पुनर्वास विभाग . .	21,77,26,000	4,43,33,000
84	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	27,29,000	..
85	मौसम विज्ञान	7,07,26,000	1,25,50,000
86	विमानन .	12,15,17,000	19,79,89,000
87	पर्यटन . . .	2,49,62,000	5,26,67,000
88	निर्माण और आवास मंत्रालय .	35,46,000	..
89	सरकारी निर्माण कार्य .	42,39,37,000	9,93,03,000
90	जल पूर्ति तथा जल निकासी . .	63,42,000	..
91	आवास तथा नगर विकास	6,77,46,000	8,18,71,000
92	लेखन सामग्री और मुद्रण	15,89,08,000	..
93	परमाणु ऊर्जा विभाग . . .	30,46,000	
94	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	30,46,97,000	49,47,07,000
95	नाभिकीय विद्युत् योजनाएं . .	25,49,98,000	29,78,52,000
98	इकेक्ट्रानिक्स विभाग . .	7,80,69,000	3,33,98,000
102	अन्तरिक्ष विभाग . . .	17,48,91,000	5,92,36,000
103	लोक सभा .	2,58,37,000	—
104	राज्य सभा . . .	1,14,52,000	—
105	संसदीय कार्य विभाग . .	13,94,000	—
106	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय . . .	3,70,000	—

राष्ट्रपतीय निर्वाचन के बारे में वक्तव्य

Statement reg : Presidential Election

अध्यक्ष महोदय : अब विधि मंत्री अपना वक्तव्य दें ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय को आर्डर पेपर पर रखे बिना वक्तव्य को देने का अधिकार है ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : It will be better if you take it tomorrow.

श्री एच० एम० मुकर्जी (कलकत्त—उत्तर-पूर्व) : यह संसदीय प्रणाली के विपरीत है—(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसकी सूचना बहुत पहले ही दी गयी थी।

श्री के रघुरमैया : मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिलाने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि हम किसी दिन कोई निर्णय लेते हैं और सभा में वक्तव्य नहीं देते तथा वह बात अगले दिन समाचार पत्रों में छप जाती है और माननीय सदस्य कह देते हैं कि सरकार ने सभा को विश्वास में नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय : हां। यदि मंत्री वक्तव्य न दे और तत्सम्बन्धी कोई समाचार छप जाये तो आप लोग कहेंगे कि सभा को विश्वास में नहीं लिया गया। अब जबकि मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं तो क्या आपत्ति है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। लोक सभा को एक अस्तित्व-हीन संस्था बनाया जा रहा है। यदि मंत्री महोदय यहां के कार्य को सुन्दर ढंग से नहीं चला सकते तो उन्हें इस पद पर नहीं रहना चाहिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन् हम तैयार होकर आये हैं. . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं पुकारा है, ज्योतिर्मय बसु जी ! बल्कि श्री समर गुह को बुलाया है। यह सज्जन सभा की कार्यवाही में रुकावट पैदा करते आ रहे हैं। इसके लिये कुछ करना होगा। आखिर हम कब तक सहन करें। मैंने "सज्जन" शब्द का प्रयोग किया है हालांकि मेरे विचार आपके बारे में इसके विपरीत हैं. . . (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको "माननीय सज्जन" कहकर बुलाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं जानते कि मैंने कितने भारी मन से उक्त शब्द का प्रयोग किया है।

श्री बीलू मोदी : यदि आप उन्हें "माननीय सदस्य" कह कर पुकारते हैं तो आपको इतना कष्ट न महना पड़ता क्योंकि "एक माननीय" सदस्य का सज्जन होना ज़रूरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका मार्ग दर्शन स्वीकारता हूं। आप इस संदर्भ में अध्यक्ष के लिये शब्द "माननीय" प्रयोग में लायेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आपने कहा है कि किसी विशेष कारण से आपने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति दी है। अब संसदीय-कार्य मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि यदि कल को कुछ अखबारों में छप जाये तो सभा उसे अन्यथा न ले। इससे हमें फौरन सन्देह होता है कि कहीं विधि मंत्री ने प्रेस को पहले ही कुछ बता तो नहीं दिया है।...

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं।

श्री समर गुह : शायद वह हमारी ओर से होने वाली आलोचना को पहले से ही रोक देने के लिये ऐसा कह रहे हैं।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : सभा को मालूम है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 अगस्त, 1974 को समाप्त हो रहा है।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 62(1) के अधीन, इस रिक्त होने वाले स्थान को भरने के लिये उस तारीख से पहले ही चुनाव करने होंगे । साथ ही गुजरात राज्य विधान सभा भी 15 मार्च, 1974 को भंग हो गई थी। एक प्रश्न उठा है कि क्या गुजरात विधान सभा के भंग होने के बावजूद राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। सरकार का यह आधारभूत मत है कि संविधान के अनुच्छेद 54, 55, 56, 62 तथा 71 राष्ट्रपति के चुनाव के लिये उन्हीं राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्यों से निर्वाचक मण्डल का गठन होगा जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने की तारीख के दिन या उससे पूर्व अस्तित्व में होगी। तथापि यहां सभा में तथा इससे बाहर इससे इतर विचार व्यक्त किये गये हैं। इस प्रकार यह प्रश्न बड़ा महत्व पकड़ गया है और सरकार ने राष्ट्रपति से यह सिफ़ारिश करने का निर्णय किया है कि वह इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगे...

श्री मधु लिमये : बहुत अच्छा।

श्री एच० आर० गोखले : कि इस सन्दर्भ में संविधान के अनुच्छेद 54, 62, 71 तथा सम्बन्धित प्रावधानों का सही अभिप्राय क्या है।

श्री पीलू मोदी : ***

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

***कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया गया।
Not recorded.

25 LSS/74—14

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974

Appropriation (No. 2) Bill, 1974

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक पेश करता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव रखा गया—

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मधु लिमये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have to speak on those points only about which I have already written to you.

I have got a very serious point about Ministry of Petrolium & Chemicalsj. On December 16, 1971, our Navel Headquarters in their letter, have expressed their obcction to the Ministry against the supply of the worst category of oil to them. I here give some extracts from that letter :

> "Your suggestion to give effect to supply of FFO of higher viscosity limit immediately on issue of the amendment to ISI specification is not acceptable. The very intention of asking for a 2 months period before effecting the change the in viscosity is that during this period, the necessary trials can be carried out before finally accepting the higher viscosity.
>
> In fact one of I.N. Ships has reported that on 6-8-71 and 11-10-71, FFO of viscosities higher than 80 and less than 100 was supplied at Madras and that the burning of this oil had presented considerable difficulties. The above wrong supply has resulted in continuous emission of greyish smoke from the funnel and various

other consequential operational difficulties. Continuous emission of smoke from the ship's funnel apart from giving the positions of the ship to the enemy, can completely hamper the flying operations on an aircraft carrier."

"The above experience has made it all the more essential that extensive trials should be carried out before a decision can be taken.

The ill effects of burning FFO of higher viscosity in Naval Ships described in para 2 above have already been reported to the Indian Standard Institution by NHQ. The Indian Standard Institution has also been requested to hold in abeyance the promulgation of the amendment to IS-1593-60 for the period of the present emergency and inform all the oil companies accordingly. In view of the above, it is imperative that the viscosity of FFO supplied to Naval Ships should not be raised at this stage."

Sir, I have already requested that these documents should be allowed to be placed on the Table of the House, it is my right. The House is also entitled to go into them.

Sometime ago, the Air Force had also protested against the supply of impure aviation fuel nobody, knows what action was taken by the Ministry of Petrolium & Chemicals. Similarly Ordnance factories at Ishapur and other places are also supplied adulterated oil.Thus, all the wings of the Armed Forces have protested against such supplies. I had brought this thing to the notice of Shri Jagjivan Ram, our Defence Minister but the matter has been hanging fire for the last two-three years. Therefore, we are entitled to know what action has been taken against those officials who have thus put the country's defence in jeopardy?

The Ganga water Pollution Enquiry Committee was constituted at our insistence in 1968. Oil was released from Barauni and its flow caused fire at Mongheyr which reduced the water works into ashes. The inquiry Commission's Report was received in 1969 and the cabinet decided to punish the guilty officers. But the appropriate authority did not take any action and the General Manager at Barauni Refinery got retirement before he could be punished. Others also were exonerated. Let the hon. Minister explain about all that. The officer responsible for not implementing the cabinet decision has been promoted to become the Chairman of the IOC, although the Hakser Committee, after intervening all the three candidates therefor had rejected all of them for the appointment on this high post.

A premium of Rs. 15,000 was due towards Tata Trucks and after six months has become 25,000. In the meantime, I had informed the Hon. Minister that the TELCO have been asked to spare 500 trucks for Congress Poll Compaign. To fecilitate the deal without any difficulty the Bihar Government issued a suitable notification with a view to making the deal book like genuine and legal in as much as the transfers of ownerships of the trucks and validity of chasis numbers and Registration numbers are concerned. The numbers which are definitely involved are BHA/6872 BHA 6951, BHA 7331 & BHA 7134.

May I, therefore, know whether the inquiry is not being instituted against TELCO since that had provided 500 trucks to the ruling party for elections ? I have cited 4 numbers. Do you not think it proper. Sir, that we should get the investigation report at least about these four trucks ?

An assurance was given in this House in August last year that the Century Rayon Co. of Birlas and Shri Synthetics of Bangurs would be brought under volunary Price control. But you are exempting them because they are giving donations to you r party; and, therefore, thousands of weavers are suffering.

The hon. Minister is always busy in finding sources of Revenues. Let me tell him a source of getting at least 55 to 60 crore rupees. Two public sector Companies viz. Indian Petro Chemicals and Gujarat State Fertilizer Corporation are at the moment manufacturing 20,000 tonnes each of Capro-lectum and DMT. DMT is used for the manufacture of Polyester Fibres and Capro-lectum for nylon filament. But we are importing capro-lectum and

other raw materials from the USSR which after levying excise duty would cost us Rs. 38,000 a tonne whereas what would be produced by our public sector companies would be free from excise duty. Thus, there is going to be a difference of Rs. 18,000 a tonne between the prices of these companies' products and that imported from the U.S.S.R. And what is more surprising is this that the Indian product would be given to the Birlas Bangurs etc. and Modi etc. without levying any excise duty.

My point is that if the Government makes the selling price of the products from both the sources equal, they would be getting a revenue of Rs. 55 crores at least. This can be further enhanced by accounting for the Commission of the S.T.C. on the raw materials from U.S.S.R. Then why to lose so much amount ?

A few months ago I had mentioned about 70 cheques of J.K. Groups of Companies getting bounced at a branch of Punjab National Bank in Naya Ganj of Kanpur; and asked whether it did not amount to a criminal offence. The hon. Minister had assumed consideration but till now no information has been received. Besides, I would oblige that the Manager of that Branch is working as the tool of J.K. Group of Companies and the Headquarters of this Bank are encouraging him. An early action of suspending these officers should be taken so as to save the deposits of the Reserve Bank.

The D.G.S.&D. caters to the needs of Defence Ministry to the tune of Rs. 25 crores. There was an allegation that a profit of 60 per cent is being earned on the defence supplies through certain suppliers. It proved true and was admitted by the concerned secretaries when they were pulled up the Defence Minister.

Would the Government therefore, appoint a Committee to fix up the extent of profit on defence supplies ?

Mr. Speaker : You should not divulge anything what has transpired in the informal Consultative Committees otherwise such things would not be talked about informally.

Shri Madhu Limaye : They are already well known. Then they themselves want to hush up certain things and challenge us that we do not know anything.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, तीन-चार दिन हुए संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की स्थायी परिषद् के सदस्यों की एक बैठक हुई थी। वे वित्त सचिव तथा उनके सहयोगियों से मिले थे और तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में आगे कुछ असमानताओं को दूर करने सम्बन्धी कुछ अच्छे निर्णय लिये गये थे। एक निर्णय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये संतान शिक्षा भत्ता के बारे में आयोग की सिफारिशों के लिए वापस ले लिया गया। वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री को मलेशिया से वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वे लौटकर एक वक्तव्य दें। जिसके आधार पर आदेश जारी किये जायें। कुछ अन्य निर्णय भी लिये गये थे। परन्तु मकान किराया भत्ता तथा प्रतिपूर्ति भत्ते के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। हमारी मांग है कि इन भत्तों के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें पूरी ईमानदारी के साथ 1 जनवरी, 1973 से लागू की जायें। रेल कर्मचारी भी हड़ताल करने जा रहे हैं मुझे आशा है कि वे भी इस निर्णय का स्वागत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय यथाशीघ्र अपना वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री श्री उमा शंकर दीक्षित ने अपने भाषण में कहा था कि वह रेल कर्मचारियों से बातचीत द्वारा कोई समझौता करने को तैयार हैं। मैं इस वक्तव्य को सही और ईमानदारीपूर्ण मानता हूं परन्तु फिर भी गृह मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल, 1974 को जो पत्र जारी किया गया कि रेल कर्मचारियों के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाये। यह बड़े खेद की बात है कि एक ओर तो वे बातचीत

कर रहे हैं और दूसरी ओर नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही रेल कर्मचारी वर्ग में सक्रिय तथा हड़ताल सक्रिय होकर कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लेने के आदेश जारी किये गये हैं। न केवल कर्मचारियों को ही, अपितु, अन्य उन लोगों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाना है जो समझौता कराने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं।

इस पत्र को वापिस ले लिया जाना चाहिये था माननीय मंत्री को वह पत्र जारी करने की आवश्यकता के बारे में इस सभा के समक्ष स्पष्ट भी करना चाहिये था। जब सरकार पहले ही आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत लोगों तथा श्रमिकों को बिना कोई कारण बताये गिरफ्तार कर सकती है, तो फिर 7 अप्रैल, 1974 के इस पत्र को जारी करने की आवश्यकता ही क्या थी ?

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रेल कर्मचारी तथा उनके नेता सच्चे हृदय से समझौता चाहते हैं। किन्तु जब तक कुछ भी नहीं किया जाता और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पहल नहीं की जाती, तब तक किसी के लिये यह कठिन है कि उनसे हड़ताल न करने के लिये सुझाव दे। मैं रेल मंत्री की इस बात के लिये सराहना करता हूं कि वह इस बारे में भरसक प्रयास कर रहे हैं। किन्तु क्या मंत्रिमण्डल इस पर विचार करने के लिये तैयार है ?

यदि बोनस के सम्बन्ध में बोनस पुनरीक्षण समिति ने यह सर्वसम्मत निर्णय दिया है कि विभागीय उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस दिया जाना चाहिये तो, रेल कर्मचारियों को बोनस से वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

मैं भी उन लोगों में से हूं जो ईमानदारी से चाहते हैं कि समझौता हो जाये। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि वह अपने मन से इस बात को निकाल दें कि रेल हड़ताल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जा रही है। रेल कर्मचारी राजनीति से सम्बन्धित नहीं हैं। हां, नेता लोगों का सम्बन्ध राजनीति से हो सकता है। रेल कर्मचारी अपनी मांगों के कारण हड़ताल करने के लिये विवश हैं। रेल कर्मचारियों ने 1962, 1965 और 1971 में सहायता दी थी। रक्षा कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों और डाक तार कर्मचारियों ने एक होकर देश की सहायता की थी।

आज 29 तारीख है और हड़ताल 8 को होगी। बातचीत चल भी रही है परन्तु सरकार को स्थिति की गम्भीरता को समझना चाहिये तथा हड़ताल को राजनीतिक कारणों वाली नहीं बताना चाहिये।

एक और बात जिसके बारे में मैं गृह मंत्री को पहले से लिख चुका हूं वह यह है कि 200 जनगणना कर्मचारियों की नौकरी 1 मई, 1974 से समाप्त की जा रही है। इन लोगों ने बड़ी कार्य कुशलता और बड़ी ईमानदारी से कार्य किया है। उनके सेवाकाल को बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दोनों माननीय सदस्यों ने ऐसे मामले उठाये हैं जिनमें से अधिकांश को पहले भी उठाया जा चुका है।

श्री मधु लिमये द्वारा उठायी गयी बातों में से एक या दो बातें प्रत्यक्ष रूप से मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित है। जहां तक चैकों के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस पर 1973 में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान इस पर चर्चा की गयी थी। यह बात ठीक है कि कुछ चैकों को वापिस कर दिया गया है। यदि कुछ व्यक्तियों ने चैक लेने से इंकार किया है, तो इसमें क्या गलत बात है।

जहां तक आवास आदि का प्रश्न है, मैंने बैंक से जानकारी प्राप्त की है, उनके अनुसार सीमा बढ़ाने या लेखों के पुनर्समायोजन या नई सीमा निर्धारित करने या किसी बड़े लेखे को अनिवार्यतः निदेशक बोर्ड के समक्ष रखे जाने पर ब्रांच मैनेजर अपने स्तर पर इनके बारे में निर्णय नहीं ले सकता। मैं यह बताना चाहता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक को निश्चित रूप से इसकी जानकारी है और इसने इस पर विचार करने के लिये एक दल भी नियुक्त किया है। इस दल ने कुछ अनियमतताओं पर विचार किया है जिन्हें सुधारा जा रहा है।

जहां तक चैकों के वापिस किये जाने को एक दांडिक अपराध बना देने की बात है, इसको भी पहले उठाया जा चुका और मैंने इसे दांडिक अपराध बनाने में पेश आने वाली कठिनाई बताई थी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं कल आलोक उद्योग द्वारा एक गरीब ठेकेदार को जारी किये गये 25,000 रुपये के चैक पेश कर सकता हूं, जिसे वापिस किया गया था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह हर तरह से सम्भव है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। डा० राजामन्नार की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने इस पर विचार किया था। और अभी भी इस पर विचार किया जा रहा है। मुझे उस समिति की सिफ़ारिशों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

जहां तक ट्रकों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने चार विशेष मामलों का उल्लेख किया है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री मधु लिमये ने ट्रकों के बारे में कुछ विशेष मामलों का उल्लेख किया है। ये मामले जांच के लिये राज्य सरकारों के पास भेज दिये गये हैं। हमें शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट मिल जायेगी। जहां तक ट्रकों को प्रीमियम पर पुनः बेचने की बात है सम्बन्धित मंत्रालय ने इस मामले पर विचार किया है और उन्होंने दोबारा बिक्री पर रोक सम्बन्धी आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री बनर्जी वेतन आयोग की रिपोर्ट की क्रियान्विति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार उठाते रहे हैं। जहां तक श्रेणी II, III और IV का सम्बन्ध है विस्तृत अनुदेश और अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की बैठक में विषमता समिति में कुछ मामलों पर चर्चा हुई थी। इस मामले पर निर्णय लेने से पूर्व मैं इस मामले पर प्रतिनिधियों से बातचीत करूंगा।

उन निर्णयों की घोषणा करने के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु यदि सरकार को वक्तव्य देना है तो यह सभी विषयों पर होना चाहिए। उसमें जो बातें स्वीकार की गई हैं और जो बातें अस्वीकार की गई हैं, सभी होनी चाहियें। ऐसा वक्तव्य देने से पहले कि हम कोई बात स्वीकार नहीं कर रहे, विभिन्न समस्याओं पर हम पहले उनसे बातचीत करना चाहते हैं। यदि आप सहमत हुई बातों पर घोषणा चाहते हैं तो हम उस पर भी विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में अग्रिम नोटिस दिये जाने पर सम्बन्धित मंत्री को सदन में अवश्य ही उपस्थित रहना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : महोदय, इस मामले में मेरे विचार से केवल वित्त मंत्री को ही नोटिस दिया गया था। मुझे भी नोटिस नहीं मिला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे मामलों में आप अपने कार्यालय को निदेश दें कि वह सम्बन्धित सभी मंत्रालयों को नोटिस दे।

अध्यक्ष महोदय मैं इसकी जांच करूंगा और इस बारे में हम भविष्य के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

अब, प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्राधे घण्टे की चर्चा के बारे में

Re : Half-an-Hour-Discussion

अध्यक्ष महोदय : श्री शिनाय, क्या श्राप चाहते हैं कि श्राधे घंटे की चर्चा को इसी समय लिया जाये ?

श्री पी० श्रार० शिनाय (उदीपी) : यदि इस पर कल चर्चा की जाये तो मुझे कोई श्रापत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि हमें समय मिला तो इस पर कल चर्चा की जायेगी। श्रन्यथा, इस पर बाद की किसी तारीख को विचार किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 30 अप्रैल, 1974/10 वैशाख 1896 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 30, 1974 Vaisakha 10, 1896 (Saka)

MGIPRRND—V (Day)—25 LSS/74—1-10-74—490